ाला, खंड

बुधवार, 31 जुलाई, 1991
9 श्रावण, 1913 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

पहला सत्र

(दसवीं लोक सभा)

(खंड 2 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

बुधवार 31 जुलाई, 1991/9 श्रावण, 1913 (शक)

का

शुद्धि - पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
6	नीचे से पंक्ति 1	"संतोप्र" के स्थान पर "संतोष" पढ़िये।
16	नीचे से पंक्ति 14	"कुमाम" के स्थान पर "कुमार" पढ़िये।
32	नीचे से पंक्ति 9	"श्री प्रकाश बापू वसंत राव पाटिल" के स्थान पर "श्री प्रकाश वी॰ पाटिल" पढ़िये।
67	नीचे से पंक्ति 8	"यशर्वत" के स्थान पर "यशवंत" पढ़िये।
80	नीचे से पंक्ति 7	"भाग्थे" के स्थान पर "भाग्ये" पढ़िये।
96	10	"शीर्षक में से " 31 जुलाई को होने वाली सदन की बैठक के लिए" हटा दीजिए।
98	17	"रपाणिग्रही" के स्थान पर "पाणिग्रही" पढ़िये।
109	21	"शासनिक" के स्थान पर "प्रशासनिक" पढ़िये।
138	4	"क" के स्थान पर "के" पढ़िये।
143	20	"अम्बारासु" के स्थान पर "अन्बारासु" पढ़िये।
154	नीचे से पंक्ति 9	"जैना" के स्थान पर "जेना" पढ़िये।

विषय-सूची

दशम माला, खंड 2, पहला सत्र, 1991/1913 (शक)

अंक 16, बुधवार, 31 जुलाई, 1991/9 श्रावण, 1913 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
तारांकित प्रश्न संख्या :	225, 226, 228 से 230, 233 और 234	1-32
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
तारांकित प्रश्न संख्या	227, 231, 232 और 235 से 244	32-41
अतारांकित प्रश्न संख्या :	1097 से 1100, 1102 से 1133, 1135 से 1183, 1185 से 1188, 1190 से 1195 और 1197 से 1209	42-156
सभा पटल पर रखे गए पत्र	.. ..	156-159
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य		
(एक) कोयले पर रायल्टी की दरों में वृद्धि किये जाने के बारे में		
श्री पी०ए० संगमा	.. ..	159-162
(दो) महाराष्ट्र में वर्धा नदी और उड़ीसा में अपर इन्द्रावती नदी में आई भारी बाढ़ के कारण हुए हताहतों के बारे में		
श्री विद्याचरण शुक्ल	.. ..	167-168
नियम 377 के अधीन मामले		
(एक) रत्नागिरि हवाई अड्डे को विखंडित करने के प्रस्ताव पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता		
श्री सुधीर सावंत	.. ..	162
(दो) राउरकेला में कोइल नदी पर पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता		
कुमारी फ्रिडा तोपनो	.. ..	162-163
(तीन) केरल में हाल में वर्षा के कारण हुई क्षति का आकलन करने के लिए एक स्वतन्त्र प्राधिकरण का गठन किए जाने की आवश्यकता		
प्रो० सावित्री लक्ष्मणन	.. ..	163

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

372/L.S./91—1

1	2	3	4	5
रबी की धान की राज्यवार वसूली				
आन्ध्र प्रदेश	शून्य	शून्य	1.52	0.20
उड़ीसा	शून्य	0.01	—	—
जोड़	—	0.01	1.52	0.20
रबी के चावल की राज्यवार वसूली				
आन्ध्र प्रदेश	5.56	6.46	8.56	7.50
कर्नाटक	0.07	0.41	0.26	0.14
उड़ीसा	0.18	0.29	0.58	0.20
पश्चिम बंगाल	0.27	0.20	0.26	0.14
असम	0.01	0.01	नगण्य	नगण्य
जोड़	6.09	7.37	9.66	7.98

नगण्य—500 मीटरी टन से कम ।

विवरण—2

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा इस्तेमाल किए गए कवर और प्लिंथ भंडारण को बताने वाला विवरण

वर्ष	क्षमता (लाख मी० टन में)	स्टाक (लाख मी० टन में)
1988-89 (1-7-88 को स्थिति के अनुसार)	44.90	10.43
1989-90 (1-7-89 को स्थिति के अनुसार)	33.23	5.17
1990-91 (1-7-90 को स्थिति के अनुसार)	21.55	14.58
1991-92 (1-6-91 को स्थिति के अनुसार)	28.55	15.77

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : अध्यक्ष जी, मैंने जो प्रश्न किया था माननीय मंत्री जी ने उसका स्पष्ट उत्तर नहीं दिया है । इससे कुछ भी साफ नहीं हो पा रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि जोनवार जो भण्डारण है, उसमें गेहूं की श्रेणीवार क्या स्थिति है । हर जोन में गेहूं की श्रेणीवार स्थिति मैं जानना चाहता हूं । इसके साथ-साथ ट्रांजिट और भण्डारण में जो शोर्टेज है, उसे अभी आप कहां तक ठीक कर पाए हैं ।

[अनुवाद]

श्री तरुण गोगोई : महोदय, जहां तक आवृत्त और कुरसी क्षेत्र संबंधा भण्डारण क्षमता का सवाल है, हमने इस बारे में विस्तार से आंकड़े दे दिए हैं अर्थात् दिनांक 1-6-91 को यह 28.55 लाख टन है। इसके अतिरिक्त भण्डार के बारे में मैं कहूंगा कि यह 15.77 लाख टन है। यह क्षमता अधिकतर हरियाणा, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में है।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : अध्यक्ष जी, इन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर स्पष्ट नहीं दिया। मैंने पूछा था कि भण्डारण के मामले में गेहूं की श्रेणीवार क्या स्थिति है परन्तु मंत्री जी की तरफ से मुझे संतोषजनक उत्तर नहीं मिला है।

अध्यक्ष महोदय : क्या कहा इन्होंने ! स्थिति का क्या मतलब है।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : मेरा मतलब है कि पूरे देश को जब पांच जोन में बांटा हुआ है तो हर जोन में गेहूं की श्रेणीवार क्या स्थिति है और ट्रांजिट एवं भण्डारण शोर्टेज को कहां तक ठीक कर लिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे भी आपका प्रश्न समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने कहा।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : यानी प्रोक्योरमैंट आपने श्रेणीवार कितना किया है हर जोन में कितना वसूल किया और कितना जमा है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, अब मैं इन्हें कन्वे कर देता हूं।

[अनुवाद]

श्री तरुण गोगोई : पंजाब में हमने 55.4 लाख टन गेहूं की खरीद की है। हरियाणा में हमने 18.3 लाख टन, उत्तर प्रदेश में हमने लगभग 3.7 लाख टन तथा राजस्थान में हमने 0.1 लाख टन गेहूं की खरीद की है।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : अध्यक्ष जी, पूरे देश में जो पांच जोन बने हैं—नौर्थ जोन, वैस्ट जोन, ईस्ट जोन, साउथ जोन और नौर्थ-ईस्ट जोन—इनमें अलग-अलग श्रेणीवार क्या स्थिति है, वह मैंने पूछा था। मंत्री जी कभी उत्तर प्रदेश की स्थिति बता रहे हैं, कभी पंजाब की बता रहे हैं और कभी हरियाणा की बता रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : अगर आपका भाषण होगा तो प्रश्न गुम हो जाएगा। इसलिए आप प्रश्न पर आ जाईए।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : हम भाषण कहां कर रहे हैं। हमारा प्रश्न बड़ा सीधा है कि जोनवाइज गेहूं की श्रेणीवार स्थिति क्या है, कितना गेहूं भण्डारण में है।

अध्यक्ष महोदय : अगर आपके पास स्टैटिस्टिक्स हैं तो दे दीजिए। मंत्री जी, यदि नहीं हैं तो बाद में भिजवा दीजिएगा।

[अनुवाद]

श्री तरुण गोगोई : वास्तव में हम गेहूं मुख्यत: पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश से खरीदते हैं। केवल ये ही ऐसे राज्य हैं जहां से हम गेहूं खरीदते हैं तथा ये क्षेत्र हैं। यदि आप और विस्तार में इस सम्बंध में जानकारी चाहते हैं तो वह हम आपको दे देंगे।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : मेरा दूसरा सप्लीमैंटरी है····

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। आप इस वक्त नहीं पूछेंगे। मैं आपको एलाउ नहीं कर सकता। आप बैठ जाइए।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : आप इस प्रश्न को पोस्टपोन कर दीजिए क्योंकि मंत्री जी के पास आंकड़े नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : ऐसे नहीं, आपको पूरा मौका दिया जा चुका है। आपको तीन-चार बार मौका दिया है मैंने।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : मेरा जवाब नहीं मिला है सर।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। इस तरह नहीं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए, मैंने आपको तीन-चार दफा प्रश्न पूछने का समय दिया है।

श्री फूल चन्द वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी तैयार होकर नहीं आए हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वेंकटेश्वरलु जी, आप प्रश्न पूछना चाहते है, अथवा नहीं ?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। मैंने आपको प्रश्न पूछने के लिए नहीं कहा है। यहां आप एडवोकेसी नहीं कर सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अच्छा प्रसाद जी, मैं आपको एक मौका और देता हूं आप सिर्फ एक प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : गेहूं की खरीद गर्मी के मौसम में होती है. . . . (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप तो भाषण कर रहे हैं। मैं आपको प्रश्न पूछने के लिए समय दे रहा हूं। आप मेहरबानी करके प्रश्न पूछिए।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, गेहूं की शार्टेज को डबल कर दिया है। पहले 5 और पांच मिलाकर 10 परसेंट होती थी और अब इन्होंने कहा कि 20 परसेंट कर दिया है एक जुलाई से, तो जब गेहूं की खरीद-वसूली होती है, तो उसमें नमी रहती है और गेहूं 8 परसेंट बढ़ जाता है, लेकिन अब इन्होंने 10 को 20 प्रतिशत यानी डबल किस आधार पर किया है, इसका क्या कारण है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न तो मुझे ही समझ में नहीं आया ?

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : पहले 10 परसेंट की पावर थी अब एक जुलाई से 20 परसेंट कर दिया है इसका क्या कारण है जबकि खरीद गर्मी में होती है, तो उसमें नमी नहीं होती है। इसलिए 10 का 20 परसेंट करने का क्या कारण है ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि मंत्री जी ने आपका प्रश्न समझ लिया है, तब वह इसका उत्तर दे सकते हैं।

(**व्यवधान**)

श्री तरुण गोगोई : मेरे रिकार्ड के अनुसार कमी केवल 0.17 प्रतिशत है। इसमें भी कमी आई है। पिछले वर्ष कमी 0.31 प्रतिशत थी।

श्री वेंकटेश्वरलु उमा रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि पांच क्षेत्रों में जो कुल गेहूं खरीदा गया है उसमें से कितना गेहूं गुप्त रूप से गोदामों में रखा जाता रहा है तथा कितना गेहूं खुले गोदामों में रखा जाता रहा है ? क्या सरकार के ध्यान में कुछ ऐसे मामले भी आए हैं जिनमें पिछले दो अथवा तीन वर्षों के दौरान घटिया किस्म का गेहूं खरीदा गया हो ?

श्री तरुण गोगोई : इस समय मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। मैं यह जानकारी बाद में दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप उन्हें लिख सकते हैं।

(**व्यवधान**)

श्री वेंकटेश्वरलु उमा रेड्डी : महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि उनके पास कोई विशिष्ट सूचना नहीं है। वह लिखित रूप में देंगे।

(**व्यवधान**)

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : महोदय, आपको इस बात की जानकारी है कि आन्ध्र प्रदेश पूरे देश में विशेष रूप से दक्षिण में धान-उत्पादन करने वाला एक बड़ा राज्य है। अनुभव के आधार पर यह पाया गया है कि भारतीय खाद्य निगम खरीद इत्यादि का काम पूरे

ध्यान से नहीं कर रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि सरकार पर्याप्त कदम उठाएगी अथवा नहीं ताकि भारतीय खाद्य निगम आन्ध्र प्रदेश में सभी बुनियादी सुविधाएं जैसे बोरे उपलब्ध कराना, जिनके अभाव में किसानों को समुद्री तूफान के समय भारी हानि उठानी पड़ती है, ये सभी सुविधाएं प्रदान करके आन्ध्र प्रदेश में धान तथा चावल की खरीद, सम्बन्धी काम को ठीक तरह से कर सके। मैं माननीय मंत्री जी से इसका स्पष्ट उत्तर जानना चाहूंगा।

श्री तरुण गोगोई : यह प्रश्न रबी की फसल को खरीद करने से सम्बन्धित है। चावल खरीफ की फसल के अन्तर्गत आता है। फिर भी हम सभी अपेक्षित कदम उठा रहे हैं। यह सच नहीं है कि हम चावल की खरीद करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रहे हैं। हम विशेष-कर आन्ध्र प्रदेश में चावल खरीदते हैं यदि आपका कोई सुझाव है तब आप उसे मुझे दे सकते हैं तथा मैं इसके लिए जो भी जानकारी आवश्यक होगी, वह दूंगा।

[हिन्दी]

श्री फूल चन्द वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जवाब में बताया है कि जुलाई के महीने में 20 प्रतिशत भंडारण किये हुए गेहूं का रेट कम हो गया है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिस समय गेहूं का प्रक्योरमैंट करते हैं, उसका भंडारण करते हैं, उस समय उसमें नमी नहीं रहती है और आज के समय में कम होने का प्रश्न इसलिए नहीं उठता क्योंकि बरसात के दिन हैं। मैं जानना चाहता हूं कि 20 प्रतिशत जो आपने बताया कि कम हो गया है, जबकि गेहूं का रेट बढ़ना चाहिए, वह किस तरह हो गया है?

[अनुवाद]

श्री तरुण गोगोई : मैं देश को हुए कुल नुकसान के बारे में बात कर रहा था। वास्तव में कुछेक मामलों में यह अधिक हो जाता है तथा कुछेक मामलों में निश्चित रूप से भार बढ़ जाता है।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में जो गेहूं भंडारण किया जाता है वह इतना अनुपयुक्त है कि उसके कारण हजारों क्विंटल गेहूं सड़ गया है, बेकार हो गया है, न खाने लायक है न बेचने लायक। इस स्थिति से आप अवगत हैं या नहीं?

[अनुवाद]

श्री तरुण गोगोई : मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि यह मनुष्यों के खाने लायक नहीं है। यदि आपके पास कोई ठोस सबूत है, आप इसे मेरे नोटिस में लाइये तथा मैं उपयुक्त कार्रवाई करूंगा।

जवाहर रोजगार योजना

[हिन्दी]

*226. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवाहर रोजगार योजना के मामले में प्रत्येक राज्य में हुई प्रगति की समीक्षा कीई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी विकास दर प्राप्त की गई है; और

(घ) इस योजना को भविष्य में किस ढंग से कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है ?

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

जवाहर रोजगार योजना मजदूरी रोजगार की एक चालू प्लान योजना है और केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा इसकी निरन्तर समीक्षा की जाती है । कार्यक्रम की समीक्षा राज्य सरकारों से प्राप्त मासिक/तिमाही/वार्षिक प्रगति रिपोर्टों से की जाती हैं । इसके अलावा, कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, भारत सरकार के अनुरोध पर राज्यों ने राज्य/जिला/खंड स्तर पर प्रत्येक पर्यवेक्षी स्तर के अधिकारियों के लिए क्षेत्रीय दौरों की न्यूनतम संख्या निर्धारित करते हुए एक निरीक्षण अनुसूची तैयार की है ।

2. केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों द्वारा भी कार्यक्रम के गुणात्मक/परिमाणात्मक पहलुओं की समीक्षा करने के लिए क्षेत्रीय दौरे किए जाते हैं भारत सरकार समय-समय पर कार्यक्रम के कार्यान्वयन की गुणवत्ता में सुधार लाने के विचार से कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए राज्य सचिवों तथा मंत्रियों की बैठकें भी आयोजित करती है ।

3. वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत किए गए व्यय और सृजित रोजगार के राज्यवार ब्यौरे अनुबंध-I और II में दिए गए हैं ।

4. जवाहर रोजगार योजना ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार के अवसर सृजित करने का कार्यक्रम है और इसकी निगरानी सृजित रोजगार के रूप में की जाती है । उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के अंतिम वर्ष में अर्थात् 1988-89 के दौरान 1357.68 लाख श्रमदिनों के रोजगार सृजन के मुकाबले 1989-90 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत सृजित रोजगार 1624.93 लाख श्रमदिन था जो 19.68% की वृद्धि दर दर्शाता है । चूंकि, 1990-91 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत आबंटन का स्तर 1989-90 के समान था, इसलिए रोजगार सृजन का स्तर भी वही था ।

5. सरकार ने, जिला स्तर पर ग्रामीण स्थानीय निकायों जैसे जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियों/जिला परिषदों तथा ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतों के माध्यम से जवाहर रोजगार योजना को कार्यान्वित कराने की एक व्यापक विकेन्द्रीकृत प्रणाली निर्धारित की है । इसमें परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव फिलहाल सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

अनुबन्ध—I

(रुपये लाख में)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1-4-90 को उपयोग न किए गए शेष संसाधन	रिलीज किए गए संसाधन: केन्द्रीय	रिलीज किए गए संसाधन: राज्य का अंशदान	रिलीज किए गए कुल संसाधन (कालम 4+5)	उपयोग न किए गए शेष संसाधन +रिलीज किए गए संसाधन (कालम 3+6)	उपयोग किए गए संसाधन	प्रतिशत उपयोग: उपयोग न किए गए शेष संसाधन+रिलीज की गई निधियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	4788.59	15637.71	3909.43	19547.14	24335.73	18032.89	74.10
2.	अरुणाचल प्रदेश	240.46	251.31	62.83	314.14	554.60	208.77	37.64
3.	असम	1843.75	3887.08	872.92	4760.00	6603.75	5648.57	85.54
4.	बिहार	14180.16	29234.83	7308.71	36543.54	50723.70	42645.86	84.07
5.	गोआ	126.36	142.91	71.45	214.36	340.72	277.12	81.33
6.	गुजरात	2306.70	5712.05	1627.90	7339.95	9646.65	7513.03	77.88
7.	हरियाणा	222.52	1496.76	535.91	2032.67	2255.19	2085.43	92.47
8.	हिमाचल प्रदेश	421.68	862.81	215.70	1078.51	1500.19	1270.68	84.70
9.	जम्मू व कश्मीर	272.76	1600.00	400.00	2000.00	2272.76	1636.30	72.00
10.	कर्नाटक	2883.91	8550.77	2137.69	10688.46	13572.37	10684.41	78.72
11.	केरल	1493.48	4332.78	1743.60	6076.38	7569.86	6819.92	90.09
12.	मध्य प्रदेश	12467.02	19927.61	4981.90	24909.51	37376.53	24102.41	64.49
13.	महाराष्ट्र	3015.75	15522.87	3880.72	19403.59	22419.34	19254.92	85.89
14.	मणिपुर	87.77	296.60	153.93	450.53	538.30	482.45	89.62

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	मेघालय	195.19	99.18	24.80	123.98	319.17	339.35	106.32
16.	मिजोरम	1.64	666.92	166.74	833.66	835.30	833.41	99.77
17.	नागालैण्ड	0.00	483.80	133.66	617.46	617.46	617.46	100.00
18.	उड़ीसा	5109.71	10048.47	2690.60	12739.07	17848.78	12845.26	71.97
19.	पंजाब	201.97	1273.49	318.37	1591.86	1793.83	1222.63	68.16
20.	राजस्थान	5990.97	10481.46	2620.37	13101.83	19092.80	17029.54	89.19
21.	सिक्किम	60.59	112.36	28.09	140.45	201.04	183.48	91.27
22.	तमिलनाडु	1322.94	13778.93	6287.18	20066.11	21389.05	19661.60	91.92
23.	त्रिपुरा	99.78	391.42	118.34	509.76	609.54	525.40	86.20
24.	उत्तर प्रदेश	9306.57	38830.87	9707.75	48538.62	57845.19	45773.98	79.13
25.	पश्चिम बंगाल	8607.37	15856.92	3964.23	19821.15	28428.52	16998.84	59.80
26.	अंडमान व निकोबार	136.41	78.29	0.00	78.29	214.70	102.02	47.52
27.	चंडीगढ़	14.57	28.14	0.00	28.14	42.71	12.29	28.78
28.	दादर, नगर हवेली	12.72	80.74	0.00	80.74	93.46	66.53	71.19
29.	दमन व दीव	32.35	25.04	0.00	25.04	57.39	15.46	26.94
30.	दिल्ली	97.03	92.09	0.00	92.09	189.12	56.84	30.05
31.	लक्षद्वीप	31.85	87.01	4.37	91.38	123.23	64.30	52.18
32.	पांडिचेरी	18.44	223.79	17.61	241.40	259.84	164.48	63.30
		75591.01	200095.01	53984.78	254079.80	[illegible]	257175.63	78.01

[जारी—

अनुबन्ध—I—(जारी)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	(श्रम दिन लाख में) रोजगार सृजन लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत उपलब्धि
1	2	10	11	12
1.	आन्ध्र प्रदेश	919.98	182.60	88.33
2.	अरुणाचल प्रदेश	12.40	8.44	68.06
3.	असम	122.75	126.02	102.66
4.	बिहार	1125.86	1130.11	100.38
5.	गोआ	11.91	8.88	74.56
6.	गुजरात	242.72	188.82	77.79
7.	हरियाणा	37.60	35.03	93.16
8.	हिमाचल प्रदेश	33.68	35.86	106.47
9.	जम्मू व कश्मीर	61.68	54.27	87.99
10.	कर्नाटक	570.87	473.20	82.89
11.	केरल	244.83	180.90	73.89
12.	मध्य प्रदेश	1156.31	952.76	82.40
13.	महाराष्ट्र	859.99	850.22	98.86
14.	मणिपुर	9.83	12.16	123.70
15.	मेघालय	18.98	7.88	41.52
16.	मिजोरम	4.48	19.69	439.51

1	2	10	11	12
17.	नागालैण्ड	21.26	18.98	89.28
18.	उड़ीसा	324.61	341.97	105.35
19.	पंजाब	31.72	21.81	68.76
20.	राजस्थान	392.43	506.01	128.94
21.	सिक्किम	7.91	17.03	215.30
22.	तमिलनाडु	688.95	755.21	109.62
23.	त्रिपुरा	19.81	19.05	96.16
24.	उत्तर प्रदेश	1703.11	1628.27	95.61
25.	पश्चिम बंगाल	643.16	516.85	80.36
26.	अंदमान व निकोबार	4.44	2.97	66.89
27.	चंडीगढ़	1.08	0.11	10.19
28.	दादर, नगर हवेली	3.47	2.84	81.84
29.	दमन व दीव	1.61	0.63	39.13
30.	दिल्ली	5.12	0.89	17.38
31.	लक्षद्वीप	2,62	2.23	85.11
32.	पांडिचेरी	5.87	4.89	83.30
		9291.4	8736.58	94.03

अनुबन्ध—II

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	माह कोड	1-4-91 को उपयोग न किये गये शेष संसाधन	(रुपये लाख में) आवंटित संसाधन: केन्द्रीय (नकद)	राज्य का अंश (नकद)	कुल आवंटित संसाधन	रिलीज किए गए कुल संसाधन: केन्द्रीय	राज्य का अंशदान	कुल	कुल उपलब्ध संसाधन: उपयोग न किये गये शेष संसाधन + रिलीज किए गये संसाधन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	5	6302.84	15332.96	3833.24	19166.20	5110.99	1277.75	6388.74	12691.58
2.	अरुणाचल प्रदेश	5	345.83	264.54	66.13	330.67	11.25	2.81	14.06	359.89
3.	असम	6	955.18	4091.67	1022.92	5114.59	1387.65	346.91	1734.56	2689.74
4.	बिहार	6	8077.84	30773.42	7693.36	38466.78	6668.52	1667.13	8335.65	16413.49
5.	गोआ	6	63.60	285.82	71.45	357.27	क	क	क	63.60
6.	गुजरात	6	2133.62	6472.57	1618.14	8090.71	2206.36	551.59	2757.95	4891.57
7.	हरियाणा	6	169.76	1541.46	385.36	1926.82	1052.54	263.14	1315.68	1485.44
8.	हिमाचल प्रदेश	5	229.51	908.22	227.06	1135.28	434.49	108.62	543.11	772.62
9.	जम्मू व कश्मीर	5	636.46	1289.21	322.30	1611.51	1001.23	250.31	1251.54	1888.00
10.	कर्नाटक	6	2887.96	9647.76	2411.94	12059.70	4338.66	1084.67	5423.33	8311.29
11.	केरल	5	749.94	5116.95	1279.24	6396.19	1705.65	426.41	2132.06	2882.00
12.	मध्य प्रदेश	5	13274.12	21122.00	5280.50	26402.50	4387.62	1096.91	5484.53	18758.65
13.	महाराष्ट्र	5	3164.42	16339.88	4084.97	20424.85	4694.52	1173.63	5868.15	9032.57
14.	मणिपुर	6	55.85	339.06	84.77	423.83	क	क	क	55.85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	मेघालय	6	0.00	396.73	99.18	495.91	60.00	15.00	75.00	75.00
16.	मिजोरम	6	1.89	167.12	41.78	208.90	71.31	17.83	89.14	91.03
17.	नागालैण्ड	5	0.00	425.26	106.32	531.58	141.75	35.44	177.19	177.19
18.	उड़ीसा	5	5003.52	10475.94	2618.99	13094.93	2249.11	562.28	2811.39	7814.91
19.	पंजाब	5	571.20	1340.52	335.13	1675.65	811.21	202.80	1014.01	1585.21
20.	राजस्थान	5	2063.26	10244.22	2561.06	12805.28	3344.84	836.21	4181.05	6244.31
21.	सिक्किम	6	17.56	154.83	38.71	193.54	51.61	12.90	64.51	82.07
22.	तमिलनाडु	6	1727.45	13778.93	3444.73	17223.66	4592.97	1148.24	5741.21	7468.66
23.	त्रिपुरा	6	84.14	440.39	110.10	550.49	180.49	45.12	225.61	309.75
24.	उत्तर प्रदेश	6	12071.21	40874.62	10281.66	51093.28	12263.52	3065.88	15329.40	27400.61
25.	पश्चिम बंगाल	6	11429.68	17429.55	4357.39	21786.94	2823.20	705.80	3529.00	14958.68
26.	अंडमान व निकोबार	6	112.68	156.56	0.00	156.56	21.00	0.00	21.00	133.68
27.	चण्डीगढ़	4	30.42	38.81	0.00	38.81	क	क	क	30.42
28.	दादर, नगर हवेली	6	26.93	84.99	0.00	84.99	क	क	क	26.93
29.	दमन व दीव	6	41.93	50.07	0.00	50.07	क	क	क	41.93
30.	दिल्ली	5	132.28	184.18	0.00	184.18	क	क	क	132.28
31.	लक्षद्वीप	6	58.93	78.49	0.00	78.49	×	×	×	58.93
32.	पांडिचेरी	6	95.36	153.25	0.00	153.25	51.08	0.00	51.08	146.44
			72551.37	210000.00	52313.37	262313.37	59661.57	14897.37	74558.94	147074.31

क—पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

×—संघ शासित क्षेत्र द्वारा निधियों को रिलीज प्राप्त करने के लिए उपलब्ध संसाधनों के अपेक्षित व्यय स्तर को अभी तक प्राप्त नहीं किया है।

अनुबंध—II—(जारी)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उपयोग किए गए संसाधन	प्रतिशत उपयोग (उपयोग न किए गए शेष संसाधन+रिलीज किए गए संसाधन)	(श्रम दिन लाख में) रोजगार सृजन: लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत उपलब्धि
1	2	12	13	14	15	16
1.	आंध्र प्रदेश	1121.52	8.84	919.98	55.39	6.02
2.	अरुणाचल प्रदेश	6.89	1.91	12.40	0.18	1.45
3.	असम	556.08	20.67	112.75	12.62	10.28
4.	बिहार	6444.73	39.26	1125.86	157.44	13.98
5.	गोआ	50.79	79.86	11.91	1.33	11.17
6.	गुजरात	1187.94	24.29	242.72	25.68	10.58
7.	हरियाणा	163.65	11.02	37.60	2.63	6.99
8.	हिमाचल प्रदेश	107.70	13.94	34.06	3.23	9.48
9.	जम्मू व कश्मीर	67.49	3.57	61.68	1.82	2.95
10.	कर्नाटक	1497.42	18.02	433.93	63.06	14.53
11.	केरल	966.38	33.53	244.83	24.86	10.15
12.	मध्य प्रदेश	3632.34	19.36	1156.31	131.45	11.37
13.	महाराष्ट्र	982.88	10.88	859.99	42.09	4.89
14.	मणिपुर	4.48	8.02	9.83	0.11	1.12

1	2	12	13	14	15	16
15.	मेघालय	132.10	176.13	18.98	3.24	17.07
16.	मिजोरम	0.00	0.00	4.48	0.00	0.00
17.	नागालैण्ड	0.00	0.00	21.26	0.00	0.00
18.	उड़ीसा	950.71	12.17	306.02	22.61	7.39
19.	पंजाब	196.29	12.38	29.57	3.38	11.43
20.	राजस्थान	2240.02	35.87	338.84	67.67	19.97
21.	सिक्किम	20.82	25.37	7.91	0.92	11.63
22.	तमिलनाडु	948.25	12.70	688.95	34.13	4.95
23.	त्रिपुरा	51.44	16.61	19.81	1.58	7.98
24.	उत्तर प्रदेश	3518.51	12.84	1703.11	112.81	6.62
25.	पश्चिम बंगाल	3442.34	23.01	554.96	85.95	15.49
26.	अंदमान व निकोबार	10.46	7.82	4.44	0.37	8.33
27.	चंडीगढ़	10.20	0.66	0.70	नगण्य	0.00
28.	दादर व नगर हवेली	11.95	44.37	3.47	0.71	20.46
29.	दमन व दीव	11.09	26.45	1.61	0.37	22.98
30.	दिल्ली	7.12	5.38	3.83	0.08	2.09
31.	लक्षद्वीप	11.84	20.09	2.62	0.64	20.61
32.	पांडिचेरी	20.57	14.05	4.06	0.69	17.00
		28364.00	19.29	8988.47	856.94	9.53

372/L.S./91—3

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार : अध्यक्ष महोदय, दो वर्ष पहले देश के अन्दर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम, ये तीनों योजनाएं जो ग्रामीण क्षेत्रों में चलती थीं इन तीनों को जोड़कर जवाहर रोजगार योजना चलाई गई। उनके माध्यम से यह हुआ कि तीन स्तरों पर जो धन का अपव्यय सरकारी स्तर पर होता है उसको एकजुट करके एक ऐसा माहौल बनाया जाएगा कि देश की ग्रामीण जनता को लाभ पहुंच सके। दुख की बात है कि उसी वर्ष············(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप लम्बा भाषण देंगे फिर बोलेंगे कि मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, आप प्रश्न पूछिए।

श्री संतोष कुमार गंगवार : 2700 करोड़ में से 700 करोड़ ब्याज का देने के बाद लगभग 2100 करोड़ 1989 के वर्ष में दिया गया। उसके ऊपर अखबार में जो कुछ आया मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता, मेरा सवाल यह है कि इन दो वर्षों में समीक्षा की गई या नहीं ! मेरे पास जो जवाब आया है उसमें तो इतना अच्छा जवाब है कि लग रहा है कि इससे अच्छा कोई कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र में नहीं हो रहा है।············(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इन सभी बातों की अनुमति नहीं दे रहा हूं। कृपया अपने संबंधित प्रश्न पर आईये।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमाम गंगवार : मेरा प्रश्न यह था कि क्या इस योजना को समीक्षा की गई ?··············(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते हैं कि आपने इस योजना की जांच कर ली है अथवा नहीं।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : गंगवार जी, यदि आप लम्बा भाषण देंगे आपका प्रश्न भी लम्बा हो जायेगा। तब आपको उत्तर नहीं मिल पायेगा। अतः अपने प्रश्न से संबंधित ही बोलिए।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या गैर-सरकारी समितियों के द्वारा इसकी कोई जांच की गई है या इसकी कोई रिपोर्ट मंत्री जो के पास है?

श्री जी० वेंकटस्वामी : ऐसा कुछ नहीं है।

श्री संतोष कुमार गंगवार : अध्यक्ष महोदय, 1989 के वर्ष में तत्कालीन प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी जी ने यह कहा था इस मुद्दे के ऊपर राष्ट्रीय बहस की आवश्यकता है। जवाहर

रोजगार योजना एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके साथ दो-तिहाई जनता देश की जुड़ी हुई है। क्या सरकार इसके ऊपर कोई बहस और पुनर्विचार करने की योजना पर विचार कर रही है ?

श्री जी० वेंकटस्वामी : कर रही है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री गिरि जी, मैं आपको बाद में अनुमति दूंगा। इस सम्बन्ध में प्रधानमंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

प्रधानमंत्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : मैं समझता हूं कि अब वह समय आ गया है जब हमें जवाहर रोजगार योजना का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करना चाहिए। दो-तीन वर्ष पूर्व हमने यह योजना बनाई थी। उस योजना का मूल्यांकन करने के लिए मैं कुछ कदम उठाऊंगा। मैं चर्चा के लिए सर्वदा तैयार हूं क्योंकि यह एक ऐसा विषय है जिसके बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि अब किसी अन्य सुझाव, प्रस्ताव की गुंजायश नहीं है। यदि इस सम्बन्ध में कहीं से भी किसी से भी कोई भी सुझाव या आलोचना आती है तो उसका स्वागत है। मैं कुछ कदम उठाऊंगा ताकि सम्पूर्ण योजना का कुछ स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन किया जा सके।

श्री सुधीर गिरि : महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के उत्थान के लिए काफी बड़ी धनराशि व्यय की जा चुकी है। परन्तु मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने वितरण प्रणाली में किसी भी स्तर पर होने वाले कदाचार, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कोई उपाय किये हैं ?

श्री जी० वेंकटस्वामी : भ्रष्टाचार को रोकने का जहां तक सवाल है। यह स्पष्ट नहीं है कि किस तरफ से..........

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पूछा है कि जो कदाचार आपके ध्यान में आये हैं उनको रोकने के लिए क्या कोई तन्त्र है।

श्री जी० वेंकटस्वामी : यह मामला राज्य सरकार देखती है। यह एक राज्यगत विषय है तथा राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही की जाती है।

अध्यक्ष महोदय : क्या इसके लिए किसी तन्त्र की व्यवस्था है ?

श्री जी० वेंकटस्वामी : जी हां, इसके लिए तंत्र की व्यवस्था है। राज्य सरकार का पंचायत राज्य मंत्रालय इस मामले को देखता है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : राज्य स्तर पर इसके लिए तन्त्र की व्यवस्था है। परन्तु जैसा मैंने कहा कि यह उस रूप में अपूर्ण है क्योंकि प्रत्येक स्तर पर इसके लिए तन्त्र है तथा कहीं पर भी कोई भी समन्वयन तथा सामन्जस्य दिखाई नहीं देता तथा हमारे पास इस समूचे मामले में देश में क्या हो रहा है उसकी जानकारी नहीं है। इसलिए हमें इस योजना का उचित रूप से मूल्यांकन करना चाहिए। केवल तभी हम किसी सही निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। यह एक योजना है। यह कोई दलगत मामला नहीं है। इसका सम्बन्ध जनता के हितों से है। मैं चाहूंगा कि हमें इस पर बहस करनी चाहिए जिसके दौरान मैं चाहूंगा कि सदस्य तथा अन्य व्यक्ति, तथा हर जगह से कोई भी व्यक्ति चाहे वह कहीं से भी हो वह आये तथा हमें बताये कि इसमें और क्या किया जाना है तथा यह कैसे किया जा सकता है।

श्री दिग्विजय सिंह : जो उत्तर दिया गया है उसमें इस योजना में 78.01 प्रतिशत धनराशि का उपयोग किया गया है। वर्ष 1990-91 में श्रम दिवस लक्ष्य का 94.8 प्रतिशत उपयोग किया गया है तथा 1991-92 में निधि का 19 प्रतिशत उपयोग किया गया है जबकि श्रम दिवस लक्ष्य का केवल नौ प्रतिशत ही उपयोग किया गया है। अत: यह स्पष्ट है कि राज्य सरकारों द्वारा दी जा रही रिपोर्टों में कुछ फर्जी आंकड़े दिये गये हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार को कोई ऐसी शिकायतें मिली हैं जिसमें यह बताया गया हो कि कोई राज्य सरकार जवाहर रोजगार योजना के लिए आबंटित की गई राशि का उपयोग अपने ही वेतन इत्यादि का भुगतान तथा अन्य कई भुगतान करने के लिए कर रही हो। क्या प्रधान मंत्री जी इस मामले को देखेंगे तथा इसकी जांच करवाएंगे?

श्री पी० वी नरसिंह राव : यदि इस सम्बन्ध में हमारे पास कोई शिकायतें आयेंगी, हम निश्चित रूप से उन पर गौर करेंगे। मैंने अभी-अभी कहा है कि यह सारा कार्यक्रम दो वर्ष पुराना है तथा अब यही समय है जब हम इस पर ध्यान दें तथा यह पता लगायें कि राज्य सरकार द्वारा अपने स्तर पर क्या किया जा रहा है। यह सम्भव है कि कुछ राज्य सरकारें इन निधियों का उपयोग उन कार्यों के लिए नहीं कर रही हों जिसके लिए उनका उपयोग किया जाना चाहिए परन्तु मैं इस बारे में बिना सोचे समझे कोई वक्तव्य नहीं देना चाहूंगा। हम यह सब देखेंगे। और इसके बाद, मुझे नहीं लगता कि और अधिक पूरक प्रश्नों की कोई जरूरत है क्योंकि एक बार यह मूल्यांकन हो गया, तो हमारे समक्ष एक स्पष्ट तस्वीर होगी।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : आपने अभी अपने उत्तर में कहा है कि केन्द्र सरकार का भी नियंत्रण है और राज्य सरकारों का भी नियंत्रण है। आपने अपने उत्तर में बहुत काफी लम्बा-चौड़ा बताया है कि कैसे-कैसे केन्द्रीय सरकार नियंत्रण करती है। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैंने उत्तर प्रदेश विधान सभा में यह सवाल पूछा था, इसी विषय पर, क्योंकि, इसमें कितना भ्रष्टाचार है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के············ (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पर आइये।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : तो, सर, वहां पर भ्रष्टाचार के करीब 1,000 से अधिक मामले बताये गये। मैं यह जानना चाहता हूं, प्रधान मंत्री जी से, कि इनके पास जो भ्रष्टाचार जवाहर रोजगार योजना में होता है, अन्य प्रान्तों में, उसमें ये क्या कार्रवाई करते हैं और इनको मालूम होता है या नहीं होता है? (**व्यवधान**) मेरा उत्तर आपने दिलवाया नहीं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : यह कहां हुआ है, उत्तर प्रदेश का नहीं हुआ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि हम एप्रेजल कर रहे हैं, उन्होंने आपसे सजेशंस मंगाये हैं।

[अनुवाद]

श्री चन्द्र जीत यादव : महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में वेतनभोगियों के लिए तीन योजनाएं— एन०आर०ई०पी०, आर०एल०ई०जी०पी० और डी० आर०डी०एस० को मिला दिया गया है।

मुझे यह कहना होगा कि यह बहुत लोकप्रिय योजनाएं हैं जिसमें पैसा सीधे निम्नतम स्तर से ग्राम स्तर को जाता है। किन्तु धन इतना अपर्याप्त होता है कि एक वर्ष के अंदर जो भी कार्य किया जाए— और यह हमेशा अपूर्ण रहता है—अगले वर्ष यह मिट जाता है या ऐसा ही कुछ होता है। यह अधिकतर बरबाद होता है। यह सोचते हुए कि योजना तो अच्छी है पर दी जाने वाली राशि अपर्याप्त है, तो क्या केन्द्रीय सरकार राशि बढ़ाने पर विचार कर रही है और राज्य सरकारों से भी अनुपात बढ़ाने का अनुरोध करेगी, क्योंकि यह अपर्याप्त है, ताकि यह योजना सही ढंग से कार्य कर सके।

अध्यक्ष महोदय : उनका प्रश्न है कि क्या और अधिक राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

श्री पी०वी० नरसिंह राव : महोदय, राशि बढ़ाने से पूर्व, मैं सोचता हूं कि समय आ गया है जब हमें इसकी अच्छी तरह छानबीन करनी होगी कि इस समय धन किस प्रकार खर्च किया जा रहा है, क्योंकि माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि इसमें बहुत सी अनियमितताएं हैं। इसलिए, मूल्यांकन का यही समय है और उसके बाद अगर संभव हुआ तो हम राशि बढ़ाने की सोच सकते हैं।

भारी उद्योगों की स्थिति के बारे में श्वेत पत्र

*228. **श्री एम०वी०चन्द्रशेखर मूर्ति :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में भारी उद्योगों की स्थिति के बारे में श्वेत पत्र जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो कब;

(ग) क्या घाटे में चल रहे भारी उद्योगों की स्थिति में सुधार किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो इन उद्योगों के कार्य-निष्पादन में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन) : (क) और (ख) देश में भारी उद्योगों की स्थिति के सम्बन्ध में श्वेत-पत्र निकालने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) हाल ही में घोषित नई औद्योगिक नीति, प्रौद्योगिकी उन्नयन की उदार आयोजना से सभी उद्योगों के आधुनिकीकरण पर पर्याप्त बल देती है। इसके अतिरिक्त एक आयोजना पहले से ही विद्यमान है जिसके अधीन दीर्घकालिक रुग्ण औद्योगिक एककों का विस्तृत अध्ययन करने तथा उनके पुनरुद्धार/पुनर्वास हेतु अनुशंसाओं के लिए उन्हें बी०आई०एफ० आर० को प्रेषित किया जाता है।

[अनुवाद]

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : अध्यक्ष महोदय, नई औद्योगिक नीति में भी सरकार ने गंभीर संकट में भारी उद्योगों को पुनः चालू करने के लिए किन्हीं विशिष्ट सुधारात्मक उपायों का प्रस्ताव नहीं किया। इसे देखते हुए मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई विशिष्ट सुधारात्मक उपाय करने का प्रस्ताव है। मामलों को बी० आई० एफ० आर० को सौंप देने से कुछ नहीं होगा। बी० आई० एफ० आर० पिछले 15 वर्षों से है। किन्तु इसके जो परिणाम रहे हैं, उन्हें सारा संसार जानता है इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि पूरे देश में रुग्ण औद्योगिक इकाईयों को पुनः चालू करने के लिए सरकार द्वारा कौन से विशिष्ट उपाय किए गए हैं?

श्री पी० के० थुंगन : औद्योगिक नीति में जो कहा गया है वह बिल्कुल स्पष्ट है। मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि कुछ विशिष्ट प्रस्ताव बनाने चाहिए और इसीलिए यहां निर्देश दिए गए हैं। मैं माननीय मंत्री को बताना चाहूंगा कि इसमें बीमार इकाइयों के बारे में हमारी सभी समस्याओं को लिया गया है, इसमें कहा गया है : "जो सार्वजनिक संस्थान लम्बे समय से रुग्ण हैं और जिनके सही होने की संभावना नहीं है, उन्हें पुनः चालू करने से पूर्व, पुनर्वास योजनाओं को, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निमाण बोर्ड या इसी प्रकार की अन्य संस्थाएं जो इस काम के लिए बनाई गई हैं, को सौंप देना चाहिए। ऐसी पुनर्वास योजनाओं से प्रभावित होने वाले श्रमिकों के हित सुरक्षित करने के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रणाली तैयार की जानी चाहिए।" इस संबंध में, माननीय वित्त मंत्री ने पहले ही एक योजना—राष्ट्रीय नवीनीकरण फंड की घोषणा की है।

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : मैं समझता हूं, कि मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को तीन वर्गों में बांटा है— लाभ में चलने वाली, थोड़ी कम कार्यक्षम और घाटे में चलने वाली इकाइयां। इसके परिप्रेक्ष्य में, मैं जानना चाहूंगा कि क्या कोई अध्ययन किया गया है। मुझे अलग-अलग आंकड़े चाहिए। नई औद्योगिक नीति में, क्या यह तथ्य है कि सरकार ने रुग्ण इकाइयों को खुली छूट देने का निर्णय किया है। अगर ऐसा है तो, इन इकाइयों द्वारा निकाले गए श्रमिकों का पुनर्वास कैसे किया जाएगा ?

श्री पी० के० थुंगन : मैं पहले कह चुका हूं कि हमारी नीति में जो प्रावधान दिए गए हैं हम उनसे बाहर नहीं जा सकते। नीति में यह स्पष्ट है कि, श्रमिकों के साथ क्या करना है और रुग्ण इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए क्या करना है। इसलिए, मैं कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्य की इन शंकाओं का समाधान कि इकाइयों को पुनः चालू करने में या श्रमिकों को सुविधा देने में कठिनाई होगी इन प्रावधानों के अनुसार किया जा सकता है। दूसरा मुद्दा जो माननीय सदस्य ने उठाया है वह इन तीन प्रकार के उद्योगों के अलग-अलग आंकड़ों को लेकर है। क्योंकि यह बहुत लम्बी सूची है, इसलिए मैं यह सूची माननीय सदस्य को दूंगा।

श्री भोगेन्द्र झा : देश के सम्पूर्ण विकास के लिए और हमारे औद्योगिक विकास में भारी उद्योग अहम् हैं, इस संबंध में, मैं जानना चाहूंगा कि क्या नई औद्योगिक नीति लागू करने से पूर्व सरकार भारी उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागेदारी सुनिश्चित करना चाहती है और एक निश्चित अवधि निर्धारित करेगी जिसमें कि यह भागीदारी वर्तमान क्षमताओं का बेहतर प्रयोग करे। जैसे कि वर्तमान उद्योग की वृद्धि इत्यादि, इसके बाद श्रमिकों की छंटनी किए बिना आधुनिकीकरण हो। अगर छंटनी आवश्यक हो जाती है तो क्या उन्हें अधिक कार्यक्षम और उत्पादनशील नौकरियों में पुनः नियोजित किया जाएगा।

श्री पी० के० थुंगन : हमारी भी इच्छा है कि श्रमिकों की उद्योग में भागेदारी हो और अन्य जिन मुद्दों को माननीय सदस्य ने उठाया है वे सिर्फ सुझाव हैं और मैं निश्चय ही इन पर ध्यान दूंगा।

श्री भोगेन्द्र झा : क्या आप यह कहना चाहते हैं कि प्रबन्ध में श्रमिकों की भागेदारी सुनिश्चित करने की आपकी कोई मंशा नहीं है। क्या वह पूर्व नीति से पूरी तरह हट गए हैं ?

श्री पी० के० थुंगन : हमारे पास श्रमिकों को शामिल करने का, उद्योग में श्रमिकों की भागेदारी का एक प्रस्ताव है।

श्री ई० अहमद : कई उद्योग हैं जो लम्बे समय से रुग्ण हैं और सही नहीं हो सकते। क्या मैं जान सकता हूं कि ऐसे उद्योगों का निजीकरण करने का सरकार का कोई कार्यक्रम है ताकि देश और श्रमिकों के हित सुरक्षित रहें।

श्री पी० के० थुंगन : महोदय, इन सभी बातों पर बी० आई० एफ० आर० और प्रस्तावित उच्चस्तरीय समिति विचार करेगी।

श्रीमती बासव राजेश्वरी : क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकती हूं कि बी० आई० एफ० आर० द्वारा कुल कितने मामले निपटाए गए हैं और कितने मामले बी० आई० एफ० आर० के पास लम्बित पड़े हैं। मैं जानना चाहती हूं कि क्या सरकार के ध्यान में यह आया है कि बी० आई० एफ० आर० के स्तर पर मामले निपटाने में काफी देरी हो रही है। क्या सरकार यह आश्वासन देगी कि एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाएगा ताकि मामले यथाशीघ्र निपटाए जाएं।

श्री पी० के० थुंगन : महोदय, जून, 1991 तक, कुल 1035 मामले सौंपे गए थे और 203 योजनाओं को मंजूरी दी गई थी।

श्रीमती बासव राजेश्वरी : मेरे प्रश्न का दूसरा खंड बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया है। मामलों को निपटाने में काफी देरी हो रही है। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने तमाम दलों के जो ट्रेड यूनियन हैं और एम०पीज० हैं, उनकी राय से दो दिन का सेमिनार करने के बाद जिसमें प्रधान मंत्री ने स्वयं सेमिनार में भाग लिया था और दो दिन के बाद हम लोगों ने सर्वसम्मति से राय निकाली थी। उसके आधार पर वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट के सम्बन्ध में हम लोगों ने बिल भी तैयार किया था, जो बिल मई, 1990 से दूसरे सदन में लम्बित है, पड़ा हुआ है। मैं प्रधान मंत्री जी से इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। चूंकि जब तक वर्कर्स को मैनेजमेंट में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तब तक देश में जितना काला धन है उसको आप समाप्त नहीं कर सकते हैं। यह बात किसी को मालूम नहीं है कि इस देश में काला धन कितना है। (**व्यवधान**) मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की इच्छा है कि जो विधेयक वहां लम्बित है, वही लोक सभा में भी वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट विधेयक लावें और सर्वानुमति से यहां से इसे पास किया जाए, जिससे वर्कर्स को मैनेजमेंट में हिस्सेदारी मिल सके।

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : महोदय, इस पर बहस की आवश्यकता है। हम इसका पुनः अध्ययन करेंगे। अगर इसमें कोई संशोधन करने की आवश्यकता होगी तो हम विचार करेंगे कि सरकार द्वारा क्या किया जाना चाहिए और हम वह करेंगे। जो कुछ करने की आवश्यकता होगी वह किया जाएगा।

श्री के० पी० रेड्डय्या : सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम घाटे की स्थिति में किस तरह पहुंच गए इसके विस्तार में मैं नहीं जा रहा हूं। क्या मैं यह जान सकता हूं कि आप क्यों एक ही

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम विशेष पर विचार कर इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भारी घाटा हो रहा है ? क्या सरकार इस पर कोई अध्ययन शुरू करेगी अथवा सच्चाई का पता लगाने के लिए किसी समिति या मिशन का गठन करेगी । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप एक सार्वजनिक उपक्रम विशेष के बारे में पूछ रहे हैं इसलिए मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री के० पी० रेड्डय्या : यह एक के ही संबंध में नहीं है । आप कृपया हमारी बात समझने की कोशिश करें ।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछें ।

श्री के०पी० रेड्डय्या : यह सुसंगत प्रश्न है । क्या मैं यह जान सकता हूं कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में घाटा राजनैतिक हस्तक्षेप या मुख्य प्रबंध निदेशक द्वारा की गई अव्यवस्था के कारण हुआ है ? कम से कम आप इसका पता लगाएं । उदाहरण के लिए बी० एच०ई०एल० को लें या किसी भी अन्य सार्वजनिक उपक्रम के कम्पनी को लें और पता लगाकर लोगों को बताएं कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का घाटे में चलने के ये सब कारण हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया प्रश्न करें ।

श्री के० पी० रेड्डय्या : जहां हम इस पर चर्चा कर रहे हैं तो सभी बातों पर विस्तार से गौर किया जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : हमने आपको प्रश्न पूछने की अनुमति दी है न कि भाषण देने की ।

श्री के० पी० रेड्डय्या : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में हो रहे घाटे का पता लगाने के लिए एक समिति गठित करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं ।

श्री पी० के० थुंगन : महोदय घाटा उठाने वाली इकाईयों के प्रति हम बहुत चिंतित हैं और विशेषकर उस इकाई के संबंध में जिसका माननीय सदस्य महोदय ने उल्लेख किया है ।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई विशेष इकाई नहीं है आप इनमें से किसी भी इकाई पर विचार करें ।

श्री पी० के० थुंगन : वह एक विशेष इकाई का उल्लेख करना चाहते थे । **(व्यवधान)** माननीय सदस्य ने जो भी विचार व्यक्त किया हम उन पर अवश्य विचार करेंगे और हमारा भी यही विचार है ।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की कोई योजना गांधीवादी अर्थ-व्यवस्था के आधार पर बड़े उद्योगों के साथ-साथ छोटे और लघु उद्योगों को, जैसे तौलिया उद्योग है, ऐसे छोटे-छोटे उद्योगों को भी प्रोटेक्शन देने की है या छोटे उद्योगों को ऐसे ही मरने दिया जाएगा ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं नहीं ।

श्री पी० के० थुंगन : इन्हें संरक्षण दिया जाएगा ।

मुंबई दूरदर्शन के दूसरे चैनल की प्रसारण क्षमता का पुणे तक विस्तार

*229. **प्रो० राम कापसे :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मुंबई दूरदर्शन के दूसरे चैनल की प्रसारण क्षमता का पुणे के आस पास के क्षेत्रों तक विस्तार करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) पृथक स्थानीय सेवा जिसे प्रायः दूरदर्शन के दूसरे चैनल के नाम से जाना जाता है, मूलतः बम्बई शहर और आस पास की जनता की स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चालू की गई थी।

श्री राम कापसे : चैनल एक और दो पर मुम्बई से मराठी में कार्यक्रम प्रसारित नहीं किए जाते हैं और वे कई अन्य भाषाओं में प्रसारित किये जाते हैं। मुम्बई एक बहुभाषी शहर है। पुणे की स्थानीय जनता मुख्य रूप से मराठी बोलती है। क्या सरकार पुणे से चैनल दो शुरू करने संबंधी निर्णय पर पुनर्विचार करेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजीत कुमार पांजा) : यह मुख्य रूप से उन लोगों के लिए स्थापित किया गया था जो मुम्बई जैसे महानगरों में रहते हैं। माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि विभिन्न समुदायों के लोग मुम्बई में रहते हैं। महानगर होने के कारण स्थानीय कार्यक्रम भारत के विभिन्न क्षेत्रों से आकर मुम्बई में बसे लोगों की आवश्यकता को पूरा करने की दृष्टि से तैयार किये जाते हैं। जहां तक पुणे का संबंध है उनके पास उनका अपना ट्रांसमीटर है जिससे उन्हें मराठी में कार्यक्रम प्राप्त होता रहता है। यदि इसमें और बढ़ोतरी की आवश्यकता है तो मैं माननीय सदस्य से इस पर विचार विमर्श अवश्य करूंगा और वह हमें कारणों से अवगत कराते हुए पत्र लिख सकते हैं। मैं उन पर विचार करूंगा।

श्री राम कापसे : पुणे भारत की सांस्कृतिक एवं शैक्षिक राजधानी है। इस शहर के कई प्रसिद्ध कलाकार और शिक्षाविद हैं। दूरदर्शन के लिये स्टूडियो और फिल्म इंस्टीट्यूट जैसी कई सुविधाएं पुणे में बहुत अधिक उपलब्ध हैं। क्या सरकार पुणे के लिये विशेष विचार करेगी ?

श्री अजीत कुमार पांजा : मैंने पहले ही कहा है कि यदि विशेषरूप से इस पर विचार करने की आवश्यकता है तो माननीय सदस्य उन कारणों को मुझे लिखित में दें और मैं उसकी जांच करूंगा।

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : इस समय ऐसे कई बड़े शहर हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह पुणे शहर के बारे में है।

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : यह मुख्य प्रश्न से जुड़ा है।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप पुणे के बारे में पूछना चाहते हैं तो मैं अनुमति दूंगा । अन्यथा उन्हें जानकारी एकत्रित करनी पड़ेगी ।

श्री अन्ना जोशी : *क्या माननीय मंत्री पुणे से एक नये चैनल को शुरू करने का विचार करेंगे ? क्या वह मुम्बई से पुणे के लिये दूसरे चैनल पर कार्यक्रम प्रसारित करने का विचार करेंगे ?*

श्री अजीत कुमार पांजा : मैं समझता हूं कि मैंने इसका उत्तर दे दिया है । सिंहगढ़ पहाड़ी पर 10 किलोवाट की उच्च शक्ति वाला टी०वी० ट्रांसमीटर कार्य कर रहा है । यदि एक विशेष भाषा यानि मराठी के लिये कोई आवश्यकता है .... ।

श्री अन्ना जोशी : मैं दूसरे चैनल की बात कर रहा हूं ।

श्री अजीत कुमार पांजा : उसी के बारे में मैं कह रहा हूं ।

श्री अन्ना जोशी : इसकी आवश्यकता है ।

श्री अजीत कुमार पांजा : दूसरा चैनल मुख्य रूप से महानगरों की आवश्यकता को पूरा करने के लिये है । लेकिन, यदि ऐसी आवश्यकता है तो आप मुझे उसके आधार बताएं और हम उस पर निश्चय ही विचार करेंगे ।

श्री राम नाईक : यह प्रश्न मुम्बई के साथ-साथ पुणे से भी जुड़ा है । मुम्बई एक बहु-भाषी शहर है । यह बात ध्यान में रखते हुए महिलाओं से संबंधित कार्यक्रमों में मराठी भाषा पर समुचित ध्यान और महत्व नहीं दिया जा रहा है । क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि मराठी भाषा को उचित महत्व दिया जाए ताकि महाराष्ट्र में रहने वाले सभी मराठी भाषा जानने वाले लोग इस भाषा में कार्यक्रम देख सकें और ठीक तरह से समझ सकें ।

श्री अजीत कुमार पांजा : वर्तमान व्यवस्था में प्राथमिक, स्थानीय और राष्ट्रीय नेटवर्क भी हैं । प्राथमिक चैनल पर स्थानीय भाषा विशेषकर वह भाषा, जिसका उपयोग उस क्षेत्र के अधिकांश लोगों के द्वारा किया जाता है जैसे मराठी को शामिल किया जाता है । वर्तमान में हमारे औडिएंस रिसर्च के द्वारा कोई पूर्व जानकारी इस संबंध में उपलब्ध नहीं कराई गई है कि मराठी में कार्यक्रमों को और बढ़ाने की आवश्यकता है । यदि माननीय सदस्य हमें यह बतायें कि इसकी क्या आवश्यकता है तो हम अवश्य इस पर गौर करेंगे ।

देशी अखबारी कागज के मूल्य

*230. **श्री विजय एम० पाटिल :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार देशी अखबारी कागज के मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठा रही है;

(ख) क्या सरकार ने आयात में कमी को देखते हुए अखबारी कागज के उत्पादन लक्ष्य निर्धारित करने, अखबारी कागज उत्पादक मिलों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने तथा नई मिलों की स्थापना करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी०जे० कुरियन) : (क) इस समय देशी अखबारी कागज के मूल्यों पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है। किन्तु देशी अखबारी कागज के मूल्य में किए जाने वाले किसी संशोधन की सरकार बाद में समीक्षा करती है।

(ख) जी, हां।

(ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

वर्ष 1991-92 के लिए अखबारी कागज के उत्पादन का लक्ष्य 2.95 लाख मी० टन निर्धारित किया गया है। मै० नेपा लिमिटेड को अखबारी कागज की क्षमता 75,000 मी० टन से बढ़ाकर 88,000 मी० टन करने की अनुमति दी गई है। देश में 3.13 लाख मी० टन अखबारी कागज की कुल अधिष्ठापित क्षमता के अलावा औद्योगिक लाइसेंसों/आशय पत्रों के माध्यम से 7.94 लाख मी० टन क्षमता की मंजूरी भी दी गई है।

श्री विजय एन० पाटिल : अध्यक्ष महोदय प्रायः समाचार-पत्रों को बड़े और छोटे दो श्रेणियों में बांटा जाता है। आज हम यह देखते हैं कि बहुत छोटे, बड़े और बहुत बड़े श्रेणी के समाचार-पत्र हैं और बहुत बड़े समाचार-पत्रों में समाचार के अपेक्षा बहुत अधिक विज्ञापन होते हैं। इसलिए अखबारी कागज के मूल्य पर रोक लगाने की अत्याधिक आवश्यकता है। क्या सरकार मूल्यों के ढांचे को नियमित करने के लिये कोई नीति तैयार कर रही है ताकि अखबारी कागज के मूल्य पर नियंत्रण किया जा सके?

प्रो० पी० जे० कुरियन : जहां तक मूल्य नियंत्रण और आपूर्ति को नियमित करने के प्रश्न का सम्बन्ध है, समाचार-पत्रों के रजिस्ट्रार हैं जो आपूर्ति की देख-रेख करते हैं। लेकिन जहां तक देशी उत्पाद के मूल्य नियमित करने की बात है यह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा की जाती है। जैसाकि मैंने अपने उत्तर में कहा है कि वर्तमान में इस पर कोई विधायी नियंत्रण नहीं है। व्यावसायिक बाजार की स्थिति देखते हुए वे मूल्य निर्धारित करते हैं।

श्री विजय एन० पाटिल : माननीय मंत्री ने कहा है कि नेपा नगर इकाई की क्षमता 75,000 से बढ़ा कर 88,000 टन कर दी गई है। लेकिन हम यह देखते हैं कि इसके लिये कच्चा माल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अन्य उद्योगों के लिये भी लाइसेंस दिये गये हैं लेकिन वे आगे नहीं आ रहे हैं। वर्तमान अखबारी कागज की क्या स्थिति है? हाल ही में अखबारी कागज के मूल्यों में वृद्धि की गई है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मूल प्रश्न अखबारी कागज के उत्पादन में प्रयोग होने वाले आदानों की लागत है। हमने कुछ लाइसेंस दिये हैं और आशय-पत्र जारी किये हैं। लेकिन उनमें से कई उत्पादन नहीं कर रहे हैं क्योंकि वे इसे लाभकारी नहीं पाते। इसलिये हमने कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों को भी मंजूरी देने का विचार किया है। अब सार्वजनिक क्षेत्र की तीन इकाईयों को स्वीकृति दी गई है और मैं यह देखता हूं कि निजी क्षेत्र के अधिकतर लोग इस क्षेत्र में नहीं आना चाहते जिसका साधारण सा कारण यह है कि लाभ कम है और वास्तव में लागत का खर्च इतना अधिक है कि यह व्यावहारिक नहीं हो पाता।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पिछले एक साल में कागजों के मूल्यों में कब-कब, कितनी-कितनी वृद्धि हुई?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, ऐसे आंकड़े इनके पास नहीं रहते हैं, आप लिख कर भेजिए, वे दे देंगे। इससे रिलेटिड प्रश्न आप पूछ सकते हैं।

श्री दाऊ दयाल जोशी : अध्यक्ष जी, लगातार कागज के मूल्य में वृद्धि हो रही है। क्या मंत्री महोदय छोटे और मझौले समाचार-पत्रों के लिए देशी कागज प्रीजर्व करेंगे, सुरक्षित करने की कृपा करेंगे ? क्योंकि आयातित कागज का मूल्य हमारी नयी नीति के आधार पर और अधिक बढ़ जाएगा, जिसके कारण आम व्यक्ति के लिए समाचार-पत्र खरीदना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए छोटे और मझौले समाचार-पत्रों के लिए कागज का कोटा निश्चित करने की कृपा करेंगे ?

[अनुवाद]

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, माननीय सदस्य के प्रथम प्रश्न के सम्बन्ध में कि यह वृद्धि कब हुई थी, उत्तर है कि वृद्धि इस वर्ष 16 जून को हुई थी। न्यूजप्रिन्ट उद्योग ने 16 जून 1991 को मूल्यों में वृद्धि की है। इस वृद्धि के पश्चात्, हमने इस मामले को बी० आई० सी० पी० को यह पता करने के लिए सौंप दिया था कि यह वृद्धि न्यायोचित है अथवा नहीं। अब हम उस रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

छोटे और मध्यम अखबारों को न्यूजप्रिन्ट आबंटित करने का मामला अखबारों के रजिस्ट्रार देख रहे हैं। वे हर पहलू, विशेषकर अखबारों की आवश्यकता, पर विचार कर रहे हैं।

श्री मनोरंजन भक्त : महोदय, अखबार में ऐसी खबर थी कि आयातित न्यूजप्रिन्ट के मूल्यों में 80% वृद्धि हो रही है। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह वृद्धि इसलिए की जा रही है कि देशी न्यूजप्रिन्ट के उत्पादन और आयातित न्यूजप्रिन्ट में सामंजस्य स्थापित किया जा सके अथवा किसी और कारण से।

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, मैंने पहले ही कहा है कि न्यूजप्रिन्ट के मूल्यों में वृद्धि इस कारण से की जा रही है कि आवश्यक सामग्री आदि के मूल्य बढ़ गए हैं। उत्पादन में प्रयुक्त किए जाने वाले कच्चे माल की कीमत, रसायनों की कीमत, माल भाड़े और बिजली खर्च इत्यादि सभी में वृद्धि हो गई है। अतः, उद्योग के लिए मूल्यों में वृद्धि करने के अलावा अन्य कोई चारा नहीं है। इसका कोई अन्य कारण नहीं है।

जहां तक मूल्यों को स्थिर रखने या समान रखने का सम्बन्ध है, आयातित न्यूजप्रिन्ट का मूल्य राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्धारित किया जाता है और वाणिज्य मन्त्रालय इस पर नजर रखता है। वे अवश्य इसके सभी पहलुओं पर विचार करेंगे।

[हिन्दी]

+ सूरत में आकाशवाणी केन्द्र

*233. **श्री काशीराम राणा :**

श्री छीतूभाई गामित :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1991 के मध्य तक सूरत में अकाशवाणी केन्द्र चालू करने की घोषणा कुछ समय पूर्व की थी;

(ख) क्या आकाशवाणी केन्द्र अभी तक चालू नहीं किया गया है और यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति क्या है और इसे कब तक चालू किया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क), (ख) और (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क), और (ख) सूरत में एक नया रेडियो स्टेशन स्थापित करने की परियोजना के शुरू में मार्च, 1990 के अन्त तक पूरा हो जाने की योजना थी। तथापि, निम्नलिखित कारणों से इसके कार्यान्वयन में देरी हो गई है :–

— जिस भूमि का चयन किया गया था, राज्य सरकार ने वह भूमि मांग किए जाने के लगभग दो वर्ष बाद आकाशवाणी को सौंपी; और

— जब सिविल निर्माण कार्य पूरा होने वाला ही था तब जिस ठेकेदार को बिजली का काम करने का ठेका दिया गया था, उसने अपने कामगारों को वहां से हटा लिया। इसलिए काम का ठेका रद्द करना पड़ा और ठेका फिर से देना पड़ा।

(ग) आकाशवाणी भवन से सम्बन्धित सिविल कार्य तथा बिजली का काम अब पूरा हो गया है। ट्रांसमीटर और स्टुडियो उपकरण परियोजना स्थल पर पहुंच गए हैं तथा एफ०एम० एंटीना लगाने के लिए टावर तैयार हो चुका है। ट्रांसमीटर और स्टुडियो उपकरणों की संस्थापना का कार्य भी आरम्भ कर दिया गया है। सूरत के नये रेडियो स्टेशन के तकनीकी रूप से वर्ष 1991-92 के दौरान चालू किए जाने का कार्यक्रम है।

[हिन्दी]

श्री कांशी राम राणा : अध्यक्ष महोदय, जो जवाब दिया गया है, वह बिल्कुल गलत जवाब है। आज सूरत शहर की आबादी करीब 18 लाख की है। छोटे-छोटे शहरों में कई साल पहले रेडियो स्टेशन शुरू हो चुका है और अब टी०वी० का बोलबाला है। फिर भी सूरत में आज तक रेडियो स्टेशन या स्टुडियो के लिए जो कार्यवाही करनी चाहिए वह सरकार ने नहीं की। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो जमीन दो साल पहले देर से दी है ऐसा जवाब दिया गया है लेकिन जब मैं सूरत कारपोरेशन का मेयर था तभी मैंने 1986 में सूरत कारपोरेशन को जमीन दे दी थी फिर भी केन्द्र सरकार ने उस पर कार्यवाही नहीं की। यह जवाब दिया गया है कि सूरत में रेडियो स्टेशन तकनीकी रूप से 91-92 में शुरू हो जायेगा। यह तकनीकी स्वरूप क्या है। क्या इससे हमारा रेडियो स्टेशन शुरू हो जायेगा या नहीं।

कुमारी गिरिजा व्यास : अध्यक्ष महोदय, तकनीकी रूप और स्टेशन पूर्ण रूप से चालू हो जाना है, 91-92 में प्रारम्भ हो जायेगा।

श्री कांशी राम राणा : अध्यक्ष महोदय, ऐसा ही जवाब मुझे पहले कई बार दिया गया है। दो साल से मैं लगातार यह सवाल पूछता रहा हूं कि क्या 91-92 में शुरू हो जायेगा। आज जुलाई पूरा हो चुका है। लेकिन वहां अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। क्या आप निश्चित रूप से

कहेंगे कि 91-92 के आखिर तक ट्रांसमीटर और स्टूडियो शुरू हो जायेगा इसके साथ ही जो नियुक्तियां करनी है, तो डिपार्टमेंट ने उस पर कोई कार्यवाही की है या नहीं।

[अनुवाद]

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजीत कुमार पांजा) : वास्तव में, माननीय सदस्य ने पहले इस प्रश्न को अतारांकित प्रश्न के रूप में पूछा था। समय दिया गया था कि 1992 में यह पूरा हो जायेगा। किन्तु जहां तक सरकार का प्रश्न है, सरकार ने सभी कदम उठाए थे। यदि माननीय सदस्य उत्तर देखें तो पाएंगे कि सिविल कार्य और बिजली सम्बन्धी कार्य एक ठेकेदार को सौंपा गया था। ठेकेदार ने सिविल कार्य पूर्ण कर दिया था। किन्तु बिजली का आधा कार्य करने के पश्चात् उसने छोड़ दिया। अतः हमें कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेना पड़ा। हम ने उस पर खर्च के लिए मुकदमा कर दिया। तब हमने उससे उस कार्य को वापस लेकर किसी और संस्था को सौंप दिया जिसने इसे पूरा कर दिया। ऐसी संभावना है कि मार्च 1992 तक यह पूरा हो जायेगा और इसे चालू कर दिया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मुहूर्त के समय माननीय सदस्य वहां पर उपस्थित रहेंगे।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों को भरना

*234. **श्री भागे गोवर्धन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लगभग गत चालीस वर्षों में किये जा रहे सारे प्रयासों के बावजूद किसी भी भर्ती वर्ष में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित ग्रुप ए०, बी०, सी०, और डी० के सभी पदों को न भरे जाने के क्या कारण हैं;

(ख) प्रत्येक ग्रुप (ए०, बी०, सी० और डी०) के उन आरक्षित रिक्त पदों के नाम क्या हैं जिन पर सामान्यतया नियुक्तियां नहीं की जाती हैं तथा ये आरक्षित पद तथाकथित रूप से अपेक्षित संख्या में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार अथवा विशेष व्यवसाय और तकनीकी अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने के कारण कितनी समयावधि से खाली पड़े हैं; और

(ग) आरक्षित पदों के बारे में पूर्व घोषणा करने, सम्बद्ध जानकारी काफी पहले से परिचालित करने तथा उपलब्ध रोजगार अवसरों के अनुरूप उचित शैक्षिक और व्यावसायिक सलाह देने तथा मार्गदर्शन, शिक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिये अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के भावी उम्मीदवारों को तैयार करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (ग) तक एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) केन्द्रीय सरकार के तहत सेवाओं में सभी समूहों (क, ख, ग तथा घ) में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व में वर्षों से सतत वृद्धि हो रही है। वर्ष 1971 से लेकर 1990 तक अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व में समूह "क" सेवा में 2.58% से 8.64%

तक, समूह "ख" सेवा में 4.06% से 11.29% तक, समूह "ग" सेवा में 9.59% से 15.19% तक तथा समूह "घ" सेवा में (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर) 18.3% से 21.48% तक की वृद्धि हुई है। इसी अवधि के दौरान अनुसूचित जनजातियों के मामले में वृद्धि क, ख, ग तथा घ समूहों में क्रमश: 0.41% से 2.58% तक, 0.43% से 2.39% तक, 1.7% से 4.83% तक तथा 3.65% से 6.73% तक हुई है। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा इत्यादि पदों तथा सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली अन्य केन्द्रीय सेवाओं के मामले में सभी आरक्षित रिक्तियों को पिछले कुछ भर्ती वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा भरा गया है। तथापि, कभी-कभी विशेषकर कतिपय वैज्ञानिक तथा तकनीकी पदों/सेवाओं की सभी आरक्षित रिक्तियों को भरा नहीं जा सकता है क्योंकि मुख्यत: अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उपयुक्त योग्यता प्राप्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं।

(ख) ऐसी सूचना केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती है। मंत्रालयों/विभागों को प्रत्येक समूह में विभिन्न पदों पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व की स्थिति की बारीकी से जांच के अनुदेश दिए गए हैं ताकि ऐसे पदों की पहचान की जा सके जहां "कमियां" विद्यमान हैं तथा उनकी पूर्ति के लिए उपचारी उपाय किए जा सकें।

(ग) प्रत्येक संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी विस्तार, जनशक्ति की आवाजाही तथा जनशक्ति के ह्रास को ध्यान में रखते हुए आने वाले प्रत्येक भर्ती वर्ष के लिए रिक्तियों की आवश्यकता के बारे में बताता है। आरक्षित रिक्तियों का अंश सुस्थापित प्रथाओं का अनुपालन करके निर्धारित किया जाता है। आरक्षित रिक्तियों का व्यापक प्रचार किया जाता है तथा इनकी सूचना इस आशय के लिए पहचाने गए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की एसोसिएशनों तथा संगठनों को भी दी जाती है। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को कतिपय पदों जिनमें सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से भरे जाने पद शामिल हैं, के लिए देश भर में 100 से अधिक भर्ती पूर्व केन्द्रों पर नि:शुल्क शिक्षण दिया जाता है।

[अनुवाद]

श्री भाग्ये गोवर्धन : मेरे प्रश्न के भाव को ठीक प्रकार से समझा नहीं गया है। मैं फिर यह प्रश्न पूछ रहा हूं। यदि भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और अन्य केन्द्रीय सेवाओं में नियुक्ति के अवसर शत प्रतिशत हैं तो समूह क, ख और ग की अन्य सेवाओं में ऐसा सम्भव क्यों नहीं है?

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : भारतीय प्रशासनिक सेवा और अन्य केन्द्रीय सेवाओं में आरक्षण है और हम सीधी भर्ती द्वारा उसे पूरा कर लेते हैं। जब ऐसी रिक्तियां होती हैं जहां कुछ तकनीकी क्षमताओं अथवा अन्य विशेष क्षमताओं की आवश्यकता होती है तो स्वीकृत किए गए आरक्षण की रिक्तिओं को भरने में हमें कठिनाई रहती है। किन्तु 1989 और 1990 में दो विशेष नियुक्ति अभियान चलाए गए ताकि लम्बे समय से पड़े रिक्त स्थानों को भरा जा सके और जब भी रिक्तियां हों उन्हें तभी भरा जा सके। मैं इस बात का भी उल्लेख करना चाहती हूं कि अब इन रिक्त पदों को अनारक्षित किए जाने पर प्रतिबन्ध लग गया है ताकि उन्हें तब तक लम्बित रखा जा सके जब तक उन पदों के लिए योग्य व्यक्ति न मिल जाएं।

श्री बाग्ये गोवर्धन : अनारक्षित किए जाने पर प्रतिबन्ध लगाने से समस्या और जटिल हो गई है क्योंकि भारतीय प्रशासनिक सेवा और अन्य केन्द्रीय सेवाएं बहुत प्रसिद्ध हैं और इनमें नियमित रूप से बार-बार भर्ती की जाती है। अतः समय से बहुत पहले ही तैयारियां हो जाती हैं। किन्तु जहां तक तकनीकी और वैज्ञानिक पदों का सम्बन्ध है, मैंने अपने प्रश्न में "पूर्व घोषणा" शब्द का प्रयोग किया है। किन्तु उत्तर "प्रचार" के सम्बन्ध में दिया गया है। 'पूर्व घोषणा' से मेरा तात्पर्य है कि हमारे पास 40 वर्षों का अनुभव है और इस अनुभव के आधार पर हम इन पदों की पूर्व घोषणा पहले ही कर सकते हैं जिससे भावी उम्मीदवार पहले से ठीक प्रकार तैयारी कर सकें।

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : प्रत्येक संवर्ग को नियंत्रित करने वाला प्राधिकारी रिक्तियों की पुनरीक्षा करता है और प्रति वर्ष पूर्व घोषणा की जाती है जिसके अनुसार सामान्य श्रेणी और आरक्षित श्रेणी से कितने पदों को भरा जाना है उसकी घोषणा पहले ही कर दी जाती है। यह नहीं है कि ऐसा नहीं किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है उसमें आप देखेंगे, यह लिखा हुआ है कि जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनका आजादी के 43 सालों के बाद भी क्लास वन की सर्विसेज में 2.58 प्रतिशत, क्लास टू में 2.39 प्रतिशत, क्लास थ्री में 4.83 प्रतिशत और क्लास फोर में जो कि चपरासी का पद होता है उसमें 6.73 प्रतिशत है। मतलब यह कि चपरासी के काबिल भी वे नहीं बन पाये हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि प्रशासन की नीयत ठीक नहीं है जिसके कारण चतुर्थ श्रेणी में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो पाते, जबकि इसमें कोई टेक्निकल योग्यता की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों ने एक बिल तैयार किया था, जब राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार थी, लेजिसलेशन फार रिजर्वेशन और जिस बिल के तहत आप पार्लियामेंट में पेश करने वाले थे, उस समय श्री रवि राय स्पीकर थे, उनसे बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हम नवम्बर के महीने में पेश करेंगे तब तक सरकार चली गयी। उस समय के बिल में यह प्रावधान था कि यदि कोई अफसर यह पाया जायेगा कि उम्मीदवार तो योग्य है लेकिन जान-बूझ कर उसको नहीं रखा गया है तो उसके लिए दंड का प्रावधान उसमें था तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार लेजिसलेशन फार रिजर्वेशन बिल पार्लियामेंट में लायेगी ? यह हम प्रधानमंत्री जी से जानना चाहते हैं। चूंकि बहुत ही गंभीर मामला है, शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राईब्स का मामला है, तो लेजिसलेशन फार रिजर्वेशन का बिल लायेंगे ? आदिवासी एवं शेड्यूल्ड ट्राईब्स कास्ट्स के इलाके में स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम करने से और एक निश्चित तिथि के अन्तर्गत, जब हम बाबा साहेब अम्बेडकर का "ईयर आफ जस्टिस" के रूप में मना रहे हैं, तो एक समयबद्ध तरीके से जो बैकलाग है, उनको पूरा करने का काम करेंगी ?

[अनुवाद]

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : महोदय, पिछली दो सरकारों ने अनेक विधेयक तैयार किए होंगे। यदि उन्हें कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित किया गया है, तो मैं यह अवश्य देखूंगी कि क्या किया जाना है और क्या करने की आवश्यकता है। किन्तु मैं माननीय सदस्य के प्रश्न के दूसरे हिस्से के जवाब में उन्हें यह आश्वासन देती हूं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित

जनजातियों से सम्बन्ध रखने वालों को प्रशिक्षण देने के लिए हमारे पास कुछ कार्यक्रम और कुछ विशेष योजनाएं हैं। उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने के लिए, कुछ विशेष संस्थाएं हैं। पूरे देश में इनके लिए कुछ अन्य सहायता जैसे, छात्रवृत्तियां, इत्यादि भी उपलब्ध कराई जाती हैं। यदि माननीय सदस्य इस बारे में जानना चाहते हैं तो मैं देश में चल रहे विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सूची प्रस्तुत कर सकती हूं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि असल में यह प्रश्न मिनिस्ट्री आफ वेलफेयर का माना जायेगा। यह प्रश्न गलत जगह पर रखा गया है। चूंकि यह सारा का सारा मामला डील कर रही हैं मिनिस्ट्री आफ वेलफेयर और यह बिल तैयार कर रही है मिनिस्ट्री आफ वेलफेयर जबकि जवाब दे रहे हैं दूसरे मंत्री। इसलिए मैंने प्रधान मंत्री से जानना चाहा। अभी जो राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ है, उस में इन्होंने जिक्र किया था लेजिस्लेशन फार रिजर्वेशन का। इसलिए मैं कैटेग्रयोकली और स्पेसिफिक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार का विचार है कि लेजिस्लेशन फार रिजर्वेशन द्वारा बकाया कोटा को पूरा करने के संबंध में संसद में कोई बिल लाने जा रही है या नहीं ?

[अनुवाद]

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : महोदय, यदि यह अन्य विभाग द्वारा तैयार किया गया है तो मैं इस की जांच करूंगी।

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इसका उल्लेख किया गया है। मैं इसका उद्धरण प्रस्तुत करता हूं, "भारत सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों और विभागों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित बकाया रिक्तियों को भरने के अभियान को सरकार समयबद्ध रूप में पूरा करेगी।" ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित बकाया रिक्तियों को भरने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम का उल्लेख किया गया है। पिछले दो-तीन अवसरों पर, इसी प्रकार के वक्तव्य दिए गए हैं किन्तु बकाया रिक्तियों की संख्या कम नहीं हुई है। बल्कि यह संख्या बढ़ गई है। अतः, मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं कि समयबद्ध कार्यक्रम का विवरण क्या है, इसकी समय-सीमा क्या है, इन बकाया रिक्तियों को कब तक भरा जायेगा। ऐसा उल्लेख किया गया है कि केवल मन्त्रालयों और विभागों को सम्मिलित किया जायेगा। मैं जानना चाहता हूं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की बकाया रिक्तियों को भरने के लिए क्या अन्य संस्थानों, संस्थाओं और सार्वजनिक उपक्रमों को भी सम्मिलित किया जायेगा।

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहती हूं कि यह सत्य नहीं है कि ये वक्तव्य जो पहले दिए गए थे पूरे नहीं किए गए। मैं बताना चाहती हूं कि अप्रैल, 1989 में इन बकाया रिक्तियों को भरने के लिए विशेष नियुक्ति अभियान द्वारा प्रथम प्रयत्न किया गया था। मैं माननीय सदस्य को 1989 के अभियान के आंकड़े दे सकती हूं। इस अभियान के पश्चात् सरकारी विभागों में 87.6 प्रतिशत, सार्वजनिक क्षेत्र में 73.9 प्रतिशत तक, बैंकों में 91.6 प्रतिशत तक तथा जीवन बीमा निगमों में 98 प्रतिशत तक रिक्तियों को भरा गया था। 1990 में सरकारी विभागों में पुनः इस अभियान को चलाया गया था और मेरे पास

वे सभी आंकड़े भी हैं। मैं यह बताना चाहती हूं कि यह सच नहीं है कि कोई प्रयत्न नहीं किए गए हैं। बकाया रिक्तियों की भर्ती को विशेष नियुक्ति अभियान द्वारा दुहराया जा सकता है और मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देती हूं कि हम इस कार्यक्रम को जारी रखेंगे और विशेष नियुक्ति अभियान को पुनः आरम्भ करेंगे, ताकि जितनी भी बकाया रिक्तियां हों उन्हें भरा जा सके।

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : महोदय, मेरे प्रश्न का ठीक प्रकार से उत्तर नहीं दिया गया है। मैंने पूछा था कि जैसाकि एक समय-बद्ध कार्यक्रम का विशेष उल्लेख किया गया है, तो बकाया रिक्तियों को भरने की वह समय-सीमा क्या है ?

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : महोदय, क्या हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम प्रति वर्ष कार्य-क्रम बना सकते हैं ? इसे तब तक दुहराया जायेगा जब तक बकाया रिक्तियां भर नहीं जाती। मैं यह नहीं कह सकती कि आज अन्य विशेष नियुक्ति अभियान से सभी रिक्तियां भर जायेंगी। हम इस कार्यक्रम को तब तक जारी रखेंगे जब तक सभी रिक्तियां भर न जाएं। इसमें एक वर्ष भी लग सकता है और छः महीने भी लग सकते हैं। यदि वे इस वर्ष नहीं भर पाती हैं तो यह अभियान फिर चलाएंगे।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो गया।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

दूरदर्शन कार्यक्रमों का स्तर

*227. **श्री प्रकाश बापूवसंत राव पाटिल : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दूरदर्शन कार्यक्रमों के स्तर में सुधार करने हेतु सुझाव देने के लिए एक समिति गठित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस समिति के सदस्य कौन-कौन होंगे तथा इसके विचारार्थ विषय क्या होंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, नहीं। फिलहाल, ऐसी कोई समिति गठित करने का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, मुम्बई

*231. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री मृत्युंजय नायक :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई में हाल में हुई मूसलाधार वर्षा से यंत्रों तथा अत्याधुनिक उपकरणों को पहुंची क्षति के रूप में भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र को भारी नुकसान हुआ है;

(ख) क्या सुरक्षा उपाय तथा भवन सुविधा पर्याप्त न होने के कारण इन उपकरणों को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रखने के लिए प्रबंधन थोड़ा-बहुत ही प्रयास कर पाता है;

(ग) क्या सरकार ने इस घाटे का अनुमान लगाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे कौन-से सुधारात्मक उपाय करने का विचार है जिनसे ऐसी घटनाएं फिर न हों ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, नहीं। कोई भारी क्षति नहीं हुई है।

(ख) ऐसी मूसलाधार वर्षा अभूतपूर्व थी और इसके परिणामस्वरूप भू-स्खलन हुआ। तथापि, पर्याप्त सुरक्षा उपायों और सिविल अभियांत्रिकी विशेषताओं के होने के कारण, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के अनेक भवनों में से एक प्रयोगशाला का केवल तहखाना अस्थायी रूप से प्रभावित हुआ था।

(ग) तथा (घ) बहुत अधिक हानि नहीं हुई है। प्रभावित हुए यंत्रों में से अधिकांश यंत्र काम करने की स्थिति में लाए जा चुके हैं।

(ङ) अत्याधिक सावधानी के तौर पर, बहुल अवरोध लगाने, मौजूदा अपवहन प्रणाली को और अधिक सक्षम बनाने, तथा कुछ उपस्करों को दूसरे स्थान पर स्थापित करने का प्रस्ताव है।

घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की समीक्षा

*232. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) निरन्तर घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के प्रथम दस उपक्रमों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या निरन्तर घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकरण के संबंध में कोई गहन समीक्षा की गई है ताकि विकल्प और उपचार संबंधी सुझाव दिये जा सकें;

(ग) यदि हां, तो इस गहन समीक्षा के क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(घ) सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों की वर्तमान स्थिति क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन) : (क) वित्तीय वर्ष 1989-90 में लम्बे समय से घाटा उठा रहे सरकारी क्षेत्र के 10 शीर्ष उद्यमों के नाम नीचे दिये गये हैं :–

1. हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
2. भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड
3. इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड
4. इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लिमिटेड
5. हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड
6. हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड
7. नैशनल जूट मैन्युफैक्चरिंग कारपोरेशन लिमिटेड
8. स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड
9. इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स कम्पनी लिमिटेड
10. भारतीय सड़क निर्माण निगम

(ख) जी, हां।

(ग) सरकारी क्षेत्र के घाटा उठाने वाले उद्यमों का विश्लेषण करने से पता चलता है कि सरकारी क्षेत्र के 98 उद्यमों ने 1959 करोड़ रुपये का कुल घाटा उठाया है। सरकारी क्षेत्र के इन 98 उद्यमों में से सरकारी क्षेत्र के लम्बी अवधि से घाटा उठा रहे 47 उद्यमों ने 1339 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा उठाया है। सरकारी क्षेत्र के 47 उद्यमों में से 40 उद्यम कम सामाजिक दायित्वों के साथ प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में थे तथा इसमें निजी क्षेत्र से अधिकार में लिये गये 26 रुग्ण उद्यम शामिल हैं।

(घ) सरकार ने हाल ही में सरकारी क्षेत्र की नीति की समीक्षा की है। सरकारी क्षेत्र के ऐसे उद्यम जो लम्बी अवधि से रुग्ण चले आ रहे हैं और जिनके उद्धार की कोई संभावना नहीं है उनके लिये पुनरूद्धार/पुनर्स्थापन संबंधी योजनायें तैयार करने के लिये औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड अथवा इस उद्देश्य से गठित अन्य समान उच्च स्तरीय संस्थाओं को सौंपे जायेंगे।

दक्षिणी राज्यों में नये औद्योगिक एककों में पूंजी निवेश

*235. **श्री ई० अहमद** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में नये औद्योगिक एककों में पूंजी निवेश के लिए केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन कितने प्रस्ताव हैं;

(ख) वर्ष 1988-89, 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान इन राज्यों में औद्योगिक एककों के लिए केन्द्रीय सरकार ने कितने प्रतिशत पूंजी निवेश किया;

(ग) क्या केरल में उप-उत्पादन पर आधारित उद्योगों (डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज) के रूप में नये एकक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी०जे० कुरियन) :(क) 30 जून, 1991 की स्थिति के अनुसार केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में औद्योगिक एकक स्थापित करने के लिए आशय-पत्रों की स्वीकृति के 665 आवेदन लम्बित पड़े थे।

(ख) इन राज्यों में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में केन्द्रीय निवेश का प्रतिशत केवल 1989-90 तक उपलब्ध है जो नीचे दिया जाता है :-

	1988-89	1989-90
केरल	1.54	1.07
कर्नाटक	1.77	2.47
तमिलनाडु	6.10	6.08
आन्ध्र प्रदेश	11.42	9.12

(ग) और (घ) पेरा जाइलीन इत्यादि, मिथाइल एथिल कीटोन, मिथाइल टर्टिअरी ब्यूटिल ईथर (एम०टी०बी०ई०) और पैट्रोलियम हाइड्रो कार्बन सॉल्वेंट के उत्पादन के लिए डाउनस्ट्रीम एककों की स्थापना के लिए आशय-पत्रों की मंजूरी के लिए मै० कोचीन रिफाइनरीज लि० से चार प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

अहमदाबाद और दिल्ली दूरदर्शन के बीच माइक्रोवेव सम्पर्क

*236. **श्री हरिन पाठक :**

श्री अन्नूभाई देशमुख :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद और दिल्ली दूरदर्शन के बीच माइक्रोवेव सम्पर्क स्थापित करने तथा अहमदाबाद और राजकोट को राज्य के अन्य केन्द्रों के साथ जोड़ने का भी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) अहमदाबाद दूरदर्शन केन्द्र और दिल्ली केन्द्र के बीच डेडिकेटिड टी०वी० बेयरिंग माईक्रोवेव सर्किट स्थापित करने का सिद्धांततः निर्णय ले लिया गया है और राजकोट सहित गुजरात के विभिन्न टी०वी० रिले केन्द्रों को अहमदाबाद केन्द्र के साथ उपग्रह द्वारा जोड़ने की योजनाएं बनायी गयी हैं ताकि उन केन्द्रों से अहमदाबाद केन्द्र से प्रसारित कार्यक्रमों को रिले किया जा सके।

इस प्रयोजन के लिए जमीन पर किए जाने वाले कार्य आरंभ कर दिए गए हैं।

राशन कार्डों का उचित समय पर जारी किया जाना

[हिन्दी]

*237. **श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग में आवेदन के पंजीकरण के 10-15 दिनों के अन्दर आवेदकों को राशन कार्ड जारी किए जाते हैं;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और क्या सरकार का यह सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है कि आवेदकों को पंजीकरण के बाद उचित समय के अन्दर राशन कार्ड जारी कर दिए जाएं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन ने बताया है कि जिन मामलों में निवास स्थान का सबूत और कार्ड जमा कराने/कार्ड से नाम कटाने का प्रमाण-पत्र संलग्न होता है उनमें आवेदन पत्र मिलने पर तत्काल राशन कार्ड जारी कर दिया जाता है। निवास स्थान का सबूत, किराए की रसीद, आबंटन पत्र, बिजली/पानी/टेलीफोन का बिल, मकान-कर की रसीद अथवा मकान मालिक से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र आदि जैसा दस्तावेजी सबूत हो सकता है। जिन मामलों में निवास स्थान के बारे में कागजी सबूत नहीं प्रस्तुत किया जाता है उनमें आवेदक के निवास स्थान संबंधी तथ्य और कानूनी स्थिति की जांच करने के उपरान्त राशन कार्ड जारी किया जाता है।

हालांकि राशन कार्ड शीघ्र जारी करने हेतु सभी प्रयास किए जाते हैं, तथापि अपूर्ण आवेदन पत्र, संबंधित स्थान पर जाकर जांच करने के बावजूद सत्यापन न होने आदि के कारणों से कभी-कभी विलम्ब हो जाता है।

[अनुवाद]

अमरीका की पेप्सी कम्पनी द्वारा तकनीकी जानकारी का अन्तरण

***238. श्री लोकनाथ चौधरी :** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका की पेप्सी कम्पनी को तकनीकी जानकारी के शुल्क के रूप में 8,00,000 रुपये की एकमुश्त राशि दी जानी है; और

(ख) यदि हां, तो पेप्सी कम्पनी द्वारा अब तक कौन सी तकनीकी जानकारी अन्तरित की गयी है और मूल प्रस्ताव में उससे कौन सी तकनीकी जानकारी मांगी गई थी ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) विदेशी सहयोग अनुमोदन की शर्तों के अनुसार तकनीकी जानकारी, ड्राईंग, डिजाइन, दस्तावेज, संस्थापन और चालू करने आदि करने के लिए लागू भारतीय कर देकर विदेशी सहयोगकर्ता को तीन किश्तों में 8 लाख डालर की एकमुश्त धनराशि का भुगतान किया जाएगा। अभी तक कोई भुगतान नहीं किया गया है।

2. विदेशी सहयोग आवेदन के अनुसार परियोजना निम्नलिखित क्षेत्रों में पेप्सी को के प्रौद्योगिकी संसाधनों का उपयोग कर सकेगी जिसमें संयंत्र/प्रणाली डिजाइन, अभिन्यास, इंजीनियरी और तकनीकी सेवाएं भी शामिल हैं :—

(क) कृषि अनुसंधान

(ख) उत्पाद विकास

(ग) प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी

(घ) पैकिंग प्रौद्योगिकी

(ङ) रद्दी और निस्सार उपचार

3. यह सूचित किया गया है कि चन्नो स्थित नाश्ता आहार और पेय सांद्रण उत्पादन संयंत्रों तथा जहूरा स्थित फल एवं सब्जी प्रसंस्करण संयंत्र को स्थापित और चालू कर दिया गया है। स्थापित किये जाने वाला कृषि अनुसंधान केन्द्र क्रियान्वयनाधीन है। राज्य के किसानों के लिए अच्छे किस्म के टमाटर उगाने की आयात की गई प्रौद्योगिकी के कारण प्रति एकड़ 6-7 मी० टन से उत्पादन बढ़कर औसत 15 मी० टन हो गया है। कम्पनी द्वारा स्थापित किया जा रहा कृषि अनुसंधान केन्द्र फलों, सब्जियों और तिलहनों की किस्म सुधारने के कार्यक्रम चलायेगा। यह भी बताया गया है कि ऐसे फलों, सब्जियों और तिलहनों को उगाने की आधारभूत सामग्री और मानक अन्तःप्रजात तरीकों की आपूर्ति मै० पेप्सीको० इंक द्वारा की जाएगी।

दूरदर्शन में गैर-सरकारी चैनलों की स्थापना

*239. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दूरदर्शन में गैर-सरकारी चैनल स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन चैनलों पर सरकार का कोई नियंत्रण होगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) सरकार उन सार्वजनिक निगमों को जो विधि द्वारा निर्धारित मानदण्डों को पूरा करते हों, टेलीकास्ट तथा प्रसारण अधिकार प्रदान करने तथा प्रसार भारती के साथ स्पर्धा करने की अनुमति देने के लिए वचनबद्ध है।

(ख) से (घ) फिलहाल ऐसा ब्यौरा देना सम्भव नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रानिक माध्यमों के बीच स्पर्धा शुरू करने के लिए औपचारिकताओं को अन्तिम रूप देने से पूर्व इस विषय पर विस्तार से अध्ययन करना जरूरी है।

प्रशासनिक सुधार

*240. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासन में सुधार करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदनों में की गई सिफारिशों को पूर्णतया लागू कर दिया गया है, : और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं और इन्हें कार्यान्वित करने में क्या कठिनाईयां हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) संवेदनशील प्रशासन की योजना, जिसकी रूपरेखा तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने देश को अपने दिनांक 5 जनवरी, 1985 के प्रसारण में दी थी, पहले ही 20 सूत्री कार्यक्रम के भाग के रूप में विद्यमान है। इसमें (क) कार्यविधि का सरलीकरण, (ख) प्राधिकार का प्रत्यायोजन, (ग) जवाबदेही को लागू करना, (घ) ब्लाक स्तर से राष्ट्रीय स्तरों तक एक प्रबोधन प्रणाली, और (ङ) लोक शिकायतों का शीघ्र और महानुभूतिपूर्वक निवारण, की परिकल्पना की गई है। यह एक सतत प्रक्रिया है।

(ग) और (घ) प्रशासनिक सुधार आयोग की बहुत सी सिफारिशों को पहले ही कार्यान्वित किया जा चुका है। शेष में से कुछ को सरकार द्वारा अव्यवहार्य समझा गया है। देश में अब हुए बड़े परिवर्तन को देखते हुए वर्तमान परिस्थितियों में जिन उपायों को संगत पाया गया है उन्हें शामिल कर लिया गया है।

[हिन्दी]

रोजगारोन्मुख कोष की स्थापना

*241. **श्री गिरधारी लाल भार्गव :** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का एक रोजगारोन्मुख कोष की स्थापना करने का विचार है ;

(ख) क्या इस उद्देश्य हेतु केन्द्रीय बजट में एक प्रावधान करने के साथ-साथ राज्य सरकारों से अंशदान भी लिये जाते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो बेरोजगारों को रोजगार देने संबंधी मुख्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाने की संभावना है ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (ग) रोजगार आठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य होगा तथा सामान्य योजना कार्यनीति और विशिष्ट परियोजनाओं दोनों को आवश्यक रूप से रोजगार उन्मुख बनाने के लिए सभी प्रयास किये जायेंगे। "रोजगारोन्मुख कोष" की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

केरल में ग्रामीण विकास कार्यक्रम

*242. **श्री वी०एस० विजयराघवन :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान केरल में विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर कितनी धनराशि व्यय की गई तथा इससे कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए ;

(ख) क्या चालू वर्ष के दौरान कोई नया ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू करने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

(1) 1990-91 के दौरान केरल में प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर इस्तेमाल की गई राशि नीचे दर्शायी गई है :—

(लाख रुपये में)

कार्यक्रम	राशि
जवाहर रोजगार योजना	6819.92
समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2043.51
ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना	19.94
ग्रामीण महिला तथा शिशु विकास योजना	8.76
त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम	1524.90

(2) केरल में 1990-91 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत सृजित रोजगार के श्रमदिनों, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम/ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना/ग्रामीण महिला तथा शिशु विकास योजना के अंतर्गत लाभान्वित लोगों और त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत कवर किये गये समस्याग्रस्त गांवों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

कार्यक्रम	इकाई	उपलब्धि
जवाहर रोजगार योजना	रोजगार सृजन (लाख श्रम दिवस)	180.90
समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	लाभान्वित परिवार (संख्या)	60877
ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना	प्रशिक्षित युवा (संख्या)	5657
ग्रामीण महिला तथा शिशु विकास योजना	लाभान्वित महिलाएं (संख्या)	59
त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम	कवर किए गए समस्याग्रस्त गांव (संख्या)	197

मोटर साइकिलों के निर्माण के लिए विदेशी सहयोग

*243. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रमुख मोटर साइकिल निर्माता कम्पनियों का विदेशी कम्पनियों के साथ सहयोग करार है;

(ख) यदि हां, तो भारत की ऐसी प्रमुख कम्पनियों और उनके विदेशी सहयोगियों के नाम क्या हैं; और

(ग) प्रत्येक मामले में कितने कल-पुर्जे आयात किए गए और वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान प्रत्येक को कितनी विदेशी मुद्रा खर्च करने की अनुमति दी गई ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी०जे० कुरियन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

देश में मोटर साइकिलों के प्रमुख विनिर्माताओं और उनके सहयोगियों के नाम, आयात मात्रा का प्रतिशत और अनुमत्त विदेशी मुद्रा के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

क्र० सं०	भारतीय कम्पनी का नाम	सहयोगी का नाम	आयात मात्रा (सी०आई०एफ० के आधार पर) 1990-91	(रुपये करोड़ में) विदेशी मुद्रा की अनुमति 1989-90	1990-91
1.	मै० एस्कोर्ट्स लि०	मै० यामाहा मोटर्स जापान	5.67%	11.93	7.50
2.	मै० हीरो होण्डा मोटर्स लि०	मै० होण्डा मोटर कं० लि०, जापान	4.98%	9.34	14.15
3.	मै० टी०वी०एस० सुजुकी लि०	मै० सुजुकी मोटर कं० लि०, जापान	7.72%	7.8	1.40
4.	मै० बजाज आटो लि०	मै० कावासाकी हैवी इंडस्ट्रीज लि०, जापान	6.50%	9.01	1.02

सरकारी कर्मचारियों से प्राप्त शिकायतें

*244. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मन्त्रालय को 1990 और 1991 (मई तक) के दौरान सरकारी कर्मचारियों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई;

(ख) इनमें से कितनी शिकायतों का समाधान किया गया;

(ग) शेष शिकायतों के शीघ्र समाधान हेतु कौन से कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या शिकायतों की सुनवाई के लिए विभिन्न कार्यालयों में नियुक्त अधिकारी सुनवाई के लिए नियत समय पर कार्यालय में उपस्थित नहीं होते हैं; और

(ङ) ऐसे अधिकारियों की कार्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अलवा) :

विवरण

(क) वर्ष 1990 और वर्ष 1991 के प्रथम 5 माह के दौरान सेवा मामलों से संबंधित लगभग 1100 शिकायतें मन्त्रालय में प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों से सेवा निवृत्त लाभों से संबंधित लगभग 15,000 शिकायतें प्राप्त हुई।

(ख) और (ग) कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के सेवा मामलों से संबंधित शिकायतें पदोन्नति, वरिष्ठता, वेतन वृद्धि, अनुशासनिक उपाय, कार्यस्थल पर सुविधाओं की व्यवस्था इत्यादि जैसे विभिन्न पहलुओं से उत्पन्न होती हैं। इन्हें संबंधित संगठनों को भेज दिया जाता है जो संगत नियमों, विनियमों और अनुदेशों के उपबंधों के अनुसार उचित कारंवाई करते हैं। इसी प्रकार पेंशन-भोगियों से प्राप्त शिकायतों को संबंधित पेंशन स्वीकृति और पेंशन भुगतान करने वाले प्राधिकारियों को आवश्यक कारंवाई के लिए भेज दिया जाता है। कार्यरत सरकारी कर्मचारियों अथवा पेंशन-भोगियों से प्राप्त शिकायतों के संबंध में आंकड़ों का संकलन करने के लिए कोई केन्द्रित तन्त्र नहीं है।

(घ) और (ङ) सरकार अपने कर्मचारियों की शिकायतों के शीघ्र और प्रभावी निवारण की आवश्यकता के प्रति जागरूक है। मंत्रालयों/विभागों और अन्य मुख्य कार्यालयों को स्टाफ शिकायत अधिकारी के अधीन एक शिकायत निवारण तन्त्र का गठन करने का परामर्श दिया गया है। सरकार के लगभग सभी मुख्य संगठनों में ऐसे शिकायत तन्त्र स्थापित किए जा चुके हैं।

इसके अतिरिक्त, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 के अधीन सांविधिक तन्त्र है जिसमें एक अधिकरण की व्यवस्था की गई है, जो केवल भर्ती और सेवा की शर्तों के संबंध में विवाद और शिकायतों की सुनवाई अथवा उनका न्यायनिर्णयन करता है। इसके अतिरिक्त संयुक्त परामर्श तन्त्र (जे०सी०एम०) सरकारी कर्मचारियों के सामान्य मुद्दों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए महत्वपूर्ण और प्रभावी मंच का कार्य करता है।

केरल में चीनी और मिट्टी के तेल पर दी जाने वाली आढ़त में वृद्धि का आग्रह

1097. **प्रो० के०वी० थामस :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के राशन डीलर्स एसोसिएशन से चीनी और मिट्टी के तेल पर दी जाने वाली आढ़त बढ़ाने सम्बन्धी कोई आग्रह प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) जी हां। "आल केरल रीटेल राशन डीलर्स एसोसिएशन" ने केरल में राशन विक्रेताओं द्वारा लेवी चीनी और मिट्टी के तेल के वितरण के लिए दिए जाने वाले कमीशन की वृद्धि हेतु अभ्यावेदन दिया है।

लेवी चीनी के संबंध में, केरल के लिए विक्रेताओं के मार्जिन सितम्बर, 1987 में नियत किए गए थे। मार्जिन में संशोधन करने संबंधी केरल सरकार का अनुरोध, जो खाद्य मंत्रालय में प्राप्त हुआ है, की जांच की जा रही है।

मिट्टी के तेल के संबंध में, पैट्रोलियम, और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा गठित तैल मूल्य समीक्षा समिति ने उन्हें सौंपे गए विभिन्न मुद्दों पर, जिनमें मिट्टी के तेल पर विक्रेताओं के कमीशन का मुद्दा शामिल है, हाल ही में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। उक्त मंत्रालय द्वारा उनकी जांच की जा रही है।

गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग

1098. **श्री अशोक आनन्दराव देशमुख :** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजनावधि के दौरान, राज्य-वार कितने लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे थे; और

(ख) उनका जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

योजना और कार्यक्रम कियान्वयन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एच आर० भारद्वाज) : (क) घरेलू उपभोक्ता व्यय संबंधी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण आंकड़ों के 43वें दौर के आधार पर वर्ष 1987-88 के लिए गरीबी के अनन्तिम अनुमान उपलब्ध हैं। वर्ष में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों की अनुमानित संख्या 237.67 मिलियन है। गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) कृषि, उद्योग और सेवाओं आदि के जरिए आय और रोजगार सृजन के लिए विकासात्मक प्रयासों के अलावा, गरीबी दूर करने के लिए विशेष कार्यक्रम क्रियान्वित किए

जा रहे हैं। इनमें एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जवाहर रोजगार योजना तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के विकास के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम भी शामिल हैं।

विवरण

राज्यों में गरीबी की रेखा से नीचे रह रही जनसंख्या की संख्या और प्रतिशत (1987-88)

क्रम सं०	राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र	व्यक्तियों की संख्या (लाखों में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	195.70
2.	असम	52.89
3.	बिहार	336.54
4.	गुजरात	73.25
5.	हरियाणा	18.15
6.	हिमाचल प्रदेश	4.52
7.	जम्मू व कश्मीर	9.79
8.	कर्नाटक	136.46
9.	केरल	48.98
10.	मध्य प्रदेश	224.97
11.	महाराष्ट्र	214.10
12.	उड़ीसा	135.12
13.	पंजाब	13.88
14.	राजस्थान	99.54
15.	तमिलनाडु	176.85
16.	उत्तर प्रदेश	448.34
17.	पश्चिम बंगाल	173.45
18.	छोटे राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र	14.2
19.	अखिल भारत	2376.7

टिप्पणी : उपर्युक्त अनुमान 1973-74 की कीमतों पर 49.09 रु० प्रति व्यक्ति प्रतिमाह की गरीबी रेखा को आधार मानकर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में 56.64 रु० की गरीबी रेखा को आधार मानकर प्रति व्यक्ति प्रतिमास 2100 कैलोरी आवश्यकता से अनुरूप तैयार किए जाते हैं।

2. वर्ष 1987-88 के लिए गरीबी रेखा को आधुनिक बनाने के लिए केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन निजी खपत डिफ्लेटर का प्रयोग किया गया है।

3. ये परिकलन घरेलू उपभोक्ता व्यय के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण आंकड़ों के 43वें दौर की प्रारूप रिपोर्ट पर आधारित है (रिपोर्ट नं० 372 उपभोक्ता व्यय, एन०एस०एस०ओ० जून, 1990 से संबंधित चौथे पंचवर्षीय सर्वेक्षण की रिपोर्ट)।

4. गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या का संबंध 1 मार्च, 1988 की स्थिति के अनुसार जनसंख्या से है ।

5. राज्यवार गरीबी के अनुपातों का अनुमान उसी पद्धति का प्रयोग करते हुए लगाया गया है जैसा कि सातवीं पंचवर्षीय योजना को तैयार करने के समय लगाया गया था तभी से गरीबी अनुमान की पद्धति के बारे में अनेक मामले उठाए गए हैं और इन मामलों पर एक विशेषज्ञ दल द्वारा विचार किया जा रहा है, इसके अध्यक्ष डा० डी०टी० लक्कड़वाला हैं ।

6. यहां पर जो अनुमान प्रस्तुत किए गए हैं उनमें विशेषज्ञ दल की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए संशोधन किए जाने की संभावना है ।

[हिन्दी]

भोपाल गैस दुर्घटना के पीड़ित व्यक्तियों को अंतरिम राहत

1099. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया है कि भोपाल गैस दुर्घटना के पीड़ित शेष एक लाख व्यक्तियों में वितरित किए जाने हेतु उसे प्रति वर्ष 24 करोड़ रुपए की धनराशि का अतिरिक्त आबंटन किया जाए; और

(ख) यदि हां, तो यह अतिरिक्त धनराशि कब तक प्रदान कर दी जाएगी ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल के गम्भीर रूप से प्रभावित 36 म्युनिसिपल वार्डों के लगभग एक लाख शेष निवासियों को 3 वर्षों की अवधि तक अन्तरिम राहत का वितरण करने के लिए 62 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि का प्रावधान करने का अनुरोध किया है । इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ।

[अनुवाद]

पुनलूर कागज मिल को पुनः खोलना

1100. **श्री कोडीकुनील सुरेश :**
प्रो० सावित्री लक्ष्मणन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुनलूर कागज मिल ने भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम और केनरा बेंक को कितनी धनराशि के ऋण का भुगतान करना है;

(ख) क्या पुनलूर कागज मिल के प्रबन्ध मंडल ने इस मिल को पुनः खोलने हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ग) क्या सरकार ने उस कम्पनी के प्रारक नियमों को समाप्त करने के लिए पुनलूर कागज मिल के प्रबन्ध मंडल के अनुरोध पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) बताया जाता है कि 30-9-1987 से मै० पुनलूर पेपर मिल्स लि० को केनरा बैंक को 11.90 करोड़ रु० की धनराशि और ब्याज का भुगतान करना है । जहां तक भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम (आई० सी० आई० सी० आई०) का सम्बन्ध है, ऐसा समझा जाता है कि निगम ने कम्पनी पर 3.60 करोड़ रुपए का दावा किया है ।

(ख) बताया जाता है कि मै० पुनलूर पेपर मिल्स लि० ने भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम (आई०सी०आई०सी०आई०) को पुनः हेतु एक प्रस्ताव भेजा है ।

(ग) तथा (घ) केनरा बैंक ने यह सूचित किया है कि मै० पुनलूर पेपर मिल्स लि० द्वारा प्रापक नियम वापस लेने हेतु की गई याचना न्यायालय में लम्बित है ।

कोटा में केन्द्र द्वारा प्रायोजित उद्योग

1102. **श्री दाऊ दयाल जोशी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान में कोटा क्षेत्र में केन्द्र द्वारा प्रायोजित उद्योगों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन) : केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का केवल एक उद्यम नामशः इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड ही है, जिसका पंजीकृत कार्यालय राजस्थान के कोटा क्षेत्र में स्थित है ।

राज्यों में खाद्य तेलों के वितरण हेतु मापदंड

1103. **श्री गोविन्दराव निकम :**
श्री प्रकाश बापू वसंतराव पाटिल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों को खाद्य तेलों के वितरण हेतु मापदंड क्या हैं;

(ख) क्या महाराष्ट्र में खाद्य तेलों की कमी है और महाराष्ट्र को अन्य राज्यों की तुलना में दिये जाने वाले खाद्य तेलों की प्रतिशतता बहुत कम है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार का राज्य को अधिक खाद्य तेल आवंटित करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) :

(क) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आयातित खाद्य तेलों के आवंटन का निर्णय, देशीय तेलों की स्थानीय उपलब्धता, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की यथार्थपरक मांग, सरकार के पास आयातित खाद्य तेलों की उपलब्ध मात्रा, इन्हें उठाने की गति इत्यादि जैसी बातों को ध्यान में रख कर किया जाता है ।

(ख) महाराष्ट्र सरकार के अनुसार, उक्त राज्य खाद्य तेल के उत्पादन और आपूर्ति के मामले में कमी वाला राज्य है। चालू तेल वर्ष 1990-91 (नवम्बर से जून) के दौरान महाराष्ट्र राज्य को अखिल भारतीय आवंटन का लगभग 16% हिस्सा दिया गया है, जो देश में सर्वाधिक है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

कश्मीर घाटी से आकाशवाणी और समाचार कक्ष का स्थानांतरण

1104. **श्री राम नाईक :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी और समाचार कक्षों को बढ़ते उग्रवाद और हिंसा को ध्यान में रखते हुए कश्मीर घाटी से स्थानान्तरित कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो कब;

(ग) क्या उक्त स्थानान्तरण के कारण पत्रकार प्रस्थान कर गये हैं जिससे जनसंचार में रिक्तता आ गई है; और

(घ) समाचार कक्षों को पुनः कश्मीर घाटी में स्थानान्तरित करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) दूरदर्शन का समाचार कक्ष दिनांक 5 मार्च, 1990 से श्रीनगर से जम्मू स्थानांतरित किया गया था। घाटी की घटनाओं को कवर करने के लिए दूरदर्शन का कैमरा यूनिट अभी भी श्रीनगर में ही है। इन घटनाओं को जम्मू के समाचार कक्ष द्वारा तैयार किए जाने वाले समाचार बुलेटिनों में इस्तेमाल किया जाता है। रेडियो केन्द्र श्रीनगर से ही कार्य कर रहा है, जबकि समाचार बुलेटिन तैयार करने की व्यवस्था दिनांक 6 मार्च, 1990 से श्रीनगर से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) फिलहाल, आकाशवाणी की प्रादेशिक समाचार बुलेटिन तैयार करने की व्यवस्था को दिल्ली से श्रीनगर और दूरदर्शन के समाचार कक्ष को जम्मू से श्रीनगर शिफ्ट करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

बिहार में कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना

1105. **श्री नवल किशोर राय :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार में सीतामढ़ी जिले में कृषि पर आधारित कोई बड़ा अथवा मध्यम उद्योग स्थापित करने का है;

(ख) क्या सरकार का सीतामढ़ी और बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में कृषि पर आधारित उद्योगों की स्थापना के प्रयोजनार्थ वहां विशेषज्ञों के दल द्वारा सर्वेक्षण करने के बाद ठोस कदम उठाने का विचार है ;

(ग) यदि हां, तो कब; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी०जे० कुरियन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

[अनुवाद]

उर्दू में निर्मित फिल्में

1106. **श्री सैयद शाहबुद्दीन :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार उर्दू की कितनी फीचर फिल्मों का निर्माण किया गया;

(ख) इसी अवधि के दौरान राजस्थानी, भोजपुरी, हरियाणवी आदि क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्में जिनकी सामान्यतया हिन्दी में डबिंग की जाती है, सहित कितनी हिन्दी फिल्मों का निर्माण किया गया; और

(ग) उर्दू में फीचर फिल्मों की संख्या में गिरावट के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) सरकार के पास उर्दू में बनाई गयी फीचर फिल्मों की संख्या के बारे में कोई सूचना नहीं है क्योंकि फीचर फिल्मों का निर्माण मुख्य रूप से निजी क्षेत्र में होता है । तथापि, पिछले तीन कैलेण्डर वर्षों में केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणित उर्दू फिल्मों (सेलूलॉयड) की संख्या इस प्रकार है :–

1988	..	..	3
1989	..	..	शून्य
1990	..	..	शून्य

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान हिन्दी और राजस्थानी, भोजपुरी तथा हरियाणवी में प्रमाणित सेलूलॉयड फीचर फिल्मों की संख्या इस प्रकार है :–

	1988	1989	1990
हिन्दी	182	176	200
राजस्थानी	7	7	5
भोजपुरी	8	10	5
हरियाणवी	5	3	2

उपर्युक्त में से कितनी फिल्में मूल रूप से प्रादेशिक भाषा की फिल्में हैं और कौन सी कितनी हिन्दी में डब की गयी हैं इसके बारे में सूचना संकलित रूप से उपलब्ध नहीं है ।

372/L. S., 91 – 7

(ग) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं हैं क्योंकि अधिकांश फीचर फिल्मों का निर्माण निजी क्षेत्र में होता है ।

[हिन्दी]

राजस्थान में सरकारी क्षेत्र में उपक्रम स्थापित करना

1107. **श्री गुमान मल लोढा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत एक बड़ा उद्योग स्थापित करने के लिए किसी विशेष स्थान का चयन करते समय किन मानदण्डों का अनुपालन किया जाता है;

(ख) क्या इस प्रयोजन हेतु कोई नीति निर्धारित्त की गई है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा पश्चिमी राजस्थान में, जो काफी लम्बे समय से सूखा प्रभावित क्षेत्र रहा है और जहां पर खनिज काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है, सरकारी क्षेत्र का उपक्रम स्थापित करने के लिए कोई योजना तैयार न करने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन) : (क) से (ग) समग्र संतुलित क्षेत्रीय विकास की आवश्यकता को ध्यान में रखने के साथ-साथ परियोजनाओं की तकनीकी-आर्थिक क्षमता का विचार करते हुए देश के विभिन्न भागों में स्थित केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में केन्द्रीय पूंजी निवेश किया जाता है ।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत रोजगार प्रदान करना

1108. **श्री राजवीर सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 तथा 1989-90 के दौरान, राज्यवार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राज्यवार कितना-कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था; और

(ख) इस संबंध में प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) 1988-89 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 3426.78 लाख श्रम दिनों का रोजगार सृजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था । 1989-90 के दौरान, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया था तथा इसका जवाहर रोजगार योजना में विलय कर दिया गया था । 1988-89 के दौरान रोजगार सृजन के लक्ष्यों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ख) 1988-89 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत रोजगार के 3949.64 लाख श्रम दिनों का सृजन किया गया था । राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

विवरण

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (1988-89)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	रोजगार सृजन (लाख श्रम दिन)		
		लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत उपलब्धि
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	342.55	340.19	99.31
2.	अरूणाचल प्रदेश	2.95	2.08	70.51
3.	असम	55.05	45.47	82.60
4.	बिहार	416.00	432.22	103.90
5.	गोआ	2.70	2.14	79.26
6.	गुजरात	133.60	136.38	102.08
7.	हरियाणा	23.05	24.76	107.42
8.	हिमाचल प्रदेश	18.40	23.99	130.38
9.	जम्मू व कश्मीर	24.85	32.30	129.98
10.	कर्नाटक	202.15	230.02	113.79
11.	केरल	115.40	149.57	129.61
12.	मध्य प्रदेश	361.10	392.36	108.66
13.	महाराष्ट्र	244.16	258.52	105.88
14.	मणिपुर	4.10	6.66	162.44
15.	मेघालय	4.20	2.28	54.29
16.	मिजोरम	1.67	1.50	89.82
17.	नागालैण्ड	2.90	4.56	157.24
18.	उड़ीसा	190.05	181.26	95.37
19.	पंजाब	21.85	22.88	104.71
20.	राजस्थान	127.85	226.64	177.27
21.	सिक्किम	2.80	3.76	134.29
22.	तमिलनाडु	314.20	442.41	140.81
23.	त्रिपुरा	9.70	13.67	140.93
24.	उत्तर प्रदेश	580.00	812.95	140.16
25.	पश्चिम बंगाल	215.70	152.00	70.47
26.	अंडमान व निकोबार	1.75	2.03	116.00
27.	चंडीगढ़	0.50	0.57	114.00
28.	दादर नगर हवेली	1.55	1.55	100.00
29.	दिल्ली	1.10	1.10	100.00
30.	दमन व दीव	0.60	0.11	18.33
31.	लक्षद्वीप	1.40	1.29	92.14
32.	पांडिचेरी	2.90	2.42	83.45
		3426.78	3949.64	115.26

[अनुवाद]

औरंगाबाद में कम-शक्ति वाला दूरदर्शन ट्रांसमीटर

1109. **श्री राम नरेश सिंह :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में औरंगाबाद जिले में दूरदर्शन प्रसारण मौजूदा दूरदर्शन ट्रांसमीटरों से नहीं पहुंच पाता;

(ख) क्या सरकार का औरंगाबाद में एक कम-शक्ति वाला दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) बिहार के औरंगाबाद जिले के कुछ भाग पटना में कार्यरत उच्च शक्ति (100 कि०वा०) दूरदर्शन ट्रांसमीटर के सेवा क्षेत्र के किनारे पर पड़ते हैं।

(ख) और (ग) जी हां। दूरदर्शन की वर्ष 1990-91 की वार्षिक योजना के अंतर्गत बिहार के औरंगाबाद जिले में अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी (यू०एच०एफ) बैंड पर संचालित अल्प शक्ति (300 वाट) टी०वी० ट्रांसमीटर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इस परियोजना के लिए निर्माताओं को उपकरणों के लिए आर्डर दे दिया गया है और इस ट्रांसमीटर के 1992 के उत्तरार्द्ध में सेवा के लिए चालू हो जाने की उम्मीद है।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

पश्चिम बंगाल में रिले केन्द्रों की स्थापना

1110. **श्री सत्य गोपाल मिश्र :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चालू वर्ष के दौरान पश्चिम बंगाल में भिन्न-भिन्न स्थानों पर कलकत्ता दूरदर्शन के नए रिले केन्द्र स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) कुर्शियांग में कार्यरत उच्च शक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर के सेवा क्षेत्र के भीतर "छाया क्षेत्र" (शैडो एरिया) को दूरदर्शन सेवा प्रदान करने के प्रयोजन से चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पश्चिम बंगाल के टाइगर हिल, दार्जिलिंग में एक दूरदर्शन ट्रांसमीटर लगाने की व्यवस्था की गई है।

[हिन्दी]

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान की गई धनराशि

1111. **श्री राम पूजन पटेल :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुछ विकास खण्डों में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम योजना के अंतर्गत धनराशि सीधे लाभार्थियों को दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या धन राशि सीधे प्राप्त करने से लाभार्थी अधिक लाभान्वित हो रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) जी हां। कुछ खण्डों में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत क्रय समिति को समाप्त कर दिया गया है। अब इन खण्डों में लाभार्थियों को सीधे ही ऋण और सबसिडी कुछ शर्तों पर मुहैया कराई जा सकती है।

(ख) मूल रूप से नकद भुगतान योजना को 1-4-1986 से 22 खण्डों में प्रायोगिक आधार पर आरम्भ किया गया था। योजना की कार्य प्रणाली की समीक्षा करने के बाद, 1-1-1990 से इसको 50 खण्डों में लागू कर दिया गया था। मार्च, 1991 में, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नकद भुगतान योजना के अध्ययन के आधार पर, राज्य सरकारों को मार्गदर्शिकाएं जारी की गई थी कि जिला स्तरीय समन्वय समिति की सिफारिशों पर नकद भुगतान के लिए प्रत्येक जिले में कम से कम आधे खण्डों का चयन किया जाए।

(ग) और (घ) नकद भुगतान पद्धति में बिचौलियों को हटाने, लाभार्थी को ऋण और सबसिडी के पूर्ण लाभ प्राप्त होने, लाभार्थी को अपनी पसन्द की परिसम्पत्तियां खरीदने की संतुष्टि होने और विलम्ब को दूर करने जैसे कुछ लाभ हैं। योजना के प्रत्येक पहलू को देखते हुए सरकार का यह मत है कि यदि आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय किए जाएं तो नकद भुगतान पद्धति अधिक लाभदायक है।

[अनुवाद]

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् बनाम के०जी० भट्ट वाद

1112. **श्री मदन लाल खुराना :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् बनाम के० जी० भट्ट वाद में प्रोन्नति के अधिकार को वैध ठहराया है; और

(ख) यदि हां, तो उसे लागू करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, बंगलूर द्वारा श्री के० जी० एस० भट्ट को स्वीकृत अनुतोष (सहायता) कि उनके संबंध में सी०एस०आई०आर० की पूर्ववर्ती उपविधि 71 (बी) (II) के अन्तर्गत सभी अनुवर्ती फायदों सहित प्रोन्नति के लिए विचार किया जाए, को उच्चतम न्यायालय ने वैध ठहराया।

(ख) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णय के कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए सी०एस०आई०आर० के केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ने श्री के०जी०एस० भट्ट से कुछ प्रशासनिक औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए अनुरोध किया जिसे उन्होंने पूरा नहीं किया। इसके बदले उन्होंने ऊपर लिखित केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णय के तथाकथित गैर-कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, बंगलूर में अवमानना याचिका दायर की, परिणामस्वरूप मामला पुनः न्यायाधीन (विचाराधीन) है।

[हिन्दी]

संघ लोक सेवा आयोग के लिए मुद्रणालय

1113. **श्री मृत्युंजय नायक :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का संघ लोक सेवा आयोग के लिए एक मुद्रणालय स्थापित करने का विचार है ताकि आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों की गोपनीयता बरकरार रखी जा सके; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) तथा (ख) संघ लोक सेवा आयोग के लिए मुद्रणालय स्थापित करने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

यात्रीकारों के घटकों/पुर्जों का आयात

1114. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान यात्री कारों जैसे मारूति के फिएट 118 एन०ई० स्टैंडर्ड 2000 इत्यादि, घटकों/पुर्जों के आयात पर वर्षवार और प्रत्येक "मेक" पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई; और

(ख) इसी अवधि के दौरान उक्त प्रकार की यात्रीकारों के निर्यात से यदि विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है तो कितनी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्टैण्डर्ड 2000 यात्री कार का उत्पादन नहीं हुआ है। निर्माताओं से प्राप्त सूचना के अनुसार अन्य माडलों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

(लाख रुपयों में)

माडल	1988-89	89-90	90-91
प्रीमियर पद्मिनी	35.34	88.29	55.33
प्रीमियर 118 एन०ई० (जुलाई-जून)	1097.79	1087.70	474.01
मारूति व्हीकल्स	16259	17199	17114

(ख) अर्जित विदेशी मुद्रा के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

माडल	1988-89	89-90	90-91
प्रीमियर पद्मिनी	8.40	10.80	13.18
प्रीमियर 118 एन०ई० (एफ०ओ०बी०) (जुलाई-जून)	31	51	53
मारुति व्हीकल्स (माने गये निर्यात और वि०मु० में जमा राशि सहित)	1378	3989	7291

[हिन्दी]

कुकडेश्वर में दूरदर्शन ट्रांसमीटर

1115. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश के मन्दसौर जिले में मानसा तहसील के कुकडेश्वर स्थान में दूरदर्शन ट्रांसमीटर लगाने का है; और

(ख) यदि हां, तो यह कब तक लगा दिया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, हां।

(ख) ट्रांसमीटर को 1992 के उत्तरार्द्ध में स्थापित किए जाने और सेवा के लिए चालू किए जाने का कार्यक्रम है।

[अनुवाद]

राष्ट्रपति तथा प्रधान मंत्री के साथ दौरे पर जाने के लिये पत्रकारों का चयन

1116. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** :
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के पास उन समाचार पत्रों की कोई सूची है जिनके सम्पादकों को राष्ट्रपति तथा प्रधान मंत्री के सरकारी दौरों पर संबंधित समाचार पत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिये पत्रकार नामजद करने को कहा जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किसी समाचार पत्र होने का प्रतिनिधित्व करने वाले पत्रकारों को छोड़कर अन्य पत्रकारों के चयन करने के क्या मानदंड हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों से प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में इस प्रकार चुने गये पत्रकारों के नाम क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) संबंधित पत्रकार की प्रतिष्ठा तथा किसी प्रख्यात समाचार पत्र में संवाददाता के रूप में उसका पूर्व अनुभव।

(घ) भारत के राष्ट्रपति के विदेश दौरे में उनके साथ केवल सरकारी माध्यम एजेंसियों के प्रतिनिधि जाते रहे हैं। किसी समाचारपत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले पत्रकारों से इतर जो पत्रकार इस अवधि में प्रधान मंत्री के साथ विदेश दौरे पर गये थे उनकी सूची संलग्न विवरण में दी है।

विवरण

गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री के विदेश दौरों में उनके साथ गए उन पत्रकारों की सूची जो किसी समाचारपत्र के प्रतिनिधि नहीं थे

जापान और वियतनाम (14-16 अप्रैल, 1988)

1. श्री प्रणव मुखर्जी—फोटोपत्रकार

सीरिया, जर्मनी, संयुक्तराष्ट्र अमेरिका और हंगरी (4-12 जून, 1988)

1. श्री राजीव देसाई—स्वतन्त्र पत्रकार

चीन (19-23 दिसम्बर, 1988)

1. श्री रंजन गुप्ता—स्वतन्त्र स्तम्भ लेखक, नई दिल्ली

फ्रांस, सोवियत संघ और पाकिस्तान (12-17 जुलाई, 1989)

1. श्री राजीव देसाई—स्वतन्त्र पत्रकार

यूगोस्लाविया (3-7 सितम्बर, 1989)

1. श्री रंजन गुप्ता—स्वतन्त्र पत्रकार

नामीबिया (19-22 मार्च, 1990)

1. श्री प्रेम शंकर झा—कामर्स
2. श्री हरिशरण छाबड़ा—कामर्स

मास्को (23-26 जुलाई, 1990)

1. श्री इन्दर मल्होत्रा—स्तम्भ लेखक।

[हिन्दी]

अलिराजपुर में "टी० वी० डिस्क" की स्थापना

1117. **श्री दिलीप सिंह भूरिया :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिवासी क्षेत्रों के लोगों में जागरूकता पैदा करने एवं उन्हें शिक्षित करने हेतु इन क्षेत्रों में दूरसंचार तथा दूरदर्शन सुविधाओं का तेजी से विस्तार करने के लिए कोई नीति तैयार की गई है; और

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश के झबुआ जिले में अलीराजपुर में एक "टी० वी० डिस्क" कब तक स्थापित किया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) सरकार का यह सतत प्रयास रहता है कि वित्तीय साधनों के कठिनाईयों के भीतर, देश के आदिवासी क्षेत्रों में दूरसंचार और दूरदर्शन सुविधाओं के विस्तार को उचित प्राथमिकता दी जाए।

(ख) यद्यपि झबुआ में एक अल्प शक्ति (100 वाट) टी० वी० ट्रांसमीटर पहले से ही कार्य कर रहा है तथापि अलीराजपुर में ऐसी सुविधा स्थापित करना इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध साधनों पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

छोटा नागपुर और संथाल परगना के गांवों के लिए दूरदर्शन प्रसारण सुविधाएं

1118. **श्री कड़िया मुण्डा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार के छोटा नागपुर और संथाल परगना के सभी गांवों को दूरदर्शन प्रसारण सुविधाएं प्रदान करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) यद्यपि बिहार के छोटा नागपुर और संथाल परगना जिलों में दो उच्च शक्ति तथा सात अल्प शक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर और एक दूरदर्शन ट्रांसपोजर पहले से ही कार्य कर रहे हैं, तथापि, सातवीं योजना से आगे लाई गई स्कीम के रूप में छोटा नागपुर मण्डल के डालटनगंज के मौजूदा 1 कि० वा० ट्रांसमीटर की शक्ति को बढ़ा कर 10 कि०वा० करने की एक स्कीम चल रही है। इस मण्डल में गुम्ला, हजारीबाग और लोहारदगा में एक-एक अतिरिक्त अल्प शक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने का भी निर्णय ले लिया गया है। इन ट्रांसमीटरों की स्थापना से संबंधित कवरेज क्षेत्रों के भीतर आने वाली ग्रामीण एवं शहरी जनता को लाभ होगा। क्षेत्र में दूरदर्शन सेवा का और विस्तार, इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करेगा।

मेघालय को आवंटित गेहूं की मात्रा

1119. **श्री पीटर जी मरबनिआंग :** क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1991 से जून 1991 तक मेघालय को राज्य ही में पिसाई के लिए कुल कितना गेहूं दिया गया; और

(ख) शक्ति मिलों के नाम क्या हैं तथा वे किन-किन स्थानों पर स्थित हैं और पिसाई के लिए इस तरह आवंटित किए गेहूं की कितनी-कितनी मात्रा प्रत्येक मिल को दी गई ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई): (क) और (ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरित करने के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय पूल से गेहूं का आवंटन किया जाता है। मेघालय को जनवरी, 1991 से प्रति माम 2,500 मीटरी टन की दर से गेहूं आबंटित किया जा रहा है।

रोलर फ्लोर मिलों द्वारा पिसाई करने के लिए राज्यों को गेहूं का कोई आबंटन नहीं किया जाता है। 1986 में रोलर फ्लोर मिलिंग उद्योग पर लगे नियंत्रण को हटा लेने के बाद रोलर फ्लोर मिलों से यह अपेक्षा की गई है कि वे गेहूं की खरीदारी करने के लिए अपने आप व्यवस्था करें। चूंकि मिलों को गेहूं का कोई आबंटन नहीं किया जा रहा है, इसलिए खाद्य मंत्रालय में मिलों के नामों और स्थानों जैसे कोई विवरण नहीं रखे जाते हैं।

नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की उत्पादन क्षमता

1120. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का विचार मध्य प्रदेश के विजयपुर में, स्थित गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्र की क्षमता दुगनी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और परियोजना को स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संयंत्र की क्षमता दुगनी करने में कितना पूंजी निवेश किए जाने की सम्भावना है और उसमें कितनी विदेशी मुद्रा शामिल होगी ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) जी; हां।

(ख) और (ग) परियोजना के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

(1) अतिरिक्त उत्पादन क्षमता	1350 टन प्रतिदिन अमोनिया/2200 टन प्रतिदिन यूरिया।
(2) अनुमानित परियोजना लागत	रु० 694.56 करोड़
(3) संभावित विदेशी मुद्राव्यय	रु० 290.80 करोड़
(4) फीड स्टाक	प्राकृतिक गैस

विलम्ब का कारण आठवीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप न दिया जाना है।

खाटा अम्बा के सहकारी चीनी कारखाने के स्थल में परिवर्तन

1121. **श्री रतिलाल कालीदास वर्मा** : क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार से प्रस्तावित चीनी कारखाने के स्थल को खाटा अम्बा से बदल कर सदकपुर करने का निवेदन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अभी तक क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) और (ख) गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार से मै० कावेरी विभाग सहकारी खांड उद्योग मंडली लि०, के स्थल को खाटा अम्बा से बदलकर सदकपुर, ता० चिखली, जिला वलसाड करने का अनुरोध किया है। गुजरात उच्च न्यायालय ने मुख्य निदेशक (शर्करा) को इस मामले में अंतिम निर्णय लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

धुबरी टी०वी० रिले केन्द्र का कार्यकरण

1122. **श्री नुरूल इस्लाम** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धुबरी टी०वी० रिले केन्द्र लगाए जाने के समय से ही ठीक प्रकार कार्य नहीं कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी नहीं। ऐसा बताया जाता है कि धुबरी में कार्यरत अल्प शक्ति (100 वाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर प्रायः ठीक तरह से कार्य कर रहा है और स्थानीय भूभागीय स्थिति को देखते हुए कवरेज क्षेत्र में उसकी सेवा संतोषजनक है।

(ख) और (ग) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

शीरे का मूल्य निश्चित करना

1123. **श्री एम० बागा रेड्डी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शीरे का मूल्य निश्चित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अगर शीरे के मूल्यों में वृद्धि नहीं हुई तो क्या इसके कारण चीनी उद्योग और गन्ना उत्पादकों को घाटा हो रहा है;

(ग) क्या सरकार शीरे के मूल्यों में वृद्धि कर मूल्य ढांचे को तर्क संगत बनाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) इस समय चीनी कारखानों में उत्पादित शीरे का निर्धारित अधिकतम विक्रय मूल्य 7.20 रु० से लेकर 12.00 रु० प्रति 100 किलोग्राम है, जो ग्रेड पर निर्भर करता है। संगत तकनीकी आर्थिक बातों को देखते हुए समय-समय पर इन मूल्यों की पुनरीक्षा की जाती है। फिर भी चूंकि शीरा एक उप-उत्पाद है, इसलिए चीनी उद्योग की अर्थव्यवस्था पर इसके मूल्य का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय जांच ब्यूरो में प्रतिनियुक्ति पर पुलिस अधिकारी

1124. **श्री राम लखन सिंह यादव : क्या प्रधान मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत से पुलिस अधिकारी प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त होने के बाद भी केन्द्रीय जांच ब्यूरो में कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अधिकारी कितने हैं और उनके कार्य करते रहने के क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसे अधिकारियों को उनके मूल विभागों में वापस भेजने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (ग) जी हां। केन्द्रीय जांच ब्यूरो में 128 पुलिस कर्मी (2 पुलिस अधीक्षक, 9 पुलिस उप-अधीक्षक, एक इन्स्पैक्टर, 2 हैडकांस्टेबल, 114 कांस्टेबल) संगत भर्ती नियमावली के अधीन यथानिर्धारित प्रतिनियुक्ति की सामान्य अवधि के समाप्त होने के बाद भी कार्य कर रहे हैं। ये अधिकारी केन्द्रीय जांच ब्यूरो में लोक हित में तथा उपयुक्त प्रतिस्थापकों की कमी के कारण रोके गए है। उपयुक्त एवजी की खोज के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं किन्तु जब तक वे उपलब्ध नहीं होते हैं तब तक प्रतिनियुक्ति पर आए ऐसे व्यक्तियों को वापस भेजना हमेशा सम्भव नहीं होता। इसलिए सामान्य अवधि के बाद और आगे समय वृद्धि की मांग की गई है।

[अनुवाद]

गढ़वाल उत्तर प्रदेश में टी०वी० रिले केन्द्र/टावर

1125. **श्री भुवन चन्द्र खंडूरी : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री 11 मई, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8244 के संदर्भ में दिए गए उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के गढ़वाल डिवीजन में पिछले तीन वर्षों के दौरान किन-किन स्थानों पर टी०वी० रिले केन्द्र/टावर स्थापित किए गए तथा वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान किन-किन स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे;

(ख) इसके लिए कितना परिव्यय निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश के पौड़ी गढ़वाल जिले के खेड़ाखाल नामक स्थान में एक टी०वी० ट्रांसमीटर स्थापित करने की भी योजना है; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक स्थापित किया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के गढ़वाल मण्डल में भटियारी और उत्तरकाशी में एक-एक अर्थात् कुल 2 अति अल्प शक्ति टी०वी० ट्रांसमीटर, न्यू टिहरी और श्रीनगर में एक-एक अर्थात् कुल 2 टी०वी० ट्रांसपोजर स्थापित किए गए हैं। चालू वित्त वर्ष (1991-92) के दौरान इस मण्डल में मसूरी में एक और टी०वी० ट्रांसपोजर सेवा के लिए चालू किए जाने का लक्ष्य है। इस क्षेत्र में

दूरदर्शन सेवा का आगे और विस्तार करना इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(ख) मसूरी में टी०वी० ट्रांसपोजर की स्थापना के लिए अनुमोदित पूंजी लागत 30.85 लाख रुपये है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

आन्ध्र प्रदेश में दूरदर्शन प्रसारण क्षेत्र

1126. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में जिला-वार कितने प्रतिशत लोग दूरदर्शन प्रसारण से लाभान्वित होते हैं;

(ख) आन्ध्र प्रदेश में किन-किन स्थानों पर टी०वी० ट्रांसमीटर स्थापित किए गए हैं और किये जाने हैं तथा उनकी क्षमता कितनी-कितनी है/होगी;

(ग) क्या कम क्षमता के कोई ट्रांसमीटर बदले गए हैं अथवा बदलने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) अपेक्षित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) इस समय आन्ध्र प्रदेश में हैदराबाद, विजयवाड़ा तथा विशाखा पत्तनम में एक-एक अर्थात् कुल तीन उच्च शक्ति (10 किलोवाट) टी०वी० ट्रांसमीटर, अनन्तपुर में एक उच्च शक्ति (1 किलोवाट) ट्रांसमीटर, आदिलाबाद, अडोनी, अमलापुरम, भद्राचलम, कुडप्पा, काकीनाडा, करीमनगर, खम्मम, कुरनूल, महबूब नगर, नेल्लोर, ओंगोले, निजामाबाद, प्रोद्दुत्तूर, राजामुंद्री, रामागुंडम, श्रीकाकुलम, तिरुपति, वारंगल, नालगोंडा, कोठागुडम, भीमाडोलू, चित्तूर, नान्दयाल और गूटाकल में एक-एक अर्थात् कुल 25 अल्पशक्ति (100 वाट) ट्रांसमीटर तथा विशाखापत्तनम और विजयवाड़ा में एक-एक अर्थात् कुल दो ट्रांसपोंजर (10×2 वाट) कार्य कर रहे हैं। यद्यपि 1984 में विशाखापत्तनम तथा अनन्तपुर में स्थापित अल्पशक्ति (100 वाट) टी०वी० ट्रांसमीटरों के स्थान पर क्रमशः 10 किलोवाट तथा 1 किलोवाट के ट्रांसमीटर लगा दिए गए हैं तथापि अनन्तपुर में 1 किलोवाट ट्रांसमीटर की शक्ति बढ़ाकर 10 किलोवाट करने तथा तिरुपति में अल्पशक्ति 100 वाट ट्रांसमीटर को 10 किलोवाट ट्रांसमीटर से बदलने की योजनाओं पर कार्य चल रहा है। इसके अलावा, आन्ध्र प्रदेश में छिंदुपुर, जगतियाल, भीमवराम में एक-एक अर्थात् कुल तीन अल्प शक्ति (300 वाट) टी०वी० ट्रांसमीटर तथा कुप्पम में 100 वाट का अल्प शक्ति ट्रांसमीटर स्थापित करने का भी कार्यक्रम है।

विवरण

आंध्र प्रदेश में जिलावार जनसंख्या की दृष्टि से दूरदर्शन कवरेज

	जिला	कवर की गई जनसंख्या का अनुमानित प्रतिशत
1.	श्रीकाकुलम	48
2.	विजयनगरम	95
3.	विशाखापत्तनम	99
4.	पूर्व गोदावरी	78
5.	पश्चिम गोदावरी	99
6.	कृष्णा	99
7.	गूंटूर	98
8.	प्रकाशम	27
9.	नेल्लोर	46
10.	चित्तूर	66
11.	गुडप्पा	34
12.	अनन्तपुर	31
13.	कुरनूल	29
14.	महबूब नगर	56
15.	रंगारेड्डी	99
16.	हैदराबाद	99
17.	मेडक	99
18.	निजामाबाद	61
19.	आदिलाबाद	28
20.	करीम नगर	38
21.	वारंगल	45
22.	खम्मम	57
23.	नालगोंडा	99

उपर्युक्त आंकड़े स्थानीय भूभागीय स्थितियों के अधीन हैं और इनमें किनारे के क्षेत्रों की जनसंख्या कवरेज भी शामिल हैं जहां अभिग्रहण के लिए ऊंचे हाइ गेन एंटीना/बूस्टरों आदि की अपेक्षा होती है ।

कम्प्यूटर संचार नेटवर्क प्रणाली

1127. डा० पी० वल्लल पेरूमान : क्या योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रव्यापी कम्प्यूटर संचार प्रणाली कब तक पूरी हो जायेगी;

(ख) भू-स्थित स्टेशनों और कम्प्यूटरों की सभी जिलों में स्थापना कब तक हो जायेगी;

(ग) क्या तमिलनाडु में "फ्लड रिलीफ मैनेजमेंट सिस्टम" (बाद राहत नियंत्रण प्रणाली) (एफ०आर०एम०एस०) की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ध) क्या "प्राकृतिक आपदा राहत प्रणाली" विकसित की जा रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज) : (क) योजना आयोग के अधीन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा एन० आई० सी० एन० ई० टी० (निकनेट) नामक राष्ट्रव्यापी कम्प्यूटर संचार प्रणाली को पहले ही जिला स्तर तक पूरा कर लिया गया है।

(ख) देश के 450 जिलों में पहले ही उपग्रह भूमि स्टेशनों और कम्प्यूटरों की स्थापना की जा चुकी है।

(ग) जी हां, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र ने 1989 में तमिलनाडु के जिलों में सूखा राहत नियंत्रण प्रणाली से संबद्ध प्रायोगिक आधार पर एक प्रयोग किया था। 1992-93 तक एक नियमित सूखा एवं बाढ़ राहत प्रबंध प्रणाली को कार्यान्वित किये जाने का प्रस्ताव है।

(घ) जी हां, एन० आई० सी० एन० ई० टी० से संबद्ध राहत नियंत्रण के राष्ट्रीय स्तर के समन्वय के लिए भुवनेश्वर में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के क्षेत्रीय केन्द्र में एक प्राकृतिक आपदा राहत नियंत्रण प्रणाली (एन० सी० एम० आर० एस०) यूनिट की स्थापना की जा चुकी है। ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

(i) एन० आई० सी० एन० ई० टी० का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन० आई० सी०) द्वारा प्राकृतिक आपदा राहत नियंत्रण प्रणाली (एन० सी० आर० एम० एस०) की स्थापना की जा रही है।

(ii) मूल साफ्टवेयर, जिस पर एन० आई० सी० एन० ई० टी० से संबंधित एन० सी० आर० एम० एस० का विकास किया जा रहा है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन० आई० सी०) द्वारा विकसित डिस्ट्रीब्यूटिड डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम (डी० डी० बी० एम० एस०) का उपयोग करता है।

(iii) राहत के प्रबंध के लिए एन० सी० आर० एम० एस० का प्रयोग न केवल सूखा तथा नियमित बाढ़ जैसे धीमी गति के प्रारम्भिक जोखिमों बल्कि क्षणिक बाढ़ जैसे तीव्र गति के प्रारम्भिक जोखिमों के लिए भी किया जा सकता है।

(iv) जोखिम पूर्व और जोखिम के दौरान तथा जोखिम के बाद के लिए एन० सी० आर० एम० एस० का प्रयोग किया जा सकता है।

[हिन्दी]

बिहार में फल और सब्जी पर आधारित उद्योग

1128. **श्री छेदी पासवान :**
श्री राम लखन सिंह यादव :
मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार में नारियल, अनानास, केला, आम, लीची और टमाटर पर प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या रेखा और योजनाएं क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो फल और सब्जी पर आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए विगत क्या कार्यवाही की गई और बिहार में चालू योजनाओं के नाम क्या हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का फलों और सब्जियों के प्रसंस्करण के लिये किसी संयंत्र की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है बल्कि इसकी नीति राज्य सरकार के उपक्रमों को उनके द्वारा स्वयं अथवा संयुक्त/सहायित सैक्टर में ऐसे संयंत्र स्थापित करने में मदद देना है ।

(ग) भारत सरकार के उपक्रम मै० माडर्न फूड इण्डस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड ने फल-प्रसंस्करण के लिये भागलपुर में एक संयंत्र की स्थापना की है । भारत सरकार ने इक्विटी और ऋण के रूप में बिहार फल एवं सब्जी विकास निगम को भी सहायता दी है जिसने हाजीपुर में एक फल प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया है ।

उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

1129. **श्री राम सागर :** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए सरकार द्वारा कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का उत्तर प्रदेश में उपलब्ध विभिन्न कृषि उत्पादों को उपयोग में लाने के लिए वहां ऐसे उद्योग स्थापित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया है ।

(ख) और (ग) भारत सरकार की नीति राज्य सरकार के उपक्रमों को उनके द्वारा स्वयं अथवा संयुक्त/सहायित सैक्टर में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने में मदद देना है । वर्ष 1990-91 के दौरान खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्रों और सामुदायिक डिब्बाबंदी केन्द्रों के उन्नयन और प्रशिक्षण एवं निरीक्षण कार्यक्रमों के लिए राज्य सरकार द्वारा 15.20 लाख रुपये की सहायता दी गई । उत्तर प्रदेश पशुधन विकास निगम लिमिटेड को भी वर्ष 1990-91 के दौरान निगम के अलीगढ़ संयंत्र में सूअर मांस प्रसंस्करण को विकसित करने के लिए 63 लाख रुपये की सहायता दी गई थी ।

समारोहों के लिए संवाददाताओं का चयन

1130. **श्री अरविन्द नेताम :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रैस सूचना ब्यूरो द्वारा अंग्रेजी समाचार पत्रों के संवाददाताओं की तुलना में भाषाई समाचार पत्रों के संवाददाताओं के साथ भेदभाव किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि नहीं, तो विभिन्न कार्यक्रमों/समारोहों के लिए संवाददाताओं का चयन करने में इस कार्यालय द्वारा क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं; और

(घ) गत डेढ़ वर्ष के दौरान किन-किन भाषाई समाचार पत्रों के संवाददाताओं को आमंत्रित किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) उप स्थिति को छोड़कर, जब पत्रकारों के लिए आबंटित सीटें सीमित हों पत्र सूचना कार्यालय समारोहों को कवर करने के लिए सभी प्रत्यायित संवाददाताओं को सामान्य रूप से आमंत्रित करता है।

(घ) हाल ही में राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोहों में आमंत्रित संवाददाताओं के नामों की सूची को छोड़कर, पत्र सूचना कार्यालय में अन्य समारोहों में आमंत्रित संवाददाताओं के नामों की सूची नहीं रखी जाती। पत्र सूचना कार्यालय की सूची विवरण के रूप में संलग्न है जिसमें हाल ही में राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोहों में आमंत्रित संवाददाताओं के नाम दिए गए हैं।

विवरण

उन भाषायी संवाददाताओं के नामों की सूची जिन्हें दिनांक 21-6-91 को राष्ट्रपति भवन में प्रधान मंत्री तथा मंत्री परिषद के अन्य सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह के लिए प्रवेश-पत्र जारी किए गए थे।

	संवाददाता	संगठन
	1	2
	प्रत्यायित	
क्रम संख्या	**नाम**	
1.	श्री मनजीत सिंह	आज
2.	श्री कुमार आनन्द	जनसत्ता
3.	श्री आर० एम० दानी	तरुण भारत
4.	श्री आर० के० शर्मा	स्वदेश
5.	श्री असीम कुमार नाथ	आजकल
6.	श्री सुमन चटोपाध्याय	आनन्द बाजार पत्रिका
7.	श्री जगन्नाथ शास्त्री	दैनिक भास्कर
8.	श्री राजीव पांडे	यूनीवार्ता
9.	श्री आर० राजगोपालन	दिनमणि
10.	श्री विश्वबंधु गुप्त	तेज
11.	श्री एन० अशोकन	मातृभूमि
12.	श्री एम० प्रभाकर वर्मा	देशाभिमानी
13.	श्री एन० विजय मोहन	मलयाला मनोरमा
14.	श्री वी० पी० नायक	सकाल
15.	श्री राम शरण जोशी	नई दुनिया
16.	श्री शैलेन्द्र कुमार	हिन्दुस्तान (हिन्दी)

1		2
17.	श्री शमसुल इस्लाम	अकबरे [illegible]
18.	श्री टी० बी० कोल्टे	लोक सत्ता
19.	श्री राजीव रंजन नाग	नवभारत (नागपुर)
20.	श्री जयन्त घोषाल	वर्तमान
21.	श्री एम० (एम० आबिदी)	इन्क़लाब
22.	श्री जी० पी० पाण्डे	संडे मेल (हिन्दी)
23.	श्री दिलीप कुमार	संडे आब्जर्वर (हिन्दी)
24.	श्री किशोर जी० त्रिवेदी	प्रजातंत्र
25.	श्री वीरेन्द्र संघी	पी०टी०आई० भाषा
26.	श्री वी० बी० नागराजु	प्रजावाणी
27.	श्री के० सी० [illegible]	संवाद
28.	डा० वी० पी० वैदिक	पी०टी०आई० भाषा
29.	श्री पंकज शर्मा	नवभारत टाइम्स
30.	श्री आर० एस० श्रीवास्तव	दिनमान
31.	श्री वी० यादगिरि	[illegible]
	अप्रत्यायित	
1.	श्री अनिल कुलकर्णी	केसरी
2.	श्री सुशील गुप्ता	जागरण

उन भाषायी संवाददाताओं के नामों की सूची जिन्हें दिनांक 26-6-1991 को राष्ट्रपति भवन में नये मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह के लिए प्रवेश पत्र जारी किये गये थे।

संवाददाता		संगठन
1		2
	प्रत्यायित	
क्रम संख्या	नाम	
1.	श्री जगन्नाथ शास्त्री	दैनिक भास्कर
2.	श्री तानाजी कोल्टे	लोकसत्ता
3.	श्री आर० राजगोपालन	दिनमणि
4.	श्री यू० आर० आदिराजू	उदयम
5.	श्री वी० पी० नाईक	सकाल
6.	श्री डी० विजय मोहनन् नायर	मलयाला मनोरमा
7.	श्री विवेक सक्सेना	जनसत्ता
8.	श्री राजीव रंजन नाग	नवभारत
9.	श्री एस० एम० आसिफ	[illegible]
10.	श्री आर० के० शर्मा	स्वदेश
11.	श्री सी० पी० पाण्डे	संडे मेल (हिन्दी)
12.	श्री पंकज शर्मा	नवभारत टाइम्स
13.	श्री एन० अशोकन	मातृभूमि

14.	श्री वीरेन्द्र संघी	पी०टी०आई० भाषा
15.	श्री असीम कुमार नाथ	आजकल
16.	श्री विश्व बंधु गुप्त	तेज
17.	श्री के० एल० व्याम	जन्मभूमि
18.	श्री के० सी० द्विवेदी	प्रजातंत्र
19.	श्री सतीश जगरान	पी०टी०आई०-भाषा
20.	श्री आर० एम० दानी	तरुण भारती
21.	श्री के०वी०एस० राम शर्मा	कौमी आवाज
22.	श्री बंधोपाध्याय	आनन्द बाजार पत्रिका

अप्रत्यायित

1.	श्री अनिल कुलकर्णी	केसरी
2.	श्री राधाकृष्ण नारवेकर, संपादक	सकाल
3.	श्री उत्तम काम्बले, समाचार संपादन	सकाल
4.	श्री सुनील गुप्ता	जागरण, दिल्ली

उन प्रत्यायित संवाददाताओं कैमरामैनों की सूची जिन्हें दिनांक 6-7-1991 को राष्ट्रपति भवन में भारत रत्न सम्मान समारोह के लिए प्रवेश पत्र जारी किए गए थे ।

1.	श्री राजीव रंजन नाग	नवभारत
2.	श्री बी० जी० नाईक	[illegible]
3.	श्री जे० पी० अवस्थी	यूनीवार्ता
4.	श्री आर० प्रसन्नन	मलयाला मनोरमा
5.	श्री वीरेन्द्र संघी	पी०टी०आई० भाषा
6.	श्री शैलेन चटर्जी	केसरी
7.	श्री आर० राजगोपालन	दिनमणि
8.	श्री विश्वबंधु गुप्त	तेज
9.	श्री एस० एम० आसिफ	इन दिनों
10.	श्री जगन्नाथ शास्त्री	दैनिक भास्कर
11.	श्री सुमन चट्टोपाध्याय	आनन्द बाजार पत्रिका
12.	श्री विवेक सक्सेना	जनसत्ता
13.	श्री शंकर शर्मा	नवभारत टाइम्स
14.	श्री असीम कुमार नाथ	आजकल
15.	श्री राजकुमार शर्मा	स्वदेश
16.	श्री आर० एम० दानी	तरुण भारत
17.	श्री नरेश कुमार सिंह	यूनीवार्ता
18.	श्री [illegible]	[illegible]
19.	श्री आर० रंगराजन	आंध्र ज्योति
20.	श्री मंजीत सिंह	आज, कानपुर
21.	श्री कुलदीप कपूर	प्रयाग राज टाइम्स

उन भाषायी संवाददाताओं के नामों की सूची जिन्हें दिनांक 12-7-1991 को राष्ट्रपति भवन में भारत रत्न सम्मान समारोह के लिए प्रवेश पत्र जारी किए गये थे ।

1.	श्री आर० राजगोपालन	दिनमणि
2.	श्री सतीश जुगरान	पी०टी०आई० (भाषा)
3.	श्री जगन्नाथ शास्त्री	दैनिक भास्कर
4.	श्री एस० एम० आसिफ	जदीद इन दिनों
5.	श्री वी० पी० नाईक	सकाल
6.	श्री राजेश शर्मा	जन्मभूमि
7.	श्री शमसूल होडा	अंजलि
8.	श्री असीम नाथ	आजकल

[अनुवाद]

नागरकोइल में दूरदर्शन केन्द्र का विस्तार

1131. **श्री एन० डेनिस** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या कन्याकुमारी जिले में नागरकोइल में स्थित दूरदर्शन केन्द्र के प्रसारण क्षेत्र का विस्तार कर और अधिक क्षेत्रों को इसके अधीन लाने के लिये कोई कदम उठाये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

चण्डीगढ़ के लिए ग्रामीण विकास समिति

1132. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य-क्षेत्र चंडीगढ़ के लिए गठित पिछली ग्रामीण विकास समिति के सदस्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गत दो वर्षों के दौरान इस समिति की कोई बैठक आयोजित की गयी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं, इसमें क्या निर्णय लिये गये और उन पर क्या कार्यवाही की गयी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ के लिए ग्रामीण विकास समिति का गठन 8 अक्तूबर, 1984 को किया गया था । समिति में इस समय 12 सरकारी सदस्य और 36 गैर-सरकारी सदस्य हैं ।

(ख) ग्रामीण विकास समिति की पिछली बैठक 28 सितम्बर, 1989 को हुई थी ।

(ग) और (घ) 28 सितम्बर, 1989 को हुई बैठक में सदस्यों द्वारा रखी गई गांवों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई थी। 7-1-91 को हुई बैठक में चंडीगढ़ प्रशासन के वित्त सचिव द्वारा इस बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कारंवाई की समीक्षा की गई।

पेप्सी कोला इन्टरनेशनल और पेप्सी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच समझौता

1133. **श्री रवि राय :** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेप्सी कोला इन्टरनेशनल के उपाध्यक्ष और पेप्सी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) पेप्सी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पेप्सी कोला इन्टरनशनल के उपाध्यक्ष (वर्ल्ड ट्रेड) और पेप्सी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध-निदेशक के बीच एक करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस करार की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

1. पेप्सी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पेप्सी को वर्ल्ड ट्रेड को किए जाने वाले माल के निर्यात के लिए पेप्सी को वर्ल्ड ट्रेड ने 136 लाख डालर अग्रिम दिया है।
2. प्रत्येक लदान के बाद लदान के मूल्य को 90 प्रतिशत धनराशि अग्रिम में से समायोजित की जाएगी और बकाया 10 प्रतिशत का भुगतान पेप्सी को वर्ल्ड ट्रेड द्वारा किया जाएगा।
3. ऐसी योजना बनाई गई है कि निर्यात के द्वारा 30 अप्रैल, 1992 तक इस अग्रिम का पूरा उपयोग कर लिया जाएगा।
4. पेप्सी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तैयार किए गए माल और/अथवा इसके द्वारा तीसरी पार्टी से प्राप्त माल के निर्यात के लिए अग्रिम का उपयोग किया जाएगा।
5. पेप्सी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के पास पर्याप्त कार्यशील पूंजी बनाए रखने के लिए पेप्सी को वर्ल्ड ट्रेड समय-समय पर अग्रिम की धनराशि देती रहेगी।

भाषायी कार्यक्रमों का दूरदर्शन प्रसारण

1135. **श्री यशवंतराव पाटिल :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन भाषाओं के नाम क्या हैं जिसमें दिल्ली दूरदर्शन द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं के कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं;

(ख) क्या सरकार का दूसरे चेनल पर प्रत्येक भाषायी कार्यक्रम की प्रसारण अवधि (प्रति सप्ताह) में वृद्धि करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) क्षेत्रीय भाषों के कार्यक्रमों के प्रसारण समय में दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली असमिया, बंगला, उड़िया, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, कश्मीरी, मराठी, कन्नड़, मलयालम, तमिल और तेलुगु में कार्यक्रमों प्रसारित करता है। इसके अतिरिक्त, नेपाली, मणिपुरी, डोगरी, कोंकणी, संस्कृत, उर्दू और विभिन्न बोलियों में भी कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं।

(ख) और (ग) जी, नहीं। उपलब्ध सीमित समय को ध्यान में रखते हुए फिलहाल द्वितीय चैनल पर भाषायी कार्यक्रमों की आवृत्ति में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

बिहार की लम्बित पड़ी परियोजनाएं

1136. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित बिहार की उन योजनाओं तथा परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के लिए काफी लम्बे समय से लम्बित पड़ी हैं;

(ख) ये परियोजनाएं और योजनाएं केन्द्रीय सरकार को बिहार सरकार से किस-किस तारीख को प्राप्त हुई; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इन परियोजनाओं एवं योजनाओं को मंजूरी देने में विलम्ब के क्या कारण हैं और प्रत्येक परियोजना तथा योजना को कब तक मंजूरी मिलने की सम्भावना है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) से (ग) बिहार में औद्योगिक लाइसेंसों के लिए और विभिन्न उत्पादों के निर्माण के लिए परियोजनाओं हेतु समय-समय पर आवेदन प्राप्त होते हैं, इन आवेदनों की जांच की जाती है और वर्तमान नीतियों के अनुसार सतत् प्रक्रिया के भाग के रूप में, तकनीकी-आर्थिक आधार पर उन पर निर्णय लिए जाते हैं।

[अनुवाद]

घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

1137. श्री मनोरंजन भक्त :
श्री नुरूल इस्लाम :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों के नाम क्या हैं जिन्हें वर्ष 1987-88, 1988-89 और 1989-90 के दौरान घाटा हुआ है तथा प्रत्येक उपक्रम को कितना घाटा हुआ है, इनमें कितना पूंजी निवेश किया गया है और इनमें (स्थायी और नैमित्तिक) कर्मचारियों की संख्या का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से लगातार घाटे में चल रहे उपक्रमों के नाम क्या हैं और उन्हें अर्थक्षम बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा अधिगृहित सभी कम्पनियां लगातार घाटे में चल रही कम्पनियों की सूची में अभी भी शामिल हैं; और

(घ) रुपए के अवमूल्यन के पश्चात् बदली हुई परिस्थितियों में लगातार घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में यदि कोई कार्यवाही की जानी है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) विवरण-1 संलग्न है।

(ख) और (घ) लम्बे समय से घाटा उठाने वाले सरकारी उद्यमों के नाम संलग्न विवरण-2 में दिए गए हैं। सरकारी उद्यमों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है तथा कार्य-निष्पादन में सुधार हेतु संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग तथा उद्यम द्वारा उद्यम-विशेष की आवश्यकता के अनुसार कार्यवाही की जाती है। इस उद्देश्य से किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण उपायों में वित्तीय, प्रबन्धकीय एवं संगठनात्मक पुनर्गठन; प्रौद्योगिकी उन्नयन; उर्जा संरक्षण; आधुनिकीकरण एवं पुनर्स्थापन, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर आदि शामिल हैं। सरकार ने लम्बे समय से रुग्ण चले आ रहे उन सरकारी उद्यमों को औद्योगिक एवं वित्त पुनर्गठन बोर्ड (बी०आई०एफ०आर०) अथवा इस उद्देश्य से गठित अन्य ऐसी ही उच्च स्तरीय संस्थाओं को सौंपने की घोषणा की है जिनका उद्धार संभव नहीं प्रतीत होता।

(ग) जी नहीं। ऊपर लिखित सूची में 46 अधिगृहीत सरकारी उद्यमों में से 26 को ही शामिल किया गया है।

विवरण-I

वर्ष 1987-88 में घाटा उठाने वाले सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की एक सूची

(लाख रुपयों में)

क्रम संख्या	सरकारी क्षेत्र के उद्यम का नाम	निवल हानि	पूंजी निवेश	कर्मचारियों की कुल संख्या
1	2	3	4	5
1.	एयर इंडिया	4341	86667	17682
2.	भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम	198	1197	573
3.	आसाम अशोक होटल कारपो० लि०	[illegible]	184	91
4.	बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मा० लि०	771	3325	1850
5.	बंगाल इम्युनिटी लिमिटेड	508	1872	1828
6.	भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्वस् लिमिटेड	269	905	862
7.	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	11201	177563	173034
8.	भारत लेदर कारपोरेशन लिमिटेड	68	515	283
9.	भारत आपथालमिक ग्लास लि०	683	2657	598
10.	भारत प्रोसेस एण्ड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड	318	1675	1316
11.	भारत पम्पस एण्ड कम्प्रैसर्स लि०	873	4717	1973

1	2	3	4	5
12.	भारत रीफ्रेक्टोरिज लिमिटेड	475	7958	3227
13.	बोको लारी लिमिटेड	704	2191	1394
14.	ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी लिमिटेड	892	3444	5804
15.	ब्रेथवेट, बर्न एण्ड जेसप० कंस्ट्रक्शन लि०	94	1098	442
16.	बर्न स्टेन्डर्ड कंपनी लिमिटेड	1192	12595	16040
17.	कानपुर टेक्सटाइल लिमिटेड	384	409	3060
18.	भारतीय सीमेंट निगम लिमिटेड	4597	53041	6699
19.	सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	9043	90637	104444
20.	केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड	1311	9366	4338
21.	कोल इंडिया लिमिटेड	137	0	7050
22.	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	2586	14726	2689
23.	भारतीय रूई निगम लिमिटेड	306	10063	1160
24.	भारतीय साइकिल निगम लिमिटेड	1269	3774	3973
25.	दिल्ली परिवहन निगम	7888	27028	38326
26.	इस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	4874	174449	186232
27.	एल्गिन मिल्स कंपनी लिमिटेड	2179	5739	11005
28.	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि०	3439	15267	840
29.	एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	386	600	469
30.	भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड	4267	98989	12062
31.	भारतीय खाद्य निगम	537	203367	70210
32.	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लि०	97	13904	10427
33.	भारतीय गैस प्राधिकरण लि०	7302	130368	801
34.	गोवा शिपयार्ड लि०	118	1284	2238
35.	हैवी इंजीनियरिंग कारपो० लि०	2173	56871	19759
36.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपो० लि०	10484	124503	11021
37.	हिन्दुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लि०	35	3780	211
38.	हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लि०	175	12825	2504
39.	हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि०	3890	60470	3366
40.	हिन्दुस्तान प्रीफेब लि०	55	1042	1433
41.	हिन्दुस्तान साल्ट्स लि०	45	291	918
42.	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि०	3657	16253	7469
43.	हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्र० लि०	1210	13122	21498
44.	एच०एम०टी० बियरिंग्स लि०	345	1041	1057
45.	हुगली डाक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लि०	110	1841	2205
46.	हुगली प्रिंटिंग कम्पनी लि०	16	34	136

1	2	3	4	5
47.	भारतीय होटल निगम लि०	475	8300	4127
48.	इस्को उज्जैन पाइप एण्ड फाउंडरी कंपनी लि०	106	367	599
49.	इंडिया फायर ब्रिक्स एण्ड इंस्युलेशन कंपनी लि०	224	1529	1280
50.	इंडिया ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि०	3022	24606	12758
51.	इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी लि०	11575	67677	38921
52.	इंडियन रेअर अर्थ्स लि०	1973	12379	3732
53.	भारतीय सड़क निर्माण निगम लि०	1583	4605	1140
54.	इण्डो होक्को होटल लि०	14	221	34
55.	जेसप एंड कम्पनी लि०	79	6445	8769
56.	भारतीय पटसन निगम लि०	672	4943	2750
57.	कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लि०	2725	88314	2011
58.	लगन जूट मशीनरी कंपनी लि०	85	62	573
59.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लि०	2605	1665	1363
60.	महाराष्ट्र एंटीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि०	75	324	204
61.	मण्डया नेशनल पेपर मिल्स लि०	605	3872	1132
62.	मझगांव डाक लि०	3487	36805	13928
63.	माइका ट्रेडिंग कारपो० आफ इंडिया लि०	147	1194	1385
64.	माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपो० लि०	622	5222	7581
65.	नागालैण्ड पल्प एण्ड पेपर कम्पनी लि०	2058	11203	1320
66.	नेशनल एल्युमिनियम कम्पनी लि०	5092	251664	4518
67.	भारतीय राष्ट्रीय बाइसाइकिल निगम लि०	658	2036	1549
68.	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि०	1276	13354	2987
69.	नेशनल इन्स्ट्रूमैन्ट्स लि०	444	2775	1242
70.	नेशनल जूट मैन्यु० कारपो० लि०	4464	28168	32570
71.	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि०	1784	19018	7018
72.	राष्ट्रीय बीज निगम लि०	440	1761	2427
73.	उत्तर-पूर्वी हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लि०	35	401	170
74.	नार्थ इस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कारपो० लि०	354	33798	2849
75.	उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लि०	33	500	70
76.	नार्दन कोलफील्ड्स लि०	323	114849	11621
77.	नेटेका (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल एवं माहे) लि०	2264	15359	20757
78.	नेटेका (दिल्ली, पंजाब एवं राजस्थान) लि०	620	9458	10931
79.	नेटेका (गुजरात) लि०	3103	12233	16818
80.	नेटेका (मध्य प्रदेश) लि०	2146	16267	13157
81.	नेटेका (महाराष्ट्र नार्थ) लि०	3243	19114	17718

1	2	3	4	5
82.	नेटेका (महाराष्ट्र साउथ) लि०	2619	21033	19460
83.	नेटेका (तमिलनाडु एवं पांडिचेरी) लि०	597	6911	14939
84.	नेटेका (उत्तर प्रदेश) लि०	3087	16888	18688
85.	नेटेका (पश्चिम बंगाल, असम, बिहार एवं उड़ीसा) लि०	2816	24443	19318
86.	पाराद्वीप फास्फेट्स लि०	2034	41828	619
87.	पवनहंस लि०	669	11376	486
88.	प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लि०	518	3696	3346
89.	उद्योग पुनर्स्थापन निगम लि०	1052	4058	2585
90.	रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लि०	858	3974	3559
91.	सांभर साल्ट्स लि०	21	250	1141
92.	स्कूटर्स इंडिया लि०	2712	7457	3256
93.	सेमी-कंडक्टर काम्पलेक्स लि०	10	5391	745
94.	स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट एंड फार्मास्युटिकल्स लि०	221	831	1043
95.	सदर्न पेस्टीसाइड्स कारपो० लि०	184	927	181
96.	स्पंज आयरन इंडिया लि०	128	2552	480
97.	टेनरी एंड फुटवीयर कारपो० आफ इंडिया लि०	1069	5207	2203
98.	भारतीय चाय व्यापार निगम लि०	103	1898	5002
99.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि०	410	2161	2047
100.	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि०	4	1220	1477
101.	भारतीय टायर निगम लि०	944	3268	4053
102.	यू०पी० ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स कं० लि०	27	81	359
103.	वायुदूत	362	4109	1031
104.	वेबर्ड (इंडिया) लि०	97	280	445

वर्ष 1988-89 में घाटा उठाने वाले सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की एक झलक

(लाख रुपयों में)

क्रम सं०	सरकारी क्षेत्र के उद्यम का नाम	निवल हानि	पूंजी निवेश	कर्मचारियों की कुल संख्या
1	2	3	4	5
1.	आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैन्यु० कारपो० ऑफ इंडिया	193	1261	572
2.	असम अशोक होटल कारपो० लि०	5	185	91
3.	बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि०	705	3837	1791
4.	बंगाल इम्युनिटी लि०	740	2412	1742

1	2	3	4	5
5.	भारत ब्रेक्स एंड वाल्व्स लि०	211	1092	838
6.	भारत कोकिंग कोल लि०	519	185350	169806
7.	भारत गोल्ड माइन्स लि०	1242	8824	11026
8.	भारत लेदर कारपो० लि०	51	564	273
9.	भारत ऑप्थैल्मिक ग्लास लि०	720	2957	593
10.	भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजी० लि०	679	1921	1303
11.	भारत पम्प्स एंड कंप्रेशर्स लि०	2616	5364	1960
12.	भारत रिफैक्ट्रीज लि०	862	8506	3237
13.	भारत वेगन एंड इंजी० कंपनी लि०	171	1368	2035
14.	बांको लॉरी लि०	856	2422	1396
15.	बर्ड्स, जूट एंड एक्सपोर्ट लि०	111	253	238
16.	ब्रेथवेट एंड कं० लि०	629	4139	5698
17.	ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन लि०	7	1087	1164
18.	ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लि०	180	11334	7069
19.	बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लि०	430	13089	15656
20.	कानपुर टेक्सटाइल लि०	505	720	2968
21.	भारतीय सीमेंट निगम लि०	4663	58871	6663
22.	सेन्ट्रल इलेक्ट्रानिक्स लि०	453	2647	882
23.	केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लि०	1017	11283	4228
24.	कोल इंडिया लि०	73	689	7228
25.	कोचीन शिपयार्ड लि०	2974	15483	2684
26.	भारतीय साइकिल निगम लि०	1645	4449	3872
27.	दिल्ली परिवहन निगम	9899	33959	39144
28.	एल्गिन मिल्स कंपनी लि०	3107	6789	10926
29.	इंजीनियरिंग प्रोजक्ट्स (इंडिया) लि०	3829	16835	858
30.	एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपो० ऑफ इंडिया लि०	910	5000	490
31.	भारतीय उर्वरक निगम लि०	19123	106099	11462
32.	भारतीय खाद्य निगम	839	206142	69984
33.	भारतीय गैस प्राधिकरण लि०	5289	159886	828
34.	भारतीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम लि०	146	685	452
35.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपो० लि०	15638	132395	10951
36.	हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लि०	235	10373	2626
37.	हिन्दुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लि०	1039	3958	217
38.	हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि०	8624	65077	3358
39.	हिन्दुस्तान साल्ट्स लि०	54	164	1144

1	2	3	4	5
40.	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि०	4668	16429	7935
41.	हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लि०	7033	15512	21239
42.	एच०एम०टी० बियरिंग्स लि०	109	1046	1099
43.	हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लि०	287	2288	1983
44.	हुगली प्रिंटिंग कंपनी लि०	13	45	133
45.	भारतीय होटल निगम लि०	648	7931	4000
46.	इसको उज्जैन पाइप एंड फाउंडरी कं० लि०	19	362	594
47.	इंडिया फायरब्रिक्स एंड इंस्युलेशन कं० लि०	244	1594	1279
48.	इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि०	4642	27051	12432
49.	इंडियन आयरन एंड स्टील कं० लि०	11955	58215	37429
50.	इंडियन रेअर अर्थ्स लि०	726	12791	3885
51.	भारतीय सड़क निर्माण निगम लि०	4847	5602	522
52.	इण्डो होक्को होटल्स लि०	8	221	34
53.	इंटेलीजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया लि०	6	41	17
54.	जूट कारपो० ऑफ इंडिया लि०	369	4943	2976
55.	कुद्रेमुख आयरन ओर कं० लि०	1138	87815	2132
56.	महाराष्ट्र एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि०	106	353	208
57.	मण्डया नैशनल पेपर मिल्स लि०	1033	4543	1325
58.	मझगांव डॉक लि०	1669	45214	13798
59.	माइका ट्रेडिंग कारपो० ऑफ इंडिया लि०	174	1494	1390
60.	माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कारपो० लि०	1125	6583	7491
61.	माडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लि०	68	919	2520
62.	नागालैण्ड पल्प एंड पेपर कंपनी लि०	2394	11975	1309
63.	भारतीय राष्ट्रीय बाइसाइकिल निगम लि०	829	2486	1482
64.	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि०	741	8799	3639
65.	राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लि०	64	104	395
66.	नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लि०	517	3030	1252
67.	नेशनल जूट मैन्युफैक्चरर्स कारपो० लि०	5579	32579	32641
68.	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि०	2485	20109	7008
69.	राष्ट्रीय बीज निगम लि०	290	2552	2379
70.	नेपा लि०	514	7594	3997
71.	उत्तर-पूर्वी हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लि०	30	429	170
72.	उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लि०	145	500	67
73.	नेटेका (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल एवं माहे) लि०	2067	17809	18849

1	2	3	4	5
74.	नेटेका (दिल्ली, पंजाब एवं राजस्थान) लि०	1173	10113	10247
75.	नेटेका (गुजरात) लि०	3950	16300	16847
76.	नेटेका (मध्य प्रदेश) लि०	4466	18491	12616
77.	नेटेका (महाराष्ट्र नार्थ) लि०	3754	21948	17154
78.	नेटेका (महाराष्ट्र साउथ) लि०	4675	24507	17755
79.	नेटेका (तमिलनाडु एवं पांडिचेरी) लि०	953	7222	13863
80.	नेटेका (उत्तर प्रदेश) लि०	3048	20143	17283
81.	नेटेका (पश्चिम बंगाल, असम, बिहार एवं उड़ीसा) लि०	3914	26776	18353
82.	उड़ीसा ड्रग्स एंड कैमिकल्स लि०	27	195	89
83.	पवन हंस लि०	798	11376	628
84.	पांडिचेरी अशोक होटल कारपो० लि०	7	109	35
85.	प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लि०	952	5327	3312
86.	रांची अशोक बिहार होटल कारपो० लि०	8	147	64
87.	उद्योग पुनर्स्थापन निगम लि०	1453	4408	2744
88.	रिचर्डसन एण्ड क्रूडास (1972) लि०	818	4753	3355
89.	सांभर साल्ट्स लि०	28	252	1119
90.	स्कूटर्स इंडिया लि०	3721	8659	3172
91.	स्कूटर्स इंडिया (इंटरनेशनल) जी०एम०बी०एच० प० जर्मनी	1	4	1
92.	सेमी-कंडक्टर कॉम्प्लेक्स लि०	235	6098	870
93.	स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट एंड फार्मास्युटिकल्स लि०	367	1312	1026
94.	साउथ इस्टर्न कोल फील्ड्स लि०	4756	125464	103917
95.	सदर्न पेस्टीसाइड्स कारपो० लि०	153	935	205
96.	मसाला व्यापार निगम लि०	6	150	34
97.	स्पंज आयरन इंडिया लि०	15	2474	495
98.	टेनरी एंड फुटवियर कारपो० ऑफ इंडिया लि०	1404	5505	2093
99.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि०	282	2411	2033
100.	भारतीय टायर निगम लि०	991	4568	3930
101.	यू०पी० ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स कं० लि०	47	87	363
102.	उत्कल अशोक होटल निगम लि०	10	237	64
103.	वायुदूत	1036	5236	1033
104.	विग्नयन इंडस्ट्रीज लि०	46	324	361
105.	वेबर्ड (इंडिया) लि०	103	355	445
106.	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	1593	82690	80588

वर्ष 1989-90 में घाटा उठाने वाले सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की एक झलक

(लाख रुपयों में)

क्रम सं०	उद्यम का नाम	निवल हानि	पूंजी निवेश	कर्मचारियों की कुल संख्या
1	2	3	4	5
1.	एयर इण्डिया चार्टर्स लि०	1	5	46
2.	आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैन्यु० कारपो० आफ इण्डिया	166	1364	569
3.	असम अशोक होटल कारपो० लि०	5	201	89
4.	बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल लि०	841	4161	1752
5.	बंगाल इम्युनिटी लि०	587	2912	1688
6.	भारत ब्रेक्स एंड वाल्व्स लि०	226	1369	805
7.	भारत गोल्ड माइन्स लि०	3637	9837	10846
8.	भारत लेदर कारपो० लि०	82	709	259
9.	भारत ऑप्थैल्मिक ग्लास लि०	864	3270	589
10.	भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजी० लि०	692	2178	1267
11.	भारत पम्प्स एंड कंप्रेशर्स लि०	910	5642	1949
12.	भारत रिफ्रैक्टरीज लि०	1121	9493	3286
13.	बीको लॉरी लि०	238	2952	1164
14.	बर्ड्स, जूट एंड एक्सपोर्ट लि०	66	360	238
15.	ब्रेथवेट एंड कं० लि०	567	5228	5873
16.	ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लि०	1566	11961	6616
17.	ब्रुशवेयर लि०	2	3	56
18.	बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लि०	598	14890	15520
19.	कानपुर टेक्सटाईल लि०	362	1181	3006
20.	भारतीय सीमेंट निगम लि०	6288	64746	6703
21.	सेन्ट्रल इलेक्ट्रानिक्स लि०	375	2995	939
22.	केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लि०	1492	14433	4244
23.	कोचीन शिपयार्ड लि०	2771	16547	2708
24.	भारतीय साइकिल निगम लि०	3071	5779	3722
25.	दिल्ली परिवहन निगम	11985	41009	41583
26.	इलेक्ट्रानिक्स ट्रेड एंड टेक्नॉलाजी डेवलपमेंट कारपो० लि०	538	1090	454
27.	एल्गिन मिल्स कंपनी लि०	3062	7839	10848
28.	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि०	10432	23377	920
29.	भारतीय उर्वरक निगम लि०	14680	116222	10981
30.	भारतीय खाद्य निगम	1141	208517	69398

1	2	3	4	5
31.	भारी इंजीनियरिंग निगम लि०	3362	43775	19082
32.	हिन्दुस्तान फर्टिलाईजर कारपो० लि०	16979	142374	10592
33.	हिन्दुस्तान फ़्लोरोकार्बन्स लि०	905	3645	233
34.	हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाईड्स लि०	161	6173	2764
35.	हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि०	5581	65315	3593
36.	हिन्दुस्तान प्रीफेब लि०	113	1359	1370
37.	हिन्दुस्तान साल्ट्स लि०	18	243	978
38.	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि०	7903	17784	7288
39.	हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्र० लि०	7299	17032	20613
40.	हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लि०	328	2203	2010
41.	हुगली प्रिंटिंग कंपनी लि०	16	94	93
42.	भारतीय होटल निगम लि०	935	9044	4085
43.	इंडियन एयरलाइन्स	1524	106316	21737
44.	इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि०	4274	28551	12256
45.	इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लि०	13808	97430	36226
46.	भारतीय सड़क निर्माण निगम लि०	3679	14419	248
47.	इंटेलीजेन्ट कम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया लि०	17	51	31
48.	मध्य प्रदेश अशोक होटल कारपो० लि०	18	225	62
49.	महाराष्ट्र एंटीबायोटिक्स एंड फार्मा० लि०	47	385	220
50.	महाराष्ट्र इलेक्ट्रोस्मेल्ट लि०	210	4714	1052
51.	मण्डया नेशनल पेपर मिल्स लि०	641	4719	1058
52.	मझगांव डॉक लि०	313	45600	13417
53.	माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कारपो० लि०	1808	7184	7333
54.	माडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लि०	50	1087	2827
55.	नागालैण्ड पल्प एंड पेपर कंपनी लि०	2333	11975	1283
56.	भारतीय राष्ट्रीय बाईसाइकिल निगम लि०	986	3060	1424
57.	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि०	329	18695	3965
58.	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि०	40	1158	284
59.	नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लि०	535	3365	1235
60.	नेशनल जूट मैन्युफैक्चरर्स कारपो० लि०	5640	37657	31618
61.	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लि०	2400	7852	5199
62.	राष्ट्रीय बीज निगम लि०	391	3189	2295
63.	नेपा लि०	388	8736	3995
64.	उत्तर-पूर्वी हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लि०	17	427	163
65.	उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लि०	145	500	67
66.	नार्दर्न कोलफील्ड्स लि०	90	185356	13933

1	2	3	4	5
67.	नेटेका (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल एवं माहे) लि०	766	19949	17510
68.	नेटेका (दिल्ली, पंजाब एवं राजस्थान) लि०	565	10784	10186
69.	नेटेका (गुजरात) लि०	2788	19119	16602
70.	नेटेका (मध्य प्रदेश) लि०	1838	19887	18739
71.	नेटेका (महाराष्ट्र नार्थ) लि०	2276	24647	16133
72.	नेटेका (साउथ महाराष्ट्र) लि०	3299	29366	17101
73.	नेटेका (उत्तर प्रदेश) लि०	2948	22516	24492
74.	नेटेका (पश्चिम बंगाल, असम, बिहार एवं उड़ीसा) लि०	2968	30257	17278
75.	उड़ीसा ड्रग्स एंड कैमिकल्स लि०	31	143	93
76.	पाराद्वीप फास्फेट लि०	3692	48938	784
77.	पांडिचेरी अशोक होटल कारपो० लि०	12	123	38
78.	भारतीय परियोजना एवं विकास निगम लि०	1908	6234	3290
79.	पायराइट्स, फास्फेट एंड कैमिकल्स लि०	125	10158	2666
80.	रांची अशोक बिहार होटल कारपो० लि०	5	170	58
81.	उद्योग पुनर्स्थापन निगम लि०	1942	4808	2691
82.	रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लि०	777	5416	3180
83.	स्कूटर्स इंडिया लि०	4289	9963	3127
84.	स्कूटर्स इंडिया (इंटरनेशनल) जी०एम०बी०एच० पश्चिम जर्मनी	1	5	6
85.	स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट एंड फार्मास्युटिकल्स लि०	425	1235	1020
86.	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	3232	154960	112701
87.	सदर्न पेस्टीसाइड्स कारपोरेशन लि०	147	1005	209
88.	मसाला व्यापार निगम लि०	4	150	33
89.	टेनरी एंड फुटवियर कारपो० ऑफ इंडिया लि०	1610	6040	2034
90.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि०	442	2735	2017
91.	भारतीय टायर निगम लि०	1195	7168	3833
92.	यू०पी० ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स कं० लि०	128	86	360
93.	उत्कल अशोक होटल कारपो० लि०	28	247	48
94.	वायुदूत	2983	7109	1767
95.	विग्नयन इंडस्ट्रीज लि०	45	325	358
96.	विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कं० लि०	588	10860	8149
97.	वेबर्ड (इंडिया) लि०	100	470	432
98.	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	3094	101758	82595

विवरण-II

दीर्घकाल से घाटा उठाने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नाम

1. बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि०
2. बंगाल इम्युनिटी लि०
3. भारत ऑप्थैल्मिक ग्लास लि०
4. भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लि०
5. भारत पम्प्स एंड कम्प्रेशर्स लि०
6. बीको लॉरी लि०
7. ब्रेथवेट एंड कंपनी लि०
8. कानपुर टैक्सटाइल लि०
9. कोचीन शिपयार्ड लि०
10. भारतीय साइकिल निगम लि०
11. एल्गिन मिल्स कंपनी लि०
12. इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि०
13. भारतीय उर्वरक निगम लि०
14. हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपो० लि०
15. हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि०
16. हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्र० लि०
17. हुगली प्रिंटिंग कंपनी लि०
18. भारतीय होटल निगम लि०
19. इंडिया फायरब्रिक्स एंड इंस्युलेशन कंपनी लि०
20. इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि०
21. इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लि०
22. भारतीय सड़क निर्माण निगम लि०
23. भारतीय पटसन निगम लि०
24. महाराष्ट्र एण्टीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि०
25. मण्डया नेशनल पेपर मिल्स लि०
26. नागालैण्ड पल्प एंड पेपर कं० लि०
27. भारतीय राष्ट्रीय बाइसाइकिल निगम लि०
28. नेशनल जूट मैन्यु० कंपनी लि०
29. नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लि०
30. उत्तर-पूर्वी हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लि०
31. नेटेका (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल एंड माहे) लि०
32. नेटेका (दिल्ली, पंजाब एंड राजस्थान) लि०
33. नेटेका (गुजरात) लि०
34. नेटेका (मध्य प्रदेश) लि०
35. नेटेका (महाराष्ट्र नार्थ) लि०
36. नेटेका (महाराष्ट्र साउथ) लि०

37. नेटेका (उत्तर प्रदेश) लि०
38. नेटेका (पश्चिम बंगाल, असम, बिहार एंड उड़ीसा) लि०
39. उद्योग पुनर्स्थापन निगम लि०
40. रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लि०
41. स्कूटर्स इंडिया लि०
42. स्कूटर्स इंडिया (इंटरनेशनल) जी० एम० बी० एच० पश्चिम जर्मनी
43. स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट एंड फार्मास्युटिकल्स लि०
44. टेनरी एंड फुटवियर कारपो० ऑफ इंडिया लि०
45. भारतीय टायर निगम लि०
46. वायुदूत
47. वेबर्ड (इंडिया) लि०

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का अर्थव्यवस्था में योगदान

1138. **श्री भाग्ये गोवर्धन :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) **क्या किसी भी सरकारी क्षेत्र** के उपक्रम का आर्थिक औचित्य अर्थव्यवस्था में उसका **योगदान होता है** और जिसका मूल्यांकन उपक्रम द्वारा अर्जित अतिरिक्त मूल्य के अनुसार किया जाता है ।

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1988-89, 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान प्रत्येक **सरकारी क्षेत्र के** उपक्रम की "प्रति कर्मचारी वर्धित मूल्य" के अनुसार प्राप्त उत्पादकता **उपलब्धियों** का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों के नाम क्या हैं जिन्हें "प्रति कर्मचारी वर्धित मूल्य" के आधार पर लाभकारी अथवा अर्थक्षम समझा जाता है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के०थुंगन) : (क) सरकारी क्षेत्र के किसी उद्यम के आर्थिक औचित्य का मूल्यांकन करने के अनेक उपायों में से, जोड़ा गया मूल्य भी एक उपाय है ।

(ख) गत तीन वर्षों अर्थात् 1989-90, 1988-89 तथा 1987-88 के दौरान उत्पादन संबंधी कार्य कलापों में लगे केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में प्रति व्यक्ति-मासिक जोड़े गये मूल्य का ब्यौरा 27-2-1991 को सभा-पटल पर रखे गये लोक उद्यम सर्वेक्षण 1989-90 के खण्ड-III में "प्रबन्ध अनुपात" शीर्ष के अन्तर्गत दिया गया है । वर्ष 1990-91 के आंकड़े फरवरी, 1992 में बजट सत्र के दौरान संसद में प्रस्तुत किये जाएंगे ।

(ग) इस सम्बन्ध में ऐसा कोई निर्धारण नहीं किया गया है ।

आयात मदों के स्थान पर देशी उत्पाद का उपयोग

1139. **श्री भाग्ये गोवर्धन :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योगों से संबंधित उन आयातित वस्तुओं की सूची क्या है जिन पर अब रुपये के अवमूल्यन को देखते हुए देशी उत्पादों का उपयोग किया जाना चाहिए;

(ख) आयात के स्थान पर देशी वस्तुओं को प्रोत्साहन देने तथा इनको प्रयोग में लाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) उन उत्पादों की सूची क्या है जो तत्काल और आगामी दो वर्षों के अन्दर अन्तर-राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) रुपये के अवमूल्यन और व्यापार प्रणाली में सुधार से आयातों को कम करने में अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। यह सभी उद्योगों पर खासतौर से इलैक्ट्रानिक्स, मोटरकारों, उपभोक्ता सामान तथा अन्य उन उद्योगों पर लागू होगी जिनमें चरणबद्ध विनिर्माणकारी कार्यक्रम चल रहे हैं और जिनमें आयात की मात्रा प्रायः अधिक मानी जाती है। इन उद्योगों के लिए सभी आयात केवल आर० ई० पी० के जरिए किए जा सकते हैं।

(ग) कुछ महत्वपूर्ण उत्पाद निम्नलिखित हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में तुरन्त और जो आगामी 2 वर्षों में अथवा लगभग इतनी अवधि में प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं :

स्टील फाइल्स सहित हस्त औजार, एच०एस०एस० कटिंग टूल्स, जनरल परपस मैटल कटिंग मशीनें, डायमंड टूल्स, मशीनिंग सैन्टर्स और स्पार्क इरोजन मशीन, इन्डस्ट्रियल फासनर्स एंड बाईट बार्स, तकनीकी ग्रेड के कुछ विशिष्ट कीटनाशी और तकनीकी ग्रेड के सभी कीटनाशियों पर आधारित डी० पी० डब्ल्यू०, डी० पी० ई० सी० और ग्रेन्यूल्स के रूप में कीटनाशी फार्मुलेशन, अल्ट्रा पेस्टिसाइड्स, अल्ट्रा हाई पावर ग्रेफाइट इलैक्ट्रोड्स, ग्रेनाइट प्रोडक्ट्स सी० ए० एफ० ज्वाइंटिंग शीट्स तथा मिल बोर्ड, बैट्री के लिए सिगेट इलैक्ट्रोड्स, कुछ प्रपुंज औषधियां व फार्मुलेशन जो अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भली प्रकार मान्य हैं, विस्फोटक, विनिर्दिष्ट कैटेलिस्ट, मिथानोल, फार्मलडिहाइड, थैलिक एनहाईड्राइड, फिनोल तथा फिनोल डिरिवेटिव्ज, सरफ्यूमरी कम्पाउन्ड्स, मैलिक एनहाईड्राइड, एसीटोन तथा एसीटोन पर आधारित रसायन, उपभोक्ता इलैक्ट्रोनिक्स डिटरजेंट्स, टायलट सोप तथा टूथ पेस्ट, धातुकर्मी मशीनों की कुछ मदें तथा बायलर उद्योग और फ्लोट ग्लास

टेनरी एण्ड फुटवीयर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड में सुधार करना

1140. **श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा टेनरी एण्ड फुटवीयर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड को अपने उद्योग में जूतों के उत्पादन में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी को अद्यतन करने की अनुमति दिये बिना आवर्ती घाटों को प्रतितुलन करने के लिए राजसहायता दी जा रही है; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या प्रबन्ध में वित्तीय और अन्य अनियमितताओं के कारण कम्पनी के घाटे में और वृद्धि हुई; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार महत्वपूर्ण क्षेत्रों जोकि मुख्य रूप से सरकारी क्षेत्र में हैं; आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में सुधार करने के लिए नए प्रयास करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (घ) चूंकि कम्पनी पर्याप्त निधियां अर्जित करने में असमर्थ है, अतः सरकार टैफको की नकद हानियों का पुनर्भुगतान कर रही है, ताकि इसके कर्मचारियों को वेतन और मजदूरी दी जा सके। सरकार ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से कम्पनी द्वारा निर्मित पुनरुद्धार पैकेज के आधार पर कम्पनी का जैव्यता अध्ययन करने को कहा था। आई० डी० बी० आई० द्वारा मई 1991 को प्रस्तुत जैव्यता अध्ययन प्रतिवेदन प्रक्रियाधीन है। प्रबन्धन में वित्तीय एवं अन्य अनियमितताओं के सम्बन्ध में कतिपय परिवादों की छानबीन केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गई और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई निर्धारित प्रक्रियानुरूप की जाएगी।

चमड़ा प्रौद्योगिकी के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं

1141. **श्री विजय नवल पाटिल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में चमड़ा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वर्तमान प्रशिक्षण सुविधाएं क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने भारतीय चमड़ा उद्योग के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए विदेशी सहायता मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं जो भारतीय चमड़ा उद्योग को प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने के लिए सहमत हुए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) चमड़ा प्रौद्योगिकी तथा चमड़ा उत्पाद प्रौद्योगिकी, अल्पावधिक विशिष्ट पाठ्यक्रम, चमड़ा/फुटवियर प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा पाठ्यक्रम और सर्टिफिकेट/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों के ब्यौरे का विवरण I से IV में संलग्न है

(ख) से (ग) चमड़ा तथा चमड़ा उत्पाद उद्योगों को सहायता हेतु कार्यक्रम के संबंध में, यू० एन० डी० पी० अम्ब्रेला परियोजना (इंड०/90/040) के अधीन, भारत में चमड़ा उद्योग में प्रशिक्षण सुविधा बढ़ाने के लिए यू० एन० डी० पी० से सहायता लेने का प्रस्ताव है।

विवरण—I

भारत में चमड़ा प्रौद्योगिकी तथा चमड़ा उत्पाद प्रौद्योगिकी के शैक्षिक और प्रशिक्षण संस्थान

क्र० सं०	संस्थान का नाम	चमड़ा उत्पाद और फुटवीयर विज्ञान तथा इंजिनियरी में विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम			
		डिग्री	भर्ती	अवधि	प्रवेश स्तर
1	2	3	4	5	6
1.	अलागप्पा प्रौद्योगिकी महाविद्यालय (अन्ना विश्वविद्यालय) गुंडी, मद्रास-25 केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, मद्रास के सहयोग से संचालित।	बी० टैक (चमड़ा प्रौद्यो०)	25	4 वर्ष	प्रथम श्रेणी में हायर सेकेंडरी कोर्स (+2) उत्तीर्ण जिसमें भाग-III के अधीन अध्ययन के चार विषयों में से गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान के रूप में तीन विषय अथवा अन्ना विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।
2.	—वही—	एम० टैक (चमड़ा तथा फुटवियर प्रौद्यो०)	5 प्रत्येक	$1\frac{1}{2}$ वर्ष	अन्ना विश्वविद्यालय का चमड़ा प्रौद्योगिकी में बी० टैक अथवा अन्ना विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य समकक्ष परीक्षा।

1	2	3	4	5	6
3.	अलागप्पा प्रौद्योगिकी महाविद्यालय (अन्ना विश्वविद्यालय) गुंडी, मद्रास-25 केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, मद्रास के सहयोग में संचालित।	फुटवियर विज्ञान तथा इंजी० में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	5		चमड़ा प्रौद्योगिकी में बी० टैक अथवा अन्ना विश्वविद्यालय के यांत्रिक इंजि० में बी० ई० अथवा अन्ना विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य समकक्ष परीक्षा।
4.	चमड़ा प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, (कलकत्ता विश्वविद्यालय)	बी० टैक (चमड़ा प्रौद्यो०)	15	4 वर्ष	हायर सेकेंडरी कोर्स उत्तीर्ण (+2)
5.	हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी संस्थान, (कानपुर विश्व-विद्यालय)	बी० टैक (चमड़ा प्रौद्यो०)	10	4 वर्ष	—वही—
6.	विशाल अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, मुजफ्फरपुर, बिहार	बी० टैक (चमड़ा प्रौद्योगिकी)	10	4 वर्ष	—वही—
7.	केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान	पी० एच० डी० (चमड़ा प्रौद्योगिकी सहित विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में)	5		चमड़ा प्रौद्योगिकी में एम० टैक/विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में एम० एस० सी०

विवरण—II

अल्पावधिक विशिष्ट पाठ्यक्रम

क्र० सं०	संस्थान/केन्द्र का नाम	पाठ्यक्रम का स्वरूप	भर्ती	अवधि
1	2	3	4	5
1.	पी० डी० टी० सी०, मद्रास	फुटवियर एम०/सी० कार्य	15	4 महीने
	—वही—	चमड़ा एम०/सी० कार्य	12	4 महीने
	—वही—	रख-रखाव मैक०	12	2 महीने
2.	एम० सी० कोठारी, 17, वेंकटापति स्ट्रीट किलपॉक मद्रास—600010	चमड़े से बने कपड़े/चमड़े का सामान (महिलाओं के लिए)	10	6 महीने

1	2	3	4	5
3.	उद्योग मंत्रालय, लघु उद्योग विकास संगठन के अधीन फुटवियर सर्विस सेंटर/विस्तार केन्द्र, विचूर रोबारो, तांगड़ा, मानिकताला इत्यादि	(क) चमड़ा प्रौद्यो० (ख) फुटवियर प्रौद्यो०	62	1 से 6 महीने
4.	लघु उद्योग विकास संगठन उद्योग मंत्रालय, मोबाइल वाहन कामगार प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	फुटवियर	90	1 से 3 महीने
5.	लघु उद्योग सेवा संस्थानों, लघु उद्योग सेवा संस्थानों की शाखाओं इत्यादि के माध्यम से उद्यमी विकास कार्यक्रम	फुटवियर तथा चमड़े का सामान	325	1 से 3 महीने

विवरण—III

चमड़ा/फुटवियर प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा पाठ्यक्रम

प्रवेश स्तर : एस०एस०एल०सी० में उत्तीर्ण

क्र०सं०	संस्थान का नाम और पता	पाठ्यक्रम का स्वरूप	भर्ती	अवधि
1	2	3	4	5
1.	राजकीय चर्म-शोधन संस्थान, जालंधर (पंजाब), नाखोदर रोड, जालंधर	(क) चमड़ा प्रौद्यो०	10	3 वर्ष
		(ख) फुटवियर प्रौद्यो०	15	2 वर्ष
2.	चमड़ा प्रौद्योगिकी संस्थान, सी०आई०टी० कैम्पस, तारामणी पी०ओ० मद्रास-600013	चमड़ा प्रौद्यो०	30	$3\frac{1}{2}$ वर्ष
3.	चमड़ा प्रौद्योगिकी संस्थान, निकट दुर्गा हुसैन शवाली, गोलकोंडा पोस्ट, हैदराबाद-8	—वही—	20	$3\frac{1}{2}$ वर्ष
4.	कर्नाटक चमड़ा प्रौद्योगिकी संस्थान मैसूर रोड, बंगलौर-26	(क) चमड़ा प्रौद्यो०	10	$3\frac{1}{2}$ वर्ष
		(ख) फुटवियर प्रौद्यो०	10	$3\frac{1}{2}$ वर्ष
		(ग) चमड़े का सामान	10	$3\frac{1}{2}$ वर्ष

1	2	3	4	5
5.	राजकीय चमड़ा संस्थान, नुन्है, आगरा-6	(क) चमड़ा प्रौद्यो०	10	3 वर्ष
		(ख) फुटवियर तथा चमड़े का सामान	20	2 वर्ष
6.	राजकीय चमड़ा संस्थान, प्रवती बगला रोड, सौतर गंज, कानपुर-1	(क) चमड़ा प्रौद्यो०	10	3 वर्ष
		(ख) फुटवियर तथा चमड़े का सामान	10	2 वर्ष
7.	राजकीय चमड़ा प्रौद्यो० संस्थान; बांद्रा पूर्व, बंबई-51	(क) चमड़ा प्रौद्यो०	10	3 वर्ष
		(ख) फुटवियर प्रौद्यो०	5	2 वर्ष
		(ग) चमड़े का सामान	5	3 वर्ष
8.	गव० पालिटेकनिक फार लेदर टैक० रोयागाडा, कोरापुर जिला, उड़ीसा-765001	चमड़ा प्रौद्यो०	10	3 वर्ष

विवरण—IV

पूरे भारत में विभिन्न संस्थानों द्वारा संचालित सर्टिफिकेट/व्यावसायिक पाठ्यक्रम

प्रवेश स्तर : प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षिक-योग्यता इन्टर/मैट्रिक/8वीं पास है।

क्र० सं०	संस्थान का नाम और पता	पाठ्यक्रम का स्वरूप	भर्ती	अवधि
1	2	3	4	5
1.	राजकीय चर्म-शोधन संस्थान, नकोदर रोड, जालंधर (पंजाब)	चमड़े पर आधारित खेल का सामान	20	1 वर्ष
2.	चमड़ा प्रौद्यो० संस्थान; मद्रास-600013	चर्म-शोधन कार्यों में कामगार पाठ्यक्रम	10	1 वर्ष
3.	चमड़ा कार्य विद्यालय दयालबाग, आगरा-5	फुटवियर तथा चमड़े का सामान	10	2 वर्ष
4.	राजकीय चमड़ा प्रौद्यो० संस्थान, बम्बई	(क) चमड़े का सामान (ख) फुटवियर	5	2 वर्ष
5.	शांतिनिकेतन लेदर-गुड्स ट्रेनिंग सेंटर, शांतिनिकेतन, पश्चिम बंगाल	चमड़े का सामान	25	2 वर्ष

1	2	3	4	5
6.	राजकीय चमड़ा विद्यालय, फतेहपुर	चमड़े का सामान	10	1 वर्ष
7.	केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, अदयार, मद्रास	चमड़े का सामान	15	1 वर्ष
8.	इस्लामिया कालेज, वहियामवडी, तमिलनाडु	बी० एस० सी० स्तर की चमड़ा प्रौद्यो०	20	2 वर्ष
9.	इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल, वहियामवडी, तमिलनाडु	व्यावसायिक विषय के रूप में 10+2 स्तर की चमड़ा प्रौद्यो०	20	2 वर्ष
10.	गव० हायर सेकेंडरी स्कूल, रानीपत	व्यावसायिक विषय के रूप में चमड़ा प्रौद्यो०	20	2 वर्ष
11.	केन्द्रीय फुटवियर प्रशिक्षण केन्द्र, 65/1 जी०एस०टी० रोड, गुन्डी, मद्रास-600032	(क) फुटवियर प्रौद्यो० में एडवांस कोर्स	40	1 वर्ष
		(ख) डिजाइनिंग	10	1 वर्ष
		(ग) शू अपर क्लोजिंग	30	6 महीने
		(घ) चप्पल/सैंडल बनाना	30	6 महीने
		(ङ) जूते बनाने में तलवा बनाना	16	1 वर्ष
12.	केन्द्रीय फुटवियर प्रशिक्षण केन्द्र, 429 कौशलपुरा, आगरा बाई पास रोड, आगरा-6	(क) फुटवियर प्रौद्यो० एडवांस कोर्स	30	1 वर्ष
		(ख) डिजाइनिंग कोर्स	10	1 वर्ष
		(ग) शू अपर क्लोजिंग	30	6 महीने
		(घ) तलवे बनाना	15	1 वर्ष
13.	माडल प्रशिक्षण तथा उत्पादन केन्द्र, त्रवणी का तालाब, लखनऊ	(क) चमड़ा प्रौद्यो०	10	1 वर्ष
		(ख) कारकस उपयोगिता	10	6 महीने
		(ग) फुटवियर	10	1 वर्ष
14.	कोरा ग्रामोद्योग केन्द्र, बम्बई	चमड़ा प्रौद्यो० (कारकस उपयोगिता)	10	1 वर्ष
15.	जमनालाल बजाज संस्थान, वर्धा	चमड़ा प्रौद्योगिकी	10	1 वर्ष
16.	फ्लेइंग एवं कारकस रिकवरी प्रशिक्षण केन्द्र विरुदुनगर, तमिलनाडु	पशु शव उपयोग	30	4 महीने

1	2	3	4	5
17.	प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केन्द्र, टी० कल्लूपट्टी, पी०ओ० जिला मदुराई, तमिलनाडु	(क) जूते, चप्पल। (ख) चमड़ा प्रौद्योगिकी (ग) कारकस रिकवरी	10 10 30	1 वर्ष 1 वर्ष 4 महीने
18.	प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केन्द्र गोपुरी वर्धा, (महाराष्ट्र)	(क) जूते, चप्पल। (ख) चमड़ा प्रौद्योगिकी (ग) फ्लेइंग	10 10 30	1 वर्ष 1 वर्ष 4 महीने
19.	प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केन्द्र श्रीनिकेतन पी०ओ० जिला बीरभूम, पश्चिम बंगाल।	जूते, चप्पल तथा चमड़े का सामान	10	10 महीने
20.	प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केन्द्र, वाराणसी	चमड़ा प्रौद्योगिकी	10	1 वर्ष
21.	चर्म शिल्प, 19/1 गराईहाट रोड धकुरिया, कलकत्ता।	जूते, चप्पल तथा चमड़े के सामान की प्रौद्योगिकी में दूकानदारी	10	6 महीने
22.	चर्मालय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, अथनी जिला बेलगांव कर्नाटक।	जूते, चप्पल	10	1 वर्ष
23.	मध्य प्रदेश खादी एवं ग्राम्य बोर्ड, इंडस्ट्रियल एस्टेट, भारतीय विद्या भवन, चित्तौड़ काम्पलैक्स, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल के पीछे।	फ्लेइंग एवं कारकेस रिकवरी	10	4 महीने
24.	हरियाणा चर्मोद्योग संघ, बालमुकंद मंदिर, मोहल्ला पालद, अम्बाला कैंट।	चमड़े की वस्तुएं	10	1 वर्ष
25.	सुरज जिला खादी जी० संघ बरडालो, गुजरात	फ्लेइंग एवं कारकेस रिकवरी	10	4 महीने
26.	लोक सेवा समिति, सिविल लाईन्स, कानपुर	जूते, चप्पल	10	1 वर्ष
27.	बिहार खादी ग्रामोद्योग संघ कुटीर चर्मालय, सागरपुर, द्वारा सकरी जिला मधुबनी, बिहार	चमड़ा प्रौद्यो०	10	1 वर्ष

1	2	3	4	5
28.	चर्मशिल्प, बिहार खादी ग्रामोद्योग संघ न्यू मार्किट, लखिसराय, जिला दरभंगा, बिहार।	चमड़े की वस्तुएं	10	1 वर्ष
29.	पश्चिम बंगाल खादी केन्द्र कारकेस रिकवरी प्रशिक्षण केन्द्र चांदमड़ी, कल्याणी, पश्चिम बंगाल।	फ्लेइंग एवं कारकेस रिकवरी	10	4 महीने
30.	क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम बकबरपुर, जिला फरीदाबाद।	जूते, चप्पल	10	1 वर्ष
31.	गांधी निकेतन आश्रम, टी० कल्लुपट्टी, जिला मदुरई, तमिलनाडु।	(क) कारकेस रिकवरी	10	4 महीने
		(ख) चमड़ा प्रौद्योगिकी	20	1 वर्ष
32.	पंजाब राज्य चमड़ा विकास निगम, चंडीगढ़ (20) केन्द्र।	(क) जूते, चप्पल (पुरुषों के लिए)	400	1 वर्ष
		(ख) जूते, चप्पल (महिलाओं के लिए)	25	1 वर्ष
		(ग) यात्री बैग/चमड़े का का सामान	25	1 वर्ष
		(घ) महिलाओं के बैग/पर्स	25	1 वर्ष
		(ङ) निर्यात के लिए शू अपर्स।	25	1 वर्ष
33.	तमिलनाडु चमड़ा विकास निगम, मद्रास।	चमड़े का सामान	44	6 महीने
34.	गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल, के आई० टी० आई० में श्रम मंत्रालय की शिल्पी प्रशिक्षण योजना के तहत।	जूता, चप्पल प्रौद्यो०	112	1 वर्ष
	मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एवं चंडीगढ़।	चमड़े की वस्तुएं	192	1 वर्ष
35.	फुटवीयर डिजाइन डैवल्पमेंट इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली।	शू डिजाइनिंग	40	6 महीने

खाद्यान्नों की कम सप्लाई

1142. श्री विजय नवल पाटिल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्यान्नों की कम सप्लाई वाले क्षेत्रों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो ये क्षेत्र कौन से हैं; और

(ग) सरकार का खाद्यान्नों की कमी वाले क्षेत्रों में खाद्यान्नों की सप्लाई में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क), (ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्नों का आवंटन माह-दर-माह आधार पर किया जाता है। राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अपने-अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अन्दर इसके वितरण हेतु जिम्मेदार होते हैं तथा जिलों/क्षेत्रों के बीच परस्पर आवंटन के विषय में भी निर्णय लेते हैं। तथापि, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए की गई आपूर्ति अनुपूरक स्वरूप की होती है और इसका उद्देश्य किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सम्पूर्ण आवश्यकता को पूरा करना नहीं होता है।

टेनरी एण्ड फुटवीयर कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड की अधिष्ठापित क्षमता का कम उपयोग किया जाना

1143. श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन अथवा चार महीनों के दौरान टेनरी एण्ड फुटवीयर कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड की अधिष्ठापित क्षमता का कम उपयोग हुआ है;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप निगम प्राप्त क्रयादेशों को पूरा करने में असमर्थ है;

(ग) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने चमड़ा निर्यात को अध्ययन दल से सम्बद्ध किए बिना निगम के बारे में कोई व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस निगम में पर्याप्त सुधार लाने हेतु आगे क्या कार्यक्रम तैयार करने का विचार है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) निगम को प्राप्त क्रयादेश सामान्यतः निष्पादित किए जाते हैं।

(ग) से (ङ) भारत सरकार ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से, कम्पनी द्वारा निर्मित एक पुनरुद्धार पैकेज के आधार पर, "ट्रेफको" का व्यवहार्यता अध्ययन करने को कहा था। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने कम्पनी को "बाटा" इण्डिया लिमिटेड को पदस्पर्धी के रूप में पुनरुद्धार पैकेज के निर्माण में शामिल करने की भी सलाह दी थी। तथापि, बाटा ने उन्हें इस मामले में सहयोग देने से मना कर दिया। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा मई, 1991 में प्रस्तुत व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट प्रक्रियाधीन है।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारियों द्वारा कथित भ्रष्टाचार

1144. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :**
डा० वसन्त पवार :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो के कुछ बड़े अधिकारी हाल ही में रिश्वत लेते हुए पकड़े गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने मामले घटित हुए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) तथा (ख) जी, हां। जाल बिछाने पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो के दो अधिकारी, एक उप महानिरीक्षक तथा दूसरा पुलिस उप अधीक्षक रिश्वत लेते हुए पकड़े गये थे। दोनों अधिकारियों के विरुद्ध मामले दर्ज कर लिए गए हैं तथा जांच चल रही है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारियों के इस प्रकार के अन्य कोई मामले दर्ज नहीं किए गए हैं।

गुजरात में नये चीनी कारखानों की स्थापना करने के प्रस्ताव

1145. **श्री काशीराम राणा :** क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नये चीनी कारखानों की स्थापना हेतु गुजरात सरकार से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) प्रस्तावों को अन्तिम रूप कब तक दिये जाने की संभावना है ?

खाद्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क), (ख) व (ग) 2-1-87 को सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए लाइसेंस नीति संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के जारी होने के बाद गुजरात राज्य में नई चीनी फैक्ट्री की स्थापना हेतु 30-6-91 तक 17 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे जिनमें से 8 अभी तक लंबित हैं।

शर्करा उद्योग में लाइसेंस नीति संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की सरकार द्वारा अभी समीक्षा की जा रही है। इन आवेदन पत्रों पर उक्त समीक्षा के बाद तैयार की गई नीति के अनुसार विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

राजस्थान में चालू केन्द्रीय परियोजनाओं के लिए धन राशि

1146. **श्री गिरधारी लाल भार्गव :** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने धन की कमी के कारण चालू केन्द्रीय परियोजनाओं को पूरा करने के वरीयता-क्रम में परिवर्तन करने का कोई निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो राजस्थान की किन परियोजनाओं पर इस निर्णय का प्रभाव पड़ने की संभावना है ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज) : (क) जी नहीं, योजना आयोग ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

हिमाचल प्रदेश के डांडला घाट में सीमेंट कारखाना

1147. **श्री मृत्युंजय नायक :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के डांडला घाट में सीमेंट कारखाना स्थापित किया जा रहा है;

(ख) क्या इस क्षेत्र में कोई पर्यावरण संबंधी सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने वहां पर कारखाना स्थापित करने हेतु केन्द्रीय सरकार से अनुमति मांगी थी और क्या केन्द्र सरकार ने स्वीकृति दे दी थी; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) मैं० गुजरात अम्बुजा सीमेंट्स लिमिटेड हिमाचल प्रदेश में दर्ला घाट, तहसील अर्की, जिला सोलन में 10 लाख मी० टन वार्षिक क्षमता का एक सीमेंट संयंत्र लगा रही है, जिसके लिए इस कंपनी को ता० 13-7-90 को एक आशय पत्र जारी किया गया था ।

(ख) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पर्यावरण प्रभाव संबंधी अध्ययनों के आधार पर संयंत्र लगाने के लिए एक "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" जारी किया है ।

(ग) और (घ) राज्य सरकार ने परियोजना के खनन कार्य के लिए भावी लाइसेंस हेतु अनुमति मांगी थी । खान विभाग, भारत सरकार ने इसके लिए अपना अनुमोदन दे दिया है ।

[अनुवाद]

अनुसंधान जहाज "सागर सम्पदा"

1148. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाड़ी युद्ध के कारण किसी भी प्रकार के प्रदूषण का पता लगाने हेतु अरब सागर में भेजे गये "सागर सम्पदा" नामक अनुसंधान जहाज ने समुद्र में किसी प्रकार के प्रदूषण होने की सूचना दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) समुद्र में यह अनुसंधान कार्य कब किया गया और इस अनुसंधान से सम्बद्ध रहे वैज्ञानिकों के नाम क्या हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) :

(क) जी नहीं श्रीमान्, इसकी जांच के लिए भेजे गये दल को प्रदूषण का कोई प्रमाण नहीं मिला ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) मत्स्य एवं समुद्र वैज्ञानिक अनुसंधान जलयान "सागर सम्पदा" ने 15 से 26 मार्च, 1991 तक समुद्री यात्रा की । वैज्ञानिक दल का नेतृत्व, डा० आर० सेन गुप्ता, उपनिदेशक, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा, ने किया एवं अन्य वैज्ञानिकों के नाम निम्नलिखित हैं ।

1. **राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, गोवा**

डा० एस० पी० फोंडेकर

डा० पी० वी० नारवेकर

डा० एं० मावकार

डा० पी० शिरोड़कर

श्री आर० अलगरसामी

डा० एस० जी० पी० माटोंडकर

डा० जेड० ए० अंसारी

श्री आर० विजय कुमार

डा० इलगर डेसा

श्री आर० जी० प्रभु देसाई

श्री० यूरिको डेसा

2. **भारतीय मौसम विज्ञान विभाग**

श्री वाई० ई० ए० राज

श्री कुलदीप बाली

3. **केन्द्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान, कोचीन**

डा० के० जे० मैथ्यू

श्री आई० आर० लियोपोल्ड

श्री आर० बालाकृष्णन

श्री के० के० सुरेश कुमार

4. **केन्द्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान, कोचीन**

श्री एम० एस० फरनांडो

आवश्यक वस्तुओं पर मुनाफे में वृद्धि करना

1149. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति करने वालों के लिए मुनाफे की कोई सीमा निर्धारित की है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने दूर दराज के आदिवासी क्षेत्रों में मुनाफा-सीमा बढ़ाने का बार-बार आग्रह किया है;

(ग) क्या सरकार का इस सीमा को बढ़ाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इसके कब तक बढ़ाये जाने की सम्भावना है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) राज्य सरकारें तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत किए गए केन्द्रीय निर्गम मूल्यों को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के चावल तथा गेहूं के वितरण के लिए मार्जिन नियत करते हैं। तथापि, केन्द्रीय सरकार ने समेकित आदिवासी विकास कार्यक्रम के क्षेत्रों में इन मदों के विक्रेताओं के लिए उपयुक्त मार्जिन का सुझाव दिया है। चीनी तथा आयातित खाद्य तेल के विक्रेताओं के लिए मार्जिन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत किया जाता है। मिट्टी के तेल के विक्रेताओं को दिया जाने वाला मार्जिन केरोसीन (फिक्सेशन आफ सीलिंग प्राइसेज) आर्डर, 1970 के उपबंधों द्वारा शासित होता है।

(ख) मध्य प्रदेश सरकार ने चीनी के वितरण के लिए मार्जिन को संशोधित करने का प्रस्ताव किया है। उन्होंने समकित आदिवासी विकास कार्यक्रम क्षेत्रों में वितरित किए जाने वाले चावल तथा गेहूं के मार्जिन में भी वृद्धि करने के लिए कहा है।

(ग) व (घ) समेकित आदिवासी विकास कार्यक्रम क्षेत्रों में चावल तथा गेहूं के वितरण पर मार्जिन बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। चीनी पर दिए जाने वाले मार्जिन में संशोधन के अनुरोध पर खाद्य मंत्रालय में विचार किया जा रहा है।

पेंशन भोगियों को महंगाई राहत

1150. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन/पेंशन के समान स्तरों पर महंगाई के निष्प्रभावन के मामले में कोई अन्तर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विद्यमान विसंगति को समाप्त करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) :

(क) और (ख) रु० 1750/- तक पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों की महंगाई का 100 प्रतिशत, रु० 1751/- से 3000/- तक पेंशन प्राप्त करने वालों की महंगाई का 75 प्रतिशत और 3000/- से अधिक पेंशन प्राप्त करने वालों की महंगाई का 65 प्रतिशत निष्प्रभावन किया जाता है। सेवारत कर्मचारियों के तदनुरूपी स्लैब क्रमश: "रु० 3500/- तक" "रु० 3501 से 6000/- तक" तथा "रु० 6000/- से अधिक" हैं। अत: पेंशनभोगियों की महंगाई राहत की उसी प्रतिशतता के आधार पर गणना की जाती है, जिस प्रतिशतता पर सेवारत कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की गणना की जाती है जिससे वे उतने ही पेंशन के हकदार होंगे। सेवारत केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों तथा केन्द्रीय सरकार के पेंशनभोगियों के लिए महंगाई निष्प्रभावन तथा महंगाई भत्ता/महंगाई राहत मंजूर करने के लिए वेतन/पेंशन के विभिन्न स्लैबों की चतुर्थ वेतन आयोग द्वारा सिफारिश की गई थी और इसे सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया था।

(ग) महंगाई भत्ता/महंगाई राहत के भुगतान की वर्तमान पद्धति में कोई विसंगति नहीं है। वर्तमान पद्धति में यह सुनिश्चित किया जाता है कि यदि भविष्य में महंगाई भत्ते के किसी अंश को महंगाई वेतन के रूप में माना जाता है तो उस स्थिति में, भावी सेवा निवृत्त व्यक्तियों की वेतन जमा महंगाई भत्ते के संदर्भ में पेंशन ठीक उन व्यक्तियों की पेंशन जमा महंगाई राहत के बराबर होगी जो महंगाई भत्ते के सम्मिलित करने से पहले उसी वेतन पर सेवानिवृत्त हुए थे।

नेहरू शताब्दी समारोह समिति द्वारा राज्यों को वित्तीय सहायता

1151. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेहरू शताब्दी समारोह समिति राज्यों में नेहरू युवक केन्द्रों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देने के लिए सहमत हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या मध्य प्रदेश सरकार ने लाल बाग पैलेस, इन्दौर में ऐसा एक केन्द्र स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा)

(क) जी नहीं।

(ख) व (ग) मध्य प्रदेश सरकार ने अगस्त, 1988 में लाल बाग पैलेस, इन्दौर में 65 लाख रुपये का भुगतान करके अधिग्रहित किए गए 72 एकड़ के काम्पलैक्स में एक नेहरू सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना करने का निर्णय लिया था। इसे एक बहुउद्देशीय संस्थान के रूप में विकसित करने के लिए राज्य सरकार ने तत्कालीन भारत की स्वतंत्रता की 40वीं वर्षगांठ तथा जवाहर लाल नेहरू शताब्दी समारोह कार्यान्वयन समिति से 65 लाख रु० की वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया था। तत्कालीन कार्यान्वयन समिति ने राज्य सरकार को सूचित किया था कि कोष पर दबाव के कारण उन के लिए इस परियोजना हेतु किसी प्रकार की वित्तीय सहायता दे पाना संभव नहीं हो सकेगा।

[हिन्दी]

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में वितरित की जाने वाली चीनी की मात्रा

1152. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में चीनी का बराबर मात्रा में वितरण किया जा रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग-अलग चीनी कितनी मात्रा में वितरित की जा रही है; और

(ग) यदि इसमें कोई असमानता है तो इसके क्या कारण हैं?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) :

(क) से (ग) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को लेवी चीनी

का आबंटन 1-10-1986 को अनुमानित जनसंख्या के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 425 ग्राम मात्रा उपलब्ध कराने के एक समान मानदण्ड के आधार पर करती है। अगस्त, 1991 से दिसम्बर, 1991 तक आबंटन में 5 प्रतिशत की तदर्थ वृद्धि का निर्णय किया गया है, जिसकी दिसम्बर, 1991 के बाद समीक्षा की जाएगी। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में चाहे वे ग्रामीण हों या शहरी हों, उपभोक्ताओं को वितरित करने के लिए लेवी चीनी का आगे आवंटन सम्बन्धित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा किया जाता है।

[अनुवाद]

राजधानी में खोया और दुग्ध उत्पादों की तस्करी

1153. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने गाजियाबाद और अन्य उप नगरों से राजधानी में खोया और अन्य दुग्ध उत्पादों की तस्करी के लिए हाल में सक्रिय गिरोह का पता लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या विभाग ने राजधानी में गत तीन महीनों के दौरान खोया, पनीर और घी का उत्पादन करने वाले गोदामों तथा एककों पर छापे मारे हैं ;

(घ) यदि हां, तो इन मारे गये छापों का ब्यौरा क्या है तथा कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है ; और

(ङ) इनमें लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा गैर-कानूनी रूप से खोया रखने के तीन मामलों का पता लगाया गया और 415 किलोग्राम खोया जब्त किया गया।

(ग) जी हां।

(घ) मई, जून और जुलाई (19-7-91 तक) के दौरान किए गए कड़े निरीक्षणों के दौरान, 8 प्रथम सूचना रिपोर्टें दर्ज कराई गई और 12 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

(ङ) मामलों की जांच की जा रही है और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा कानून के अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी।

टेलीविजन पर वाणिज्यिक विज्ञापन

1154. **श्री विजय नवल पाटिल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीविजन पर वाणिज्यिक विज्ञापन बार-बार दिखाए जाने के कारण अपना दुष्प्रभावक प्रभाव खो देते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ताज़गी तथा दृश्यात्मक प्रभाव बनाये रखने हेतु वाणिज्यिक विज्ञापनों को समय-समय पर बदलते रहने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) विज्ञापन एजेंसियों अपने ग्राहकों के लिए वाणिज्यिक विज्ञापन तैयार करती हैं । इन विज्ञापनों के दृश्यात्मक प्रस्तुतीकरण अथवा आवृत्ति में परिवर्तन इन एजेंसियों या ग्राहकों द्वारा बाजार की अपेक्षाओं को ध्यान में रख कर किया जाता है । दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले वाणिज्यिक विज्ञापनों के दृश्यों में परिवर्तन करने में सरकार की कोई भूमिका नहीं होती । केवल यह सुनिश्चित किया जाता है कि विज्ञापन दूरदर्शन की वाणिज्यिक विज्ञापन संहिता के अनुरूप हों ।

[हिन्दी]

31 जुलाई, 1991 को होने वाली सदन की बैठक के लिए ककरापार परमाणु विद्युत संयंत्र

1155. **श्री काशी राम राणा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ककरापार परमाणु विद्युत संयंत्र (गुजरात) का निर्माण कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो निर्माण कार्य कब शुरू किया गया था और यह कौन सी तारीख तक पूरा किया जाना था ; और

(ग) इस निर्माण कार्य को पूरा करने में देरी किए जाने के क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) ककरापार परमाणु विद्युत परियोजना जिसके लिए जुलाई, 1981 में संस्वीकृति दी गई थी, को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिसम्बर, 1990 (पहला यूनिट) और दिसम्बर 1991 (दूसरा यूनिट) में क्रांतिकता प्राप्त करनी थी । अब आशा है कि ये दोनों यूनिट दिसम्बर, 1991 (पहला यूनिट) और दिसम्बर, 1992 (दूसरा यूनिट) में क्रांतिकता प्राप्त कर लेंगे ।

(ग) परियोजना के क्रांतिकता प्राप्त करने संबंधी कार्यक्रम को संरचनाओं और प्रणालियों के डिज़ायन में भूकम्पीय परिस्थितियों के अनुरूप सुधार करने, और कुछ संघटकों की आपूर्ति में और उनसे संबद्ध स्थापना-कार्यों में हुई कुछ देरी की वजहों से बदलना पड़ा ।

[अनुवाद]

ग्रुप "सी०" और "डी०" के पदों पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की नियुक्ति

1156. **श्री बाम्म मोवर्धन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रुप "सी०" और "डी०" में आरक्षित पदों पर नियुक्ति के लिए अपेक्षित संख्या में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार अभी भी उपलब्ध न होने के क्या कारण हैं;

(ख) ग्रुप "सी०" और "डी०" के पदों पर भर्ती के लिए सामान्यता यदि कोई शैक्षिक योग्यता और अनुभव की आवश्यकता होती है तो तत्संबंधी पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ग्रुप "सी०" और "डी०" के पदों के लिए क्रमशः न्यूनतम शैक्षिक योग्यता धारण करने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को नियुक्ति के लिए तैयार किया जा सकता यदि रिक्त पदों का पूर्व अनुमान लगाया जा सके तथा इनको व्यापक रूप से परिचालित किया जाये; और

(घ) यदि नहीं, तो उनके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) :
(क) समूह "ग" तथा "घ" पदों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व में वर्षों से लगातार सुधार हुआ है और 1-1-90 को उनका प्रतिशत प्रतिनिधित्व निम्न प्रकार था :

	समूह "ग"	समूह "घ" (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)
अनुसूचित जाति	15.19%	21.48%
अनुसूचित जनजाति	4.83%	6.73%

तथापि, कभी-कभी मुख्यतः अपेक्षित अर्हताओं तथा अनुभव वाले उम्मीदवार उपलब्ध न होने के कारण सभी आरक्षित रिक्तियां नहीं भरी जा सकती ।

(ख) शैक्षिक अर्हताएं तथा अनुभव कार्य की आवश्कताओं के अधार पर अलग-अलग पदों के लिए अलग अलग होते हैं और कोई सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता ।

(ग) तथा (घ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों का समाचार-पत्रों आदि तथा इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक एसोसिएशनों के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाता है । कतिपय पदों के लिए भर्ती पूर्व निशुल्क प्रशिक्षण की सुविधा भी विद्यमान है ।

वेल्डा (गुजरात) में चीनी का कारखाना

1157. **श्री हरिन पाठक :** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने संघ सरकार से वेल्डा (गुजरात) में प्रस्तावित नए चीनी के कारखाने का स्थान न बदलने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा आशय पते कब तक जारी करने की संभावना है ?

खाद्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) जी, हां ।

(ख) एवं (ग) संघ सरकार ने मैं० श्री निजार विभाग सहकारी खांड उद्योग मंडली लि० को वेल्डा, तहसील निजार, जिला सूरत में 2500 टी० सी० डी० क्षमता की एक नई चीनी

फैक्टरी की स्थापना के लिए दिनांक 20-3-91 को आशय पत्र सं० एल० आई० : 262 (99) पहले ही जारी कर दिया है।

मारुति कारों में प्रयोग किए जाने वाले आयातित कल-पुर्जे

1158. **श्री लोक नाथ चौधरी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में निर्माण की जा रही मारुति कारों में कितने प्रतिशत आयातित कल-पुर्जे इस्तेमाल किए जाते हैं।

(ख) क्या आयातित कल-पुर्जों की प्रतिशतता को और कम करने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो कितने प्रतिशत ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) यथा 30-6-1991 मारुति 800 सी० सी० और 1000 सी० सी० कारों का आयात अंश क्रमशः 62.3% तथा 30.59% है।

(ख) और (ग) जी, हां। यथा 31-3-1992 को मारुति 800 सी० सी० तथा 1000 सी० सी० कारों का आयात अंश क्रमशः 5.80% तथा 29% तक घट जाने की सम्भावना है।

"जनवाणी" और "खुला मंच" कार्यक्रमों का पुनः प्रसारण

1159. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार "जनवाणी" और "खुला मंच" कार्यक्रमों का पुनः प्रसारण शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) (क) जी, नहीं।

(ख) कौन-कौन से कार्यक्रम प्रासंगिक हैं और कौन-कौन से उपयुक्त हैं, अपनी सूझबूझ के आधार पर यह निर्णय लेने के लिए दूरदर्शन स्वतंत्र है।

[हिन्दी]

भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों के लिए दिया गया मूल्य

1160. **श्री गिरधारी लाल भार्गव :** क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्नों की उत्पादन लागत तथा भारतीय खाद्य निगम द्वारा दिए गए वसूली मूल्य के बीच में कोई अन्तर है; यदि हां, तो कितने प्रतिशत है;

(ख) क्या राजसहायता का पूरा लाभ उपभोक्ताओं को देने के लिए इस अंतर को कम करने का कोई प्रस्ताव है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ?

खाद्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) सरकार द्वारा खाद्यान्नों की वसूली/न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत और मूल्य आयोग की रिपोर्ट/सिफारिश के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करने के लिए अपनी सिफारिशें तैयार करते समय कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा जिन विभिन्न महत्वपूर्ण तत्वों पर विचार किया जाता है, उनमें से खाद्यान्नों की उत्पादन लागत भी एक तत्व है और यह राज्य प्रति राज्य भिन्न-भिन्न होती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य देश भर में एक समान होता है। यह न केवल उत्पादन लागत को कवर करता है बल्कि किसानों के लिए उपयुक्त लाभ भी सुनिश्चित करता है। चूंकि प्रमुख फसलों की खेती की लागत का अध्ययन करने की व्यापक योजना के अधीन एकत्रित किए गए उत्पादन लागत के आंकड़े समय-अन्तराल से उपलब्ध होते हैं, इसलिए जिन कुछ महत्वपूर्ण राज्यों के आंकड़े उपलब्ध होते हैं, उनकी उत्पादन लागत के परियोजित अनुमानों को कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा अपनी मूल्य नीति संबंधी सिफारिशें तैयार करते समय ध्यान में रखा जाता है। उपर्युक्त कारणों से उत्पादन लागत और न्यूनतम समर्थन मूल्य के बीच प्रतिशत के हिसाब से अन्तर बताना व्यवहार्य नहीं है।

(ख) खाद्यान्नों के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों (भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से) को भारतीय खाद्य निगम द्वारा वहन की जा रही खाद्यान्नों की इक्नामिक लागत से नीचे रखा जाता है ताकि समाज के कमजोर वर्गों को उचित दामों पर खाद्यान्न मुहैया किए जा सकें इस वजह से राजसहायता सरकार द्वारा वहन की जाती है। भारतीय खाद्य निगम ने सूचित किया है कि 1990-91 में संशोधित अनुमान) चावल, गेहूं और मोटे अनाजों पर उपभोक्ता राजसहायता क्रमशः 109.03 रु०, 104.54 रु० और 84.15 रु० प्रति क्विंटल थी।

चूंकि उपभोक्ता राजसहायता किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य/वसूली मूल्य अदा करने के बाद शुरू होती है और इसके बारे में नितान्त भिन्न धारणाओं के आधार पर निर्णय किया जाता है, इसलिए खाद्यान्नों की उत्पादन लागत और वसूली/न्यूनतम समर्थन मूल्य के बीच अन्तर की राशि का उपभोक्ताओं को कोई लाभ देने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

राजस्थान में औद्योगिक रुग्णता

1161. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में बड़े पैमाने पर औद्योगिक रुग्णता है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा औद्योगिक रुग्णता को दूर करने हेतु राज्य सरकार को दिए जा रहे मार्गनिर्देशों और उपलब्ध कराए जाने वाले संसाधनों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) देश में बैंकों से सहायता पाने वाले रुग्ण औद्योगिक एककों संबंधी आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एकत्र किए जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक से उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार दिसम्बर, 1988 के अंत तक राजस्थान राज्य में लघु उद्योग क्षेत्र में 11,063 और गैर-लघु उद्योग क्षेत्र में 45 रुग्ण एकक हैं।

(ख) देश में औद्योगिक रुग्णता के लिए आंतरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार के कई कारण हैं। मुख्य कारणों में से कुछेक इस प्रकार हैं —त्रुटिपूर्ण प्रोजेक्ट योजना, प्रबंधकीय कमियां, अकुशल वित्तीय नियंत्रण, स्रोतों का दिशांतरण, अनुसंधान तथा विकास पर अपर्याप्त ध्यान, प्रौद्योगिकी व मशीनों का पुराना होना घटिया औद्योगिक संबंध, बाजार मांग में परिवर्तन अधिक लागत तथा कच्चे माल व अन्य निविष्टियों की कमी तथा अवस्थापना संबंधी बाधाएं।

(ग) औद्योगिक रुग्णता दूर करने के लिए सारे देश के लिए भारत सरकार की एक समान नीति है जो राजस्थान राज्य पर भी लागू होती है। जिसके मुख्य पहलुओं में से कुछेक इस प्रकार हैं :—

(1) सरकार ने एक व्यापक कानून अर्थात् "रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष अनुबंध) अधिनियम, 1985" बनाया है। इस अधिनियम के अधीन "औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी०आई०एफ०आर०)" नामक एक अर्धन्यायिक निकाय की स्थापना की गयी है, जिसका उद्देश्य रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों की समस्याओं को कारगर ढंग से देखना है जिसने 15 मई, 1987 से कार्य करना शुरू कर दिया है।

(2) भारतीय रिजर्व बैंक ने सुदृढ़ मानीटरी प्रणाली हेतु और प्रारंभिक अवस्था में ही औद्योगिक रुग्णता को रोकने हेतु बैंकों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं तकि उचित समय पर सुधारात्मक उपाए किए जा सकें।

(3) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जीव्य-क्षम इकाईयों को पुनर्जीवित करने के लिए पुनः स्थापना पैकेज तैयार करने हेतु भी बैंकों को निदेश दिये गए हैं। बैंक तथा वित्तीय संस्थान रुग्ण इकाईयों को पुनर्जीवित करने के लिए पुनःस्थापना पैकेज बनाते हैं।

(4) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को अलग से दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिनमें उन मापदण्डों को बताया गया है जिनके अधीन बड़े तथा लघु दोनों क्षेत्रों में जीव्य-क्षम रुग्ण इकाईयों की पुनःस्थापना हेतु बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक से बिना पूछे ही, राहत एवं रियायतों की स्वीकृति दे सकेंगे।

(5) लघु क्षेत्र में रुग्णता कम करने के लिए राज्य सरकारों के प्रयत्नों में सहायता करने के विचार से भारत सरकार ने एक "सीमांत धन योजना" शुरू की है। इस उदारीकृत योजना के अंतर्गत पुनःस्थापना हेतु रुग्ण लघु एककों को उपलब्ध प्रति एकक सहायता की अधिकतम राशि को 20,000/- रु० से बढ़ा कर 50,000/-रु० कर दिया गया है।

(6) कमजोर एककों के लिए एक उत्पाद कर राहत योजना की भी घोषणा की गई है। यह योजना किसी भी ऐसे एकक के लिए लागू होगी जिसमें किन्हीं पांच लेखा वर्षों में उनका अधिकतम निवल मूल्य संचित हानियों के कारण 50% अथवा इससे अधिक कम हो गया हो। उक्त एकक की पुनः स्थापना, आधुनिकीकरण अथवा दिशान्तरण पैकेज नामजद वित्तीय संस्थान द्वारा स्वीकृत होना चाहिए। पात्र एकक ब्याज मुक्त ऋण का पात्र होगा जिसके लिए 3 वर्ष की राहत अवधि मिलेगी और इसे 7 वर्षों के भीतर वापस करना होगा जो योजना के अनुमोदन के बाद

3 वर्षों के लिए वास्तविक उत्पाद भुगतान का 50% होगा। "उत्पाद ऋण के रूप में दी जाने वाली कुछ राशि पुनःस्थापना/आधुनिकीकरण/दिशान्तरण की कुल लागत से 25% से अधिक नहीं होगी।"

(7) अत्यन्त छोटे और लघु उद्योगों के लिए शीर्ष बैंक के रूप में कार्य करने के लिए अप्रैल, 1990 में एक भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना की गई है। इस बैंक की चुकता पूंजी 250 करोड़ रु० है।

[अनुवाद]

वाशिंग मशीन निर्माण के लिए विदेशी सहयोग

1162 : **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन वाशिंग मशीन निर्माताओं के नाम क्या हैं, जो विदेशी सहयोग से कार्य कर रहे हैं;

(ख) इन निर्माता कम्पनियों में से प्रत्येक कम्पनी के उत्पाद में कितने प्रतिशत उपकरणों का आयात करती है और वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान इनमें से प्रत्येक कम्पनी को कितनी विदेशी मुद्रा खर्च करने की अनुमति दी गयी थी;

(ग) क्या कुछ और निर्माताओं ने विदेशी सहयोग से वाशिंग मशीनों के उत्पादन के लिए लाइसेंस हेतु आवेदन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) संगठित क्षेत्र में विदेशी सहयोग से वाशिंग मशीन बनाने वाले पांच एककों के नाम, वर्ष 1989-90 और 1990-91 में इन एककों के लिए चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत डी०जी०टी०डी० द्वारा प्रसस्तुत विदेशी मुद्रा का मूल्य इस प्रकार है :—

क्र० सं०	पार्टी का नाम	1989-90 (रुपयों में)		1990-91 (रुपयों में)	
		लाइसेंस	ओ०जी०एल०	लाइसेंस	ओ०जी०एल०
1.	मै० ग्रेसम इन्टरनेशनल नई दिल्ली।	11.3 लाख	शून्य	3.52	शून्य
2.	मै० विडियोकॉन अप्लायंसेस लि० अहमदनगर।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	मै० टी०वी०एस० व्हिर्लपूल लि० पांडिचेरी।	2.18 करोड़	शून्य	शून्य	52.286 लाख
4.	मै० आई०एफ०बी०, कलकत्ता।	शून्य	शून्य	134.16 लाख	शून्य
5.	मै० इन्ट्रान लि०	शून्य	शून्य	159.307 लाख	शून्य

उक्त सभी फर्मों के लिए प्रथम वर्ष में अधिक से अधिक 15% सी०आई०एफ० से सी० आई० एफ० तक आयात अंश का अनुमोदन कर दिया गया है जो पांचवें वर्ष में घटकर 0% हो जाएगा।

(ग) और (घ) सरकार के पास विदेशी सहयोग से वाशिंग मशीन बनाने के लिए औद्योगिक लाइसेंस हेतु कोई नया आवेदन पत्र लंबित नहीं पड़ा है।

केन्द्रीय भण्डार के स्टोरों में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता

1163. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भण्डार के स्टोरों में आवश्यक वस्तुओं विशेषकर दालों और नहाने के साबुन की सप्लाई नियमित रूप से कम है और इसकी शाखा स्टोरों में ये वस्तुएं नहीं मिलती हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके क्या कारण हैं; और

(ग) सभी शाखा स्टोरों में दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) शाखा स्टोरों में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता के संबंध में नियमित रूप से निगरानी रखने के लिए एक मानिटरिंग पद्धति शुरू की गई है।

अधिक मूल्य वसूलने संबंधी शिकायतें

1164. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में गत तीन वर्षों के दौरान पैकटों पर अंकित मूल्य से अधिक मूल्य वसूलने की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) जांच के बाद इनमें से कितनी शिकायतें ठीक पाई गई और उन व्यक्तियों/फर्मों/पैकेजों/निर्माताओं आदि का ब्यौरा क्या है जो इस उल्लंघन के लिए दोषी पाए गए और उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(ग) निर्माताओं/उत्पादकों को अधिक लाभ दर वसूलने से रोकने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षों में उन्हें पैकेजों पर छपे मूल्य से अधिक कीमत वसूल करने संबंधी 16 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) और (ग) जांच के बाद 14 मामले साबित हो गए। दोषी पाए गए व्यक्तियों के ब्यौरे तथा उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई संलग्न विवरण में दी गई है। लाभों का विनियमन, बाट तथा माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 1977 तथा उस अधिनियम, जिसके तहत ये नियम बनाए गए हैं, के कार्यक्षेत्र से बाहर है।

विवरण

दिल्ली में पिछले तीन वर्षों के दौरान अधिक मूल्य वसूल करने के लिए दोषी पाए गए व्यक्तियों के ब्यौरे, उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई

व्यक्ति का नाम	की गई कार्रवाई
1. मै० इन्टरनेशनल ट्रेवलर्स, टी०आर० स्टाल, आई०जी० एयरपोर्ट टर्मिनल, नई दिल्ली।	2000/- रु० जुर्माने पर छोड़ दिया गया।
2. मै० शुभ्र मन्दिर, सं० डी/3, टैगोर गार्डन एक्सटेंशन, नई दिल्ली।	500/- रु० जुर्माने पर छोड़ दिया गया।
3. मै० मथुराव कार्नर, 528, दरीबा कलां दिल्ली-6।	न्यायालय में शिकायत दर्ज की गई है।
4. मै० जनता टी स्टाल, 1948, फाउंटेन, एच०सी० सैन रोड, चांदनी चौक, दिल्ली	न्यायालय में शिकायत दर्ज की गई है।
5. मै० शिव दयाल अशोक कुमार, दुकान सं० 21, किनारी बाजार, दिल्ली-6।	न्यायालय में शिकायत दर्ज की गई है।
6. मै० राम गोपाल एण्ड सन्स, सं० 1668, दरीबा कलां, दिल्ली।	2000/- रु० जुर्माने पर छोड़ दिया गया।
7. मै० बबा कन्फेक्शनर, दुकान सं० 299, दरीबा कलां, दिल्ली।	2000/- रु० जुर्माने पर छोड़ दिया गया।
8. मै० जनरल एण्ड किरयाणा, दुकान सं० 2102, किनारी बाजार, दिल्ली।	न्यायालय में शिकायत दर्ज की गई है।
9. मै० गुलाटी स्टोर, एच-ब्लाक मार्किट, दुकान सं० 35, अशोक बिहार, फेज-I दिल्ली।	2000/- रु० जुर्माने पर छोड़ दिया गया।
10. मै० गिरोत्रा प्रोवीजनल स्टोर, दुकान सं० 12, एच-ब्लाक मार्किट, अशोक बिहार, दिल्ली।	2000/- रु० जुर्माने पर छोड़ दिया गया।
11. मै० नन्दिता स्टोर, दुकान सं० 34, एच-ब्लाक, अशोक बिहार-I, दिल्ली।	2000/- रु० जुर्माने पर छोड़ दिया गया।
12. मै० मोना डिपार्टमेंटल स्टोर, दुकान सं० 9, जी-ब्लाक, मार्किट, अशोक विहार, फेज-I, दिल्ली।	न्यायालय में शिकायत दर्ज की गई है।
13. मै० बुद्धिराजा स्टोर, दुकान सं० 15, जी-ब्लाक मार्किट, अशोक विहार, फेज-I, दिल्ली।	न्यायालय में शिकायत दर्ज की गई है।
14. मै० गुप्ता पान भंडार, सं० 203, फतेहपुरी, दिल्ली-6।	न्यायालय में शिकायत दर्ज की गई है।

[हिन्दी]

छोटी अवधि की फिल्मों का निर्माण

1165. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दूरदर्शन पर प्रसारण के लिए निर्मित क्रमशः आधा घंटे, एक घंटे और एक से अधिक घंटे की अवधि की फिल्मों की कुल संख्या क्या है और प्रत्येक फिल्म की लागत क्या है तथा उनके निर्माताओं के नाम क्या-क्या हैं;

(ख) इस समय निर्माणाधीन फिल्मों की संख्या क्या है और उनके निर्माताओं के क्या नाम हैं;

(ग) क्या कुछ निर्माताओं ने अग्रिम धन लेने के बावजूद प्रस्तावित फिल्मों का निर्माण नहीं किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन फिल्मों के निर्माण के लिए दूरदर्शन ने क्या मानदंड अपनाए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) दूरदर्शन के अनुसार भिन्न-भिन्न लम्बाई की 15 फिल्मों का निर्माण किया गया है और उन्हें राष्ट्रीय नेटवर्क पर दिखाया जाएगा। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) इस समय 12 फिल्में निर्माणाधीन हैं। इन फिल्मों और इनके निर्माताओं के नाम इस प्रकार हैं :—

फिल्म का शीर्षक	निर्माता का नाम
1. विजय	सुश्री कृष्णा केसवानी
2. यशोधरा	श्री जी०पी० घोष
3. मिश्रो मरखानी	श्री सुरेश जिन्दल
4. हमारी शादी	श्री बासु चटर्जी
5. बहादुर टाम	श्री राकेश श्रीवास्तव
5. फ्लावरिंग ट्री	श्री गिरीश कनार्ड
7. मोहिनीयत्तम	सुश्री भारती शिवाजी
8. बन्ने खां	श्री जे० ओम प्रकाश
9. सुख शीतल करू संसार	प्रो० एम०बी० जैसवाल
10. पिंजरा	सुश्री नीरजा गुलेरी
11. पीर पराई	श्री लेख टंडन
12. लिटिल योल्फ	श्री गोबिन्द निहालानी

(ग) और (घ) ऐसा सिर्फ एक ही मामला है। "तृप्ति" नाम के टेलीफिल्म के निर्माता, फिल्म का निर्माण नहीं कर पाए। दूरदर्शन द्वारा करार को समाप्त करने और पहले से ली गई अग्रिम की राशि को ब्याज सहित वसूल करने के लिए करार की शर्तों के अनुसार कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है।

विवरण

क्रम संख्या	शीर्षक	निर्माता का नाम	अवधि	स्वीकृत राशि
1.	दि स्प्रिट पजेशन	सुश्री नीलेता वाचानी	60 मिनट	08,00,000 रु०
2.	बाघ बहादुर	श्री बुद्ध देव दास गुप्ता	90 ,,	14,00,000 ,,
3.	लेटर टू माम	श्री एम०के० चटर्जी	90 ,,	10,90,000 ,,
4.	ज्योतिपि	श्री दीपांकर दे	90 ,,	10,00,000 ,,
5.	नरक	श्री पिंकी चौधरी	90 ,,	12,50,000 ,,
6.	यात्रायुदे एन्टियम	श्री के०जी० जार्ज	90 ,,	10,40,000 ,,
7.	सान्ध्य रागम	श्री बालू महेन्द्रा	90 ,,	13,00,000 ,,
8.	मराट्टम	श्री जी० अरविन्दन	90 ,,	13,00,000 ,,
9.	मधिलुकल	श्री अदूर गोपाल कृष्णन	120 ,,	15,00,000 ,,
10.	डैडी	श्री महेश भट्ट	120 ,,	22,00,000 ,,
11.	दि फादर	श्री गोबिन्द निहलानी	120 ,,	14,00,000 ,,
12.	दि हाउस आफ बर्वाड अल्बा	-तथैव-	120 ,,	15,00,000 ,,
13.	प्रेम दान	श्री सावन कुमार टाक	130 मीटर	22,00,000 ,,
14.	सुर असुर	श्री सुब्रोतो बोस	140 ,,	22,00,000 ,,
15.	थोड़ा सा रूमानी हो जाएं	श्री अमोल पालेकर	160 ,,	26,66,000 ,,

[अनुवाद]

महत्वपूर्ण व्यक्तियों पर वृत्तचित्रों का निर्माण

1166. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महत्वपूर्ण व्यक्तियों की जीवनी पर वृत्तचित्रों का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों के नाम क्या हैं, जिन पर वृत्तचित्रों का निर्माण किए जाने की संभावना है;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के चयन के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं;

(घ) क्या महाराणा प्रताप और गुरू गोबिन्द सिंह की जीवनी पर किसी वृत्तचित्र का निर्माण किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो कब ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) सरकार द्वारा विशिष्ट व्यक्तियों और राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर वृत्तचित्रों का निर्माण किया जाता है। यह कार्य बजट में आबंटित राशि के भीतर फिल्म प्रभाग के माध्यम से

किया जाता है। विशिष्ट व्यक्तियों पर वृत्तचित्रों का निर्माण आवश्यकता के आधार पर किया जाता है। जब कभी, किसी राष्ट्रीय नेता/स्वतंत्रता सेनानी/ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े किसी महत्वपूर्ण हस्ती पर फिल्म बनाने के लिए सुझाव प्राप्त होते हैं, तो उन पर गुणवत्ता के आधार पर विचार किया जाता है। इसके अलावा, कार्यक्रम अपेक्षाओं तथा साधनों की उपलब्धता और प्रसारण समय के सन्दर्भ में दूरदर्शन विभिन्न दिवंगत तथा वर्तमान प्रख्यात व्यक्तियों के जीवन पर भी वीडियो कार्यक्रम तथा फीचर तैयार कर रहा है।

(घ) और (ङ) महाराणा प्रताप के जीवन पर कोई वृत्तचित्र नहीं बनाया गया है। 1967 में, गुरू गोविन्द सिंह की तीसरी शताब्दी के अवसर पर उनके जीवन पर एक फिल्म बनाई गई थी। तथापि, दूरदर्शन द्वारा महाराणा प्रताप तथा गुरू गोविन्द सिंह पर क्रमश: मार्च, 91 तथा दिसम्बर, 90 में कार्यक्रम दिखाए गए हैं।

विवरण

(क) उन विशिष्ट व्यक्तियों के नाम, जिन पर फिल्म प्रभाग द्वारा वृत्तचित्र तैयार किए जाने की संभावना है।

1. श्री पी०के० कृष्णामेनन
2. बाबू जगजीवन राम
3. सरदार पटेल
4. श्री आसफ अली
5. लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई
6. श्री के०एम० मुन्शी
7. श्री बी०जी० खेर
8. आंध्र केसरी टी० प्रकाशम
9. श्री बी०एन० सरकार
10. श्री जयशंकर प्रसाद
11. दादासाहेब फाल्के पुरस्कार विजेता कु० लता मंगेशकर
12. नेहरू थ्रू दि आईज आफ कार्टूनिस्ट्स
13. श्री राम कृष्ण परमहंस
14. शेख मोहम्मद अब्दुल्लाह
15. श्री मानवेन्द्र नाथ रा
16. स्वामी हरिदास जी की जीवन और उपलब्धियां
17. भीमसेन जोशी
18. एम०एस० शुभलक्ष्मी
19. विक्रम साराभाई
20. शरण रानी का जीवन और संगीत
21. श्रीमती इन्द्रानी वाजपेयी रहमान
22. बिरजू महाराज
23. डा० गुलाम रसूल और हिन्दुस्तानी संगीत में उनका योगदान
24. श्रीमती कोमला वरदन

25. उस्ताद विलायत खां
26. उस्ताद निसार हुसैन खां
27. श्री पन्ना लाल पटेल
28. भाई कन्हैया
29. अशफाक अल्लाह खां (स्वतंत्रता सेनानी)
30. महाराजा अग्रसेन

(ख) उन विशिष्ट व्यक्तियों के नाम जिन पर दूरदर्शन में बनाए जा रहे कार्यक्रम विभिन्न चरणों में हैं :—

1. डा० बी०आर० अम्बेडकर
2. मकबूल शेरवानी
3. आचार्य रामचन्द्र शुक्ल
4. माखन लाल चतुर्वेदी
5. श्रीमती कल्पना जोशी
6. आचार्य नरेन्द्र देव
7. फखरूद्दीन अली अहमद
8. पहला बागी महात्मा

फिल्मों और अखबारी कागज संबंधी मूल्य नीति

1167. **श्री कड़िया मुण्डा :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार फिल्मों और अखबारी कागज की मूल्य संबंधी नीति में कुछ परिवर्तन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) भारत सरकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय का फिल्मों तथा अखबारी कागज की मूल्य संबंधी नीति में परिवर्तन करने का कोई इरादा नहीं है।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में लगी विदेशी शेयर-धारी कम्पनियां

1168. **श्री कड़िया मुण्डा :** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में लगी विदेशी शेयर-धारी कम्पनियों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में विदेशी शेयर-धारी कम्पनियों की भागीदारी के संबंध में अपनी नीति की समीक्षा करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में विदेशी ईक्विटी भागीदारी औद्योगिक नीति और निर्यात नीति के अनुसार होगी।

मेघालय को आवंटित की गई चावल और चीनी की मात्रा

1169. **श्री पीटर जी० मरबनिआंग** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेघालय को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से चावल और चीनी का वितरण करने हेतु इनकी, माह-वार, कुल कितनी मात्रा का आवंटन किया गया है ;

(ख) राज्य सरकार ने जनवरी, 1991 से जून 1991 तक, माह-वार कितनी मात्रा का उठान किया ;

(ग) इन्हें कहां से खरीदा गया था ; और

(घ) मेघालय में चावल और चीनी किस एजेंसी द्वारा लाई जाती है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गागोई) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित सूचना दी, गई है।

(ग) चावल के स्टाक उत्तर अर्थात् पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से प्रेषित किए जा रहे हैं। चीनी के स्टाक सामान्यतया उत्तर प्रदेश में स्थित चीनी मिलों से और कभी-कभार महाराष्ट्र में स्थित मिलों से प्रेषित किए जाते हैं।

(घ) मेघालय को आवंटित चावल और चीनी की सुपुर्दगी करने की जिम्मेदारी भारतीय खाद्य निगम की है।

विवरण

जनवरी से जून, 1991 तक मेघालय के संबंध में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चावल और चीनी के आवंटन और उठान को बताने वाला विवरण।

(हजार मीटरी टन में)

मास 1991	चावल		चीनी	
	आवंटन	उठान*	आवंटन	उठान
जनवरी	9.5	9.2	0.7	0.7
फरवरी	10.0	7.4	0.7	0.5
मार्च	10.0	6.3	0.7	0.4
अप्रैल	10.0	9.0	0.7	0.5
मई	10.0	13.0	0.7	1.0
जून	10.0	5.9	0.7	0.9

*अनन्तिम।

केन्द्रीय शासनिक न्यायाधिकरण में लम्बित पड़े मामले

1170. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की विभिन्न पीठों में 30 जून, 1991 की स्थिति के अनुसार कितने अन्तरित मामले लम्बित पड़े हैं ;

(ख) गत एक वर्ष के दौरान कितने अन्तरित मामले निपटाए गए हैं तथा नियमित मामलों के निपटान की तुलना में यह कितने कम अथवा अधिक हैं ;

(ग) अन्तरित मामलों को निपटाने में धीमी प्रगति के क्या कारण हैं

(घ) अन्तरित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ङ) क्या हाल के वर्षों में सरकारी कर्मचारियों द्वारा दर्ज किये गये मामलों में अत्याधिक वृद्धि हुई है ;

(च) यदि हां, तो इसके क्या विशिष्ट कारण हैं और कई मामलों में वृद्धि के लिए जिम्मेदार कारणों की समीक्षा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(छ) गत तीन वर्षों के दौरान स्थानान्तरण, अनुशासन, पदोन्नति इत्यादि जैसे विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत दर्ज किए गए मामलों का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है और इनके क्या निष्कर्ष निकले हैं तथा इन मामलों को दर्ज करने के लिए उत्तरदायी मुख्य कारणों का ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) वांछित सूचना दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में दायर किए गए सभी बकाया मामले, चाहे वे स्थानान्तरित हैं अथवा मूल हैं, अधिकरण में दायर किए जाने की तारीख के

अनुसार निपटाए जाते हैं। पुराने स्थानान्तरित आवेदन पत्रों के निपटान के लिए प्राथमिकता दी जाती है। अधिकरण में 30-6-1991 तक स्थानान्तरण द्वारा प्राप्त हुए 26,329 मामलों में से, 23,105 मामले निर्णीत किए जा चुके हैं। केवल 3,224 मामले पक्षकारों द्वारा वकालत आदि पूरी न किये जाने के अभाव में बाकी पड़े हैं। 1989-90 के दौरान प्रधान न्यायपीठ नई दिल्ली में दो अतिरिक्त न्यायपीठों तथा लखनऊ और जयपुर में एक-एक नई खंडपीठ गठित किए जाने तथा वर्ष 1991 में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में उपाध्यक्षों और सदस्यों के अधिकांश रिक्त पदों के भरे जाने से, भविष्य में मामले और अधिक तत्परता से निपटाये जाने की आशा है।

(ङ) जी, नहीं। केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में नए मामले दर्ज करने की दर हाल के वर्षों में प्रायः एक समान रही है।

(च) यह प्रश्न नहीं उठता है।

(छ) विषयवार सांख्यिकीय सूचना रखने की कोई पद्धति इस समय नहीं है।

विवरण

(क) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में स्थानान्तरित मामलों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण निम्न प्रकार है :—

न्यायपीठ का नाम	30-6-91 की स्थिति के अनुसार स्थानान्तरित मामले जो बाकी हैं
मुख्य न्यायपीठ	518
अहमदाबाद न्यायपीठ	21
इलाहाबाद न्यायपीठ	656
बंगलौर न्यायपीठ	5
न्यू बम्बे न्यायपीठ	221
कलकत्ता न्यायपीठ	474
चण्डीगढ़ न्यायपीठ	90
कटक न्यायपीठ	9
गुवाहाटी न्यायपीठ	3
हैदराबाद न्यायपीठ	22
जबलपुर न्यायपीठ	52
जोधपुर न्यायपीठ	1,097
मद्रास न्यायपीठ	43
पटना न्यायपीठ	12
एर्नाकुलम न्यायपीठ	1
कुल	3,224

(ख) पिछले एक वर्ष अर्थात् 1-7-90 से 30-6-91 के दौरान निपटाये गये स्थानान्तरित मामलों की संख्या 1,603 है तथा इसी अवधि में निपटाये गये अन्य मामलों की संख्या 14,306 है।

टी० बी० रोधी औषधियों का उत्पादन करने के लिये इन्टरमीडियेटों का आयात

1171. **डा० कृपासिन्धु भोई** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत सूचीबद्ध टी० बी० रोधी औषधियों के उत्पादन के लिये प्रयोग में लाये जा रहे उन औषधियों और इन्टरमीडियेटों के नाम क्या हैं जिनका आयात किया जा रहा है;

(ख) एक ही प्रकार की औषधि का उत्पादन करने के लिये प्रयोग किये जा रहे औषधि इन्टरमीडियेटों के आयात हेतु भिन्न-भिन्न उत्पाद शुल्क ढांचे की व्यवस्था होने का क्या औचित्य है;

(ग) क्या इन असंगतताओं से विभिन्न एककों, विशेष रूप से रिफैमाइसिन के उत्पादकों के एककों को लाभ मिलता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत सूचीबद्ध क्षयरोधी औषधों के निर्माण के लिए आयातित औषधों और मध्यवर्तियों के नाम नीचे दिए जाते हैं :—

क्रम सं०	प्रपुंज औषधों/मध्यवर्तियों के नाम
I.	**प्रपुंज औषध**
1.	पायराजिनामाइड
II.	**मध्यवर्ती**
1.	रिफा–एस–(रिफैम्पिसिन के लिए)
2.	रिफैम्पिसीन एस०बी० (रिफैम्पिसिन के लिए)
3.	डी०एल०–2 एमिनोबुटानोल (इथाम्पुटोल के लिए)
4.	माइनोपाइरीजिन (पायराजिनामाइड के लिए)
5.	आर्थोफिनीलाइन डायामाइन (पायराजिनामाइड के लिए)
6.	डाइ-एमिनो मालो नाइट्रायल (पायराजिनामाइड के लिए)
7.	पायराजिन मोनो कारबोजाइलिक एसिड (पायराजिनामाइड के लिए)
8.	गामा पिकोलाइन (आमोनियाजिक के लिए)
9.	पारा नाइट्रेट टॉल्यून (थियोसिटाजोन के लिए)

(ख) उसी औषध के निर्माण में प्रयुक्त औषध मध्यवर्तियों के आयात के लिए विभिन्न सीमाशुल्क का प्रयोजन का उद्देश्य देश में और अधिक मूल स्तर से प्रपुंज औषधों के उत्पादन को प्रोत्साहित करना है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

लघु उद्योगों को राज-सहायता

1172. **श्री कोड्डीकुन्नील सुरेश :**

प्रो० सावित्री लक्ष्मणन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों में गैर-सरकारी क्षेत्र के लघु उद्योगों को दी जाने वाली राज-सहायता रोक देने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या केरल सरकार ने इस निर्णय का विरोध किया है;

(ग) क्या केरल सरकार को इस निर्णय में 14 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ङ) केन्द्रीय सरकार ने केरल में केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना के प्रतिपूर्ति के कितने दावों पर विचार किया है और उनकी धन राशि कितनी है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी०जे० कुरियन) : (क) से (ङ) केन्द्रीय निवेश राज-सहायता योजना, 1971, जिसके अन्तर्गत पिछड़े जिलों में लगाए गए उद्योगों को, जिनमें लघु उद्योग भी शामिल हैं, राज-सहायता दी जाती थी, 30-9-1988 से वापिस ले ली गई थी। तथापि, सरकार ने राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को गैर-विनिर्माणकारी कार्यों के लिए 30-9-1989 तक और निर्माणकारी कार्यों के लिए 31-12-1989 तक राज-सहायता देने की सलाह दी थी, बशर्ते कि राज्य स्तर समिति/जिला स्तर समिति द्वारा 30-9-1988 को अथवा इससे पूर्व अर्थात् योजना की वैधता अवधि के भीतर परियोजनाओं का अनुमोदन कर दिया गया हो। केरल सरकार ने 11.16 करोड़ रु० की प्रतिपूर्ति के दावे प्रस्तुत किए थे। लेकिन इन दावों की प्रतिपूर्ति नहीं की जा सकी थी, क्योंकि दावों में उल्लिखित एककों के संबंध में राज-सहायता का राज्य स्तर समिति/जिला स्तर समिति द्वारा 30-9-1988 को अथवा इससे पूर्व अनुमोदन नहीं किया गया था।

नए सहकारी चीनी कारखानों को सहायता

1173. **श्री गोविन्द राव निकम :** क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी कारखानों की मशीनरी के मूल्य में भारी वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा नए सहकारी चीनी कारखानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

खाद्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तरुण गागोई) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्र सरकार नई चीनी फैक्ट्री की स्थापना के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करती है। तथापि, केन्द्रीय वित्तीय संस्थाएं नई चीनी फैक्ट्रियों को उनकी परियोजनाओं के पर्याप्त मूल्यांकन के बाद उन्हें ऋण प्रदान करती हैं।

केरल के औद्योगिक विकास हेतु धनराशि

1174. **श्री कोड्डीकुन्नील सुरेश :** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास हेतु केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस प्रयोजन हेतु वर्ष 1991-92 के दौरान कितनी धनराशि की मंजूरी दी है ?

योजना एव कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) राज्यों को वित्तीय सहायता राज्य योजनाओं के वित्त पोषण के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में दी जाती है। केरल को 1991-92 की राज्य योजना के लिए सामान्य कुल केन्द्रीय सहायता बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ई०ए०पी०) को छोड़ कर 301.00 करोड़ रु० अनुमोदित थी। राज्य के औद्योगिक क्षेत्र हेतु 1991-92 के लिए अनुमोदित परिव्यय 84.15 करोड़ रु० था।

[हिन्दी]

सीतामढ़ी में आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना

1175. **श्री नवल किशोर राय :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बिहार में सीतामढ़ी में आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना करने का विचार है;

(ख) क्या प्रसारण का विस्तार सीतामढ़ी से नेपाल सीमा के मोतीहारी, बेतिया, मधुबनी क्षेत्रों तक किया जायेगा;

(ग) क्या आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना संबंधी प्रस्ताव के संबंध में सीतामढ़ी में पूर्व में कोई सर्वेक्षण किया गया था;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार विशेषज्ञों का एक दल भेजकर सर्वेक्षण करायेगी; और

(ङ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) सीतामढ़ी को आकाशवाणी पटना के मौजूदा 100 कि० वा० मीडियम वेव ट्रांसमीटर और दरभंगा के 10 कि० वा० मीडियम वेव ट्रांसमीटर से दिन में प्राथमिक ग्रेड की कवरेज प्राप्त होती है। इसी प्रकार मोतीहारी और बेतिया दोनों जिलों को पटना और गोरखपुर के 100 कि० वा० मीडियम वेव ट्रांसमीटरों से रेडियो कवरेज प्राप्त होती है और मधुबनी को पटना के 100 कि० वा० मीडियम वेव ट्रांसमीटर और दरभंगा के 10 कि० वा० मी० वे० ट्रांसमीटर से रेडियो कवरेज प्राप्त होती है।

अतः सीतामढ़ी में सर्वेक्षण कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

राज्य सरकारों द्वारा दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना

1176. **श्री सैयद शाहबुद्दीन :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राज्य सरकारों को राज्य अथवा क्षेत्रीय रुचि के कार्यक्रमों के प्रसारण के लिये राज्य में विभिन्न स्थानों पर दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने की अनुमति देने का विचार है;

(ख) क्या किसी राज्य सरकार ने ऐसे केन्द्र स्थापित करने में अपनी रुचि जाहिर की है;

(ग) क्या सरकार का राष्ट्रीय स्तर पर प्राइवेट चैनल स्थपित करने का विचार है जो राष्ट्रीय स्तर पर दूरदर्शन से प्रतिस्पर्धा कर सके;

(घ) यदि हां, तो क्या किसी संगठन अथवा उद्यमी ने दूसरा चैनल स्थापित करने में कोई रुचि दिखाई है; और

(ङ) किन शर्तों के अंतर्गत ऐसे दूरदर्शन केन्द्रों अथवा चैनलों को लाइसेंस दिया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) हाल में, किसी भी राज्य सरकार से औपचारिक रूप से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि कुछ समय पूर्व राज्य सरकारों को दूसरा चैनल सौंपने के अनुरोध प्राप्त हुए थे। इलैक्ट्रानिक माध्यम को सरकार के नियंत्रण से मुक्त करने की योजना के संदर्भ में उस समय इन्हें स्वीकार नहीं किया गया था।

(ग) फिलहाल ब्यौरा देना संभव नहीं है क्योंकि इलैक्ट्रानिक माध्यमों के बीच स्पर्धा की शुरूआत करने के लिए औपचारिकताओं को अंतिम रूप देने से पूर्व इस विषय पर विस्तार से अध्ययन करना जरूरी है।

(घ) जी हां।

(ङ) फिलहाल कोई ब्यौरा नहीं दिया जा सकता।

चीनी का स्टाक

1177. **श्री सैयद शाहबुद्दीन :** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अक्तूबर, 1988 को चीनी वर्ष (अक्तूबर-सितम्बर) के प्रारंभ में देश में चीनी का प्रारम्भिक स्टाक कितना था;

(ख) उत्पादन का वर्ष 1988-89 से वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) तब से अब तक प्रत्येक चीनी वर्ष में आयात की गयी चीनी का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(घ) तब से अब तक प्रत्येक चीनी वर्ष की वर्षवार आंतरिक खपत कितनी है;

(ङ) तब से अब तक प्रत्येक चीनी वर्ष में निर्यात की गयी चीनी का वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(च) चालू चीनी वर्ष के दौरान चीनी का अनुमानित उत्पादन, आयात, निर्यात और खपत कितना है ?

खाद्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तरुण गागोई) : (क) 1 अक्तूबर, 1988 को चीनी वर्ष के प्रारंभ में देश में चीनी का प्रारंभिक स्टाक 25.32 लाख टन था।

(ख) से (च) सूचना निम्न प्रकार है :—

(लाख टन)

विवरण	1988-89	1989-90	1990-91
			अनुमानित
1. चीनी का उत्पादन	87.52	109.89	119.00
2. आयात	—	2.42	—
3. आंतरिक उपभोग	99.19	102.83	107-108
4. निर्यात	0.33	0.35	5.61

अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों का संवर्ग निर्धारण और तैनाती

1178. **श्री राम नरेश सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसे पति और पत्नी जबकि दोनों अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य हों, के संवर्ग निर्धारण और तैनाती के बारे में कोई नीति संबंधी निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस प्रकार की नीति बनाएगी ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वर्तमान नीति यह है कि यदि अखिल भारतीय सेवाओं के दो अधिकारी आपस में विवाहित हैं और अलग-अलग संवर्गों के हैं तो दोनों अधिकारियों को एक साथ एक ही संवर्ग में रख दिया जाता है। ऐसा या तो दोनों में से एक अधिकारी को दूसरे के संवर्ग में स्थानान्तरित कर दिया जाता है और यदि ऐसा करना संभव नहीं होता तो उन दोनों अधिकारियों को किसी तीसरे संवर्ग में आवंटित कर दिया जाता है। यह संबंधित राज्यों की सहमति के अध्यधीन होता है। तथापि यह सुनिश्चित करने पर ध्यान दिया जाता है कि संवर्ग स्थानान्तरण से संबंधित अधिकारी अथवा अधिकारीगण अपने मूल राज्य में स्थानान्तरित न हो पाएं।

ऐसे अधिकारियों की इसके बाद संवर्गाधीन तैनातियां संबंधित राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती हैं।

अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का संवर्ग निर्धारण

1179. **श्री राम नरेश सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अखिल भारतीय सेवा के एक सदस्य के जहां उसके पति/पत्नी राज्य सरकार के अन्तर्गत सेवा से संबंधित हैं, संवर्ग निर्धारण बारे में नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार सभी संबद्ध कारणों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की नीति तैयार करने का है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) राज्य सरकारों के अधीन सेवारत अधिकारियों से विवाह करने वाले अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों के संवर्ग आबंटन के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है। वे संवर्ग आबंटन के सामान्य सिद्धान्तों द्वारा शासित होते हैं।

(ग) जी, नहीं।

पश्चिम बंगाल को जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत धनराशि का आबंटन

1180. **श्री सत्यगोपाल मिश्र :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान पश्चिम बंगाल को जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत कितनी-कितनी धनराशि का आबंटन किया गया; और

(ख) पश्चिम बंगाल को वास्तव में प्रति वर्ष कितनी-कितनी धनराशि जारी की गई ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) पश्चिमी बंगाल को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 के लिए आरम्भ में 174.30 करोड़ रुपए का केन्द्रीय आबंटन किया गया था। वर्ष के दौरान योजना आकार में समग्र कटौती को ध्यान में रखते हुए पश्चिम बंगाल को किए गए केन्द्रीय आबंटन की राशि को कम करके 165.58 करोड़ रुपए कर दिया गया था। राज्य प्राधिकारियों द्वारा 1989-90 के दौरान खाद्यान्नों की अधिक प्राप्ति की वजह से 7.01 करोड़ रुपए की कटौती करने के पश्चात् राज्य सरकार को 1990-91 के दौरान 158.57 करोड़ रुपए की राशि रिलीज की गई थी।

पश्चिम बंगाल को जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत वर्ष 1991-92 के लिए 174.30 करोड़ रुपए का केन्द्रीय आवंटन किया गया है। पश्चिम बंगाल के केवल कुछेक जिलों ने ही अब तक जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत केन्द्रीय निधियों की पहली किस्त की रिलीज प्राप्त करने के लिए उपलब्ध संसाधनों में से अपेक्षित स्तर तक व्यय किया है। चालू वर्ष के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य को ऐसे जिलों के लिए 23.62 करोड़ रुपए की राशि रिलीज की गई है।

[हिन्दी]

यूनियन कारबाइड मामला

1181. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूनियन कारबाइड और केन्द्रीय सरकार के बीच उच्चतम न्यायालय के सम्मुख हुए समझौते की अब क्या स्थिति है;

(ख) क्या यूनियन कारबाइड द्वारा जमा कराई गई 370 मिलियन डालर की धनराशि उच्चतम न्यायालय के पास है अथवा केन्द्रीय सरकार के पास है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदान की गई अन्तरिम सहायता यूनियन कारबाइड द्वारा जमा कराई गई धनराशि का भाग है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन): (क) उच्चतम न्यायालय द्वारा 14 और 15 फरवरी, 1989 को जिस समझौते के लिए आदेश दिया गया है उसके खिलाफ कुछ सामाजिक कार्य दलों ने पुनरीक्षण याचिकाएं दायर की गई है और भारत सरकार ने उनका समर्थन किया है। सुनवाईयां पूरी हो गई हैं और उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय स्थगित रखा गया है।

(ख) यूनियन कार्बाइड कार्पोरेशन और यूनियन कार्बाइड इण्डिया लि० द्वारा जमा की गई राशियां उच्चतम न्यायालय के रजिस्ट्रार के नाम में भारत सरकार के रिजर्व बैंक में रखी गई हैं।

(ग) भोपाल के सबसे ज्यादा प्रभावित 36 वार्डों में दी जा रही प्रति व्यक्ति 200 रु० प्रति माह की अंतरिम राहत की राशि का भुगतान इस जमा की गई राशि से नहीं किया जा रहा है। तथापि, न्यायिक प्रक्रिया द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को दी जाने वाली अंतिम मुआवजा राशि में अंतरिम राहत भुगतान का समायोजन किया जाएगा।

[अनुवाद]

नागार्जुनसागर में परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना

1182. **श्री एम० बागा रेड्डी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आंध्र प्रदेश में नागार्जुनसागर में एक परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश विधान सभा ने भी नागार्जुनसागर में परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए दो बार सर्वसम्मत्ति से एक संकल्प को पारित किया है;

(ग) क्या स्थल चयन समिति ने भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए नागार्जुनसागर को सर्वश्रेष्ठ स्थल पाया है; और

(घ) यदि हां, तो यह प्रस्ताव किस चरण में है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) नागार्जुनसागर में परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित करने की इस समय कोई योजना नहीं है।

(ख) आंध्र प्रदेश विधान सभा ने 16-8-1983 और 13-9-1985 को दो संकल्प पारित किए थे जिनमें भारत सरकार से नागार्जुनसागर नामक स्थल पर परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित करने का अनुरोध किया गया था।

(ग) और (घ) परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थल चयन समिति द्वारा दक्षिणी विद्युत क्षेत्र के संबंध में फरवरी, 1984 में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार नागार्जुनसागर स्थल की उपयुक्तता के आधार

पर दूसरा स्थान दिया गया था। किसी स्थल पर परमाणु विद्युत संयंत्र लगाने के संबंध में प्राथमिकता निर्धारित करने का निर्णय विभिन्न क्षेत्रों में बिजली की आवश्यकता और ऊर्जा के साधनों को, संबंधित क्षेत्र में बिजली की मांग पूरी करने के लिए उपलब्ध विकल्पों को, योजना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि और अन्य नीतिगत मामलों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। इस प्रस्ताव का मूल्यांकन तद्नुसार किया जाना है और इस मामले में निर्णय परमाणु विद्युत क्षेत्र के लिए उपलब्ध साधनों के आधार पर ही लिया जाएगा।

चीनी का मूल्य

1183. **श्री एम० बागा रेड्डी :** क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को खुले बाजार तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत बेची जा रही चीनी के मूल्यों में अन्तर की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस अन्तर के क्या कारण हैं तथा इस अन्तर को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

खाद्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तरुण गागोई) : (क) और (ख) सरकार चीनी की दोहरी मूल्य नीति का अनुसरण कर रही है। इस नीति का उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकता का कुछ भाग उचित दामों पर मुहैया करना है। यदि उपभोक्ताओं को इससे अधिक चीनी की जरूरत हो तो उन्हें इसे खुले बाजार में ऊंचे दामों पर खुली बिक्री की चीनी खरीद कर पूरा करना होगा। वर्तमान नीति में परिवर्तन करने संबंधी कोई मामला विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में गेहूं की खरीदी गई मात्रा

1185. **श्री संतोष कुमार गंगवार :** क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा चालू मौसम में उत्तर प्रदेश में कितना गेहूं खरीदा गया है ;

(ख) पिछले वर्ष की तुलना में यह कितना है; और

(ग) यदि चालू मौसम में खरीद की मात्रा पिछले वर्ष की तुलना में कम है, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तरुण गागोई) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) मूल्य समर्थन परिचालनों के अधीन गेहूं की वसूली करने का उद्देश्य किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करना और मजबूरन बिक्री करने को रोकना है। भारतीय खाद्य निगम/राज्य की एजेंसियों द्वारा वह सभी स्टाक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद लिया जाता है जो किसानों द्वारा बिक्री के लिए पेश किया गया विहित विनिर्दिष्टियों

के अनुरूप होता है। लेकिन किसान अपनी पैदावार सरकार द्वारा निर्धारित किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्यों से अधिक दामों पर खुले बाजार में बेचने के लिए स्वतंत्र हैं।

पिछले मौसम के दौरान वसूल किए गए गेहूं की अपेक्षा वर्तमान रबी विपणन मौसम के दौरान उत्तर प्रदेश में गेहूं की कम वसूली होने के मुख्य कारण नीचे दिए गए हैं :—

(1) उत्तर प्रदेश में गेहूं के खुले बाजार के मूल्य 225/- रुपए प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में खुले बाजार के दाम 230/- रुपये से 320/- रुपये प्रति क्विंटल के रेंज में थे।

(2) वसूली मूल्य में और अधिक वृद्धि हो जाने की प्रत्याशा में किसानों द्वारा भारी मात्रा में गेहूं रोक लेने के समाचार।

(3) गेहूं का निर्बाध अंतर-राज्यीय संचलन।

(4) प्राईवेट व्यापारियों द्वारा बड़े पैमाने पर गेहूं की खरीदारी।

(5) राज्य सरकार द्वारा चुंगी स्थलों को समाप्त कर देने तथा निरीक्षण स्थानों को कम कर देने के कारण अधिशेष इलाकों से कमी वाले इलाकों को अधिक मात्रा में गेहूं भेजना, जिससे व्यापारियों को ऐसे इलाकों को गेहूं भेजने में सुविधा मिली जहां गेहूं के दाम ऊंचे चल रहे थे।

विवरण

वर्तमान रबी विपणन मौसम 1991-92 के दौरान (26-7-91 की स्थिति के अनुसार) और रबी विपणन मौसम 1990-91 में तदनुरूपी अवधि में उत्तर प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेन्सियों द्वारा गेहूं की वसूल की गई मात्राओं को बताने वाला विवरण।

(हजार मीटरी टन में)

वसूली एजेन्सी	गेहूं की वसूल की गई मात्रा (1990-91) (26-7-90 को स्थिति के अनुसार)	गेहूं की वसूल की गई मात्रा (1991-92) (26-7-91 को स्थिति के अनुसार)
भारतीय खाद्य निगम	120	6
राज्य सरकार	354	85
प्रदेश को-आपरेटिव फेडरेशन	620	137
राज्य खाद्य निगम	147	29
कृषि उद्योग	218	62
उपभोक्ता सहकारी संघ	142	49
मंडली विकास निगम	नगण्य	—
जोड़	1601	368

नगण्य : 500 मीटरी टन से कम।

372/L.S./91—16

[अनुवाद]

मध्य प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए जारी की गई आवश्यक वस्तुएं

1186. **श्री दिग्विजय सिंह :**

श्री विश्वेश्वर भगत :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण हेतु गेहूं, चावल, चीनी और खाद्य तेलों की कितनी मात्रा 1 जनवरी, 1990 से 1 अप्रैल, 1991 की अवधि के दौरान जारी की गई और मध्य प्रदेश सरकार ने प्रत्येक की कितनी मात्रा उठाई; और

(ख) वर्ष 1991-92 के लिए मध्य प्रदेश को कितनी मात्रा का आवंटन किया गया है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जनवरी, 1990 से मार्च, 1991 तक की अवधि में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए मध्य प्रदेश को किए गए चावल, गेहूं, लेवी चीनी, खाद्य तेल और मिट्टी के तेल के कुल आवंटन तथा राज्य सरकार द्वारा उनकी उठाई गई मात्रा निम्नवत है :—

वस्तु	आवंटन	(मी० टन में) उठाई गई मात्रा
चावल	353000	230400
गेहूं	500000	366800
आयातित खाद्य तेल ..	42500	23859
मिट्टी का तेल ..	481000	479421

इस अवधि में 383001 मी० टन लेवी चीनी (त्यौहार कोटे सहित) का आवंटन किया गया था और इसकी लगभग शत-प्रतिशत मात्रा उठा ली गई है ।

(ख) अप्रैल, 91 से जुलाई, 91 तक की अवधि के लिए किए गए आवंटन निम्नवत हैं :—

वस्तु	(मी० टन में) आवंटन
चावल	84000
गेहूं	180000
लेवी चीनी ..	100124
मिट्टी का तेल	122543
आयातित खाद्य तेल	शून्य

[हिन्दी]

भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीदे गए चावल की मात्रा एवं गुणवत्ता के सम्बन्ध में शिकायतें

1187. **श्री संतोष कुमार गंगवार :** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1990 के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा उत्तर प्रदेश में कुमाऊं, बरेली और मुरादाबाद डिवीजनों में से खरीदे गए चावल की मात्रा एवं गुणवत्ता के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन स्थानों से खरीदा गया चावल बहुत ही घटिया किस्म का था और इसमें कटे हुए चावल के दाने निर्धारित सीमा से अधिक थे; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) और (ख) 1990 के दौरान यद्यपि मुरादाबाद डिविजन से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी लेकिन भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीदे गए चावल की गुणवत्ता और मात्रा के बारे में बरेली और कुमाऊं डिविजनों से छः शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इस सम्बन्ध में ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) अचानक निरीक्षण करने पर खरीदे गए चावल के कुछ स्टाक में एक समान विनिर्दिष्टियों के अधीन अनुमेय सीमा से अधिक मात्रा में टोटे सहित कुछ वर्तन पाए गए थे। दोषी पाए गए भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही की जा रही है।

विवरण

वर्ष 1990 के दौरान कुमाऊं, बरेली और मुरादाबाद डिविजनों में खरीदे गए चावल की गुणवत्ता और मात्रा की शिकायतों के ब्यौरे बताने वाला विवरण

क्रम सं०	शिकायत का स्रोत और तारीख	शिकायत का संक्षिप्त विषय
1	2	3
1.	प्रधान मंत्री को सम्बोधित और मुख्य सतर्कता अधिकारी को पृष्ठांकित हल्द्वानी के श्री हरिन्दर पाल सिंह की दिनांक 4-8-90 की शिकायत	किच्छा/नैनीताल में घटिया चावल की खरीदारी के बारे में
2.	श्री संतोष गंगवार, संसद सदस्य से प्राप्त शिकायत, दिनांक 17-5-1990	सी०बी० गंज, बरेली में विशेष माल गाड़ी के लदान के समय प्राइवेट तोल-सेत के जरिये तोल
3.	खाद्य सप्लाई डिपो परसाखेड़ा के सहायक ग्रेड-2 से प्राप्त शिकायत, दिनांक 22-3-1990	खाद्य सप्लाई डिपो, परसाखेड़ा (बरेली) में घटिया किस्म के चावल की प्राप्ति के बारे में

1	2	3
4.	अध्यक्ष, भारतीय खाद्य निगम को सम्बोधित श्री मोहम्मद हनीफ, महा मंत्री, जिला कांग्रेस कमेटी (आई) से प्राप्त शिकायत, दिनांक 2-2-1990	बहेड़ी में स्थित भारतीय खाद्य निगम के डिपो में चावल के स्टाक में घोटाले के संबंध में।
5.	किच्छा और बहेड़ी, जिला नैनीताल में भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों के विरुद्ध गुमनाम शिकायत	घटिया किस्म के चावल की खरीदारी के बारे में
6.	श्री गा० सिंह, शाहजहांपुर से प्राप्त शिकायत, दिनांक 20-3-1990	खाद्य सप्लाई डिपो, शाहजहांपुर में घटिया चावल की खरीदारी और भण्डारण के बारे में।

ककरापार परमाणु विद्युत संयंत्र के लिए अधिगृहीत भूमि के मालिकों को रोजगार

1188. **श्री छीतूभाई गामित :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ककरापार परमाणु विद्युत संयंत्र के लिए कितने व्यक्तियों की भूमि का अधिग्रहण किया गया था; और

(ख) इनमें से अब तक कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) ककरापार परमाणु विद्युत परियोजना के लिए 1034 परिवारों की भूमि का अधिग्रहण किया गया था।

(ख) ऐसे प्रभावित परिवारों में से 118 व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है।

लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना

1190. **श्री राजवीर सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1991 के दौरान कुटीर उद्योगों और लघु उद्यमियों को बढ़ावा देने संबंधी कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) वर्ष 1991-92 के दौरान खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा विकास किये जाने हेतु निम्नलिखित पांच ग्रामोद्योगों का चयन किया गया है जिसके द्वारा 1.83 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिलने की आशा है :–

1. ग्रामीण चमड़ा उद्योग
2. चूना उद्योग (भवन निर्माण सामग्री उत्पादन व सेवाएं)
3. अनाजों व दालों के प्रसंस्करण का उद्योग
4. कालीन बनाने व लोहारगिरी का उद्योग
5. बेंत और बांस।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में चेयरमैन/प्रबन्ध निदेशक

1191. **डा० पी० बल्लल पेरुमान :**

श्री सैयद शाहबुद्दीन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कुल कितने चेयरमैन/प्रबन्ध निदेशक हैं तथा इनमें से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के चेयरमैनों/प्रबन्ध निदेशकों की संख्या कितनी है; और

(ख) क्या सरकार का अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के चेयरमैन/प्रबन्ध निदेशकों को विशेष प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा): (क) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अध्यक्ष/प्रबन्धक निदेशकों के पदों सहित बोर्ड-स्तर की नियुक्तियों के संबंध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए कोई आरक्षण नहीं किया गया है। अतः अपेक्षित सूचना केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता है।

साबुन के मूल्यों में वृद्धि

1192. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी प्रकार के साबुनों के मूल्यों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो साबुन के मूल्यों में जुलाई, 1990 के मूल्यों की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) जी हां।

(ख) साबुन की कीमतों में प्रतिशत वृद्धि 2 से 9 प्रतिशत के बीच रही है।

(ग) कीमतों में इस वृद्धि का प्रमुख कारण निविष्टियों की लागत बढ़ जाना है। सरकार को विभिन्न मुद्दों की जानकारी है और जहां कहीं भी उपयुक्त तथा संभाव्य है वहां उपचारात्मक कार्यवाही की जा रही है।

[हिन्दी]

बृज, अवधी और पंजाबी भाषाओं के कार्यक्रमों का दूरदर्शन और आकाशवाणी से प्रसारण

1193. **श्री राजवीर सिंह :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत डेढ़ वर्षों के दौरान आकाशवाणी और दिल्ली दूरदर्शन पर बृज, अवधी और पंजाबी भाषाओं में प्रसारित किये गये कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार आकाशवाणी और दूरदर्शन से बृज, अवधी और पंजाबी भाषाओं के कार्यक्रम नियमित रूप से प्रसारित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) पिछले डेढ़ वर्षों के दौरान आकाशवाणी द्वारा प्रसारित तथा दूरदर्शन द्वारा टेलिकास्ट किए गए बृज, अवधी तथा पंजाबी भाषाओं के कार्यक्रमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली द्वारा दिनांक 1-1-90 से अब तक टेलीकास्ट किए गए बृज, अवधी तथा पंजाबी कार्यक्रमों का ब्यौरा

चैनल 4 तथा 7 पर टेलीकास्ट पंजाबी भाषा के कार्यक्रम

क्र० सं०	कार्यक्रम
1.	बादशाह डेरे : गुरु गोविन्द सिंह पर विशेष कार्यक्रम
2.	प्रादेशिक भाषा कार्यक्रम : पंजाबी : लहरां
3.	चित्रमाला : पंजाबी फीचर फिल्म "इशक निमाणा" से गीत
4.	लाला लाजपत राय—वृत्तचित्र
5.	शहीद भगत सिंह पर पंजाबी में कार्यक्रम
6.	प्रादेशिक संगीत सभा—पंजाबी
7.	चित्रमाला : पंजाबी फीचर फिल्म "पींगा प्यार दियां" से गीत
8.	चित्रमाला : पंजाबी फीचर फिल्म "की बनूं दुनिया दा" से गीत
9.	चित्रमाला : पंजाबी फीचर फिल्म "दरानी जठानी" से गीत
10.	महाराजा रणजीत सिंह की पुण्यतिथि पर विशेष कार्यक्रम
11.	चित्रमाला : पंजाबी फीचर फिल्म "भरजाई" से गीत
12.	"जग्गा" : पंजाबी फीचर फिल्म
13.	चित्रमाला : पंजाबी फीचर फिल्म "अंगार" से गीत
14.	चित्रमाला : पंजाबी फीचर फिल्म "वोटी शोहटी" से गीत
15.	चित्रमाला : पंजाबी फीचर फिल्म "कोडेशाह" से गीत

क्र० सं०	कार्यक्रम
16.	चित्रमाला : पंजाबी फीचर फिल्म "पौ बारह" से गीत
17.	पंजाबी लोकगीत
18.	चित्रमाला : पंजाबी फीचर फिल्म "नौकर बीवी दा" से गीत
19.	चित्रमाला : पंजाबी फीचर फिल्म "मामला गड़बड़ है" से गीत
20.	पंजाबी फीचर फिल्म "चौधरी करनैल सिंह"
21.	चित्रमाला : पंजाबी फीचर फिल्म "टब्बर" से गीत
22.	चित्रमाला : पंजाबी फीचर फिल्म "वंगार" से गीत
23.	चित्रमाला : पंजाबी फीचर फिल्म "नचदी जवानी" से गीत
24.	चित्रमाला : पंजाबी फीचर फिल्म "रेशमा" से गीत
25.	सुरिन्द्र कौर द्वारा पंजाबी गीत
26.	सोहनी महिवाल : पंजाबी धारावाहिक
27.	पंजाबी गीत
28.	भाई मन्ना सिंह : पंजाबी धारावाहिक
29.	दास्ताने पंजाब—हादसा
30.	सद्भावना : दिलों की संधि
31.	सवेरे दी उडीक : धारावाहिक
32.	जमीर दी आवाज : धारावाहिक

टिप्पणी : पंजाबी में पत्रिका कार्यक्रम "पंजाबी दर्पण" 1-1-90 से नियमित रूप से टेलीकास्ट किया गया। इस कार्यक्रम की समय अवधि 1-1-90 से 27-10-90 तक सप्ताह में एक बार 45 मिनट की थी तथा नवम्बर, 1990 से इस कार्यक्रम की समय अवधि सप्ताह में एक बार 30 मिनट की है।

अवधी भाषा में टेलीकास्ट कार्यक्रम

1. गोस्वामी तुलसीदास—अवधी फीचर फिल्म
2. प्रादेशिक संगीत सभा—अवधी

बृज भाषा में टेलीकास्ट कार्यक्रम

1. भक्त सूरदास—बृज भाषा में फीचर फिल्म
2. भारत भूषण गोस्वामी द्वारा बृज लोकगीत
3. भारत भूषण गोस्वामी द्वारा बृज लोकगीत

पिछले डेढ़ वर्षों के दौरान आकाशवाणी केन्द्रों से बृज, अवधी तथा पंजाबी भाषाओं के प्रसारण की प्रणाली

भाषा का नाम	केन्द्र	कार्यक्रमों की अवधि	मिले-जुले कार्यक्रमों का ब्यौरा
1	2	3	4
बृज	दिल्ली	दैनिक–20 मिनट	
	मथुरा	दैनिक–20 मिनट	ग्रामीण कार्यक्रम प्रतिदिन सायं 6.10 बजे से सायं 6.45 बजे तक बृज भाषा में प्रसारित किए जाते हैं।
	आगरा	दैनिक–20 मिनट रविवार–15 मिनट	
	लखनऊ	प्रतिमाह 60 मिनट की अवधि के लोक संगीत कार्यक्रम में बृज गीत शामिल होते हैं।	
	लखनऊ	30 मिनट की अवधि का दैनिक लोकायतन। प्रतिमाह 612 मिनट की अवधि के संगीत कार्यक्रमों में अवधी गीत शामिल होते हैं।	सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार तथा शनिवार को ग्रामीण महिला कार्यक्रम, बुधवार को बच्चों का कार्यक्रम, औद्योगिक कार्यक्रम–दैनिक तथा अवधी में प्रसारित दैनिक ग्रामीण कार्यक्रम अवधी में कम्पीयर किए जाते हैं।
	इलाहाबाद	10 मिनट का दैनिक कृषि जगत कार्यक्रम (कृषि संबंधी जानकारी) युववाणी में स्पोकन वर्ड कार्यक्रम, जिसमें प्रतिमाह 140 मिनट की अवधि का नाटक शामिल होता है। प्रतिमाह 660 मिनट की अवधि के लोक संगीत कार्यक्रम में अवधी गीत शामिल होते हैं।	ग्रामीण किसानों के लिए पंचायत घर—दैनिक कार्यक्रम, सप्ताह में दो बार ग्रामीण महिलाओं के लिए पनघट; सप्ताह में दो बार ग्रामीण बच्चों के लिए बालगोकल कार्यक्रम अवधी में प्रसारित किया जाता है तथा इसमें स्पोकन वर्ड और अवधी लोकगीत कार्यक्रम शामिल होते हैं।

1	2	3	4
पंजाबी	जालंधर	उच्चरित शब्द-59.30 घंटे प्रति माह नाटक/रूपक-11.40 घंटे प्रतिमाह ग्रामीण कार्यक्रम-39.30 घंटे प्रतिमाह बच्चों के कार्यक्रम-07.00 घंटे प्रतिमाह महिलाओं का कार्यक्रम-06.30 घंटे प्रतिमाह शैक्षिक कार्यक्रम-06.25 घंटे प्रतिमाह अन्य कार्यक्रम-26.30 घंटे प्रतिमाह	केन्द्र पंजाबी में राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन 8.30 बजे; 13.40 बजे और 19.30 बजे तथा प्रादेशिक समाचार 13.10 बजे, प्रसारित करता है। लोकरुचि समाचार प्रत्येक बृहस्पतिवार 19.45 बजे प्रसारित किए जाते हैं। सुगम संगीत तथा लोकसंगीत कार्यक्रम मुख्यतः पंजाबी में होते हैं।
	दिल्ली	दैनिक-01.00 बजे	केन्द्र 8.30 बजे, 13.40 बजे, तथा 19.30 बजे पंजाबी में भी राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन प्रसारित करता है।
	श्रीनगर	रविवार, मंगलवार तथा बृहस्पतिवार प्रत्येक 30 मिनट	
	जम्मू	तीसरे शनिवार-30 मिनट प्रत्येक बुधवार-10 मिनट	
	चण्डीगढ़	दैनिक-1 घंटा	केन्द्र 13.10 बजे तथा 18.10 बजे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन भी प्रसारित करता है।

उत्तर प्रदेश में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग

1194. **श्री राम सागर :** क्या **योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे रह रही है; और

(ख) इन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर लाने के लिए क्या प्रयास किए गए या करने का विचार है ?

योजना एवं कार्यक्रम कियान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज) : (क) घरेलू उपभोक्ता व्यय के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 43वें दौर पर आधारित वर्ष 1987-88 के लिए गरीबी के नवीनतम अनुमान उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश में 1987-88 में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का अनुमान 35.4 प्रतिशत है।

(ख) कृषि, उद्योग और सेवाओं आदि के जरिए आय और रोजगार सृजन के लिए विकासात्मक प्रयासों के अलावा, गरीबी दूर करने के लिए विशेष कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं। इनमें एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के विकास के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम भी शामिल हैं।

बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

1195. **श्री नवल किशोर राय :** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बिहार में सीतामढ़ी जिले के सीतामढ़ी और पुपरी, परिहान, सुरसंड, नानपुर, सैदपुर-सोनवरमा में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने का विचार है;

(ख) क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के संबंध में बिहार सरकार से कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं तथा सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इन स्थानों पर कब तक उद्योग स्थापित किए जाने की संभावना है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की केन्द्र में प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति

1197. **श्री हरिन पाठक :**

श्री राम नरेश सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जुलाई, 1991 को, केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिज़र्व के आंकड़ों का राज्य-वार तथा केन्द्र में वास्तव में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के आंकड़ों का ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्रीय सचिवालय में रिक्त पदों पर विभिन्न राज्यों से भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है;

(ग) क्या सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने में प्रक्रिया का प्रभावी रूप से पालन किया जाता है; और

(घ) यदि नहीं, तो केन्द्र सरकार का इस स्थिति में किस प्रकार सुधार करने का विचार है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व के आंकड़ों का राज्य-वार तथा केन्द्र में वास्तव में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के आंकड़ों का 1 जुलाई, 1991 की स्थिति के अनुसार ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है।

(ख) केन्द्रीय सचिवालय स्तर में विभिन्न राज्यों से भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया निम्न प्रकार से है :—

राज्य सरकारों से प्रतिवर्ष उन अधिकारियों के नाम भेजने का अनुरोध किया जाता है जिन्हें वे भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति के लिए भेजना चाहते हैं। राज्य सरकारों द्वारा सुझाए गए नामों को जांच-पड़ताल पात्रता की शर्तों तथा भारत सरकार में अधिकारियों की आवश्यकताओं के संदर्भ में की जाती है। प्रस्ताव-सूची में अधिकारियों को रखते समय भारत सरकार में भारतीय प्रशासनिक सेवा के विभिन्न संवर्गों के समान प्रतिनिधित्व की आवश्यकता को भी ध्यान में रखा जाता है। प्रस्ताव-सूची में रखे गए अधिकारियों के नामों का सुझाव प्रशासनिक मंत्रालय को सिविल सेवा बोर्ड द्वारा प्रत्येक रिक्ति के लिए तीन नामों के एक पैनल में से दिया जाता है। प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा चयन किए गए अधिकारी को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से पद पर नियुक्त किया जाता है।

(ग) जी, हां। सभी राज्यों के समान प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने में प्रक्रिया पूर्णत: कारगर है। अखिल भारतीय सेवा के प्रत्येक राज्य संवर्ग को एक केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व आबंटित किया गया है जो राज्य संवर्ग की कुल पद संख्या के अनुपात में है। भारत सरकार में पदों के लिए अधिकारियों का चयन करते समय विभिन्न संवर्गों द्वारा केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति आरक्षण की समान उपयोगिता को सुनिश्चित करने का प्रत्येक प्रयास किया जाता है। तथापि, सभी संवर्गों द्वारा केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति आरक्षण की पूर्ण समकक्ष उपयोगिता लाना कठिन है ऐसी स्थिति के कुछ कारण इस प्रकार से हैं :

(i) कुछ संवर्गों से अधिकारी दिल्ली में वरिष्ठ प्रबन्ध स्तरों पर आने के अधिक इच्छुक नहीं होते हैं क्योंकि उनके राज्यों की राजधानियों में उपलब्ध सुविधाएं पर्याप्त आकर्षक होती हैं।

(ii) सिक्किम, नागालैंड इत्यादि जैसे कुछ संवर्ग, जिनका गठन अपेक्षाकृत बाद में किया गया है, वहां वरिष्ठ अधिकारी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं जिन्हें संयुक्त सचिव तथा उससे उच्चतर स्तरों के लिए केन्द्र में प्रतिनियुक्ति पर भेजा जा सके।

(घ) ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न संवर्गों द्वारा केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति आरक्षण की उपयोगिता में गणितीय समानता लाना कठिन है। तथापि, प्रस्ताव-सूची में रखे गए अधिकारियों की संख्या विनियमित करके समान उपयोगिता लाने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत सरकार के पदों के लिए जिन राज्यों का प्रतिनिधित्व कम रहा है वहां के अधिक अधिकारियों का चयन किया जा सके।

विवरण

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के संबंध में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व का उपयोग (1 जुलाई, 1991 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं०	राज्य	कुल प्राधिकृत पद संख्या	केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व	वास्तविक पद संख्या	अनुपातिक केन्द्रीय प्रति-नियुक्ति रिजर्व (4×5)/3	केन्द्र में अधिकारी	कालम 7 कालम 6 के प्रतिशत के रूप में	कालम 7 कालम 4 के प्रतिशत के रूप में
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	असम-मेघालय	213	43	203	41	35	85	81
2.	आन्ध्र प्रदेश	331	64	324	63	52	83	81
3.	बिहार	408	84	391	81	62	77	74
4.	गुजरात	253	48	246	47	37	79	77
5.	हिमाचल प्रदेश	140	28	132	26	19	73	68
6.	हरियाणा	233	44	212	40	29	73	66
7.	जम्मू तथा कश्मीर	118	24	98	20	20	100	83
8.	केरल	195	38	168	33	35	106	92
9.	कर्नाटक	265	49	261	48	46	96	94
10.	महाराष्ट्र	356	70	349	69	55	80	79
11.	मध्य प्रदेश	398	82	388	80	64	80	78
12.	मणिपुर-त्रिपुरा	171	35	136	28	21	75	60
13.	नागालैंड	60	12	51	10	5	50	42
14.	उड़ीसा	216	44	207	42	40	95	91
15.	पंजाब	197	38	193	37	24	65	63
16.	राजस्थान	263	52	262	52	38	73	73
17.	सिक्किम	59	11	42	8	2	25	18
18.	तमिलनाडु	339	63	311	58	43	7	8
19.	उत्तर प्रदेश	554	108	539	105	81	77	75
20.	संघ राज्य क्षेत्र	245	50	203	41	43	105	86
21.	पश्चिम बंगाल	320	63	306	60	55	92	87
	कुल	5334	1050	5022	989	806	81	77

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में चेयरमैन/प्रबन्ध निदेशक के रिक्त पद

1198. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का ब्यौरा क्या है, जिनमें इस समय चेयरमैन/प्रबन्ध निदेशक/चेयरमैन और प्रबन्ध निदेशक के पद रिक्त पड़े हैं और ये कब से रिक्त पड़े हैं; और

(ख) इन रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, ऐसे केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के ब्यौरे, जिनमें इस समय अध्यक्षों/प्रबन्ध निदेशकों के पद खाली हैं, संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) रिक्तियों का भरा जाना एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है तथा किसी भी समय, कार्यावधि की समाप्ति, त्यागपत्र, पार्श्विक आवा-जाही आदि के कारण रिक्तियां हो सकती हैं। सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, प्राथमिकता के आधार पर केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की रिक्तियों को भरने के लिए समग्र प्रयास किए जाते हैं।

विवरण

30-6-1991 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के रिक्त पदों को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	पद/उद्यम का नाम	रिक्ति की तारीख
1	2	3
1.	प्रबन्ध निदेशक, उत्तर-पूर्वी हस्तशिल्प तथा हथकरघा विकास निगम।	23-2-91
2.	प्रबन्ध निदेशक, एजूकेशनल कंसलटेन्ट्स (इण्डिया) लि०	4-1-91
3.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, मणिपुर ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि०	नया पद
4.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय वस्त्र निगम (डब्ल्यू०, बी० ए० एण्ड ओ०) लि०	1-5-90
5.	प्रबन्ध निदेशक, इण्डियन मैडिसन्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि०।	21-5-90
6.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय वस्त्र निगम (यू०पी०) लि०।	28-11-85
7.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, ऑयल इण्डिया लि०।	22-4-90
8.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, एयर इण्डिया।	12-7-90
9.	प्रबन्ध निदेशक, वायुदूत लि०।	7-9-90
10.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय वस्त्र निगम (ए०पी०के०) लि०।	10-9-90
11.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, इंजीनियर्स इण्डिया लि०।	26-3-91
12.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन।	1-10-90
13.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, हिन्दुस्तान वेजीटेबल ऑयल कार्पोरेशन।	12-7-90
14.	प्रबन्ध निदेशक, पुनर्वास उद्योग निगम लि०।	16-10-90
15.	प्रबन्ध निदेशक, हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लि०।	19-4-1

1	2	3
16.	प्रबन्ध निदेशक, भिलाई स्टील प्लांट।	25-2-91
17.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, भारत पर्यटन विकास निगम।	15-9-90
18.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि०।	26-3-91
19.	प्रबन्ध निदेशक, हिन्दुस्तान फलूरोकारबन्स लि०।	26-12-90
20.	प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि०।	23-4-91
21.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, हिन्दुस्तान कीटनाशक लि०।	1-3-91
22.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, हिन्दुस्तान उर्वरक निगम।	20-12-88
23.	प्रबन्ध निदेशक, भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लि०।	24-5-91
24.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, मॉडर्न फूड इन्डस्ट्रीज (इण्डिया) लि०।	21-6-90
25.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, बोंगईगांव रिफाइनरी एण्ड पैट्रोकैमिकल्स लि०।	11-5-91
26.	प्रबन्ध निदेशक, टेनेरी एण्ड फुटवीयर कार्पोरेशन।	24-4-91
27.	प्रबन्ध निदेशक, यू०पी० ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि०	7-4-88
28.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि०।	4-6-89
29.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि०।	1-6-91

नमक आयुक्त कार्यालय को गुजरात में स्थानान्तरित करना

1199. **श्री चन्दूभाई देशमुख :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार से नमक आयुक्त कार्यालय को गुजरात में स्थानान्तरित करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी०जे० कुरियन) : (क) जी, हां।

(ख) गुजरात राज्य सरकार के अनुरोध को स्वीकार करना संभव नहीं है जिसके कई कारण है जिसमें प्रशासनिक प्रतिबन्ध भी शामिल हैं।

चण्डीगढ़ में दूरदर्शन कार्यक्रम निर्माण केन्द्र

1200. **श्री पवन कुमार बंसल :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चण्डीगढ़ में दूरदर्शन कार्यक्रम निर्माण केन्द्र शुरू करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस केन्द्र को कब तक शुरू किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) (क) जी, हां।

(ख) वर्तमान संकेतों के अनुसार इस केन्द्र के 1994-95 के दौरान सेवा के लिए चालू हो जाने की उम्मीद है।

चण्डीगढ़ के लिए निर्धारित चीनी का कोटा

1201. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ के लिए चीनी का कितना कोटा निर्धारित किया गया हैं ।

(ख) कितनी यूनिटों के लिए कार्ड जारी किए गए हैं; और

(ग) इस समय लगभग कितने परिवारों एवं कितने लोगों के पास राशनकार्ड नहीं हैं ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ को प्रति महीने 372 मी० टन लेवी चीनी का कोटा आबंटित किया जाता है । अगस्त, 1991 से दिसम्बर, 1991 तक सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के आबंटन में 5% की तदर्थ वृद्धि की जा रही है और उसके बाद इसकी पुनरीक्षा की जाएगी ।

(ख) इस समय कुल मिलाकर 131113 राशन कार्डों के तहत 6,38,000 यूनिटें है ।

(ग) सभी राशन कार्ड के हकदार हैं, जो मांग करने पर दिए जाते हैं ।

घरेलू तथा आयातित अखबारी कागज के मूल्य में वृद्धि

1202. **डा० सी० सिलवेरा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कागज उद्योग के प्रतिनिधियों ने घरेलू तथा आयातित कागज के मूल्य पर चिन्ता व्यक्त की है :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस वृद्धि का छोटे एवं मझोले समाचार पत्रों पर गंभीर वित्तीय प्रभाव पड़ेगा;

(घ) क्या छोटे एवं मझोले समाचार पत्रों को बिक्री कर से छूट देने की मांग की गई है;

(ङ) क्या सरकार का इस संबंध में कोई कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास): (क) जी, हां ।

(ख) भारतीय समाचारपत्र सोसायटी तथा भारतीय छोटे और मझोले समाचारपत्र संघ से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित मुद्दे उठाए गए है :—

(क) अखबारी कागज की उच्च लागत, (ख) अखबारी कागज नियंत्रण, (ग) छोटे और मझोले समाचारपत्रों को आर्थिक सहायता, (घ) विदेशी मुद्रा का रुपया भुगतान क्षेत्र से सामान्य करेंसी क्षेत्र में परिवर्तन, (ङ) ऋण सुविधा पर हाल ही में लगाए गए प्रतिबंधों से समाचार-पत्र उद्योग को छूट, (च) अखबारी कागज पर सीमा शुल्क से छूट, (छ) अखबारी कागज पर बिक्री कर की समाप्ति ।

(ग) किसी अन्य क्षेत्र की भांति अखबारी कागज की कीमतों में वृद्धि का छोटे और मझौले समाचारपत्रों पर कुछ प्रभाव तो पड़ेगा ही।

(घ), (ङ) और (च) समाचारपत्रों पर बिक्री कर तथा केन्द्रीय बिक्री कर दोनों नहीं लगाये जा सकते हैं।

टायर और ट्यूब के निर्माताओं पर रुपये के अवमूल्यन का प्रभाव

1203. **डा० सी० सिलवेरा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रुपये के अवमूल्यन ने टायर एवं ट्यूब निर्माताओं को अपनी औद्योगिक यूनिटें बन्द करने को मजबूर कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का विचार है कि इन यूनिटों को चालू रखा जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

स्वदेशी इलैक्ट्रानिक यूनिटों पर आयात का प्रभाव

1204. **डा० सी० सिलवेरा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन और संघटक विनिर्माताओं ने सरकार को इलेक्ट्रानिकी मदों के आयात के संबंध में कोई अभ्यावेदन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदन में की गई उनकी शिकायतों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस आयात का स्वदेशी इलैक्ट्रानिकी यूनिटों पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) उन स्वदेशी इलैक्ट्रानिकी यूनिटों को बचाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है जिन पर इस प्रकार के आयात का प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ?

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) भारतीय टेलीविजन विनिर्माता संघ (इटमा) ने एक अभिवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें प्रेस की उन रिपोर्टों के प्रति आशंका व्यक्त की गई है कि सरकार द्वारा प्रवासी भारतीयों (एन०आर०आई०) को उपभोक्ता इलैक्ट्रानिकी वस्तुओं के आयात की अनुमति दी जाएगी। लेकिन इन रिपोर्टों का कोई आधार नहीं था। इलेक्ट्रानिक संघटक-पुर्जा विनिर्माताओं के किसी भी संगठन से ऐसा कोई अभिवेदन नहीं प्राप्त हुआ है।

(ग) और (घ) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार के पास लम्बित आवेदन पत्र

1205. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार के पास 15 जुलाई की तिथि तक राज्य-वार तथा भाषा-वार कितने आवेदन पत्र लम्बित पड़े हैं तथा इसके क्या कारण हैं ;

(ख) इनमें से कितने आवेदन पत्र एक वर्ष से भी अधिक समय से लम्बित पड़े हैं ;

(ग) क्या "सम्बलपुर निशान" शीर्षक साहित्यिक पत्रिका हेतु कोई आवेदन पत्र स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो कब से तथा पत्रिका को कब तक स्वीकृति दे दिये जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है ।

(ख) एक वर्ष से अधिक समय से लम्बित कोई आवेदन पत्र नहीं है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

विवरण—I

दिनांक 25-7-1991 को स्थिति के अनुसार शीर्षकों की स्वीकृति हेतु लंबित पड़े आवेदन पत्रों को दर्शाने वाला राज्यवार विवरण

राज्य	आवेदन पत्रों की संख्या
कर्नाटक	210
बिहार	55
दिल्ली	169
उत्तर प्रदेश	309
आन्ध्र प्रदेश	181
महाराष्ट्र और गोवा	283
मध्य प्रदेश	194
पंजाब और चण्डीगढ़	40
राजस्थान	104
उड़ीसा	154
केरल	138
तमिलनाडु और पाण्डिचेरी	204
गुजरात	193
जम्मू और कश्मीर	39
हरियाणा	20
पश्चिम बंगाल	77
असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र	54
हिमाचल प्रदेश	—
	2424

372/L.S./91 18

विवरण—II

दिनांक 25-7-1991 की स्थिति के अनुसार शीर्षकों की स्वीकृति हेतु लंबित पड़े आवेदन पत्रों को दर्शाने वाला भाषावार विवरण

भाषा	आवेदन पत्रों की संख्या
हिन्दी	797
अंग्रेजी	423
तेलुगू	120
बंगला	55
तमिल	172
मलयालम	82
कन्नड	150
उर्दू	70
गुजराती	178
मराठी	155
उड़िया	134
पंजाबी	26
असमिया	28
सिंधी	10
अन्य भाषाएं	24
	2424

अहमद नगर में आकाशवाणी केन्द्र और दूरदर्शन ट्रांसमीटर की स्थापना

1206. **श्री यशवंतराव पाटिल :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अहमद नगर में एक परिपूर्ण आकाशवाणी केन्द्र तथा एक शक्तिशाली दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के कब तक कार्यान्वित होने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) **आकाशवाणी** : अहमद नगर में, दिनांक 14-4-1991 से एक नए रेडियो केन्द्र से सेवा पहले ही चालू हो चुकी है। इस केन्द्र में 2×3 कि०वा० एफ०एम० ट्रांसमीटर बहुउद्देशीय स्टूडियो तथा स्टाफ क्वार्टरों की सुविधा उपलब्ध है यह केन्द्र एफ०एम० बैंड पर 100.1 मेगाहर्ट्ज पर चलता है।

दूरदर्शन : अहमद नगर में एक अल्प शक्ति (100 वाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर पहले ही कार्य कर रहा है। इस ट्रांसमीटर के स्थान पर उच्च शक्ति ट्रांसमीटर लगाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है क्षेत्र में दूरदर्शन सेवा में और सुधार करना इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध साधनों पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

धारावाहिकों के पुनर्प्रसारण के लिए अपनाया गया मापदण्ड

1207. श्री यशवंतराव पाटिल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धारावाहिकों को फिर से प्रसारित करने की अनुमति प्रदान करने हेतु क्या मापदण्ड अपनाए गए हैं;

(ख) क्या "हम लोग" धारावाहिक के पुनर्प्रसारण की अनुमति दी गई है;

(ग) क्या सरकार का प्रसिद्ध धारावाहिक जैसे विक्रम और बेताल, रामायण और महाभारत को पुनः प्रसारित करने की अनुमति देने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास): (क) फिलहाल दूरदर्शन द्वारा शनिवार, दोपहर बाद प्रसारण में कुछ चुने हुए धारावाहिकों के पुनः प्रसारण की अनुमति दी जाती है। किसी धारावाहिक के पुनर्प्रसारण पर विचार करने के लिए दूरदर्शन द्वारा निम्नलिखित मानदण्ड अपनाए जाते है :—

(i) धारावाहिक की लोकप्रियता और कलात्मक गुणवत्ता।

(ii) पुनर्प्रसारण के लिए प्रस्ताव को प्राप्ति की तारीख।

(iii) निर्धारित समय पर प्रसारण हेतु निर्माता का तैयार होना।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) शनिवार दोपहर बाद के प्रसारण में "विक्रम और बेताल" के पुनर्प्रसारण का प्रस्ताव किया गया है और इस पर ऐसे अन्य प्रस्तावों के साथ विचार किया जाएगा। फिलहाल "रामायण" और "महाभारत" के पुनर्प्रसारण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

अहमद नगर जिले में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

1208. श्री यशवंत राव पाटिल : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अहमद नगर जिले में कोई खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। मंत्रालय की नीति राज्य सरकार के उपक्रमों को उनके द्वारा स्वयं अथवा संयुक्त/सहायित सेक्टर में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित

करने में मदद देना है। परन्तु यह समझा जाता है कि श्रीरामपुर दूध जिला मध्यवर्ती सहकारी संघ, बभालेश्वर के अधीन अहमद नगर जिले में डेरी एककों के विस्तार के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एक प्रस्ताव की जांच कर रहा है।

उद्योगों के लिए लाइसेंस जारी करने क प्रस्ताव

1209. **मोहम्मद अली अशरफ फातमी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार में स्थापित किए जाने वाले उद्योगों के लिए लाइसेंस जारी करने और उनका पंजीकरण करने के संबंध में प्राप्त हुए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) ये प्रस्ताव किस-किस तारीख को प्राप्त हुए थे और इन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में विलम्ब से बचने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) वर्ष 1988, 1989, 1990 और 30 जून, 1991 तक की अवधि में बिहार में औद्योगिक एकक स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस जारी करने हेतु 186 आवेदन पत्र और पंजीयन हेतु 224 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। इनमें से औद्योकि लाइसेंस के 104 आवेदन पत्र और पंजीयन के 216 आवेदन पत्र मौजूदा नीति के मुताबिक स्वीकृति दे कर अथवा नामजूंर करके निपटा दिये गये हैं। जुलाई, 25 1991 की अधिसूचना के अनुसार, सुरक्षा और मार्मिक महत्व, सामाजिक कारणों आदि से संबंध उद्योगों की संक्षिप्त सूची को छोड़कर अन्य सभी परियोजनाओं के लिए औद्योगिक लाइसेंसीकरण समाप्त कर दिया गया है।

12.00 मध्याह्न

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री शोभनाद्रीश्वर वाड्डे राव (विजयवाड़ा) : महोदय, आन्ध्र प्रदेश की एक अत्यंत गंभीर स्थिति के बारे में हमने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है। आन्ध्र प्रदेश में कई बातें हो रही हैं। महोदय, लाखों किसान कष्ट उठा रहे हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं आपका नाम पुकारूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये, मैं एक के बाद एक नाम पुकारूंगा। श्री तेज सिंह राव भोंसले।

[हिन्दी]

श्री तेज सिंह राव भोंसले (रामटेक) **:** अध्यक्ष महोदय, आज के "हिन्दुस्तान टाइम्स" तथा "नवभारत टाइम्स" तथा सभी पेपरों में एक बहुत खतरनाक और बहुत कठिन परिस्थिति हमारे रामटेक कांस्टीट्यूएंसी में निर्मित हुई है। नागपुर में वर्धा नदी में आई बाढ़ से नारखेड़ तहसील का

एक पूरा गांव बह गया है जिससे 100 से ज्यादा व्यक्ति मारे गए हैं और 400 से ज्यादा आदमी लापता हो गए हैं। नागपुर से 90 किलोमीटर दूर मवाद गांव में कल देर रात वर्धा नदी में उफान आया और बड़े सवेरे 5 बजे पूरा गांव बह गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि वह पूरे गांव को मटियामेट कर गया। गांव में 2000 मकान थे जिनमें से डेढ़ हजार से ज्यादा का नामो-निशान तक मिट गया है। इस इलाके का संपर्क सब जगह से टूट गया है। हेलीकाप्टर से भी पहुंचना वहां मुश्किल हो गया है। मवाद गांव के 500 लोग बाढ़ में लापता हो गए हैं। करीब डेढ़ हजार घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इसके अलावा निकटवर्ती जाजाल्लेडा गांव से 15 तथा भूगांव से 4 लोगों के लापता होने का अंदाज है। 150 मकान धराशायी हो गए। कटोल तहसील के कुछ गांव भी बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। जिला अमरावती के वरुड़ तहसील में वर्धा नदी के किनारे जो गांव हैं वहां 50 लोग मारे गए हैं ऐसा अंदाज है। वरुड़ तहसील में 500 मि० मी० मतलब 20 इंच का पानी 24 घंटे होने के कारण वर्धा नदी के जल का जो स्तर है वह अचानक बढ़ गया जिस कारण इतने लोगों को जान-माल से हाथ धोना पड़ा है। अनुमान है कि 5000 व्यक्ति इस भयंकर बाढ़ से बेघर हुए हैं तथा उनकी चल और अचल संपत्ति जो 10 करोड़ से ज्यादा है, वह तबाह हो गई है, जान-माल का भी भारी नुकसान हुआ है। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि अविलंब बाढ़ पीड़ित लोगों को राहत प्रदान की जाए तथा इस बाढ़ में जितने भी लोग प्रभावित हुए हैं और जिन्हें जान-माल का नुकसान हुआ है उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। जिन लोगों के मकान बाढ़ में बह गए हैं उनके पुनर्वास के लिए भी मुआवजा दिया जाए। बाढ़ का जल स्तर कम होने पर पूरे क्षेत्र में जो गंदगी छूटेगी उससे अनेक बीमारियां पैदा हो सकती हैं इसलिए पहले से ही इसके रोकथाम की व्यवस्था होना आवश्यक है। आशा है प्रधान मंत्री राहत कोष से बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने हेतु अविलंब धनराशि स्वीकृत की जाएगी। वैसे ही सरकार से मेरी विनती है कि आज इस सदन में इसके बारे में एक स्टेटमेंट दिया जाता तो बहुत अच्छा होगा। मेरे पूर्व उसी क्षेत्र से आज के माननीय प्रधान मंत्री श्री नरसिंह राव जी दो बार चुन कर आए हैं और वहां के लोग बहुत प्यार से उनकी तरफ देखते थे और आशा है कि यहां पर कुछ निर्णय हो सकेगा। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए कापसे साहब। देखिए, इस बारे में मेरे पास बहुत सारे सम्माननीय सदस्यों ने स्टेटमेंट करने के लिए कहा था उनमें भोंसले साहब हैं, मुकुल वासनिक जी हैं, गुणवंत रामभाऊ सरोदे जी हैं, राम नाइक जी हैं, राम कापसे जी हैं, राम विलास पासवान जी भी हैं और मैं समझता हूं कि उड़ीसा से भी दूसरे सदस्य हैं। मेरी इरीगेशन मिनिस्टर साहब के साथ बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है कि वे इन्फार्मेशन कलैक्ट करके, क्या परिस्थिति है, उसके सम्बन्ध में सदन को जानकारी देंगे और किस प्रकार राहत देने वाले हैं, इसकी जानकारी भी दी जायेगी। मैं समझता हूं कि जब वे स्टेटमेंट सदन में करने जा रहे हैं, पहले उनका स्टेटमेंट हो जाये, उसके बाद अगर कुछ करना जरूरी हो तो वह करें।

(**व्यवधान**)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : अध्यक्ष जी, इस सदन में और उस सदन में अंतर है। उस सदन में, अगर कोई मंत्री वक्तव्य करता है तो उसके बाद स्पष्टीकरण पूछे जाते हैं मगर यहां की परम्परा यह है कि जिस दिन वक्तव्य होता है, उस दिन कोई स्पष्टीकरण नहीं पूछा जा सकता। मेरा सुझाव होगा कि जिन माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में आपको नोटिस दिए हैं, उनके नाम से कल कालिंग अटेंशन नोटिस आ जाए तो उस पर सवाल भी पूछे जा सकते हैं और वह ज्यादा उचित होगा। इसमें वक्तव्य भी हो जाएगा और सवाल भी पूछे जा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : हमारे सामने एक मोशन आया है जो ड्रॉट और फ्लड सिचुएशन के बारे में है। मैं समझता हूं कि दोनों को एक साथ लिया जा सकता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में किस प्रकार से हम एडजस्ट कर सकते हैं, सोचने के बाद फैसला लेंगे।

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, आप महाराष्ट्र के मामले में फ्लड के ऊपर कालिंग अटैंशन ले लीजिए और उसी में सूखा और बाढ़ दोनों की स्थिति पर विचार हो जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : पासवान जी, क्या लेना है, क्या नहीं, आप मुझे नहीं बतायेंगे। मैं अपने आप फैसला करूंगा।

(व्यवधान)

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : अध्यक्ष जी, सारे हिन्दुस्तान का किसान आज बहुत परेशान है। फर्टिलाईजर के दाम अंधाधुंध बढ़ गये हैं देश के कुछ भागों में फ्लड की स्थिति पैदा हो गई है और दूसरी ओर सरकार द्वारा खाद पर दी जाने वाली सबसिडी हटा लिये जाने से किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है। हिन्दुस्तान भर के किसान महंगाई के कारण पहले से ही परेशान हैं, कहीं वे सूखे से पीड़ित हैं तो कहीं बाढ़ से पीड़ित हैं। सरकार की मार से भी वे पीड़ित हैं। अध्यक्ष जी, इस सरकार ने किसानों पर इतना जुल्म किया है रेट बढ़ा कर...... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जब दूसरे सदस्य बोल रहे हों तो आपको बैठ जाना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा। कृपया जब वह बोल रहे हैं तो अपने स्थान पर बैठें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि सरकार ने जो रेट बढ़ाए हैं, उसकी मार तो अलग है, मगर किसान को आज सामान और खाद ब्लैक मार्किट में खरीदनी पड़ रही है, क्योंकि होलसेलर्ज ने खाद को रोक लिया है जिससे ब्लैक मार्किटिंग शुरू हो गई है। आप तुरन्त सरकार को निर्देश दें कि किसानों को सही मूल्य पर, कम मूल्य पर, खाद सप्लाई की जाये, फर्टिलाइजर दिया जाए जिससे कि वे अपना किसानी का काम ठीक तरह से कर पायें और हिन्दुस्तान को भुखमरी से बचाया जा सके। हिन्दुस्तान का किसान आज भुखमरी के कगार पर खड़ा है। उस पर दोहरी मार पड़ रही है : एक तो सभी चीजों के दाम बढ़ गये हैं, दूसरे सरकार

ने खाद से सबसिडी हटा कर किसान के साथ विश्वासघात किया है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस मामले में सरकार से तुरन्त बयान दिलाएं और सरकार को निर्देश दें कि खाद पर फिर से पुरानी दर पर सबसिडी मिलनी चाहिये ताकि किसान राहत महसूस कर सके । मुझे आशा है कि आप सरकार को आवश्यक निर्देश देंगे । बयान दिलायेंगे । (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं अपकी सहायता कर रहा हूं । कृपया अपना स्थान ग्रहण करें । मुझे लगता है कि वर्धा के माननीय सदस्य भी बोलने के उत्सुक हैं । मैं कह चुका हूं कि आपका नाम भी शामिल किया जाएगा । जब वक्तव्य आएगा तो मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा ।

(**व्यवधान**)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : अध्यक्ष महोदय, कालाहांडी में सात सौ मजदूर सुरंग में फंसे हुए हैं । इस बारे में हम मंत्री जी से एक वक्तव्य चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : वे इस बारे में भी वक्तव्य देंगे ।

(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : माननीय कृषि मंत्री जी बैठे हैं, आप उन्हें निर्देश दीजिए । आज किसानों की हालत बहुत खराब हो गई है । आप बयान दिलाइए ।

श्री दाउ दयाल जोशी (कोटा) : अध्यक्ष जी, सरकार ने एक प्राइवेट फाउन्डेशन को 100 करोड़ रुपए देकर सरकारी पैसे को बर्बाद किया है इस तरह करोड़ों रुपया बर्बाद किया जा रहा है । (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : हम सुरंग में फंसे हुए मजदूरों का भविष्य जानना चाहते है ।. . . . (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं । अब कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा ।

(**व्यवधान**)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए ।

(**व्यवधान**)

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया पहले अपना स्थान ग्रहण करें। आप चाहते हैं कि जो कुछ आप बोलें वह कार्यवही वृतांत में शामिल हो। मैं चाहता हूं कि वह कार्यवही वृतांत में शामिल हो।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाएं। मैं कह रहा हूं कि मैंने महत्वपूर्ण मुद्दों की जांच की है। मैं आप सबको एक एक करके बोलने की अनुमति दूंगा। अगर आप अपनी कही बात को कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं करवाना चाहते, तो आप सभी एक साथ उठ कर बोल सकते हैं। मैं कुछेक व्यक्तियों को बोलने की अनुमति दूंगा और उसके बाद कुछ अन्य को अनुमति दूंगा। अगर आप सभी एक साथ बोलेंगे तो आप को ही परेशानी होगी। मुझे परेशानी नहीं होगी। इसलिए, आपकी सहायता करने के लिए आप मेरी सहायता करें ताकि आपका वक्तव्य कार्यवाही वृतांत में शामिल हो सके। मैं एक के बाद दूसरे व्यक्ति को बोलने की अनुमति दूंगा।

आपने कालाहांडी और अन्य बातों को उठाया है। यह बहुत महत्वपूर्ण भी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया पहले मेरी बात सुनें। अगर आप बाधा डालेंगे तो मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं आप वह नहीं सुन पाएंगे। मैं एक निश्चित सीमा से परे अपनी आवाज बुलंद नहीं कर सकता आप सब की सम्मिलित आवाज के समक्ष, मेरी आवाज कुछ भी नहीं है।

मैंने माननीय मंत्री से भी वक्तव्य देने को कहा है। उन्होंने मुझसे सम्पर्क किया और मैंने उनसे उड़ीसा की स्थिति पर और कालाहांडी पर एक वक्तव्य देने को कहा है। आडवाणी जी तथा कुछ अन्य सदस्यों ने कहा है कि वे चर्चा कराना चाहते हैं। हम देखेंगे कि इस पर किस प्रकार चर्चा हो सकती है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया पहले बैठ जाएं। मैं क्रम से माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति दूंगा।

श्री शोभनाद्रीश्वर वाड्डे राव।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे राव : अध्यक्ष महोदय, आपकी कृपा है कि आपने मुझे आंध्र प्रदेश में हो रही उर्वरकों की कालाबाजारी को इस सरकार के ध्यान में लाने की अनुमति दी।

बजट के आने से पूर्व ही माल प्राप्त कर लिया गया था। उन्हें यह माल पिछले मूल्य पर ही बेचना था। आपके माध्यम से तीन बार सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के बावजूद, आंध्र प्रदेश में स्थिति बदतर हो गई है। कई स्थानों में व्यापारी अधिकारियों की मिलीभगत से किसानों को माल नहीं दे रहे और वे बढ़ी हुई कीमतें मांग रहे हैं। उसके कारण, किसानों को गोदामों में, जहां उर्वरक जमा है, जाने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। पुलिस किसानों पर लाठी चार्ज कर रही है व गोली चला रही है। कई स्थानों पर कानून व्यवस्था नियंत्रण के बाहर हो गई है।

मैं प्रधान मंत्री, माननीय कृषि मंत्री और माननीय उर्वरक मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे सभा को ठोस आश्वासन दें कि बजट आने पर पूर्व जो माल व्यापारियों द्वारा खरीदा गया था उसे पुराने मूल्य पर ही किसानों को द अगर व्यापारी इसे न माने, तो उनके लाईसेंस रद्द कर दिए जाएं। मैं मंत्री से एक वक्तव्य की मांग करता हूं जो बहुत जरूरी है।

[हिन्दी]

श्री फूल चन्द वर्मा (शाजापुर) : अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने किसानों की फर्टिलाइजर पर जो खेती में उपयोग होता है, उसमें 40 प्रतिशत वृद्धि कर दी है। यह "जय जवान जय किसान" का नारा देने वाली सरकार है, इसने किसानों की कमर तोड़ दी है और हरितक्रांति पर कुठाराघात किया है, लेकिन दूसरी तरफ 100 करोड़ रुपया राजीव गांधी प्रतिष्ठान पर यह सरकार खर्च कर रही है········ **(व्यवधान)**

देश का जो किसान है वह हमारा अन्नदाता है, देश का भाग्य विधाता है।···· **(व्यवधान)** आज किसान की कमर टूट गई है।···· **(व्यवधान)** यूरिया में 50 रुपये बढ़ गया है।···· **(व्यवधान)** मैं जानना चाहता हूं कि राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए 100 करोड़ रखा गया है इसके लिए भी कुछ करें।···· **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक (बुलढ़ाना) : हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप इन माननीय सदस्य को इस मामले को सभा में उठाने की अनुमति कैसे दे रहे हैं। क्या आपने उन्हें राजीव गांधी फाउंडेशन से संबंधित प्रश्न उठाने की अनुमति दे दी है ? **(व्यवधान)** यह सहन नहीं किया जाएगा। **(व्यवधान)**

श्री बी० विजयकुमार राजू (नरसापुर) : आप माननीय मंत्री से एक वक्तव्य देने को कहें।

अध्यक्ष महोदय : अब श्री अम्बारासु इरा बोलेंगे।

(व्यवधान)

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : क्या माननीय सदस्य ने कोई नोटिस दिया है ? **(व्यवधान)** मैं यह व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। आपने किस विषय पर माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति दी है ?

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। हर चीज अव्यवस्थित है। कृपया आप सब बैठ जाएं। मैं श्री अम्बारासु को वक्तव्य देने की अनुमति दे रहा हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं खड़ा हूं, आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगर मेरी बात नहीं सुननी है तो आप ही बता दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : खुराना जी, आप बैठ जाइए, आप बार-बार उठ रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री श्रीकांत जेना (कटक) : हम मांग कर रहे हैं कि माननीय मंत्री को एक वक्तव्य देना चाहिए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप सब कृपया बैठ जाएं। क्या आप इस मामले को सरकार के ध्यान में लाना चाहते हैं और कार्यवाही वृत्तांत में शामिल करवाना चाहते हैं या सिर्फ चिल्लाना चाहते हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपका नाम नहीं पुकारा है। आप इस तरह नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगर आप इस प्रकार उठते रहेंगे, तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। आप कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। मैं खड़ा हूं। कृपया मुझे उत्तर देने दें। आप भी मुझे तंग कर रहे हैं। कृपया अब बैठ जाएं। ऐसा लगता है कि आप सरकार से एक वक्तव्य चाहते हैं।

कुछ माननीय सदस्य : हाँ

अध्यक्ष महोदय : हम बजट पर चर्चा कर रहे हैं और बजट में कुछ कदम उठाए गए हैं। इसलिए आप कह रहे हैं कि मूल्य बढ़ गए हैं। आप और क्या चर्चा कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। इससे आपको लाभ नहीं होगा। कृपया बैठ जाएं। अगर आप मेरी सहायता नहीं करेंगे, तो मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। मेरी बोलने की शक्ति सीमित है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, आपकी आवाज श्री खुराना की आवाज की तरह होनी चाहिए। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : पासवान जी, मैं आपकी मदद कर रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : आप पहले स्टेटमेंट दिलाइए। **(व्यवधान)**

श्री फूल चन्द वर्मा : अध्यक्ष महोदय, आपने पहले मुझे एलाऊ किया था .... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप बैठना नहीं चाहते हैं तो मैं बैठ जाऊंगा। आप जितना टाइम बोलना चाहते हैं, बोलते जाइए। अगर अपनी बात रिकार्ड में लाना चाहते हैं तो जो मैं बोल रहा हूं उसको सुन लीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : चटर्जी जी, मैं आपको अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

श्री फूल चन्द वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से खड़ा हुआ हूं। मैंने अभी समाप्त नहीं किया है। मेरा कहना यह है कि एक ओर तो 40 परसेंट फर्टिलाइजर की कीमतों में वृद्धि की है और दूसरी ओर 100 रोकड़ रुपए राजीव गान्धी फाउंडेशन के लिए दिए गए हैं।···· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री सोमनाथ चटर्जी को बोलने की अनुमति दे रहा हूं। पहले, आप सब, अपने स्थानों पर बैठें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री वासनिक, कृपया अपनी जगह पर बैठिए। मुझे जो कहना है वह मैं कर रहा हूँ। अब आप कृपया अपनी जगह पर बैठिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए, मैं आपकी मदद कर रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री फूल चन्द वर्मा : ये लोग मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं, जैसे राजीव जी का नाम लेने··· (व्यवधान)···· इन्होंने किसानों के मुंह की बीड़ी छीन ली है, किसानों की कमर टूट गई है, बजट से लोगों की चाय कड़वी हो गई है····(व्यवधान)····

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे पूरी बात कहने दें। यह क्या है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि यह अप्रासंगिक है तो इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। यदि यह प्रासंगिक है, तो इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित किया जायेगा। आपको वह बात कहने की अनुमति दी गई है जिससे किसी मामले पर प्रकाश पड़े आपको वह बात कहने की अनुमति नहीं है जिससे इस प्रकार की प्रतिक्रिया हो। आप कृपया अपना भाषण जारी रखें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री फूल चन्द वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि किसान धरती मां का बेटा है, हमारा अन्नदाता है। 18-18 घण्टे सर्दी, गर्मी और बरसात में खेत में काम करता है और अनाज पैदा करके पूरे देशवासियों को देता है लेकिन आज उसकी हालत यह है कि 40 पर-

सेन्ट जो फर्टिलाइजर पर वृद्धि हुई है, उससे उसकी कमर टूट गई है, इससे हरित क्रान्ति के ऊपर कुठाराघात हुआ है और दूसरी ओर यह सरकार परिवारवाद लाकर राजीव गांधी फाउण्डेशन को सौ करोड़ खर्च करने को दे रही है···· **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : आपकी अनुमति से मैं यह कहना चाहता हूं ····**(व्यवधान)**····।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी जगह पर बैठें।

(व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह : आपने अभी बिलकुल ठीक कहा है कि माननीय सदस्य जिस विषय पर बोल रहे हैं उससे सम्बन्धित जो भी प्रासंगिक है वे उसे निर्भय हो कर कह सकते हैं और जो प्रासंगिक नहीं है उसे कहने की आवश्यकता नहीं है। यदि यह कहा जाता है तो उसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : आप कैसे कह सकते हैं ?····**(व्यवधान)**··

[अनुवाद]

श्री अर्जुन सिंह : मैं अध्यक्ष महोदय के भाषण को ही उद्धरित कर रहा हूँ।

[हिन्दी]

जरा सुनने की हिम्मत रखिये। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

मैंने अध्यक्ष महोदय का ही उद्धरण दिया है। **(व्यवधान)** महोदय, आपने यह कहा है। मेरे विचार में माननीय अध्यक्ष ने जो कहा है उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए और मेरा विचार है कि हम चाहे सभा में किसी भी पक्ष से सम्बन्ध रखते हों, यह हम सबका कर्त्तव्य है कि सभा के बीचोबीच इस प्रकार के हलके-फुलके मजाक नहीं किए जाने चाहिएं जो सदस्यों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं·· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जायें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं अपना निर्णय दे रहा हूं। इस विषय पर वक्तव्य देने के लिए मैंने आपकी भावनाओं का मान रखा था। मैंने कहा था कि आम बजट पर चर्चा के दौरान इस विषय पर भी चर्चा की जा सकती है। किन्तु आप अपना वक्तव्य देने के लिए दृढ़ थे और इसके लिए मैंने आपको अनुमति दे दी थी। अपने भाषण के दौरान आपने इस बात का एक बार नहीं अपितु चार बार उल्लेख किया है। विपरीत प्रतिक्रिआओं के बाद भी आपने इसे दुहराया। आपके लिए ऐसा करना आवश्यक नहीं था। मैंने आपको एक बार अपना वक्तव्य देने के लिए अनुमति दी थी। मैंने आपको अपना वक्तव्य देने के लिए दुबारा भी अनुमति दी थी। आपने तीसरी और चौथी बार भी इसे दुहराया। ऐसा लगता है कि आपकी यही मंशा है कि इस प्रकार की प्रतिक्रिया हो। मैं आपको इस प्रकार का वक्तव्य देने की अनुमति नहीं देता। अन्यथा, मैं आपको बोलने की अनुमति भी नहीं दूंगा।

[हिन्दी]

श्री फूल चन्द वर्मा (शाजापुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि इस देश की 72 फीसदी आबादी गांवों में रहती है । भारतवर्ष कहीं निवास करता है, तो गांवों में निवास करता है। आज जो वह 40 प्रतिशत वृद्धि की गई है, उसका असर देश के गांवों पर ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता पर इसका असर पड़ने वाला है।··**व्यवधान**··इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, कृषि मंत्री जी बैठे हुए हैं और मैंने अभी चार-पांच दिन पहले इनका टी०वी० में इन्टरव्यूह देखा था, ये खुद किसान हैं और किसानों के दर्द को समझते हैं। गांवों में रहने वाले किसानों को क्या तकलीफ होती है। आज किसान कभी सूखे से, कभी पाले से, कभी ओले से और कभी बाढ़ से पीड़ित है। आज किसान की हालत ठीक नहीं है। इसलिए मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस संबंध में अपना ध्यान दें।·········(**व्यवधान**)··

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री सोमनाथ चटर्जी को बोलने की अनुमति दी है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर विषय है। हमें जिसकी आशंका थी वह सच हो गया है, सिद्धान्त रूप से हम इस बात का विरोध करते रहे हैं कि उर्वरक पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता को न कम किया जाना चाहिए और न ही समाप्त किया जाना चाहिए हमें जिसकी आशंका थी वही हो रहा है। अब सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसानों को इसे उपलब्ध कराया जाये। न केवल मूल्यों में वृद्धि की गई है अपितु बाजार अर्थव्यवस्था का परिणाम भी हमारे सामने हैं। पहली मात्रा अब आ रही है। मुख्य रूप से बाजार में इसकी बहुत कमी है। वे केवल बाजार अर्थव्यवस्था के चलन पर भरोसा कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में सरकार का क्या करने का इरादा है। यही समय है जब इसकी सख्त आवश्यकता है और इसे उचित मूल्य पर उपलब्ध कराया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि काला-बाजारी करने वाले अथवा जमाखोर अपनी मर्जी से कोई भी मूल्य वसूल कर लें। अतः सरकार से निवेदन है कि वह इस विषय पर तत्काल प्रतिक्रिया प्रकट करे और माननीय वित्त मन्त्री, जो इस समय प्रफुल्लित हैं, के बजट के उत्तर पर ही आश्रित न रहें। वे सोचते हैं कि उन्होंने एक नए भारत का निर्माण किया है। वे भारत में एक जापान निवेश के बारे में सुझाव दे रहे हैं। किन्तु उन्हें इसकी बिल्कुल चिन्ता नहीं है कि भारत में किसानों के साथ क्या हो रहा है। अतः, हम सरकार से तुरन्त वक्तव्य चाहते हैं।

श्री अन्बारासु इरा (मद्रास मध्य) : अध्यक्ष महोदय, आज मैंने "**दि हिन्दू**" में एक समाचार पढ़ा है। पृष्ठ संख्या 9 पर, इसके अनुसार कर्नाटक सरकार के प्रतिनिधि उपस्थित ····(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री अन्बारासु, अब मैं श्री पासवान को बोलने की अनुमति दूंगा। इसके बाद, मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा।

(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, मैं समझता हूं कि यह कोई एक दल का मामला नहीं है, बल्कि तमाम दलों के नेताओं ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है कि जो फर्टिलाइजर की सब्सिडी 40 प्रतिशत घट गई है, उससे किसान आज बहुत ही तबाह हैं और उनमें बहुत रोष है। आपने यहां सदन के सदस्यों की भावनाओं को भी देखा है, राष्ट्रीय मोर्चा, लैफ्ट फ्रन्ट और मैं समझता हूं कि कांग्रेस-आई में भी जो किसान लोग हैं, जो किसान की समस्याओं को जानते हैं, वे भी इससे चिन्तित हैं।···· **(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : छोटे किसान ···· **(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान : छोटे किसान हों और जाखड़ साहब तो सबसे बड़े किसानों के हिमायती हैं। इसलिए यह कोई पार्टी का सवाल नहीं है और इसको बजट से भी न जोड़ा जाए, क्योंकि बजट में तो बहुत सारी चीजें होंगी। यहां जाखड़ साहब बैठे हुए हैं, सदन के नेता अर्जुन सिंह जी भी बैठे हुए हैं, हम उनसे आग्रह करेंगे कि सदन की जो भावना है, उसको देखते हुए, वे रियेक्ट क्यों नहीं करते हैं। आप क्यों नहीं बतलाते हैं, इन्होंने जो 40 प्रतिशत सब्सिडी घटायी है उस पर सरकार क्या अभी भी स्टिक करती है? यदि स्टिक करती है, तो हम लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि अगला कदम क्या उठावें।······ **(व्यवधान)**

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : अध्यक्ष जी, हम लोग किसान हैं, मैं तो किसान हूं। मैंने अपने हाथों से खुद खेत जोतने का काम किया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपका हाथ देखूंगा।

श्री सूर्य नारायण यादव : सरकार ने जो 40 प्रतिशत फर्टिलाईजर का दाम बढ़ाया है, उसका असर 70 फीसदी पर पड़ेगा। आज एक बोरे पर 60 से 70 तक दाम बढ़ गए। किसान कहीं बाढ़ से और कहीं सुखाड़ के कारण तबाही में है। एक बार नहीं, बल्कि कई-कई बार किसान की फसल बर्बाद हो जाती है और फिर भी उसके ऊपर ही सारे टैक्स लादे जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, ये सारा टैक्स किसान को ही देना पड़ता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री से मांग करता हूं कि मंत्री जी इस पर वक्तव्य दें और निश्चित रूप से इसके लिए कुछ करें।··· **(व्यवधान)**

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : श्रीमान्, अभी आपने कहा कि ये बजट में है। मेरा निवेदन यह है कि बजट तक अगर हमने वेट किया तो किसान डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा क्योंकि सरकार ने जो एक नयी बात कही है कि ट्रेडर से तो यह कहा है कि आप अपना माल पुराने दामों पर दीजिए, लेकिन जो मैनुफेक्चरर्स या होलसेलर्स हैं उनको कुछ नहीं कहा है। इसका रिजल्ट यह हो रहा है कि मैनुफेक्चरर्स और होलसेलर्स सारा फर्टीलाइजर दबा गए हैं, वे अभी सप्लाई नहीं कर रहे हैं। किसान को आज फर्टीलाइजर नहीं मिल रहा है और एक तरफ सूखा पड़ा हुआ है और एक तरफ बाढ़ आ रही है। अगर बजट के पास होने तक हमने वेट किया तो तब तक किसान डूब जाएगा। इसलिए अध्यक्ष जी, हमने ये फैसला किया है, मेरी पार्टी ने ये फैसला किया है कि फर्टीलाइजर के मामले में हम आफिशियल कटौती का प्रस्ताव देंगे और हाउस को डिवाइड करेंगे। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि इसके बारे में कृषि मंत्री जी ने आज बार-बार यह कहा कि इस बजट के पहले हम फर्टीलाइजर की कटौती, उसकी सप्लाई में कटौती नहीं

होने देंगे, कृषि मंत्री जी ने यह पब्लिक स्टेटमैंट दिया था। उसके बाद भी बजट के अन्दर यह कटौती हो गई। इसलिए मेरा निवेदन है कि आज किस मुंह से, किन शब्दों में कृषि मंत्री जी ने कहा था और अखबारों के अन्दर भी छपा था, उसको मंत्री जी स्पष्ट करें। आपने कहा था कि·· **(व्यवधान)**

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : आपने आधा पढ़ा है। ·· **(व्यवधान)**

श्री मदन लाल खुराना : मैंने पूरा पढ़ा है। **(व्यवधान)** अध्यक्ष जी, मैंने उस दिन दोनों स्टेटमैंट पढ़े। आपका स्टेटमैंट भी पढ़ा और उसी दिन अखबार के अन्दर वित्त मंत्री जी का स्टेटमैंट भी पढ़ा। इन्होंने कहा था कि हम बढ़ाएंगे, आपने कहा कि नहीं। **(व्यवधान)** इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि आप बजट तक वेट मत करवाइये और आज ही इनका स्टेटमैंट दिलवाइए कि ये इसके लिए क्या कदम उठा रहे हैं ताकि किसानों को फर्टीलाइजर मिले और सस्ते दामों पर मिले। इस बारे में आप बताएं। **(व्यवधान)**

श्री मनोरंजन भक्त (अण्डमान-निकोबार) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर विषय है। उर्वरक लगाने का समय चल रहा है, और विशेष तौर पर, पूरे देश में छोटे और सीमान्त किसानों को भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है। यह संकट इसलिए है क्योंकि उर्वरकों की जमाखोरी की जा रही है और जमाखोर इस का लाभ उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं। माननीय कृषि मन्त्री यहां उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि छोटे और सीमान्त किसानों के इस कठिनाई के कारण उन्हें ठोस कदम उठाने चाहिएं और सभा में एक वक्तव्य देना चाहिए जिससे छोटे और सीमान्त किसानों, जिनके प्रति कांग्रेस पार्टी भी समर्पित है और कार्य कर रही है, को लाभ होगा। मुझे उम्मीद है कि माननीय मन्त्री महोदय अवश्य अपना वक्तव्य देंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : महोदय, यह स्पष्ट है कि यह भावना जो व्यक्त की जा रही है, वह दलगत भावना से परे है और यह सभा के सभी पक्षों की एकमत मांग है कि आर्थिक सहायता में इतनी अधिक कमी को, जिससे उर्वरकों के मूल्यों में 40 प्रतिशत से नहीं अपितु जमाखोरी और काला-बाजारी के कारण और अधिक वृद्धि हुई है, तुरन्त वापस ले लेना चाहिए। सरकार द्वारा इस पर पुनः विचार किया जाना चाहिए। किन्तु मैं एक सावधानी की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं क्योंकि वित्त मन्त्री ने अपने भाषण में कहा है कि खरीद मूल्यों में बढ़ौतरी के रूप में किसानों की क्षतिपूर्ति हो जायेगी। यदि उर्वरक के मूल्य 40 प्रतिशत की दर से बढ़ाए जाते हैं और इसके मुआवजे के रूप में, खरीद मूल्य भी 40 प्रतिशत की दर से बढ़ जाता है तो उपभोक्ता को राशन की दूकानों में 40 प्रतिशत की दर से अधिक भुगतान करना होगा। मुआवजे का यह कोई तरीका नहीं है। यह क्षतिपूर्ति केवल आर्थिक सहायता में की जाने वाली कमी को प्रत्यक्ष रूप से कम करके और मूल्यों को बढ़ाकर की जा सकती है। उन्हें किसानों को उपभोक्ताओं के विरोध में खड़ा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार क्षतिपूर्ति नहीं की जानी चाहिए। अतः, इस सावधानी को ध्यान में रखते हुए, मैं सभी पक्षों के सदस्यों द्वारा की गई इस मांग का पूर्णतया समर्थन करता हूं और मुझे उम्मीद है कि सरकार इस पर पुनः विचार करेगी।

श्री एस० बी० सिदनाल (बेलगांव) : महोदय, उर्वरकों के बिना कोई भी कुछ भी पैदावार नहीं ले सकता है। यदि आर्थिक सहायता में 40 प्रतिशत जितनी कमी की जायेगी तो उत्पादन को क्षति पहुंचेगी। इसमें हानि ही हानि होगी। श्री इन्द्रजीत गुप्त के अनुसार, इसकी क्षतिपूर्ति

शुल्क मूत्रों द्वारा की जायेगी, केवल बड़े किसान यह शुल्क देंगे। छोटे किसान कभी शुल्क नहीं देंगे। वे शुल्क नहीं दे सकते और उन्हें लाभ नहीं मिलेगा। अतः यह सभा की प्रबल भावना है कि सभा में इस विषय पर वक्तव्य दिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : अध्यक्ष महोदय, आपको समरण होगा कि 4 दिन पहले मैंने जब किसानों को इस समस्या को सदन में उठाया था, तब आपने उस दिन कृषि मंत्री जी को निदेशित किया था कि वे इसके ऊपर एक ब्यान देंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैंने ?

श्री चन्द्रजीत यादव : जी हां। सूखे पर जब मैंने सवाल उठाया था, तब आपने कहा था कि मंत्री जी एक ब्यान देंगे।

अध्यक्ष महोदय : हां फर्टीलाइजर का नहीं था।

श्री चन्द्रजीत यादव : श्रीमन्, यह सारी समस्याएं चाहे फर्टीलाइजर की बढ़ी हुई कीमतें हों, चाहे सूखे से परेशान किसान हों, चाहे बाढ़ से परेशान किसान हों, किसानों की समस्याएं हैं। हम लोग इस सदन के दो तिहाई सदस्य किसानों के गावों से चुन कर प्रतिनिधि आए हैं और उनकी समस्याओं पर अगर इस सदन में गम्भीरता से विचार नहीं होगा तो इसका क्या परिणाम होगा। अध्यक्ष महोदय, आपने 4 दिन पहले निर्देशित किया था। आज 30 करोड़ लोग सूखे से परेशान हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है। मैंने कहा था कि उन्हें जल्द से जल्द वक्तव्य देना चाहिये।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव : एज सून एज पासीबल कहने के बाद भी 4 दिन हो गए हैं, इसलिए यह मेरी मांग है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब आप उर्वरकों की बात कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव : अध्यक्ष महोदय, ये सारी समस्याएं किसानों की जिंदगी से संबंधित हैं। कल भी मैंने कहा था, आप यहां नहीं थे।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपका भाषण सुना था।

श्री चन्द्रजीत यादव : कल मैंने कहा था कि 40 रुपये प्रति बोरी फर्टीलाईजर के भाव बढ़ गए हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको आज यह दुहराने की आवश्यकता नहीं है।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं यह पुनः इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह एक गंभीर बात है।

अध्यक्ष महोदय : दूसरे लोगों को भी बोलना है।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव : महोदय यह बहुत ही गंभीर मामला है; और

[हिन्दी]

श्रीमन्, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि आप मंत्री महोदय को कहें। हम यह नहीं कह रहे हैं कि 2 दिन में बजट आएगा, विचार करेंगे या नहीं, तब हम देखेंगे, मगर इस बीच में फर्टीलाइजर ब्लैक मार्केट में न बिके और किसान मुसीबत में न फंसे। आज किसान के लिए बुवाई का समय है। आज उसको धान में डालने के लिए, खरीफ की फसल में डालने के लिए फर्टीलाइजर की जरूरत है। इसलिए आप निर्देश दें कि मंत्री महोदय आज इसके ऊपर ब्यान दें कि क्या कदम उठाये जा रहे हैं, ताकि किसानों को ब्लैकमार्केट से फर्टीलाइजर न मिले। **(व्यवधान)**

श्री बूटा सिंह (जालौर) : अध्यक्ष महोदय, इन्द्रजीत गुप्त जी ने सही कहा कि यह दलगत राजनीति का प्रश्न नहीं है, इससे समूचे किसान वर्ग और खेती में काम करने वाले मजदूरों पर असर पड़ता है। मैंने देखा है कि बड़े सलेक्टेड केटैगरीज के फर्टीलाइजर पर सबसिडी कम की गई है। कुछ केटेगरीज के फर्टीलाइजर्स है जो हरियाणा और पंजाब में, जहां हाई डेंसिटी इर्रीगेशन हैं, वहां इस्तेमाल होता है और पब्लिक सेक्टर्स में मैनुफेक्चर होता है। वहां के पब्लिक सेक्टर यूनिट्स क्लोज होने जा रहे हैं, बिकाज आफ दिस पालिसी और हजारों कर्मचारी बेरोजगार होने जा रहे हैं। इस सिलसिले में वहां से बड़ी हाई पावर टीम्स आकर प्रधान मंत्री जी से, वित्त मंत्री जी से और कृषि मंत्री जी से मिलने जा रही हैं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : आप तो बहुत बड़े किसान हैं।

श्री बूटा सिंह : मैं बड़ा किसान नहीं हूं, छोटा किसान हूं। **(व्यवधान)**

मेरी अर्ज यह है कि आज जो परिस्थिति है, जो किसान बहुत बड़ी मात्रा में खाद का इस्तेमाल करते हैं, पश्चिमी यू० पी०, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के किसान हैं, वे ट्रेडर्स से, खासकर के जो ब्लैक मार्केटियर्स हैं वे इस नई घोषणा के बाद किसानों को लूट रहे हैं।...... **(व्यवधान)**

इसलिए मैं चाहता हूं, सदन में जो मांग उठी है, माननीय कृषि मंत्री जी सदन में आज एक स्टेटमेंट दें और कंट्री के सामने गाईड-लाइन्स रखें, जिससे एंटी सोशल एलीमेंट्स, ट्रेडर्स और ब्लैक-मार्केटियर्स किसान का खून न चूस सकें।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपको भी यह कहना चाहिए कि राज सहायता जारी रखी जानी चाहिए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने सभा में दोनों पक्षों की ओर से बोलने के लिए सदस्यों को देखा है यदि उन्हें कुछ कहना है तो वे माननीय मंत्री को लिख कर दे सकते हैं ताकि वह उनके विचार को जान सकें।

(व्यवधान)

श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह (राजनंद गांव) : मुझे केवल एक सुझाव देना है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : हां, मंत्री महोदय।

श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह : उनके वक्तव्य देने से पूर्व मैं एक सुझाव देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप उन्हें लिखकर दे दें।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यदि मैं आपको अनुमति देता हूं तो दूसरों को भी देनी पड़ेगी। मैं आपकी भावनाओं का पूरा सम्मान करता हूं।

(**व्यवधान**)

श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह : महोदय, मेरा केवल एक सुझाव है। उन्होंने दोनों पक्षों को खुश करने के लिए 40 प्रतिशत बढ़ौतरी तुरन्त लागू कर दी है। खरीद मूल्य की घोषणा होने तक 5 प्रतिशत बढ़ौतरी से शुरू करना चाहिए और उसके बाद सरकार अपनी इच्छानुसार फसल कटाई के बाद निर्णय कर सकती है। (**व्यवधान**)

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आप प्रतिदिन बोल रहे हैं।

(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री बलराम जाखड़ : अध्यक्ष महोदय, ये मेरी बात सुनेंगे तभी बोलूंगा। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। कृपया बैठ जाएं।

(**व्यवधान**)

श्री पी० सी० थामस : महोदय, मैं अपने दल केरल कांग्रेस, जिसका मैं इस सभा में प्रतिनिधित्व करता हूं, का विचार स्पष्ट करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रत्येक दिन आपको अनुमति देता रहता हूं। मैं आज आपको अनुमति नहीं दूंगा।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को व्यवस्थित करना है। आपको बैठना होगा।

(**व्यवधान**)

श्री पी० सी थामस : महोदय, विरोध स्वरूप मैं सदन-त्याग कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रतिदिन मैं आपको अनुमति दे रहा हूं। आज मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा।

(**व्यवधान**)

श्री पी० सी० थामस : महोदय, मुझे केवल अपनी पार्टी के मत को स्पष्ट करना है। आपने अनेक लोगों को बोलने की अनुमति दी है।

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान) *

अध्यक्ष महोदय : श्री थामस, आपको यह समझना चाहिए कि आप प्रतिदिन बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पहले आप कृपया बैठ जाएं और तब मैं स्पष्ट करूंगा।

श्री पी० सी० थामस : महोदय, यदि आप ऐसा सोचते हैं तो मुझे खेद है। मैंने दसवीं लोकसभा में एक शब्द भी नहीं बोला है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको समय दे सकता था परन्तु कई लोग बोलने के लिए खड़े हैं। यही समस्या है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे बीच में न टोकें। कोई तो सभा को व्यवस्थित करने वाला होना चाहिये। यदि सभी यह चाहें कि सभा उनकी सुविधानुसार चले तो सभा नहीं चल सकती है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमने आपको बोलने से कभी मना नहीं किया है लेकिन अनेक और लोग हैं जिन्हें बोलना है। यदि मैं आपको बोलने की अनुमति देता हूं तो औरों को भी अनुमति देनी होगी। आपको कठिनाई समझना चाहिए। आप यह कह सकते हैं कि उन्होंने जो भी कहा है उसे शामिल कर लिया जाए और वह ठीक है। कृपया मेरी कठिनाई को समझें।

श्री पी० सी० थामस : महोदय, मुझे खेद है कि आप यह महसूस कर रहे हैं कि हमने कई बार बोला है। वास्तव में इस सभा में मैंने कभी नहीं बोला है। मैंने अपना प्रथम भाषण भी यहां नहीं दिया है।

मेरा एक मात्र निवेदन यह है कि मैं अपनी पार्टी केरल कांग्रेस जो एक अलग पार्टी है की ओर से आपको एक सुझाव देना चाहता हूं। इसलिए मुझे एक मौका मिलना चाहिए **(व्यवधान)** इस मुद्दे पर हमारी पार्टी केरल कांग्रेस ने विचार-विमर्श किया था और अपना विचार दिया था। राजसहायता में 40 प्रतिशत कटौती छोटे किसान जो इस देश में अधिक संख्या में है, के लिए सख्त कार्रवाई होगी इसके अतिरिक्त बजट में वित्त मन्त्री द्वारा अन्य सुझाव यह दिया गया है कि समर्थन मूल्य के रूप में क्षतिपूर्ति दी जाएगी इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि वे किसान जो रबड़, मसाले और नारियल पैदा करते हैं उन्हें समर्थन मूल्य किस तरह दिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : यह बात कही जा चुकी है।

श्री पी० सी० थामस : कोई समर्थन मूल्य नहीं दिया गया है। इसलिए जब कृषि मंत्री अपना वक्तव्य दें तो इस तथ्य पर विशेष ध्यान दें कि छोटे किसानों का विशेष ख्याल रखा जाएगा और यदि राज सहायता में कोई कटौती की जानी है तो जहां तक इसका संबंध है उसके लिए एक तरह का सार्वजनिक वितरण प्रणाली बनाई जानी चाहिए और उन्हें वर्तमान अथवा उस से अधिक राज सहायता दी जानी चाहिए........ **(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री बलराम जाखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, सारे हाऊस के विचार एक ही तरीके से चल रहे हैं और किसान के लिए अगर हमदर्दी है तो सारी जगह है, ऐसी नहीं है कि न हो। ··········(**व्यवधान**) न होने की बात छोड़िए। मेरे दिल की बात सुनिए। ऐसी बहस मत करिए ·········(**व्यवधान**)

श्री हरि केवल प्रसाद (सलेमपुर) : बाजार में खाद का दाम क्या है, यह बताईए।···· ·········(**व्यवधान**)

श्री बलराम जाखड़ : पहले खुराना साहब की बात का थोड़ा सा जवाब दूंगा। जो आपने पढ़ा, वह आधा पढ़ा। मैंने यह कहा था कि सबसिडी नहीं घटनी चाहिए। पहले मेरी बात सुनिए········(**व्यवधान**) अगर बढ़े तो किसान का घर पूरा होना आवश्यक है। अगर किसान का घर पूरा नहीं है तो देश को अन्न नहीं मिलेगा। सीधी सी बात है और मैं एक बात जानता हूं कि किसान का घर पूरा करना है और उसकी क्षतिपूर्ति नहीं होती तो देश का नुकसान होता है।··········(**व्यवधान**) पहले मेरी बात सुनिए। आप भी मिनिस्टर रहे हैं। जैसा आप कहेंगे वैसा ही करता हूं और जो आदेश होता है। मेरे दिल में एक बात है। मैं जिस तरीके से कर रहा हूं और कोशिश करता हूं कि मैं किसानों के हितों की रक्षा कर सकूं। छोटे-बड़े होने की बात छोड़ दीजिए। कद में जरूर बड़ा हूं। जो सीलिंग लगा रखी है उसकी बात छोड़ दीजिए। किसान, किसान है। आजकल हिन्दुस्तान में जितनी किसान की हालत है वह मैं जानता हूं और उसके साथ ही हमदर्दी है, वह रुक नहीं सकती ··············(**व्यवधान**) दूसरा प्रश्न है कि जो भाव बढ़ा·········(**व्यवधान**) मैंने यह सोचा और इतिहास में पहली बार है कि जितनी खाद बेचने वाले लोगों के पास पड़ी हुई है, अगर वह सेल करेंगे तो सारा का सारा फायदा उनको मिलेगा। 40 प्रतिशत भाव बढ़े हैं उसका नुकशान किसान को होगा। मैंने हरेक सरकार को उसी दिन टेलीफोन और टेलीग्राम के द्वारा स्टेट्स के कृषि विभागों को कहा कि आप हर जगह चेक करें और स्टोर करके उसी भाव पर बिकवाओ। (**व्यवधान**)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या यह सम्भव है ?

श्री बलराम जाखड़ : जो मैं कर सकता था वह मैंने किया। बाकी जो बातें हैं कि किसानों की क्षतिपूर्ति कैसे हो सकती है और देश का भला कैसे हो सकता है, इन बातों पर हम बहस कर सकते हैं और यह सरकार करेगी। वी० एस० राव ने यह प्रश्न उठाया, मैंने कल राज्य सभा में कहा कि मैं उस समय जो कर सकता था वह मैंने किया।

श्री श्रीकांत जैना : सब्सिडी के बारे में क्या कहा ?

श्री बलराम जाखड़ : सब्सिडी के बारे में भी होगा। उसके मुतल्लिक मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। मैं एक बात जानता हूं कि मुझे किसान का घर पूरा करना है (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : माननीय मंत्री ने कोई आश्वासन नहीं दिया है। इसलिए, विरोध स्वरूप हम सभी सदन त्याग कर रहे हैं।

12.56 म०प०

इस समय श्री सोमनाथ चटर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए। (**व्यवधान**)

श्री अन्नारावु इरा : आज मैंने 'दि हिन्दु' समाचार पत्र में प्रकाशित एक वक्तव्य पढ़ा कि कर्नाटक सरकार का एक प्रतिनिधि कावेरी जल विवाद पर गठित न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित हुआ ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं अब कावेरी जल-विवाद का मामला उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

(**व्यवधान**)*

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : जो मुद्दा सब्सिडी का माननीय सदस्य ने उठाया था, मंत्री जी की तरफ से उसका जवाब नहीं आया और हम इसके विरोध में सदन का त्याग करते हैं ।

12.57 म० प०

इस समय श्री लाल कृष्ण आडवाणी और कुछ अन्य सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये ।

(**व्यवधान**)

श्री एच० डी० देवगौड़ा (हसन) : मैं केवल उर्वरकों पर हुई मूल्य वृद्धि पर बोलना चाहता हूं । मुझे इस विषय पर बोलने दीजिए । मैं पिछले एक महीने से देख रहा हूं कि आप पिछली सीटों पर बैठने वाले सदस्यों की उपेक्षा कर रहे हैं । यही बात मैंने नोट की है । मुझे इस बात का खेद है कि 101 बार खड़ा होने पर भी मैं आपका ध्यान आकृष्ट नहीं कर सका ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अब बोलने की अनुमति दे दी है ।

श्री एच०डी० देवगौड़ा : मैं सरकार से कोई दिखावटी सहानुभूति नहीं चाहता। श्री बलराम जाखड़ एक कृषक हैं । उन्होंने किसानों को मुसीबतें उठाने के लिए छोड़ दिया है। आज यह छोटे या बड़े किसानों अथवा मध्यम या सीमांत किसानों का प्रश्न नहीं है । समस्त किसान समुदाय जो कुल जनसंख्या का लगभग पैंसठ प्रतिशत है, मुसीबतें झेल रहा है । हम इस सम्बन्ध में सरकार से कोई सहयोग नहीं करेंगे ।

यह केवल वक्तव्य जारी करने का ही प्रश्न नहीं है । उन्हें इस संबंध में वित्त मंत्री एवं प्रधान मंत्री से विचार-विमर्श करना चाहिए और एक ऐसा प्रस्ताव लाना चाहिए कि उर्वरकों पर दी जाने वाली राज सहायता कभी समाप्त नहीं की जाएगी । अन्यथा जो भी प्रस्ताव किए गए हैं वे कृषकों के हित में नहीं है । इससे तो व्यापारियों को ही फायदा होगा । यह विषय तो अभी प्रस्ताव के स्तर पर ही है । मंत्री महोदय से मेरी अपील है कि वे आज शाम तक इस संबंध में वक्तव्य दें । अन्यथा इस संबंध में हम सरकार से कोई सहयोग नहीं करेंगे । अन्य मामलों में हम सरकार को सहयोग देंगे ।

1.00 म० प०

मैं केवल प्रचार मात्र के लिए यह भाषण नहीं दे रहा हूं । मैं स्वयं एक किसान हूं तथा कृषक का बेटा हूं और मैं यह सब नहीं होने दूंगा । मैं धरना दूंगा । मैं इस सभा भवन से बाहर नहीं जाऊंगा । जो कुछ मैं कर रहा हूं, वह प्रचार मात्र के लिए नहीं है (**व्यवधान**)

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : श्री देवगौड़ा ने अभी जो कहा है उसे कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जाएगा ।

1.01 म०प०

(इस समय श्री एच०डी० देवगौड़ा आये और सभा पटल के निकट फर्श पर बैठ गए)

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : कालाहांडी में इंद्रावती बांध पर काम कर रहे अनेक मजदूर बाढ़ में बह गए हैं । राज्य सरकार के अनुसार अभी तक केवल सात शव निकाले गए हैं परन्तु बांध के पास की सुरंग में बहुत से मजदूर फंस गए हैं । अतः मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय अपने वक्तव्य में इस घटना को भी सम्मिलित करें ।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, सबसे पहले आपकी अनुमति मुझे मिली थी । इंडियन एक्सप्रैस में आज समाचार-पत्र उद्योग के संबंध में चौंका देने वाला समाचार प्रकाशित हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय : इस मामले पर एक प्रश्न पहले उठाया गया था ।

श्रीमती गीता मुखर्जी : राज्य व्यापार निगम ने उच्च कोटि के अखबारी कागज की कीमत में 5,000 रुपये प्रति टन तथा चिकने अखबारी कागज पर 10,000 रुपये प्रति टन मूल्य बढ़ाने का निर्णय किया है । भारतीय स्टेट बैंक द्वारा विदेशी अखबारी कागज सप्लाई करने वालों को भुगतान करने में विलम्ब किए जाने के कारण समाचार पत्र संगठनों को अधिक मूल्य देना पड़ रहा है । यह बात ध्यान देने योग्य है कि भारतीय स्टेट बैंक विदेशी मुद्रा संकट के कारण विदेशी अखबारी कागज की सप्लाई करने वाली कंपनियों को भुगतान करने में असफल हो गया है ।

लेकिन भारतीय स्टेट बैंक की असफलता के लिए छोटे और मध्यम समाचार पत्रों को सजा क्यों दी जाए । अतः मेरा अनुरोध है कि इस मामले पर गंभीरता से पुनर्विचार किया जाए तथा छोटे एवं मध्यम समाचार पत्रों के साथ उपयुक्त व्यवहार किया जाए ।

अध्यक्ष महोदय : आज, सुबह इस विषय पर एक प्रश्न भी उठाया गया था । अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे ।

1.02 म० प०

सभा पटल पर रखे गये पत्र

उन्नत संगणना विकास केन्द्र, पुणे का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मैं श्री पी० वी० नरसिंह राव की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं ।

(1) (एक) उन्नत संगणना विकास केन्द्र, पुणे के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे ।

(दो) उन्नत संगणना विकास केन्द्र, पुणे के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 213/91]

भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कलकत्ता का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी सँस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 214/91]

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 आदि के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरून गोगोई) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) चीनी (वर्ष 1990-91 के उत्पादन के लिए मूल्य निर्धारण) संशोधन आदेश, 1991, जो 19 मार्च, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 151 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) चीनी (वर्ष 1990-91 के उत्पादन के लिए मूल्य निर्धारण) दूसरा संशोधन आदेश, 1991, जो 27 मार्च, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 185(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 215/91]

(2) चीनी (वर्ष 1990-91 के उत्पादन के लिए मूल्य निर्धारण) आदेश, 1990 के बारे में 23 अक्तूबर, 1990 की अधिसूचना सँख्या सा० का० नि० 855 (अ) के शुद्धि-पत्र की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 216/91]

(3) खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 45 की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारी) (पहला संशोधन) विनियम, 1991, जो 12 मार्च, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 56 सं० ईपी० 16(3)/88 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 217/91]

(4) (एक) खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 35 की उपधारा (2) के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय खाद्य निगम के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 218/91]

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी०जे० कुरियन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं : (1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(क) (एक) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल०टी० 219/91]

(ख) (एक) अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम लिमिटेड, पोर्टब्लेयर के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम लिमिटेड, पोर्टब्लेयर के वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल०टी० 220/91]

(2) (एक) राष्ट्रीय औद्योगिक सहकारी लिमिटेड महासंघ, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय औद्योगिक सहकारी लिमिटेड महासंघ, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 221/91]

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन) : मैं संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(1) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन—संघ सरकार (1990 का संख्या 1)—वाणिज्यिक—पुरःस्थापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 222/91]

(2) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन—संघ सरकार (1990 का संख्या 5)—वाणिज्यिक—कम्पनी के लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों का सारांश तथा सरकारी कम्पनियों के लेखाओं पर टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 223/91]

(3) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन—संघ सरकार (1990 का संख्या 7)—वाणिज्यिक—अलग-अलग विषयों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 224/91]

अध्यक्ष महोदय : श्री पी०ए० संगमा एक वक्तव्य देंगे।

1.05 म०प०

मंत्री द्वारा वक्तव्य

(एक) कोयले पर रायल्टी की दरों में वृद्धि किए जाने के बारे में

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने दिनांक 25-7-1991 को कोयले पर रायल्टी की दरों में संशोधन किए जाने का मामला उठाया था। मैंने इस विषय पर दिनांक 26-7-1991 को इस सदन में वक्तव्य दिया था। मैंने सदन को सूचित किया था कि कोयले पर रायल्टी की दरों में वृद्धि किए जाने से संबद्ध विभिन्न कानूनी

तथा वित्तीय मामले सरकार के विचाराधीन हैं और शीघ्र ही इस विषय में निर्णय ले लिया जाएगा। बाद में उसी दिन मैंने यह भी आश्वासन दिया था कि कोयले का उत्पादन करने वाले राज्यों के मुख्य मंत्रियों की एक बैठक इस विषय पर विचार-विमर्श करने के लिए बुलाई जाएगी।

2. माननीय सदस्यों को इस बात की जानकारी है कि अभी तक कोयले का उत्पादन करने वाले राज्य बहुत ऊंची दरों पर उपकर लगा रहे थे। असम और पश्चिम बंगाल को छोड़कर अब अधिकांश मामलों में उपकरों को अमान्य घोषित कर दिया गया है। रायल्टी की दरों में ऊंची दरों पर उपकर लगाए जाने के कारण संशोधन नहीं किया जा रहा था। चूंकि अधिकांश उपकरों को अमान्य घोषित कर दिया गया है, अतः रायल्टी की दरें जोकि फरवरी, 1981 से वही चल रही थी को संशोधित करना पड़ा।

3. सरकार ने इस विषय में विचार कर लिया है और सरकार कोयले पर रायल्टी की दरों में संशोधन किए जाने के लिए सहमत हो गई है। इस संशोधन की मुख्य बात यह है कि दरों में संशोधन किया जा रहा है ताकि औसत दर लगभग 70 रु० प्रति टन हो जाए। कोयले पर रायल्टी के संशोधन संबंधी ब्यौरे को सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

4. उच्च गुणवत्ता वाले कोयले पर रायल्टी की दर उक्त कोयले के संरक्षण तथा कोयले की उच्च कलोरेफि क्षमता की दृष्टि से अधिक होती है। संशोधित दरें उनके सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होगी। अभी पश्चिम बंगाल तथा असम राज्यों के मामले में बढ़ी हुई दरें लागू नहीं की जा रही हैं, चूंकि उक्त राज्यों द्वारा कोयले पर अधिक उच्च दरों पर उपकर लगाया जाना तथा उनका संग्रहण किया जाना जारी है। जैसे ही इन दो राज्यों द्वारा उपकरों को वापिस ले लिया जाएगा अथवा इन्हें रद्द कर दिया जाएगा, तभी से नई दरें उन पर भी लागू कर दी जाएंगी।

5. मैंने पूर्व में इस सदन में यह सूचित किया था कि मैं कोयले का उत्पादन करने वाले राज्यों के मुख्य मंत्रियों की एक सप्ताह के अन्दर बैठक बुलाऊंगा ताकि कोयले पर रायल्टी की दरों में संशोधन किए जाने के विषय पर विचार-विमर्श किया जा सके। अब सरकार ने इस संबंध में निर्णय ले लिया है, अतः मुख्य मंत्रियों की इस संबंध में बैठक बुलाया जाना अपेक्षित नहीं है।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने कहा था कि जैसे ही पश्चिम बंगाल और असम में ये भारी उपकर वापिस ले लिए जायेंगे या हटा लिए जाएंगे तो वहां भी नई दरें लागू कर दी जाएंगी। उन्हें क्यों हटा लिया जाए ? (**व्यवधान**)

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : वह यह मानकर चल रहे हैं कि न्यायालय ऐसा कर देगा.... (**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : भारत सरकार न्यायालयों में राज्य सरकार का समर्थन कर रही है और मंत्री महोदय उसके विपरीत ही कर रहे हैं। वे नहीं जानते हैं कि वे न्यायालयों में क्या कर रहे हैं। उन्हें इसके बारे में कुछ पता नहीं है। श्री संगमा, कृपया अपने सलाहकारों को बदलिए ... (**व्यवधान**)

श्री चन्द्रजीत यादव : महोदय, यह एक गंभीर मामला है। यह शिष्टाचार का मामला है.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर विचार करेंगे कि क्या इस बारे में बाद में चर्चा की जा सकती है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, यह सारा मामला शुरू हुआ था जब बिहार के चीफ मिनिस्टर ने यह थ्रेटनिंग दिया था कि 29 तारीख से वह आमरण अनशन पर जाएंगे। उसके कारण हम लोगों ने मैटर यहां उठाया था और आपकी बहुत कृपा है कि आपने सरकार को निर्देश दिया था जिस पर सरकार ने यहां स्टेटमेंट दिया है। इनकी सरकार के गुलाम नबी आजाद जी जो मिनिस्टर हैं, गुलाम नबी आजाद जी के कहने पर बिहार के मुख्यमंत्री ने एक सप्ताह के लिए अपने अनशन का प्रोग्राम टाल दिया। हम सरकार से जानना चाहते हैं, मगर जो मैं जानना चाहते हैं कि आपने फिर इस मामले को लाकर वहीं खड़ा कर दिया है कन्फन्टेशन की स्थिति पर, जिसको हम नहीं चाहते हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपने रॉयल्टी बढ़ाने का निर्णय लिया है, कोई नया निर्णय नहीं लिया है। मैंने उस दिन भी कहा था कि पूर्ववर्ती सरकार ने बढ़ाने का निर्णय ले लिया था और उसके कारण 500 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। आप क्या डेट बतलाएंगे कि कब से इसको आप लागू करने जा रहे हैं और दूसरी बात जो आपने कही, उस दिन घोषणा की सदन में, कि हम संबंधित मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलाएंगे। तो संबंधित मुख्यमंत्री से आपने बातचीत किया है या बगैर बातचीत किए आपने यह निर्णय ले लिया? (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम यह देखेंगे कि क्या इस पर बाद में चर्चा की जा सकती है।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव : महोदय, यह शिष्टाचार का मामला है। .... (व्यवधान) मैं मंत्री महोदय से नहीं पूछ रहा हूं। मैं उनसे स्पष्टीकरण नहीं मांग रहा हूं .... (व्यवधान) महोदय मैं आप से पूछ रहा हूं .... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर कार्य मंत्रणा समिति में निर्णय करेंगे।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव : यह मामला कार्य मंत्रणा समिति का नहीं है। मैं किसी भी समय के लिए नहीं पूछ रहा हूं.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : या तो आप नियम का पालन करें या मुझे सभा का संचालन करने दें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाएं। यदि आप इस पर चर्चा करना चाहते हैं तो हम निर्णय करेंगे कि क्या इस पर चर्चा की जा सकती है।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। नियम 377 के अधीन मामले। श्री सुधीर सावंत।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाए।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री सोनकर, आप नहीं जानते कि सभा में आप इस पर कैसे चर्चा कर सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर पूर्ण चर्चा करवाने की बात कर रहा हूं और फिर भी आप उठ रहे हैं और वे बातें कह रहे हैं जो अप्रासंगिक हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं तो कुछ और भी चाहता हूं।

1.12 म०प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) रत्नागिरी हवाई अड्डे को विखंडित करने के प्रस्ताव पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता

श्री सुधीर सावंत (राजापुर) : महाराष्ट्र के रत्नागिरी तथा सिन्धुदुर्ग जिले मुख्यत: चार सुविधाओं की कमी के कारण देश में सबसे पिछड़े क्षेत्र हैं। सरकार ने रत्नागिरी हवाई अड्डे को विखंडित करने का निर्णय लिया है जबकि यह इस क्षेत्र में एक ही हवाई अड्डा है। इससे इस क्षेत्र के लोगों में अत्यधिक चिन्ता व्याप्त है और इसे अवनति का कदम माना गया है। हवाई अड्डा विखंडित करने का उक्त कार्य तत्काल रोका जाना चाहिए।

(दो) राउरकेला में कोइल नदी पर पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

कुमारी फ्रिडा तोपनो (सुन्दरगढ़) : इस्पात नगर राउरकेला का लगभग दो-तिहाई भाग कोइल नदी से घिरा हुआ है। परिणामत: बरसात के मौसम के दौरान छ: माह से अधिक

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

समय के लिए लगभग 1.5 लाख आदिवासी जनता का शेष विश्व से सम्पर्क कट जाता है। नौगांव ब्लाक का अधिकांश भाग शेष विश्व से पृथक हो जाता है। नौगांव ब्लाक के तहत मुख्यतः कचारू ग्राम पंचायत के क्षेत्र में बच्चों के लिए कोई शैक्षिक सुविधा नहीं है जिसके कारण उन्हें नाव द्वारा कोइल नदी पार करके राउरकेला आना पड़ता है हाल ही में दो बार नाव दुर्घटनाएं हुई है जिसके कारण निर्दोष बच्चों की मृत्यु हो गई। दिहाड़ी मजदूर तथा सब्जियां उगाने वाले अधिकांश लोग कोइल नदी के उस पार गांवों के आदिवासी हैं जो अपनी दैनिक आजीविका के लिए मुख्य रूप से राउरकेला शहर पर निर्भर हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि बच्चों की शिक्षा तथा गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हजारों आदिवासियों की आजीविका के लिए वह कोइल नदी पर एक पुल का निर्माण करें जो राउरकेला को उड़ीसा के सुन्दरगढ़ जिले में नौगांव ब्लाक से अनेक आदिवासी गांवों से जोड़ेगा।

(तीन) केरल में हाल में वर्षा के कारण हुई क्षति का आकलन करने के लिए एक स्वतन्त्र प्राधिकरण का गठन किए जाने की आवश्यकता

प्रो० सावित्री लक्ष्मणन् (मकुन्दपुरम्) : महोदय, केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण 9-7-1991 तक 104 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, 103 को चोटें पहुंचीं तथा प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल अस्थाई पुनर्वास देने हेतु 859 राहत शिविर लगाए गए। 53,847 हैक्टेयर कृषि भूमि की फसल पूर्णतया नष्ट हो गई है। 5,23,345 हैक्टेयर कृषि भूमि में कुछ भाग को क्षति पहुंची। केवल कृषि का ही 92.40 करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान है। समुद्री दीवार, लघु सिंचाई निर्माणों, नदी के तटों तथा नहरों, बांध सड़कों को हुए नुकसान का अनुमान पृथक है। 30-6-1991 तक कुल नुकसान का अनुमान 318.39 करोड़ लगाया गया है।

प्रभावित लोगों को तत्काल राहत के रूप में राहत केन्द्रों पर भोजन, कपड़े, चिकित्सा सुविधाएं इत्यादि उपलब्ध कराई गई। मुफ्त राशन दिया गया है। बुरी तरह से प्रभावित व्यक्तियों को अनुग्रह राशि की अदायगी की गई है।

इस सम्पूर्ण मांग की पूर्ति के लिए केरल के चालू बजट में आपदा राहत कोष के तहत आवंटित 31 करोड़ रुपये पर्याप्त नहीं है। इन मांगों की पूर्ति के लिए केरल सरकार को अनिवार्य रूप से 75 से 100 करोड़ रुपये की जरूरत है।

मैं भारत सरकार से अपील करती हूं कि कुल क्षति का आकलन करने के लिए एक स्वतन्त्र प्राधिकरण का गठन करे और केरल सरकार को तत्काल केन्द्रीय सहायता के रूप में सहायता मंजूर करे।

(चार) राजस्थान के कोटा नगर को "ख" श्रेणी का नगर घोषित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री दाऊदयाल जोशी (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित विषय नियम 377 के अधीन आपके ध्यान में लाना चाहता हूं :—

"राजस्थान की औद्योगिक राजधानी कोटा नगर को पूरे प्रयत्नों के बावजूद भी "बी" श्रेणी का नगर घोषित नहीं किया गया है। जबकि कुछ माह पूर्व कोटा से कम आबादी के नगरों को "बी" श्रेणी का नगर घोषित कर दिया गया है। केन्द्र सरकार के सभी नियमों में कोटा सही व खरा उतरता है। फिर न जाने कोटा के साथ यह भेदभाव क्यों किया गया है।

कोटा की आबादी दस वर्षों में राज्य के सभी नगरों के मुकाबले अधिक बढ़ी है। आबादी के आधार पर भी कोटा "बी" श्रेणी का नगर घोषित करने योग्य है। कोटा में रेलवे वैगन वर्कशाप अणुशक्ति प्रोजेक्ट, भारी पानी संयंत्र, नेशनल थर्मल पावर स्टेशन आदि भी हैं। अतः कोटा को शीघ्रातिशीघ्र "बी" श्रेणी का नगर घोषित किए जाने की कृपा करें।"

(पांच) मगदला हवाई अड्डे से सूरत-भावनगर और सूरत-दिल्ली आदि के लिए विमान सेवा पुनः शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री काशी राम राणा (सूरत) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित विषय नियम 377 के अधीन सदन में लाना चाहता हूं :

"पिछले कई सालों से मुम्बई-सूरत-दमण और भावनगर के बीच वायुदूत सर्विस अच्छी तरह से चल रही थी। वायुदूत को सबसे अच्छा मुनाफा भी होता था। सूरत में सौराष्ट्र के लाखों लोग बसे हैं और डायमंड उद्योग से जुड़े हुए हजारों लोग हर रोज सूरत से भावनगर आते-जाते रहते थे। सप्ताह में तीन दिन चलने वाली यह सर्विस हर रोज चलाने की मांग थी, लेकिन वायुदूत ने अचानक ही बिना जानकारी दिए यह सर्विस ढाई महीने से बंद कर दी है।

इसी तरह करीब आठ महीने से सूरत से दिल्ली वाया उदयपुर की हवाई सेवा भी शुरू कर दी थी। उत्तर-भारत के लाखों लोग व्यापार, रोजगार हेतु सूरत में बसे है और उनका दिल्ली आना-जाना भी रहता था। इसलिए यह सर्विस शुरू की गई थी। सूरत की सभी संस्थाओं ने इसकी प्रशंसा भी की थी और वायुदूत को भी अच्छी रेवेन्यु इस सेवा से मिल रही थी, लेकिन ये सर्विस भी ढाई महीने पहले अचानक बन्द कर दी गई है।

सूरत शहर आबादी और उद्योगों की दृष्टि से गुजरात का पहले नम्बर का शहर है। बीस लाख से ऊपर आबादी है और हीरे, आर्टसिल्क कपड़ा और जरी के काम के लिए बहुत मशहूर है। सूरत-भावनगर और सूरत से दिल्ली के लिए हवाई सेवा बहुत ही आवश्यक और अनिवार्य है। इतना ही नहीं सूरत (मगदला) एयरपोर्ट का विस्तार कर के इसे राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बनाना चाहिए।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि सूरत-भावनगर और सूरत-दिल्ली की बंद की गई दोनों हवाई सेवाएं और एयरपोर्ट बंद करने का और सभी मशीनरी, स्टाफ जामनगर ले जाने का जिसने भी काम किया है, इसकी छानबीन की जाए और इसके बारे में अविलम्ब कार्रवाई कर के मगदला एयरपोर्ट से दोनों हवाई सेवाएं प्रारम्भ की जाएं।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से श्री देवगौड़ा यहां बैठे हैं। मैं उन्हें देख नहीं पा रहा, मैं आपसे अनुरोध करता हू कि अपने स्थान पर बैठ जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात कह चुके हैं और इसे सुन भी लिया गया है। अगर आपने कृषि मंत्री का कथन ध्यानपूर्वक सुना था तो आपने गौर किया होगा कि उनके कथन में उम्मीद की

कुछ झलक है । मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अपने स्थान पर बैठ जाय । अध्यक्ष एक सदस्य से यह अनुरोध कर रहा है ।

श्री एच० डी० देवगौड़ा (हसन) : महोदय, अध्यक्षपीठ के प्रति मुझे अत्यधिक आदर तथा सम्मान है । मैं अनेक अध्यक्षों के विनिर्णय जानता हू । **(व्यवधान)** सभाकक्ष के मध्य बैठा हुआ सदस्य सभा की कार्यवाही में विघ्न नहीं डाल रहा । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : लेकिन हम यह नहीं चाहते ।

श्री एच० डी० देवगौड़ा : मैं यह जानते हुए यहां बैठा हूं । मैं अध्यक्षपीठ के प्रति कोई असम्मान दर्शाना नहीं चाहता । लेकिन मेरा विरोध तो सरकार के रवैये के विरुद्ध है । मैं सरकार द्वारा अपनाए गये दृष्टिकोण के विरुद्ध अपना विरोध प्रकट कर रहा हूं । मुझे खेद है लेकिन मैं इस धरने पर सारा दिन बैठूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : गौड़ा जी कृपया · · ·

श्री एच० डी० देवगौड़ा : मेरा विरोध तो केवल कृषि समुदाय के विरुद्ध सरकार के दृष्टिकोण के खिलाफ है । मैं ने यह स्पष्ट कर दिया है। मेरा मत बदलने का प्रश्न ही नहीं है क्योंकि · · · **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : देवगौड़ा जी, कृपया मेरी बात सुनिये ।

(व्यवधान)

श्री एच० डी० देवगौड़ा : एक किसान के रूप में मैं देख रहा हूं कि सरकार कृषि समुदाय से कैसा बर्ताव कर रही है । सत्ताधारी दल के सदस्यों सहित सभा के सभी वर्ग कृषि मंत्री से आग्रह कर रहे हैं लेकिन वह सभा की भावनाओं का आदर करना नहीं चाहते ।

अध्यक्ष महोदय : गौड़ा जी आप सभा कक्ष के मध्य मे बोल रहे हैं ।

श्री एच० डी० देवगौड़ा : इसी कारण मैंने यहां धरने पर बैठने का यह निर्णय लिया है । इसमें सभा की कार्यवाही में रुकावट नहीं आयेगी ।

अध्यक्ष महोदय : गौड़ा जी, मेरी बात सुनिये । मैं जानता हूं कि आप में इस बारे में अत्यधिक भावना है और आप अपनी बात कह चुके हैं । आप जो कुछ कर सकते थे वह करके सरकार को अपनी भावनाओं से अवगत करा चुके हैं । मैं सभा की गरिमा की खातिर आपसे अनुरोध करता हूं कि अपना स्थान ग्रहण कर लें ।

श्री एच० डी० देवगौड़ा : क्या मैं एक छोटा सा निवेदन कर सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : हां ।

श्री एच० डी० देवगौड़ा : यद्यपि मैं इस सभा में नया सदस्य हूं, कर्नाटक विधान सभा में मेरा लगभग उन्तीस वर्ष का अनुभव है ।

अध्यक्ष महोदय : हां, हम यह जानते हैं।

श्री एच० डी० देवगौड़ा : मैंने अपने राजनैतिक जीवन में कभी भी ऐसे असंसदीय शब्द का प्रयोग नहीं किया जिसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाला गया हो। मैंने अपने राजनैतिक जीवन में कभी भी दुर्व्यवहार नहीं किया है,और न ही कोई खराब स्थिति उत्पन्न की है। लेकिन आज सिर्फ कर्नाटक के कृषकों का ही नहीं समस्त कृषक समुदाय का मुद्दा है और मैं इसका प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। मल्यवृद्धि के कारण वे बहुत ही विकट स्थिति में हैं। सरकार राहत देने के लिये आगे नहीं आ रही है। केवल कृषक समुदाय के प्रति अपनी भावनाओं के कारण मैंने सभाकक्ष के बीच बैठने का कदम उठाया। अध्यक्षपीठ अथवा इस पुनीत सभा के प्रति कोई अनादर अथवा असम्मान दर्शाने का प्रश्न नहीं है। मैं अध्यक्षपीठ द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का आदर करूंगा। लेकिन सरकार किसानों की वास्तविक समस्या को नहीं समझ रही है और उन्हें इस बारे में स्पष्ट रूप से राहत के बारे में विस्तार से बताना चाहिये कि वे किस प्रकार की राहत देंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपने स्थान पर वापस जाने के लिये तैयार हूं।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद।

(इस समय श्री एच०डी० देवगौड़ा अपने स्थान पर वापस चले गए।)

नियम 377 के अधीन मामले—जारी

(छ:) हजारीबाग को रेल से जोड़े जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता (हजारीबाग) : अध्यक्ष महोदय, हजारीबाग (बिहार) जो जिला मुख्यालय के साथ-साथ उत्तरी छोटा नागपुर प्रमण्डल का भी मुख्यालय है, अभी तक रेलवे लाइन से जोड़ा नहीं गया। हजारीबाग को रेलवे लाइन से जोड़ने के लिये गिरिडीह से हजारीबाग और हजारीबाग से रांची का सर्वे भी हो चुका है। हजारीबाग खनिज और वन-सम्पदा से भरा पड़ा है जिससे केन्द्र तथा राज्य सरकारों को अरबों रुपये की आमदनी होती है। अत: रेलवे मंत्री रेलवे लाइन से जोड़ने के लिये तुरन्त घोषणा करें।

(सात) औरंगाबाद टेलीफोन केन्द्र का दर्जा बढ़ाये जाने के लिये आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री मोरेश्वर सावे (औरंगाबाद) : पिछले दो दशकों में औरंगाबाद हमारे देश का एक अग्रणी औद्योगिक तथा पर्यटन केन्द्र बन गया है। आज इस शहर की आबादी 6 लाख से भी अधिक है और यहां विभिन्न प्रकार की 1000 से अधिक औद्योगिक इकाईयां हैं।

किसी शहर के विकास का मूल अंग वहां की संचार व्यवस्था है। इस समय आस-पास के क्षेत्रों को मिलाकर औरंगाबाद में लगभग 10,000 टेलीफोन लाइनों की क्षमता है जिसमें से 8,000 को जोड़ा गया है। हाल ही में चिखलथाना को 200 लाइन तथा वालुज एक्सचेंज को 500 लाइन मंजूर होने के बावजूद टेलीफोन कनैक्शन के लिये प्रतीक्षा सूची में 13,000 से अधिक आवेदक हैं।

इस प्रतीक्षा से भी अधिक यह है कि औरंगाबाद एक्सचेंज का दर्जा बढ़ाने के लिये आवश्यक उपकरण उपलब्ध न होने से वहां जनता में उदासीनता है जबकि इसका भवन बनकर तैयार है। वास्तव में इसके कारण इस महान शहर का विकास धीमा पड़ गया है।

इसलिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि औरंगाबाद टेलीफोन एक्सचेंज के दर्जे को बढ़ाने के लिये आवश्यक उपकरण शीघ्र उपलब्ध कराये जायें। वालुज, चिखलथाना तथा पैथन को औरंगाबाद से जोड़ने के लिये औरंगाबाद में इन्टर डायलिंग टेन्डम उपलब्ध कराया जाये।

1.25 म०प०

मंत्री द्वारा वक्तव्य

(दो) महाराष्ट्र में वर्धा नदी में और उड़ीसा में अपर इन्द्रावती नदी में आई भारी बाढ़ के कारण हुए हताहतों के बारे में

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, मध्य प्रदेश में बेतुल और छिंदवाड़ा जिलों में पड़ने वाली वर्धा नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा हुई है और महाराष्ट्र के नागपुर और वर्धा जिलों में भी भारी वर्षा हुई है। 30 जुलाई, 1991 की सुबह तक 24 घंटों में बेतुल में 400 मि०मी० वर्षा हुई। नागपुर जिले की नरखेड़ा तहसील में 24 घंटों में 350 मि०मी० वर्षा हुई। इससे 29 जुलाई, 1991 की रात्रि को वर्धा नदी में अत्यधिक बाढ़ आयी। वर्षा का पानी वर्धा नदी की सहायक नदी कोलर के संगम पर वर्धा नदी के किनारों पर स्थित मोहाद शहर में प्रवेश कर गया। वर्धा नदी के किनारों के साथ गांवों की रक्षा के लिये बनाया गया गांव संरक्षण तटबंध टूट गया और बाढ़ का पानी 30 जुलाई, 1991 के प्रातः 4.30 बजे तक गांव में घुस गया।

इस क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा के कारण सड़क संचार अस्त-व्यस्त हो गया है। गांव वालों के साथ तुरन्त सम्पर्क करना बहुत मुश्किल हो गया। नागपुर जिले की नरखेड़ा तहसील के मोहाद तथा अन्य

4 प्रभावित गांवों (नामशः जलालखेड़ा, खेरगांव, भूगांव और मदामा) से प्राप्त प्रारंभिक रिपोर्टों से पता चला है कि नागपुर जिले में लापता अथवा मृत व्यक्तियों की संख्या 119 है। इसके अतिरिक्त, अमरावती जिले में 22 गांवों, जो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, से 21 व्यक्तियों के लापता अथवा मरने की सूचना मिली है। बाढ़ों के प्रभाव से लगभग 5,000 मकानों के ढहने की सूचना है तथा लगभग 750 पशुओं के बह जाने की सूचना मिली है।

प्रैस में कुछ ऐसी रिपोर्ट है कि वर्धा नदी की सहायक नदी पर नक्थन पर टैंक टूट गया है। परन्तु, महाराष्ट्र के सिचाई विभाग ने पुष्टि की है कि नक्थन पर माइनर बांध टूटा नहीं है और मोहाद गांव को प्रभावित करने वाले बाढ़ के पानी में इसके कारण कोई वृद्धि नहीं हुई है।

महाराष्ट्र सरकार के जिला कलेक्टर तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण प्रभावी क्षेत्रों में पहुंच गये हैं और तत्काल राहत कार्य शुरू कर दिये हैं। बाढ़ में फंसी मोहाद शहर की आबादी को बचाने के लिये सेना बुला ली गई है और उन्होंने अपना कार्य शुरू कर दिया है।

उड़ीसा राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार इन्द्रावती नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में लगभग 900 मि०मी० भारी वर्षपात के कारण नदी में भारी बाढ़ें आयी हैं। कालाहांडी जिले में स्थित अपर इन्द्रावती परियोजना निर्माणाधीन है। निर्माण कार्य स्थल की सुरक्षा के लिये बनाया गया काफर बांध पानी से ऊपर तक भर गया जिसकी वजह से विद्युत घर की निर्माणाधीन हैडरेस टॅनल में पानी भर गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार टॅनल में लगभग 27 कर्मचारियों द्वारा कार्य किया जा रहा था। जिला प्राधिकारियों ने 29 जुलाई को तत्काल बचाव कार्य शुरू कर दिया था तथा 30 जुलाई, 1991 तक 7 कर्मचारियों के मृत शरीर प्राप्त होने की सूचना प्राप्त हुई है। लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री तथा राज्य के प्रमुख इंजीनियर 30 जुलाई, 1991 को स्थल पर गये और उन्होंने बचाव एवं राहत कार्य शुरू कर दिये हैं।

श्रीराम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, सुबह आपने कहा है कि हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा कर सकते हैं। महाराष्ट्र में बाढ़ की स्थिति के संबंध में हम अलग से एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ला सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में केवल चार सदस्य ही स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। नियम 193 के अन्तर्गत हम सूखा तथा बाढ़ की स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं तथा जब हम नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा कर रहे हों, उसमें कई सदस्य बोल सकते हैं।

अब सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2.30 बजे म०प० पर पुन: समवेत होने तक के लिये स्थगित होती है।

1.31 म०प०

तत्पश्चात् लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिये 2.30 म०प० तक के लिये स्थगित हुई।

2.35 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.35 म०प० पर पुनः समवेत हुई ।

[श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य पीठासीन हुई]

बजट (सामान्य) 1991—92 सामान्य चर्चा—(जारी)

सभापति महोदय : अब सभा सामान्य बजट पर आगे चर्चा करेगी । श्री सुख राम अपनी बात जारी करें ।

[हिन्दी]

श्री सुखराम (मंडी) : सभापति महोदया, कल मैं पब्लिक सैक्टर के बारे में बात कर रहा था, उस पर श्री निर्मल चटर्जी ने बड़ा भाषण दिया था, शायद एक घंटे से भी ऊपर । वे तो एकडेमिशियन लगते हैं और उन्होंने पब्लिक सैक्टर और प्राइवेट के बारे में जो कहा, उसका उत्तर तो श्री मन मोहन सिंह जी देंगे । मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि उसमें आज इस देश का तकरीबन 99 लाख करोड़ रुपया इसमें इनवेस्ट हो चुका है और इसमें जो आज रिटर्न है, जो पब्लिक एक्सचेकर में आय का साधन बना है वह 2,502 करोड़ रुपया है । इसमें महज पब्लिक सैक्टर को जब मौका मिला था तो इस सरकार ने उसकी रक्षा भी की और सारी मदद की आगे बढ़ने की और पब्लिक सैक्टर का बहुत बड़ा योगदान इस देश को आगे ले जाने के लिये, पैदावार में भी उसका बहुत बड़ा योगदान है मगर आज ऐसा मौका आ गया है कि इसको और एफिशियेंट बनाया जाये और उसके लिये दो हजार पांच सौ करोड़ की, जो ईक्विटी आफ लोड करने की बात कही गई है, वह इसमें एक एफिशियेंसी लाने की बात है, कोई पब्लिक सैक्टर को खत्म करने की बात नहीं है । इसलिये मैं समर्थन करता हूं माननीय वित्त मंत्री जी का, जो उन्होंने इस दिशा में बात कही है और उसके साथ-साथ यहां यह भी कहा गया कि लेबर के हितों की रक्षा यह सरकार नहीं करती । वह भी इस बात का सबूत है, जब कि ये जो एन०टी०सी० है इसमें करीबन 102 जो टैक्सटाइल फैक्टरियां थीं, ये सिक थीं और सरकार ने उनको टेकओवर करके लेबर के हितों की रक्षा की और आज भी उसमें नुकसान उठाया जा रहा है, तो यह कहना कि लेबर के हितों की रक्षा नहीं करती, यह महज गलत बात है । यह भी कहा गया है कि वित्त मंत्री ने, जो हमारा मेनिफेस्टो है, घोषणा पत्र है, उसका जिक्र किया है । तो वित्त मंत्री कांग्रेस पार्टी के मंत्री हैं और घोषणा पत्र हमारे लिये बहुत अहम है । हम ऐसा नहीं करते, जैसे भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र कुछ होता है और करते कुछ हैं । जैसे अभी मण्डल आयोग के बारे में भारतीय जनता पार्टी ने यह तो कह दिया, अपने घोषणा पत्र में कि हम उसका समर्थन करेंगे पिछले घोषणा पत्र में । मगर जहां तक इन्हीं की सरकार है हिमाचल प्रदेश में, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर उन्होंने मण्डल आयोग की उन सिफारिशों का विरोध नहीं किया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में चले गए कि स्ट्राइक डाउन किया जाये, इसको गैर कानूनी घोषित किया जाये । तो कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है हम उसको ऐसा मानते हैं जैसे हिन्दू अपनी गीता को मानते हैं, मुसलमान कुरान को मानते हैं और इसाई बाइबल को मानते हैं, हम वही पवित्रता उसमें देते हैं । इसलिए देते हैं कि हमने जनता-जनार्दन को अपने घोषणा-पत्र के जरिये हम उनसे विश्वास मांगते हैं और इस वास्ते हम कोशिश करते हैं कि उसको पूरा किया जाये और उसके लिए हमारे पूरी कोशिश होगी ।

मैं कुछ सुझाव माननीय वित्त मंत्री जी को और इस सरकार को देना चाहता हूं । अभी जिस तरह से फर्टीलाइजर की सबसिडी की बात हो रही थी, सभी पक्षों के माननीय सदस्य, कांग्रेस के और

विरोध पक्ष के इस बात पर चिंता व्यक्त कर रहे थे कि 40 प्रतिशत की वृद्धि बहुत ज्यादा है, लेकिन यह भी ठीक है कि 1981 के बाद फर्टीलाइजर्स की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई है, जबकि कास्ट आफ प्रोडक्शन बढ़ती रही है, परन्तु एकदम 40 प्रतिशत फर्टीलाइजर्स के दाम बढ़ाना इस माननीय सदन के लिए और सभी सदस्यों के लिए चिंता का विषय है। सभी माननीय सदस्यों ने इस पर चिंता प्रकट की है चाहे वे कांग्रेस के हों या किसी भी दल से ताल्लुक रखते हों। इस वृद्धि को कंपेनसेट करने के लिये एक बात कही गई कि प्रोक्योरमेंट प्राइस बढ़ाकर किसानों को कंपेनसेट किया जायेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो मार्केटेबल सरप्लस पैदा करते हैं, वे मुश्किल से 25 प्रतिशत है और जो स्माल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, लघु और सीमांत किसान हैं, वे 75 प्रतिशत हैं। यदि आप 40 प्रतिशत फर्टीलाइजर की बढोतरी को कंपेनसेट करने के लिये प्रोक्योरमेंट प्राइस बढ़ायेंगे तो इसका फायदा केवल 25 प्रतिशत लोगों को होगा। 75 प्रतिशत जो किसान हैं उसके पास आधा एकड़ से ढाई एकड़ तक होल्डिंग्स हैं और वे मुश्किल से अपने एक साल के लिये भी अनाज पैदा नहीं कर पाते और मार्केट पर डिपेंड करते हैं। इस वास्ते प्रोक्योरमेंट प्राइस बढ़ाने से जो महंगाई बढ़ेगी, 75 प्रतिशत किसानों पर उसका बोझ पड़ेगा और 25 प्रतिशत किसानों को इसका फायदा होगा।

एक बात इसमें और कही गई है कि उसको कैसे किया जायेगा, पेज 15 पर कहा गया है—

[अनुवाद]

......"ऋण देने की व्यवस्था को कारगर बनाया जायेगा ताकि विशेष रूप से छोटे तथा सीमांत किसानों को पर्याप्त मात्रा में ऋण उपलब्ध कराया जा सके।"

[हिन्दी]

यह ठीक है कि आप क्रेडिट उसको दे देंगे, मगर वह भी उसको लौटाना होगा और उसके लिये फिर उसका खर्चा बढ़ेगा। इस वास्ते मेरा वित्त मंत्री जी से निवेदन है और सरकार को सुझाव है कि 40 प्रतिशत की बढोतरी एकदम से न की जाये। हमें यह भी देखना है कि आज की आर्थिक व्यवस्था किस तरह की है, उसको देखते हुए बढ़ोतरी न की जाये, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कास्ट आफ प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है, फर्टीलाइजर्स हमेशा एक दाम पर रखे जायेंगे तो उसके खर्चे का असर आम जनता पर पड़ता है। इस वास्ते मेरा सुझाव है कि इसको कम किया जाये और आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ोतरी की जाये, ताकि लोग उसको बर्दाश्त कर सकें।

सभापति महोदय, दूसरी बात मैं पहाड़ों के बारे में कहना चाहता हूं, हिन्दुस्तान के जो पहाड़ हैं, उनके बारे में सुझाव देना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी पहाड़ों से, हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक रखता हूं। आज देश की तरक्की बिना ऊर्जा के, बिना बिजली के नहीं हो सकती और ऊर्जा के सबसे बड़े साधन बिजली की तरफ आज ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दुर्भाग्य की बात है कि आज जो प्लानर्स हैं, एडवाइजर्स हैं, वे थर्मल पावर की बात करते हैं, क्योंकि उसका जस्टेशन पीरियड कम है। 4—5 साल में इसका कार्य हो जाता है, लेकिन हाइड्रल पावर की असीम क्षमता की ओर इस देश में ध्यान नहीं दिया जा रहा। विदेशों में हाइड्रल पावर को प्राथमिकता दी गई है, लेकिन हमारे यहां दुर्भाग्य की बात है कि पहले हाइड्रल और थर्मल का रेशो जहां 40—60 का था, लेकिन आज वह रेशो घट कर 29—71 का रह गया है। मेरा इस सरकार से निवेदन है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना जब मुकम्मल करें, उसको आखिरी शेप दें तो इस हाइड्रल और थर्मल पावर के असंतुलन को अवश्य दूर करें। आपका एक रिन्यूएबल सोर्स है, पोल्यूशन फ्री है, चीप है इसको आप एक्सप्लाइट करिए। इसके लिए पिछले साल 4613 करोड़ रुपए रखे गए थे और आज इसमें 4869 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 256 करोड़ की महज वृद्धि है। मैं अंदाजा लगा सकता हूं, आठवीं पंचवर्षीय

योजना में जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स है, उनको पैसा देना चाहिए। हाइड्रल है, थर्मल हैं उसमें आपको ऊर्जा बढ़ाने को प्राथमिकता देनी चाहिये। मैं समझ सकता हूं कि जो नये प्रोजेक्ट हैं, वे नहीं लिये जायेंगे। यह जो सबसे चीप हैं, हाइड्रल प्रोजक्ट्स हैं, आज भी भाखड़ा जब पूरा हुआ था 1962 में, 200 करोड़ में पूरा हुआ था। आज हर वर्ष भाखड़ा 200 करोड़ की आमदनी दे रहा है। जब इसका जेनेरेशन शुरू हुआ था, ढाई पैसे प्रति यूनिट उसकी प्राडक्शन कास्ट थी, आज पांच पैसे प्रति यूनिट कास्ट में वह चला हुआ है। आज कौन सी बिजली है देश में जो 5 पैसे प्रति यूनिट मिलती है। मगर आपको हाइड्रल से मिलती है चाहे ईस्टर्न पहाड़ हों, पूर्वाचल हो, पश्चिम के पहाड़ हों। हिमाचल प्रदेश में 30 हजार मैगावाट आईडेंटीफाइड रिसोर्सिज हैं और इसमें छोटे-मोटे जो आईडेंटीफाइड नहीं हुए वह बहुत ज्यादा हैं। हिमाचल प्रदेश ही अकेला उत्तरी भारत की बिजली की कमी को पूरा कर सकता है।

आज जो प्लानर्स और एडवाइजर्स गैस्टेशन पीरियड की बात करते हैं, आज की टैक्नोलॉजी ने यह साबित कर दिया है कि इसका गैस्टेशन पीरियड कम हो गया, कीमत कम हो गयी और लागत भी कम हो गयी। यह आपको बहुत सस्ते में पड़ी है। मैं जानता हूं कि जितनी उसके लिए धनराशि की आवश्यकता है उतनी आज की आर्थिक व्यवस्था में, वित्त मंत्री भले ही चाहें भी, इतना रुपया नहीं दे सकते। इसलिये मेरा एक सुझाव है जैसे वित्त मंत्री जी ने बड़ा साहसिक कदम उठाया है और बिलकुल ठीक कदम उठाया है कि उन्होंने अनएकाउंटिड मनी को हाउसिंग स्कीम में अट्रैक्ट करने की बात कही है। उसमें मेरा एक सुझाव है कि जहां आपने फायनेंशियल हाउसिंग बैंक के लिये इस स्कीम को लाने की बात कही है, वहीं मेरा सुझाव है कि पावर फायनेंस कारपोरेशन को, इस स्कीम को एक्सटेंड कर दिया जाये। 40 फीसदी उसमें सरकार लगायेगी। मैं इसमें और सुझाव देता हूं 60 प्रतिशत के लिये उनको प्रोत्साहित कीजिये जो पैसा लगाते हैं ताकि वे इक्विटी में रुपया लगायें ताकि वह पैसा उसमें लगे। अगर जरूरी हुआ तो जो पावर फायनेंस कारपोरेशन है उसको बैंक में कनवर्ट कर दीजिये। ताकि यह जो बैंक है वह जितने हमारे पावर के प्रोजैक्ट हैं उनकी एप्रेजल भी करें और उनकी फायनेंस भी करें।

इसी तरह से अगर 10–12 करोड़ रुपया हम इसमें लगा सकेंगे तो बिजली की जो समस्या आज बनी हुई है, जिसमें न एग्रीकल्चर, न इण्डस्टरी, कोई भी सैक्टर आगे नहीं बढ़ सकता, ये आगे बढ़ सकेंगे। यह मेरा निवेदन है। यह सबसे बड़ा साधन पहाड़ का है।

मैं एक बात दावे से कह सकता हूं सभापति महोदया, कि आज सारे हिन्दुस्तान में पहाड़ के आदमी स्वाभिमानी हैं, वे मेहनती हैं, ईमानदार हैं, भले ही गरीब हों। आपको कहीं भी पहाड़ का आदमी भीख मांगते हुए हिन्दुस्तान के किसी कोने में नहीं मिलेगा। हम नहीं चाहते हिन्दुस्तानी सरकार पर हम बोझ बने रहें, स्पैशल कैटागिरी स्टेट बने रहें। प्रकृति ने हमें साधन दिया है, इस साधन को आप निकालिए। आप मदद करिए, पहाड़ भी समृद्धशाली होंगे और देश भी समृद्धशाली होगा।

दूसरा, हमारा आय का सबसे बड़ा साधन टूरिजम है। मैं टूरिजम के लिए वित्त मंत्री महोदय को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने नये होटल बनाने के लिये एक्सपेंडीचर टैक्स को समाप्त कर दिया और 50 फीसदी इनकम टैक्स को माफ कर दिया।

मगर होटल बनाना ही सिर्फ टूरिजम के लिए काफी नहीं है। जब मैं योजना मन्त्री था तो मैंने टूरिजम हेतु हिमाचल प्रदेश तथा गोवा के लिए एक मास्टर प्लान बनाने का एक कार्यक्रम शुरू किया था।

कुछ आगे बढ़ा और बाद में वह काम रुक गया। मेरा निवेदन है कि मास्टर प्लान बनाइए और एक इन्फ्रास्ट्रक्चर हो जिसमें सारी सड़कें, बिजली और हिमाचल में पानी हो। वहां पर ऐसी सुन्दर जगह हैं कि जो सड़कों की वजह से देश के लोगों के लिए खुली नहीं हैं। आप उसके लिए अन-अकाउंटेड मनी को उसमें भी लगाइये। बहुत पैसा उसमें आ सकता है। उसमें काफी रिटर्न हैं। मैंने सुना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहां पर चार लाईसेंस सीमेंट के कारखाने के दिए हैं। मैंने उसको कहा कि आप देहरादून और मसूरी में जाइये और देखिए कि पहाड़ों का क्या हाल हो गया है। राजस्थान में लग सकते हैं और पहाड़ों में सीमेंट के कारखाने लग गए तो हिमाचल प्रदेश टूरिज्म के लिये नहीं रहेगा और पहाड़ गिर जायेंगे। इससे बहुत भारी नुकसान होगा। मेरे दोस्त जो उधर बैठे हुए हैं वे अपनी सरकार को मश्विरा दें। आज एक प्रश्न के उत्तर में कहा गया कि एनवायरन्मेंट मिनिस्ट्री से क्लीयरेंस नहीं मिली है और मिलनी ही नहीं चाहिए, इससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा। आप हिमालय की फिक्र कीजिए। एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट है कि अगर इसी तरह से मिट्टी का कटाव चलता रहेगा और उस तरफ ध्यान नहीं दिया तो आगे आने वाले सत्तर वर्षों में पंजाब, हरियाणा और यू०पी० मरुस्थल बन जायेंगे। जब मैं योजना मन्त्री था तो मैंने एक सुझाव दिया था कि इको डेवलपमेंट अथारिटी बनाई जाए जिसके चेयरमैन प्रधान मन्त्री हों और जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री उसके मैम्बर हों। उसके लिए इंतजाम किया जाए वरना देश को इसके लिए बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा।

मेरा एक सुझाव सेलरी क्लास के लिए है। आज 3500 से ऊपर जिनको सेलरी मिलती है तो उनका डी०ए० इम्पाउंड हो जाता है और उनके जी०पी०एफ० में जमा हो जाता है। मगर उसके ऊपर टैक्स पड़ता है। कैरी होम सेलरी कम आती है। टैक्स उनको देना पड़ता है या तो उसके ऊपर टैक्स न लगे या फिर स्टैण्डर्ड डिडक्शन 12 हजार की बजाए 15 हजार हो जाए तो उससे उनको एक रिलीफ मिल सकता है। मेरा एक निवेदन यह है कि जो बजट लाया गया है और काफी बड़े-बड़े कदम उठाए हैं। उनके ऊपर काफी विचार हुआ और क्रिटीसिज्म भी हुआ। ऐसी बातों का क्रिटीसिज्म होना चाहिए। माननीय श्री जसवन्त सिंह जी ने और श्री निर्मल कान्ति चटर्जी ने जो आंकड़े दिए हैं, उनको देख लें कि लाखों-करोड़ों रुपया किस तरह से उनको राइट आफ करना पड़ा। यह देश बर्दाश्त नहीं कर सकता। आंकड़े कहां तक ठीक हैं, इसके बारे में वित्त मन्त्री जी बता सकते हैं। अन्त में मेरा यही सुझाव है कि बजट पर बहस हो रही है तो उसका समर्थन करें चूंकि हम अल्प संख्या में हैं। अगर आप सारे इकट्ठे हो जायें तो बजट पास नहीं हो सकता। मगर आज देश की जो स्थिति है उसको सुधारने के लिए जो क्रिएटिव एक्शन इस बजट में लिए गये हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए। हमारी नजर चुनावों की तरफ रहती है, उसकी तरफ हमारी नजर नहीं रहनी चाहिए बल्कि अगले एक सौ वर्ष में देश को कैसा बनाना है उसकी तरफ हमारी नजर रहनी चाहिए। हमने जो कदम उठाये हैं इसमें हमने कोई पापुलिस्ट कार्यक्रम नहीं रखे हैं लोगों को खुश करने के लिए। नाराजगी हो सकती है, छोटी-मोटी परेशानी भी लोगों को हो सकती है, मगर आपको इसका समर्थन करना चाहिए। हम भी 42-43 साल सत्ता में रहे, हमने भी गलतियां की होंगी, जो काम करते हैं वे गलतियां भी करते हैं, लेकिन जो गैर कांग्रेसी सरकारें केन्द्र में सत्ता में रहीं, चाहे वे ढाई वर्ष के लिए रही हों या अट्ठारह महीनों के लिए तो उन्होंने हमसे भी चार गुना ज्यादा गलतियां की हैं।

जसवंत सिंह जी की मैं कद्र करता हूं। उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिये। बहुत सी बातें उन्होंने पार्टी से उठकर कही हैं। मगर मुझे अफसोस हुआ जब उन्होंने अन्त में राजीव गांधी फाउंडेशन

के बारे में कहा। राजीव गांधी प्रतिष्ठान का इस सदन में जिक्र हुआ है, वह नहीं होना चाहिए। अगर राजीव गांधी का नाम हटा दिया जाये उस पैरे से तो जो ओब्जेक्टिव्स हैं उनके बारे में आपको एतराज नहीं हो सकता।

कांग्रेस पार्टी को यह गौरव हासिल है, यह श्रेय हासिल है कि उसके नेताओं ने इस देश के संगठन के लिए और इस देश की एकता के लिए बलिदान दिया।···· (**व्यवधान**) मैं भावुक होकर यह बात नहीं कह रहा हूं। मैं तथ्यों पर आधारित बात कह रहा हूं। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इस देश की एकता के लिए, कम्यूनल हार्मोनी के लिए और इस देश को संगठित रखने के लिए बलिदान दिया, राजीव गांधी का भी बलिदान देश की एकता और अखण्डता के लिए हुआ। मैं पूछ सकता हूं कि आप बतायें इस देश में और कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने देश के लिए इतना बलिदान दिया हो या कोई और पार्टी है। अगर आप करोड़ों लोगों की भावनाओं की इज्जत करते हैं तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। ऐसे महान नेता ने जिसने इस देश के लिए और इस देश की रक्षा के लिए बलिदान दिया उसके बारे में आप सोचिए, मगर राजनीति से प्रेरित मत होएं। राजीव गांधी के सामने कभी पार्टी आगे नहीं रही, उनके सामने देश आगे रहा और उसकी मिसाल है मिजोरम का समझौता। हम जानते थे कि वहां कांग्रेस हार जायेगी, लेकिन हमने देश की एकता के लिए वह समझौता किया, ऐसे ही असम और पंजाब में समझौता किया। इसीलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस ने इतना बड़ा बलिदान दिया····(**व्यवधान**)·· मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं अगर कोई इस तरह का बलिदान यहां बैठे हुए और वहां बैठे हुए किसी भी राजनैतिक दल के नेता ने किया हो तो हम पहले होंगे उनका ट्रस्ट कायम करने के लिए········(**व्यवधान**)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : लाल बहादुर शास्त्री का कांग्रेस (**व्यवधान**)

3.00 म०प०

श्री सुख राम : इस वास्ते मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि इस मसले पर आप राजनीति से ऊपर उठ कर महानता का प्रदर्शन करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया और यह जो बजट पेश हुआ है, उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : सभापति महोदय, माननीय वित्त मन्त्री जी ने देश के समक्ष न केवल बजट प्रस्तुत किया है अपितु सरकार ने भी देश के समक्ष एक औद्योगिक नीति संबंधी संकल्प प्रस्तुत किया है। मेरा कहना है कि इन दोनों को एक-दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता। वे दोनों ही इस नई नीति का एक अभिन्न अंग है जिसे यह सरकार प्रतिपादित करने का प्रयत्न कर रही है। अतएव यदि मैं औद्योगिक नीति सम्बन्धी संकल्प के बारे में कुछ कहूं तो मैं आशा करता हूं कि मेरी यह कहकर आलोचना नहीं की जानी चाहिए कि यह बजट से सम्बन्धित नहीं है। निश्चित रूप से यह बजट से सम्बन्धित नहीं है परन्तु यह नया दृष्टिकोण तथा दर्शन है जो इन दोनों में दर्शाया गया है।

प्रारम्भ में मैं एक बात कहना चाहूंगा। हम सभी यह बहुत अच्छी तरह से जानते है तथा कोई भी इस बात से इंकार नहीं करता कि हमारा देश इस समय एक भारी आर्थिक, वित्तीय, कर सम्बन्धी ऋण भुगतान तथा भुगतान संतुलन संकट का सामना कर रहा है। इस बारे में कोई संदेह नहीं है।

हममें मतभेद हो सकता है तथा मतभेद होगा। इसके लिए कौन जिम्मेवार है तथा यह मतभेद कैसे उत्पन्न हुआ। ऐसा संकट केवल चौबीस घंटे में ही उत्पन्न नहीं हो सकता। यह उस लम्बी प्रक्रिया का परिणाम है जो कम से कम पिछले दस वर्षों से चल रही है। इन दस वर्षों के दौरान जितनी भी सरकारें सत्ता में रहीं चाहे वे इस तरफ की रहीं हों अथवा दूसरी तरफ की हों उन सभी का इस संकट को उत्पन्न करने में थोड़ा-बहुत योगदान अवश्य रहा है। जो मूलभूत आवश्यक वस्तुएं भी नहीं हैं उनका तथा ऐश्वर्य इत्यादि की वस्तुओं का बिना किसी प्रतिबन्ध के आयात किया जा रहा है। सरकारी अपव्यय जारी है तथा काफी अधिक ब्याज की दर पर अनगिनत ऋण लिया जाना जारी है। कोई भी सरकार नहीं कह सकती कि उसे इन सब बातों के लिए दोष नहीं दिया जाए। इन सभी बातों का कुल परिणाम यह हुआ है। जैसा कि वित्त मन्त्री जी ने स्वयं कहा है तथा मैं उनकी कही हुई बात को ही वास्तव में पुनः कह रहा हूं कि इन सभी के परिणामस्वरूप ही हम इस संकट की स्थिति में पहुंच गए हैं। मैं बहुत अच्छी तरह से समझता हूं तथा मेरे विचार से हम सभी जानते हैं कि हमारी कठिनाईयां इस तथ्य से और अधिक जटिल हो जाती हैं कि विश्व में सत्ता का भौगोलिक संतुलन समय-समय पर इस हद तक बदलता रहा है कि भारत तथा तीसरे विश्व के देशों को उससे नुकसान पहुंच रहा है। एक समय था जब केवल दो ही जानी-मानी महा शक्तियां थीं। अब केवल एक ही महाशक्ति रह गई है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जब विश्व में दो महाशक्तियां थीं तब तीसरी दुनिया के देश जिसमें भारत भी शामिल है वे देश दूसरी महाशक्ति जिसका दुर्भाग्य से अब इस समय वही दर्जा नहीं रह गया है उसे हमेशा एक विश्वसनीय मित्र तथा समर्थक के रूप में देखते थे। यह कोई प्रसन्न होने की बात नहीं है बल्कि हमें इससे दुख होना चाहिए। संकट के सभी क्षणों में उस दूसरी महाशक्ति ने हमेशा हमारा साथ दिया था। इसने हमें हर प्रकार का प्रोत्साहन तथा सहायता दी तथा पश्चिम के शक्तिशाली देशों द्वारा हमें कमजोर करने तथा हम पर हमला करने के सभी प्रयासों का सामना तथा विरोध करने में हमारी मदद की थी। इसने दुश्मन की ताकत को कम करने की हमारी शक्ति को और मजबूत किया था। अब हमें वह समर्थन प्राप्त नहीं है क्योंकि वे स्वयं ही गंभीर संकट में फंसे हुए हैं। यह एक ऐसा मामला है जिसका इस संकट से कुछ सम्बन्ध है क्योंकि इसका अभिप्राय यह है कि अपने हितों की रक्षा करने के लिए तथा अपनी आत्म-निर्भरता की शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें अकेले ही संघर्ष करना होगा। हमें इस विषय में यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। हम क्या सोचते हैं? क्या यह अच्छा है अथवा बुरा? इसने हमारे लिए विश्व के संतुलन को ही बदल कर रख दिया है। इस देश में ऐसे कई व्यक्ति हैं जो स्वयं को काफी बड़ा बुद्धिजीवी समझते हैं जो काफी अधिक लेख लिखते हैं तथा गोष्ठियों इत्यादि में बैठते हैं। वे केवल इस तथ्य पर विचार ही करते हैं कि समाजवाद अब समाप्त हो गया है। उनके अनुसार समाजवाद समाप्त हो गया है। मैं नहीं मानता कि समाजवाद समाप्त हो गया है। परन्तु वे देश भर में यही प्रचार करते फिर रहे हैं कि समाजवाद समाप्त हो गया है, लोग ऐसा नहीं चाहते तथा इसीलिए उन्होंने इसे अलग कर दिया है। वे कहते हैं कि हमारे पास अब केवल एक ही विकल्प रह गया है तथा वह विकल्प अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक जैसे संस्थानों के ही पास है। हमारे लिए यह अच्छी बात नहीं है। हमारे लिए यह एक बुरी बात है। परन्तु यह कोई ऐसी बात भी नहीं है जो पूरी तरह से हमारा नैतिक पतन कर दे। यह हमें ऐसी दुखदायी कष्टनीय स्थिति में न पहुंचा दे जब हम यह सोचने लगें कि अब हमारे पास कोई उपाय नहीं रह गया है सिवाय इसके कि हम अपने हाथ में कटोरा लेकर विश्व भर में सबसे भिक्षा मांगें।

महोदय, फिर से नये स्वरूप की रचना करना तथा सुधार लाना निश्चित रूप से आवश्यक है। कोई भी इस बात से इंकार नहीं करता। आज की स्थिति में पुनः नव-स्वरूप की रचना करना

तथा सुधार लाना केवल आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य भी है। परन्तु हमें सिद्धान्तों को अनदेखा करना होगा। यह कहना प्रचलन में आ गया है कि यह वामपंथी तथा मार्क्सवादी हैं जो पुराने अप्रचलित सिद्धान्तों से चिपके रहते हैं। परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से पुराने आदर्शों, समाजवाद के वे तथाकथित आदर्श जो ठीक तरह से सफल नहीं हुए हैं उनसे चिपके रहने का प्रयत्न करना मतान्धवाद, कोरा धर्म सिद्धान्तवाद कहलाता है, ठीक उसी प्रकार से भारत जैसे देश की सिंगापुर तथा हांगकांग के साथ तुलना करना भी कोरी हठधर्मी है। हमारे समक्ष जिन देशों का अनुकरण करने तथा उनके समान बनने के लिए उदाहरण रखे जा रहे हैं वे देश हैं सिंगापुर तथा हांगकांग। हमारा यह विशाल देश जिसकी अपनी विशेषतायें, तथा विशिष्टताएं हैं, उसकी तुलना उन देशों के साथ की जा रही है। यदि आप उन विशिष्टताओं को खो दें तथा उन आदर्शों का अनुकरण करने का प्रयत्न करें जो अब सोवियत संघ अथवा पूर्वी यूरोप में प्रचलित नहीं है परन्तु वे आदर्श जो सिंगापुर, हांगकांग तथा ताईवान में प्रचलित हैं तथा जो हमारे समक्ष आदर्श के रूप में प्रस्तुत किये जाते हैं, तो मुझे भय है तथा मैं नहीं जानता कि फिर हम किस दिशा में जा रहे हैं।

यदि हम व्यावहारिक होना चाहते है न कि हठधर्मी तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि भारत की कुछेक निश्चित विशिष्टतायें हैं जो अन्य सभी देशों में नहीं पाई जातीं। यह देश हमारा है। हम जापान अथवा अमेरिका अथवा जर्मन संघ गणराज्य में नहीं रहते हैं। हम जिस देश में रहते हैं उसका नाम भारत है। इसकी अपनी कुछेक विशिष्टतायें हैं।

इस समय निजी क्षेत्र में विकास हो रहा है। महालानोबिस समिति की रिपोर्ट के अनुसार इस देश में 75 ऐसे परिवार थे जिनकी उस समय ऐसे परिवार के रूप में पहचान की गई थी जिनमें एकाधिकार विकास के लक्षण दिखाई पड़ रहे थे। यदि इस समय आप उनकी परिसम्पत्तियों, लाभ, लाभांश, इत्यादि की जांच करें तो आप पायेंगे कि उन्होंने काफी अधिक सम्पत्ति इकट्ठी कर ली है। यह तो इसका एक पहलू है।

दूसरी तरफ, हमारे पास एक मजबूत तथा शक्तिशाली निजी क्षेत्र है। यह तर्क दिया जा सकता है कि निजी क्षेत्र को कम किया जाना चाहिए, तथा ऐसे क्षेत्रों में निजी क्षेत्र नहीं होने चाहिएं जहां पर ये आवश्यक नहीं है तथा इन सब बातों के अलावा निजी क्षेत्र को और अधिक कार्यसक्षम तथा उत्पादनकारी बनाया जाना चाहिए। कोई भी इस बात से असहमत नहीं हो सकता, मैं नहीं जानता कि वित्त मन्त्री जी ने इस बारे में क्या सोचा है परन्तु मैं यह नहीं कहता कि इस समय उनका यह प्रस्ताव है कि पूरे निजी क्षेत्र को ही समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरशाही समाप्त करनी होगी। यह सबसे ऊपर है। यह औद्योगिक ढांचा है। यह सरकारी विभाग नहीं है। यदि यह नौकरशाहों द्वारा मंत्रालयों में बैठकर सरकार के अन्य विभागों द्वारा चलाया जाता है तब इनका असफल होना निश्चित है। इसमें नौकरशाही समाप्त की जानी चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ एककों में जो घाटा हो रहा है उसके बारे में किसी ने जांच नहीं की कि इस घाटे के लिए कौन उत्तरदायी है और इसे कैसे सुधारा जा सकता है।

मैं आपको बता दूं कि पिछले अनेक वर्षों से इस देश की बड़ी ट्रेड यूनियनें सरकार से चर्चा करने का प्रस्ताव करती रही हैं ताकि वे अपने विचार तथा सुझाव दे सकें कि इन अनेक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के घटिया कार्यनिष्पादन और घाटे के क्या कारण हैं और उनमें कैसे सुधार किया जा सकता है। तत्कालीन

योजना मन्त्री और वित्त मन्त्री ने हमें अनेक बार आश्वासन दिया था कि वे भी ऐसा ही चाहते हैं और चर्चा के लिए कुछ कागजात तैयार करेंगे और फिर एक सम्मेलन बुलाएंगे जो गहराई से इन मामलों की जांच करेगा। लेकिन ऐसा नहीं किया गया और आज तक भी नहीं किया गया है।

यह क्षेत्र नौकरशाहों द्वारा चलाया जा रहा है जिन्हें प्रबन्धक, प्रबन्ध निदेशक अथवा अध्यक्ष कहा जाता है, वास्तव में उनका नौकरशाहों वाला रवैया, विचार और सोचने का ढंग है। इसके अलावा आप इस सरकारी क्षेत्र के प्रबन्ध में मजदूरों की भागीदारी की अनुमति नहीं देते। मुझे विश्व का कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र ऐसा दिखाइए जिसने प्रबन्ध में मजदूरों की भागीदारी के बिना उन्नति की हो। फिर भी हमारा यह सरकारी क्षेत्र ऐसा है।

ढाई अथवा साढ़े तीन लाख औद्योगिक एकक बन्द पड़े हैं जो कि मजदूरों ने नहीं बन्द किए हैं बल्कि मालिकों ने बन्द किए हैं। इसकी जांच की गई और यह पाया गया कि इनके बन्द होने का मुख्य कारण विभिन्न प्रकार का कुप्रबन्ध है, मैं सभी प्रकार के कुप्रबन्ध की चर्चा नहीं करना चाहता।

हमारा विशाल असंगठित क्षेत्र हैं। निस्संदेह, यह लघु क्षेत्र है। यह इस देश का परम्परागत क्षेत्र है। विशाल ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योग, ग्रामीण दस्तकारी, स्व-रोजगार में लगे व्यक्ति और कारीगर हैं। उनके पास कोई प्रौद्योगिकी नहीं है। मन्त्री महोदय, यदि आप उन्हें उनकी प्रौद्योगिकी के आधार पर परखें तो आप पाएंगे कि वे अत्यन्त पिछड़े लोग हैं। क्या वे अनेक लोगों को रोजगार प्रदान कर उपयोगी सामाजिक कार्य नहीं कर रहे हैं। मैं यह प्रश्न इस लिए उठा रहा हूं कि मैं नहीं चाहता कि आप इस बारे में कुछ ऐसा करें, जिसका पहला अगर इस क्षेत्र को समाप्त करना ही न हो क्योंकि इस क्षेत्र की प्रौद्योगिकी पिछड़ी हुई प्रौद्योगिकी है। आप इस देश के लाखों लोगों को रोजगार नहीं दे पाएंगे। यह असंगठित, परम्परागत और पिछड़ा हुआ क्षेत्र लाखों लोगों को रोजगार प्रदान कर रहा है। अभी भी बहुत बेरोजगारी फैली हुई है।

हमारे पास राज्य के करोड़ों रुपये खर्च करके देश में स्थापित किए गए प्रौद्योगिकी संस्थानों और वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों से निकलने वाली प्रतिभाएं, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी श्रमिक तथा प्रशिक्षित व्यक्ति हैं। हम इस बारे में दिखावा कर सकते हैं, डींगें मारते हैं कि वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी व्यक्तियों की प्रतिभा में विश्व में हमारा स्थान दूसरा अथवा तीसरा है। कौन सा अन्य अविकसित राष्ट्र अथवा तृतीय विश्व का राष्ट्र इस बारे में डींग मार सकता है?

इसलिए, हमारा यही कहना है कि जब आप नई नीतियां बनाएं अथवा नए विचारों का सूत्रपात करें तो भारतीय स्थिति की विशेष बातों को ध्यान में रखें और हमारे समक्ष हांगकांग, सिंगापुर अथवा दक्षिणी ताइवान का आदर्श न रखें।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : सोवियत यूनियन का भी नहीं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने आपके आने से पहले उस बारे में भी कहा था। वह माडल असफल हो गया है। भारत जैसे देश के लिए नया उदाहरण हांगकांग अथवा सिंगापुर है। भारत और हांगकांग जैसे देशों के लिए नया उदाहरण सिंगापुर का है। हम उनकी तरह नहीं चलना चाहते। हमें अपनी राह स्वयं चुननी है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि वित्त मन्त्री महोदय ने बहुत स्पष्ट बात की है, मैं इस बात के लिए उनकी प्रशंसा करता हूं कि जब उनसे कांग्रेस दल के चुनाव घोषणा पत्र के बारे में प्रश्न पूछे गए और 100 दिन के भीतर मूल्य कम करने के बारे में पूछा गया तब उन्होंने ईमानदारी से कहा कि उस समय उनका दल विपक्ष में था, उन्हें अपने चुनाव घोषणा पत्र में यह बातें कहने का अधिकार था लेकिन उन्हें वास्तविकताओं के बारे में पता नहीं था कि ऐसा नहीं किया जा सकता है । उन्होंने ऐसा ही कहा था ।

श्री मुरली देवरा (मुम्बई दक्षिण) : उन्होंने अपनी कही गई बात में सुधार किया ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इसलिए मेरा यह कहना है कि उन्हें अन्य दिए जाने वाले वक्तव्यों को भी वैसे भी स्पष्ट रूप से देना चाहिए । सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो समायोजन अथवा पुनर्निर्माण किया जाना है वह सभी मानवीय पहलुओं को ध्यान में किया जाना चाहिए ।

उन्होंने 'मानवीय पहलुओं' का वाक्य का प्रयोग किया है । यह कार्य मानवीय दृष्टि से किया जाना चाहिए लेकिन वह मानवीय दृष्टि ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि आंखों में आंसू आ जाएं । यह आंसूओं के बिना समायोजन होना चाहिए । मानवीय चेहरे को आंसुओं भरा भी दिखाया जा सकता है । जब बेरोजगारी बढ़ती है, मुद्रा-स्फीति होती है और हर चीज की कीमतें बढ़ती हैं जैसेकि वे हर रोज बढ़ रही हैं और कल और बढ़ेगी, तब इस समायोजन में मानवीय दृष्टिकोण कुछ लोगों के लिए रह जाएगा । बजट से पहले जो उपाय किए गए थे, औद्योगिक नीति संकल्प लाने से पहले और संसद का सत्र शुरू होने से पहले जो उपाय किए गए थे, उन्हें भी ध्यान में रखा जाए । वह इस विचार धारा से अलग नहीं है ।

सभापति महोदया, जो दो बार रुपये का लगभग 20 प्रतिशत अवमूल्यम किया गया है उससे केवल कीमतों में वृद्धि होगी । इसके अलावा और कुछ नहीं होगा । यह अवमूल्यन है । आप इसे अवमूल्यन नहीं कहना चाहते होंगे । आप कहेंगे कि यह अवमूल्यन नहीं है बल्कि यह केवल रुपए की विनिमय दर में आम समायोजन है । लेकिन मैंने नवम्बर, 1990 की विश्व बैंक की व्यापार सुधार रिपोर्ट देखी है । जिसमें विश्व बैंक ने योजनाबद्ध और समयबद्ध सुधार कार्यक्रम के लिए 13 प्रतिशत अवमूल्यन का सुझाव दिया था । यह विश्व बैंक ने कहा था । हमने 21 प्रतिशत तक अवमूल्यन किया जो कि बाहरी ऋण को बढ़ाएगा । हमारे ऊपर ऋण का बोझ और बढ़ जाएगा । यह मुद्रा स्फीति के साथ-साथ आयात बिल को भी बढ़ा देगा । यह संसद का सत्र शुरू होने से पहले किया गया था ।

तत्पश्चात्, सोना देश से बाहर भेजने की बात आती है । मैं इस सरकार पर आरोप लगाता हूं कि उसने यह जानबूझकर भय का वातावरण बनाने के लिए किया ।

उन्होंने आत्म-विश्वास और अन्य अनेक बातें कीं । मेरा कहना है कि सबसे पहले इसी सरकार ने आत्म विश्वास खोने की बात की है । उन्होंने लोगों के मस्तिष्क में यह धारणा बिठाने का प्रयास किया कि वे असहाय, गरीब और दिवालिया है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास जाने के सिवाय कोई और विकल्प नहीं रह गया है । इसीलिये यह सोना बाहर भेजा गया । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या विश्व में अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था होने पर भी भारत जैसे देश की सरकार यदि सोना गिरवी रखती है ताकि उसे ऋण मिल सके, तब क्या यह आवश्यक है कि सोने को उठाकर बैंक ऑफ इंगलैंड

की तिजोरियों में डाल दिया जाये ? क्या भारत सरकार का वचन देना ही काफी नहीं है ? यदि बैंक ऑफ इंगलैंड चाहता तो वह एक निरीक्षक यहां भेज सकता था । और वह भारतीय रिजर्व बैंक की तिजोरियों में देख सकता था कि उनमें सोना है या नहीं । क्या यह आवश्यक था कि आधी रात में बंबई के सहार हवाई अड्डे पर गुप्त रूप से कुछ विशेष विमान लाये गये और उनमें सोना चढ़ाया जाए तथा इंगलैंड भेज दिया गया ?

बाद में यहां यह बताया गया कि यह बैंक ऑफ इंगलैंड की तिजोरी में रखा जा रहा है । इसके बिना वह संतुष्ट नहीं होंगे । क्या उन्होंने ऐसा कहा ? मैं इसका उत्तर चाहता हूं । क्या बैंक ऑफ इंगलैंड ने कहा था कि जब तक सोना उनकी तिजोरी में जमा नहीं करा दिया जाता तब तक वह यह विश्वास नहीं करेगा कि यह सोना गिरवी रखा जा रहा है ? मैं इस बात को नहीं मानता । मुझे लगता है कि अधिकांश भारतियों का सोने के प्रति आकर्षण को देखते हुए यह जानबूझकर किया गया । यह सब भय की स्थिति उत्पन्न करने के लिए किया गया ।

[हिन्दी]

सोना चला जायेगा तब बाकी क्या रहा, तब तो भिखारी ही बनना पड़ेगा, सदियों से यही तो हमारा धन है । सोना ही समुद्र पार चला जायेगा तो हमको तो आई० एम० एफ० के पास घुटने टेकने ही पड़ेंगे, कोई दूसरा उपाय नहीं रहा ।

[अनुवाद]

मुझे लगता है कि काफी सीमा तक यह वातावरण सफलतापूर्वक पैदा किया गया ।

आप इस सभा में बैठकर किसी भी विषय पर चर्चा करें, बाहर अनेक लोगों को विश्वास है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास जाने के अलावा कोई चारा नहीं है और उनके द्वारा लगाई गई शर्तों को भी मानना होगा ।

श्री मुरली देवरा : ऐसा श्री राम विलास पासवान द्वारा किया गया था ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हां । निःसन्देह सोने की पहली किश्त के लिये मैं उनको दोषी नहीं मानता—वह चन्द्रशेखर सरकार द्वारा भेजी गई थी ।

श्री मुरली देवरा : ऐसा वायदा उन्हीं के द्वारा किया गया था ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह वचनबद्धता उन्हीं की हो सकती है । लेकिन आखिरकार उन्होंने इसमें जब्त किया हुआ सोना ही इस्तेमाल किया है । यह सोना हमारे संचित भंडार में से है, जो बाद की दो किश्तों में भेजा जायेगा ।

विश्व बैंक के उपाध्यक्ष एक पाकिस्तानी हैं । लेकिन यह श्री मोहिन कुरेशी की विश्व बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में, महत्ता कम नहीं करता । उन्होंने यह तथ्य उजागर किया है कि भारत को दी गई साढ़े बारह अरब डालर की अप्रयुक्त विदेशी मुद्रा विदेश में पड़ी है; इसको प्रयोग में नहीं लाया गया; तथा चूंकि इसको उपयोग में नहीं लाया जा रहा इसलिये भारत 3 करोड़ डालर का वार्षिक जुर्माना भर रहा है । अतः हम सारे संसार के सम्मुख चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं और विलाप कर रहे

हैं कि हम इस कदर विदेशी मुद्रा संकट में फंस गये हैं, कैसे हम इससे मुक्ति पायेंगे। सरकार को यह अवश्य बताना चाहिये कि $12\frac{1}{2}$ अरब डालर के बराबर की विदेशी मुद्रा बाहर के देशों मे क्यों पड़ी हुई है? निःसन्देह यह कुछ विशेष परियोजनाओं से संबंधित है, मुझे ऐसी जानकारी है; यह कोई मुक्त आबंटन नहीं है। यह धनराशि कुछ विशेष परियोजनाओं जसे नर्मदा परियोजना तथा अन्य कुछ परियोजनाओं के लिये आबंटित की गई थी। और हमने इसकी मांग की थी। यह बड़ी धनराशि वहां अप्रयुक्त पड़ी है। हम इसे खर्च नहीं कर सकते और चूंकि हम इसे खर्च करने में असमर्थ रहे हैं अथवा हम इसके बराबर अंशदान करने मे असमर्थ है, इसीलिये हम 3 करोड़ डालर का जुर्माना भर रहे हैं। लेकिन उन्होंने इस संबंध में कुछ नहीं कहा है। इन सब बातों के बावजूद निःसन्देह उन्हें लोगों को इस बात का विश्वास दिलाना है कि हम सचमुच ऐसी बुरी स्थिति में हैं।

अब हम बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा दी जाने वाली अनुपूरक सहायता पर आते हैं। निःसन्देह अब मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि समन्वय और सुधार का यह संपूर्ण मार्ग, मुख्य अवलम्ब, इन तीन अवलम्बों पर आधारित है। प्रथम इनमें अप्रवासी भारतीय हैं। आप ऐसे लोगों से जो देश से बाहर जा चुके हैं, जिन्होंने विदेशों में पैसा कमाने के उद्देश्य से देश छोड़ा है, यह उम्मीद रखते हैं कि आपकी अपील पर वे अचानक ही देशभक्त बन जायेंगे कि अगर वह उस धनराशि को अथवा उसका कुछ भाग यहां वापस, लाकर जमा करें तो उनको कुछ छूट दी जायेगी तथा इसी प्रकार उनसे इस प्रकार का कोई प्रश्न नहीं पूछा जायेगा। कि उनकी आय का स्रोत क्या है। इसी प्रकार उन पर किसी प्रकार का कर नहीं लगाया जायेगा। बहरहाल, यह एक उनका मुख्य अवलम्ब है।

दूसरा अवलम्ब बहुराष्ट्रीय निगम हैं। तीसरा अवलम्ब संगठित निजी क्षेत्र, अर्थात् घरेलू देशी निजी क्षेत्र हैं। आप इन तीनों क्षेत्रों पर निर्भर हैं। मैं सार्वजनिक क्षेत्रों में हुए सुधारों से विरोध में नहीं हूं। मैंने सार्वजनिक क्षेत्र के कार्मिक संघों में काफी समय तक कार्य किया है और मुझे पता है कि इसमें बहुत से सुधार किये जाने आवश्यक हैं। लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र की अवधारणा क्या है? इसे पूर्ण रूप से परिवर्तित किया जा रहा है। श्री मनमोहन सिंह जैसा कि मैंने उन्हें समझा है, देश की समृद्धि एवं विकास के लिये सार्वजनिक क्षेत्र को मुख्य मशीनरी नहीं मानते। वह निजी क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं पर निर्भर रहना चाहते हैं।

मैं एक बात कहना चाहता हूं। अपने भाषण के आरंभिक अंशों में, जहां उन्होंने श्री राजीव गांधी के स्वप्न का जिक्र किया, उन्होंने कहा, "हमने उन्हें खो दिया है, मैं उनकी मधु मुस्कान से वंचित हो गया हूं।" मैं बजट भाषण सुन रहा था "मैं इस बजट को उनकी प्रेरक यादगार को समर्पित करता हूं।" यह बहुत अच्छी बात है। यह एक महान विचार है। अतः मेरा विचार है हमें श्री राजीव गांधी के कुछ ऐसे विचार जानने चाहियें जो श्री मनमोहन सिंह के लिये प्रेरणादायी हों तथा जो उन्हें उनके भाषण के अनुसार उत्प्रेरित करें।

15 अप्रैल, 1987 को कांग्रेस पार्टी की संसदीय पार्टी के सम्मुख निःसन्देह जिसे आप कह सकते हैं कि यह चार वर्ष पूर्व की बात है, श्री राजीव गांधी ने अपने भाषण में कहा था, मैं उद्धृत करता हूं:

"हमारी योजना नीति निर्धारण में सार्वजनिक क्षेत्र बुनियादी तत्व की भूमिका अदा करता है।" वे इस पर सचमुच विश्वास करते भी थे या नहीं, यह मैं नहीं जानता। वह वित्त मंत्री ही बतायेंगे। परन्तु उन्होंने ऐसा कहा था :

"सार्वजनिक क्षेत्र हमारी योजना संबंधी नीति का महत्वपूर्ण भाग है। सार्वजनिक क्षेत्र हमारे देश की आर्थिक और राजनैतिक स्थिरता का आधार है। धन और अर्थ शक्ति के केन्द्रीकरण को कम करने का यह हमारा मुख्य तरीका है।"

क्या सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में आपका यही दृष्टिकोण है जो आप यहां प्रस्तुत कर रहे हैं। मुझे इस पर शक है। आप यह कह सकते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र कई रोगों और बुराईयों से ग्रस्त है जिसका उपचार और सुधार किये जाने की जरूरत है। कम से कम हम यह पता लगाने की कोशिश करें कि इसमें क्या खामी है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। यह अलग बात है। सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में क्या आपका यही दृष्टिकोण है? श्री राजीव गांधी ने 15 अप्रैल, 1987 को इस संबंध में क्या कहा था? मैं समझता हूं कि वह इससे एक दम भिन्न है।

महोदय, 1985 में मुम्बई में आयोजित कांग्रेस पार्टी के शताब्दी समारोह में शताब्दी प्रस्ताव पारित हुआ और इसका प्रस्ताव और किसी ने नहीं बल्कि हमारे वर्तमान प्रधान मंत्री श्री पी० वी० नरसिंह राव ने किया था। उन्होंने अपने उस भाषण में क्या कहा था?

"सार्वजनिक क्षेत्र ने भारत के उद्योगीकरण में अग्रणी भूमिका निभाई है। इसे अग्रणी भूमिका निभाते रहना होगा।"

इसे आगे बढ़ते रहना होगा यह नही कि केवल किसी तरह अपना अस्तित्व बनाये रखना है।

"उद्योगीकरण का आगे विकास इस पर निर्भर करेगा कि भारत का सार्वजनिक क्षेत्र किस हद तक विभिन्न आंतरिक और बाह्य समस्याओं से निपट सकता है।"

श्री नरसिंह राव ने यह भी कहा था :

"हम सार्वजनिक क्षेत्र को प्राथमिकता देते हैं।"

क्या आप ऐसा अब कर रहे हैं? अब आप निजी क्षेत्र को प्राथमिकता देना चाहते हैं।

"हम सार्वजनिक क्षेत्र को प्राथमिकता देते हैं जिसने नई आर्थिक ऊंचाईयों को छुआ है और उद्योगीकरण के नये क्षेत्रों में राष्ट्र का पदार्पण कराया है। पिछड़े क्षेत्रों का रास्ता खोला है, तकनीकी विकास को आगे बढ़ने की शक्ति दी है और आम तौर पर देश में उद्योगीकरण का माहौल तैयार किया है।"

महोदय, मैं कई उद्धरण उद्धृत कर सकता हूं परन्तु समय नहीं है।

मेरा कहना यह है कि यदि आप अपने पूर्व नेताओं तथा उनके कथन से प्रेरित होना चाहते हैं तो या तो उन्होंने जो कहा है उस पर टिकें रहें और उनके तथा उनके विचारों के प्रति निष्ठावान बने रहें या जैसा कि मूल्य के बारे में आपने कहा कि उन्होंने जो कुछ कहा था उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि वे क्या कह रहे हैं यही बात आपको श्री राजीव गांधी तथा नरसिंह राव के संबंध में भी कहनी होगी कि उन्होंने जो कुछ भी कहा वह मात्र राजनीतिक बातें थी लेकिन वह नहीं जानते थे कि वह किस संबंध में बात कर रहे हैं। इन दो में से एक बात आपको कहनी होगी।

आपके बजट की विचाराधारा के संबंध में हमारा विवाद इतना ही है कि यह पूरी आर्थिक व्यवस्था को ही उलट रही है और यह उस व्यवस्था के विपरीत है जिसका अनुसरण हम बहुत दिनों से करते आ रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई परिवर्तन पुनर्समायोजन नहीं होना चाहिये और कोई सुधार नहीं होना चाहिये।

अपने बजट भाषण में उन्होंने कहा है कि बहुराष्ट्रीय निगमों की सहायक कम्पनियों में 50 प्रतिशत से अधिक या 51 प्रतिशत तक साम्य विदेशी पूंजी लगाने की भारत में अनुमति होगी। लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने कहा है कि यदि कुछ चुनिंदा बहुराष्ट्रीय निगम अपने कुल उत्पादन को निर्यात करने के लिये तैयार हैं तो उन्हें शत प्रतिशत साम्य विदेशी पूंजी की अनुमति दी जा सकती है। परन्तु ऐसा नहीं है जैसा कि उन्होंने अपने मुद्रित भाषण में कहा है। 51 प्रतिशत और 100 प्रतिशत में अंतर है।

मैं समझता हूं कि जिन कम्पनियों की 50 प्रतिशत विदेशी साम्य पूंजी लगी हुई है वे अपनी मूल कम्पनी की बिक्री और लाभ को मूल कम्पनी की बिक्री और लाभ के साथ कानूनी रूप से एकत्रित कर सकते हैं। और इससे उन्हें पूंजी निवेश के लिये प्रोत्साहन मिल सकता है। यदि उनकी कुछ कम्पनियां ऐसी हैं जिनमें उन्होंने 50 प्रतिशत से कम विदेशी निवेश किया है जिसे 'पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट' कहा जाता है, उन्हें आवश्यकता पड़ने पर बंद किया जा सकता है इसके बारे में कोई चिन्ता नहीं है। जैसा कि उनका अनुमान है कि 50 प्रतिशत अथवा इससे अधिक और सौ प्रतिशत साम्य पूंजी से मूल कम्पनियां अपनी सभी सहायक कम्पनियों की बिक्री और लाभ को एकत्रित कर सकती हैं। आपने जो कर संबंधी रियायतें दी हैं, आपने जो उदार कदम उठाये हैं तथा काले धन का पता लगाने के लिये जो लालच दिया जा रहा है वे असफल रहे हैं क्योंकि वे मात्र लालच हैं। इन सब बातों से कठिनाई कम नहीं होगी बल्कि कुछ लोगों के पास और अधिक धन एकत्र हो जायेगा। यह सब संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विपरीत है। संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अन्तर्गत भारत सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये विशेष कदम उठाती है कि धन का एकत्रीकरण न हो। आप की संपूर्ण विचारधारा से अधिक से अधिक धन के एकत्रीकरण को बढ़ावा मिलता है। कृपया हमें बतायें कि क्या आपने संविधान में संशोधन करने वाले विधेयक को लाने का निश्चय कर लिया है ताकि नीति निर्देशक सिद्धांतों के इस भाग का लोप किया जा सके। इस व्यवस्था के बने रहने की कोई आवश्यकता है।

महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि आप जिन अनिवासी भारतीयों, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और स्वदेशी निजी क्षेत्रों का सहारा ले रहे हैं वे बिल्कुल अविश्वसनीय हैं। ये कभी भी आपको नीचा दिखा सकते हैं। आपको इस देश की 26 मिलियन श्रम शक्ति के बारे में कोई चिन्ता नहीं है। मैं समझता हूं कि यह हांगकांग और सिंगापुर की कुल जनसंख्या का कई गुणा अधिक है। ये 26 मिलियन कामगार जिनका सहयोग यदि आप प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो आपकी ये सारी अच्छी योजनायें अस्त-व्यस्त हो जायेंगी। औद्योगीकरण, अधिक उत्पादकता, अधिक क्षमता पैदा करने की योजनाओं को आप 26 मिलियन की विशाल श्रम शक्ति के सहयोग के बिना नहीं चला सकते। जैसा कि किसी ने पहले कहा है कि भारत जैसे देश में हमारा सबसे बड़ा संसाधन मानवशक्ति है। मानवशक्ति सबसे बड़ी शक्ति है जो हमारे पास है। और सरकार इस उन्नत कार्यप्रणाली के लिये इस श्रमशक्ति का सहयोग लेने की प्रश्न की उपेक्षा कर रही है। इस देश में कार्य नीति के प्रति जागरूकता बहुत कम है। यह बहुत अधिक नहीं है। लेकिन इसे उपयुक्त माहौल देकर और सजगता पैदा करके तथा श्रम का उचित मूल्य देकर बढ़ाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात है प्रबंधन में भागीदारी। यह कार्य आप कम से कम सार्वजनिक क्षेत्र में ही शुरू करें। मैं जानता हूं कि निजी क्षेत्र के नियोजक श्रमिकों के सहभागिता के कट्टर विरोधी हैं। सभी सभाओं और सम्मेलनों में जहां कहीं भी मेरी उनसे मुलाकात हुई है उन्होंने एड़ी-चोटी एक करके इसका विरोध किया है। लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के संबंध में आप क्या कर रहे हैं जिसे आप बलि का बकरा बनाये हुए हैं? पिछली सरकार ने एक विधेयक पेश

किया था। यह विधेयक बड़ी कठिनाई से ट्रेड यूनियनों तथा नियोजक संगठनों की सहायता से तैयार की गई थी। यह एक तरह का समझौता विधेयक था। इसे सांविधिक पुस्तक में शामिल किया जाना चाहिये। श्रमिकों को यह महसूस होना चाहिये कि प्रबंध में उनकी सांझेदारी है लेकिन इन कागजातों में उस संबंध में एक शब्द भी नही कहा गया है।

मैं अब केवल एक-दो छुट-पुट बातों का जिक्र कर रहा हूं। यदि वामपंथी मतवादी हैं तो इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन जो देश का सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन होने का दावा करता है उसके अध्यक्ष के संबंध में क्या कहना है ? इसके अध्यक्ष रामानुजम—मैं समझता हूं कि सभी उन्हें अच्छी तरह जानते होंगे—वह एक अनुभवी नेता हैं, उन्होंने अपना सार्वजनिक वक्तव्य जारी किया है जिसमें उन्होंने पूरी उद्योग नीति की आलोचना की है। आशा है आपने उसे पढ़ा होगा। यह समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है। उनका कहना है कि यह नई उद्योग नीति न तो रोजगार उत्पन्न करेगा और न श्रमिकों में विश्वास उत्पन्न करेगा बल्कि इससे केवल मुद्रा स्फीति और महंगाई बढ़ेगी।

आपने कर अपवन्चकों को कई धमकियां दी हैं। लेकिन वे मात्र धमकी हैं—अंतिम अवसर। मैं समझता हूं कि वे यह महसूस करते हैं कि इसमें कोई गंभीर बात नहीं है। कठिनाई इस बात की है कि वे लोग कर चोरी नहीं कर सकते जो वेतनभोगी हैं। जिनसे कर उनके वेतन से काट लिया जाता है। मुद्रा स्फीति का उन लोगों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है जो वेतनभोगी हैं। लेकिन वे जिनकी आय असीमित है जिसे प्रकट नहीं किया जा सकता और जिनका कोई लेखा-जोखा नहीं होता, वे लोग काला धन कमा रहे हैं और कर की चोरी कर रहे हैं। आप केवल इतना ही कर रहे हैं कि धमकी देकर उन्हें अंतिम मौका दे रहे हैं। आप उन्हें जांच-पड़ताल से पूरी छूट दे रहे हैं। यह कहते हुए कि कृपया आयें और नेशनल हाउसिंग बैंक में रुपये जमा करें। मैं नहीं समझता कि नेशनल हाउसिंग बोर्ड पर वे थोड़ा भी ध्यान देंगे। विगत में जो बिना हिसाब किताब के आय को प्रकट करते रहे कि जीवन में एक बार ही करने का यह मौका है उन्हें फिर दूसरा मौका दिया गया है यह कहते हुए कि "आपके जीवन में एक मौका और"। यदि आप अपने बिना हिसाब किताब के आय को प्रकट करते हैं तो आपको यह सुविधा दी जायेगी कि आपको कोई दंड अथवा आपसे कोई ब्याज नहीं लिया जायेगा इसलिये आप आकर अपने काले धन को प्रकट करें।

आपने संपत्ति कर के दर में कोई परिवर्तन नहीं किया है। निगमित कर की दर में केवल 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। भेजी गई विदेशी मुद्रा किसी भी उपहार कर के अन्तर्गत नहीं आयेगी अथवा इस तरह की कोई जांच नहीं की जायेगी। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अनिवासी भारतीयों को बिना किसी सीमा के बिक्री के लिये जारी किये गये डालर बांड भी किसी प्रकार के धन कर के अंतर्गत नहीं आयेंगे। उन्हें भी पूरी माफी और छूट मिली हुई है। इसलिये जिन लोगों ने काला धन दबाया हुआ है उन्हें खुश रखने के ये सभी प्रयास हैं।

सार्वजनिक वित्त एवं नीति संस्थान ने इस बारे में कुछ आकलन किया है कि प्रतिवर्ष कितना काला धन पैदा होता है। इस काले धन के उत्पादन को इस समानांतर अर्थव्यवस्था को, जो लगातार पनप रही है कैसे रोका जाये या कम से कम इस पर नियंत्रण कैसे किया जाये। आपके प्रस्ताव में इस बारे में कुछ नहीं है। एक बार काला धन उत्पन्न हो गया और किसी के पास चला गया, तो आप उसे कुछ छूट देने का प्रयास करते हैं ताकि इसका एक भाग तो कम से कम वह लौटा दे। यह आपकी नीति है।

बहुराष्ट्रीय निगमों के प्रश्न पर मैं कुछ उल्लेख करना चाहूंगा, क्योंकि यह मामला अभी ताजा है। भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों की ओर से एक शिष्ट मंडल आज 3.30 पर प्रधान मंत्री से मिल रहा है। यह अमेरिका की यूनियन कारबाइड कारपोरेशन का काम था, जिसे भोपाल नगर के, जो हमारे राज्य की राजधानी है, सबसे अधिक व्यस्त क्षेत्र में अपना संयंत्र स्थापित करने की अनुमति दी गई। और उनकी लापरवाही, मानव जीवन के प्रति तुच्छता के भाव के कारण यह हुआ, किन्तु यह सब कुछ उनके अपने देश अमेरिका में नहीं हुआ, जहां यूनियन कारबाइड का मुख्यालय है। वहां उन्हें कभी भी ऐसा करने की अनुमति नहीं मिलती। किन्तु यहां किसी ने उन्हें वह संयंत्र स्थापित करने की अनुमति दे दी, जो जहरीली, नुकसानदायक, घातक रसायन और गैसें बनाता था। इसके परिणामस्वरूप हमारे कुछ हजार लोग मैं नहीं जानता कि कितने—3000, 4000 या 5000 लोग—मर गये और कई हजार लोग पूरे जीवन के लिये अपाहिज हो गये। यह एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी द्वारा किया गया जन संहार था। अब, आपके प्रस्ताव में यह पढ़कर मुझे दुख हुआ कि आप उद्योग के मामले में कुछ छूट देने पर विचार कर रहे हैं, आप कुछ स्थानीय छूट देने पर विचार कर रहे हैं। नियमानुसार स्थान के बारे में कुछ प्रतिबन्ध हैं कि आप आवासीय क्षेत्रों में कुछ निर्धारित दूरी तक हानिकारक संयंत्र स्थापित नहीं कर सकते। किन्तु कोई भी इनका पालन नहीं करता। किन्तु, अब, आप इनको और अधिक उदार बनाना चाहते हैं।

मैं एक प्रश्न पूछूंगा कि 'आइसोसायनाइट' पर सीमा शुल्क घटाने का एक प्रस्ताव है। मुझे आशा है कि आप जानते होंगे कि 'आइसोसायनाइट' क्या होते हैं? यही वह तत्व है जिससे यूनियन कारबाइड द्वारा गैस बनाई जाती थी। यह 'आइसोसायनाइट' गैस ही थी जिसे मिक कहा जाता है जो इन हजारों लोगों की मृत्यु और अपंगता का कारण बनी। आप उस पर सीमा शुल्क 120 प्रतिशत से घटा कर 40 प्रतिशत क्यों कर रहे हैं? किस के लाभ के लिये यह 'आइसोसायनाइट' यहां कम सीमा शुल्क पर लाया जाएगा? (**व्यवधान**)

दूसरी बात है कि सदन के इस पक्ष के सांसदों ने जो कहा है कि इस प्रकार के बजट प्रस्ताव का क्या प्रतिकूल प्रभाव होगा। मैं भी इन आशंकाओं का पूरी तरह समर्थन करता हूं और हमें कई बार बताया गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा रखी गई शर्तों पर यहां चर्चा की जाएगी, अगर आवश्यक हुआ तो हमारी सरकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से उनके बारे में बात करेगी। वे जो भी कहेंगे हम वह सब नहीं मान लेंगे। किन्तु इसमें गोपनीयता है। कम से कम संसद को तो सूचित करना चाहिये। उनके साथ वार्ता में क्या प्रगति हुई है, वे कौन सी शर्तें रख रहे हैं, हम नहीं जानते? मैं नहीं सोचता कि विश्व में किसी अन्य देश में जहां संसदीय प्रणाली हो, वहां इस प्रकार की सूचना को संसद के निर्वाचित सदस्यों से छिपा कर रखा जायेगा। यह गुप्त रूप से नहीं किया जाना चाहिये और इसे देश को अंततः पूर्ण तथ्य के रूप में बताया जाना चाहिये। इसकी हमारे देश और हमारी संसद को जानकारी मिलनी चाहिये। आपको हमें विश्वास में लेना होगा। आपको हमें बताना होगा कि वे किस प्रकार की शर्तें हम पर लादना चाहते हैं। फिर, आपका देश एक संप्रभु-देश है। जिसकी अपनी सार्वभौम सरकार है। आपको यह निर्णय लेने का अधिकार है कि आप क्या स्वीकार करेंगे और यदि यह हमारी आर्थिक संप्रभुता और हमारी राजनैतिक स्वतंत्रता के विरुद्ध हो तो आप क्या स्वीकार नहीं करेंगे।

अंत में, मैं 100 करोड़ रुपये के इस बहुत ही विवादास्पद प्रतिष्ठान के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। दूसरे पक्ष के मेरे मित्रों ने जो कहा है कि यहां विपक्ष के अन्य सदस्यों ने विरोध में जो आवाज उठाई है मुझे उनका साथ देना चाहिये इसके बावजूद मुझे खेद है। प्रश्न यह नहीं है कि किस के नाम के साथ

यह प्रतिष्ठान संबंधित है। जहां तक मैं जानता हूं, इस प्रकार के प्रतिष्ठान, जिसके सभी ट्रस्टी गैर-सरकारी नागरिक हैं, उसे शासकीय कोष से पैसा देना, गलत काम है। यह एक अनैतिक चीज है। यह नहीं किया जाना चाहिये था। मैं इसके आर्थिक पहलू के बारे में नहीं पूछ रहा, क्योंकि मितव्ययता पर, बचत पर और मितव्ययता करने की जरूरत पर हमने भाषण दिये हैं। अभी हाल ही में दिये गये एक साक्षात्कार में प्रोफेसर केनेथ गेल्ब्रीथ ने कहा "मैं अपने लम्बे अनुभव से कह सकता हूं कि जब भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मितव्ययता के बारे में कहता है तो निश्चित ही इसका अर्थ होता है कि गरीबों के लिये मितव्ययता हो, किसी अन्य के लिये नहीं।" मैं उसकी बात नहीं कर रहा। किन्तु इस प्रतिष्ठान को हमारे राजकीय कोष से पैसा क्यों दिया जाये। सौ करोड़ रुपये की रकम कुछ नहीं है। अगर आप यह 100 करोड़ रुपये चाहते हैं तो आप निजी क्षेत्रों के अपने मित्रों या अप्रवासी भारतीयों से अनुरोध कर सकते हैं। (**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : श्री मुरली देवड़ा यहां हैं। कई लोग हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वे अपनी इच्छा से आपको 100 करोड़ रु० से भी अधिक दे देंगे। इस प्रतिष्ठान को सहायता देने के लिए आपको सरकार के नगण्य कोष का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा।

कोई कह रहा था कि कृपया देखें कि उन्हें क्या कार्य करना है। मैंने इसकी जांच की है। ऐसे सभी कार्य जो उनके उत्तरदायित्व में हैं, इस समय विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा किए जाने वाले कार्यों का हिस्सा हैं। यह कुछ अलग नहीं है। यह क्या मंत्रालयों के विकास कार्यों के निजीकरण करने का प्रयास है?

एक माननीय सदस्य : सरकार का निजीकरण।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कृपया ऐसा न करें और लोगों को मितव्ययता के बारे में भाषण दें। मैं सरकार से अनुरोध कर रहा हूं कि इस मुद्दे पर—हालांकि यह पूरे बजट का एक छोटा सा हिस्सा है—मैं सहमत हूं—इसे कुछ महत्व प्राप्त हुआ है, मैं गंभीरता से उन्हें सुझाव देता हूं—कि इस प्रस्ताव पर पुनः विचार करें। आप इसमें सुधार करें, संशोधन करें और अगर आवश्यक हो तो इसे वापस ले लें। अन्यथा ऐसा संकट उत्पन्न हो सकता है जिसका आप अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं। आप विपक्ष को बाध्य कर देंगे कि वह एक जुट होकर इसका विरोध करें। और फिर क्या होगा? (**व्यवधान**) क्या होगा? हम इसे सैकड़ों बार कह चुके हैं। हमें ज्यादा विवश न करें। उर्वरक सब्सिडी में कटौती के प्रश्न पर आज सुबह ही एक हंगामा हो चुका है, क्योंकि मैं जानता हूं कि वहां एक शक्तिशाली किसानों की लॉबी है। भारतीय संसद में हमेशा रही है, यहां काफी लोग दावा करते हैं कि वे किसान हैं।

श्री मुरली देवरा : बेचारे किसान (**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जब श्री बलराम जाखड़ यहां अध्यक्ष थे मैं स्वयं, प्रति वर्ष, अत्यन्त हिचकिचाहट से सुझाव देता था इतने वर्षों पश्चात् काफी समय हो गया है, कृपया अपने आप निर्णय लें कि आप किसानों का सम्पन्न वर्ग किसे कहेंगे। मेरा तात्पर्य सभी किसानों से नहीं है। छोटे और मध्यम किसानों को छोड़ दें। किन्तु कुछ सम्पन्न लोग हैं। मैं उनमें से अधिकांश को गिनाना नहीं चाहता। आप निर्णय करें कि वे लोग कौन हैं।

भोजनावकाश के समय श्री फ्रैंक एंथनी मुझे बता रहे थे कि वे ऐसे कई विद्यालयों और शैक्षणिक संस्थाओं को जानते हैं, जहां किसान अपने बच्चों को इन विद्यालयों में प्रवेश दिलवाने के लिए 25 से 30 हजार रुपए तक की राशि देते हैं, मैं नहीं सोचता कि वे गरीब हैं। **(व्यवधान)**

श्री मुरली देवरा : वे दान राशि देकर अपने बच्चों को अमेरिका भेज रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कृपया मुझे बतायें कि सम्पन्न किसानों के छोटे वर्ग को—इतने वर्षों पश्चात् भी क्या कर ढांचे में नहीं ले आना चाहिए। हमेशा उनसे एक पवित्र गाय जैसा व्यवहार क्यों होता है? पहले जब भी मैंने यह सुझाव दिया तो श्री बलराम जाखड़ उस कुर्सी से लगभग मेरे ऊपर कूद ही पड़ते थे······

श्री मुरली देवरा : शुक्र है कि वे काफी दूर हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ········ और कहा करते थे : आप खेती के बारे में कुछ नहीं जानते। कृपया यह बातें मत करिए। मैं आपको एक खेत का भार सौंप दूंगा। तब आप स्वयं देखेंगे कि गरीब किसानों की क्या स्थिति है। मैं गरीब किसानों की बात नहीं कर रहा। मैं सम्पन्न वर्ग की बात कर रहा हूं। यह वह समय है जब आप सभी संकट की बात कर रहे हैं। हम चट्टान के बिल्कुल कगार पर खड़े हैं और दीवालिया होने की स्थिति का सामना कर रहे हैं। ऐसे में मितव्ययता बरतना बहुत जरूरी है। तो फिर इस समुदाय का प्रत्येक वर्ग जो ऐसा कर सकता है और जिसमें क्षमता है, उसे राष्ट्रीय आय में कुछ तो योगदान करना ही चाहिए। फिर उन्हें ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री हरिसिंह चावड़ा (बनासकांथा) : ऐसे कितने किसान हैं जो 25-30 हजार डोनेशन दे सकते हैं?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : चाहे 5 आदमी हों, आप तो श्री बलराम जाखड़ की बात मुझे सुना रहे हैं। चाहे पूरे हिन्दुस्तान में 5 आदमी हों। **(व्यवधान)** क्या आपके यहां एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, आप किस दुनिया में रहते हैं। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

मुझे ये बातें मत बताइए। आप ही निर्णय लीजिए।

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करेंगे?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हम धनराशि की बचत करना भी चाहते हैं। श्री एन्थनी जैसे किसान हैं

श्री फ्रैंक एन्थनी (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय) : मैं एक छड़ी नहीं उगाता।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप छड़ी कैसे उगा सकते हैं? **(व्यवधान)** तेल शोधक कारखानों तथा उर्वरक संयंत्रों द्वारा कितने करोड़ रुपए कीमत की पैट्रोलियम गैस को फूंका जा रहा है? मेरे

विचार से इस गैस का मूल्य 60-70 करोड़ रुपए होगा, जिसे व्यर्थ ही हवा में जलाया जा रहा है। क्या इस बारे में गंभीरता से विचार किया गया है कि इस गैस का औद्योगिक, घरेलू तथा अन्य उद्देश्यों के लिए कैसे उपयोग किया जाए ? यह सब से सस्ता, स्वच्छ प्रदूषण मुक्त ईंधन है। हर देश इसका अधिक से अधिक उपयोग कर रहा है लेकिन हम इस गैस को हवा में ही जलने दे रहे हैं और फिर कहते हैं, "हम धनराशि बचाना चाहते हैं, हमारा पैट्रोलियम का खर्चा बढ़ता जा रहा है।" अगर आप इस अतिरिक्त गैस का उपयोग करें और घरेलू कार्यों में इस्तेमाल करें तो काफी धनराशि बचा सकते हैं।

मैंने समाचारपत्रों में पढ़ा है कि तट-दूर तेल निकालने के कार्य में लगी भारतीय कम्पनियों के पास रिग नहीं हैं। मन्त्री महोदय, इन कम्पनियों को ये रिग विदेशी स्रोतों से किराये पर लेने पड़ते है और इस अवमूल्यन के कारण इन विदेशी आयातित तेल रिगों का मूल्य इतना अधिक हो गया है कि इनमें से अधिकांश कम्पनियां अपने ठेके छोड़ रही हैं और कह रही हैं कि "हम यह नहीं कर सकते, हमें यह काम छोड़ देना होगा।" आप और अधिक तेल कैसे पाएंगे ? इस पैट्रोलियम बिल का उल्लेख करने का क्या फायदा जो कि वास्तव में बहुत बड़ा बोझ है ? आपको पैट्रोल और तेल के अपने संसाधनों का पूरा उपयोग करना होगा। अगर इन लोगों को अपना खोज कार्य करना है तो आपको उन्हें विदेशों से सस्ते मूल्यों पर रिग उपलब्ध कराने होंगे। आपको इस व्यर्थ हो रही गैस का उपयोग करना है। कुछ भी नहीं किया जा रहा है। हमें बताया गया कि धनराशि की बचत करें। मैं कहता हूं कि अगर छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों को आवश्यक उपभोग की वस्तुएं नियन्त्रित मूल्यों पर सप्लाई करने की गारंटी दी जाए तो वे उन खाद्यान्न की उन जिन्सों का उत्पादन बढ़ा सकेंगे, जिन का हम दूसरे देशों को निर्यात भी कर सकते हैं। क्या आपने इस पर विचार किया है ? तीसरे विश्व के देशों को खाद्यान्न की अत्याधिक आवश्यकता है। हम यह सप्लाई कर सकते हैं, हमारे पास यह क्षमता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं ? तेलों का आयात किया जा रहा है। विदेशी मुद्रा के द्वारा विदेशों से दलहन की कुछ किस्मों का आयात किया जा रहा है। अगर आप किसानों को उचित प्रोत्साहन और रियायत दें और मैं इसे उचित प्रोत्साहन नहीं मानता, जब वे यह कह रहे हैं कि "हम आपकी राज सहायता वापस लेते हैं और आपको अधिक वसूली मूल्य देते हैं" इससे अन्ततः उपभोक्ता को कठिनाई होगी। किसान को कुछ सकारात्मक प्रोत्साहन दीजिए, उसकी मदद कीजिए, वह खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाएं और इसका एक भाग अन्य देशों को निर्यात किया जा सके तथा आप बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं। कृपया कुछ नए उपाय सोचिए, इस पुराने घिसे पिटे रास्ते पर मत चलिए। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष और विश्व बैंक के ये उपाय सिंगापुर और ताइवान के लिए ठीक हो सकते हैं लेकिन भारत जैसे देश के लिए अत्यन्त हानिकारक होंगी।

इसलिए मेरा अन्तिम कथन यह है कि जितना हमें होना चाहिए आप उससे अधिक हठधर्मी हो रहे हैं। हम मानते हैं कि सोवियत संघ जैसा समाजवाद का रूप कारगर नहीं होगा। हम जानते हैं कि क्यों नहीं होगा। वे स्वयं ही इस पर चर्चा कर रहे हैं, वे स्वयं ही यह मान रहे हैं और इसके कारण ढूंढ रहे हैं। लेकिन अब यह कहकर हठधर्मी मत बनिए कि आपको सिंगापुर और हांगकांग के उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए। हम ऐसा क्यों करें ? इस देश के अपने विशिष्ट गुण और विशेषताएं हैं। इनके आधार पर एक उचित अध्ययन कीजिए और फिर अपना रास्ता और दृष्टिकोण चुनिए।

श्री पी० सी० चाक्को (त्रिचूर) : आप इससे सहमत हैं कि हम चीनी पद्धति का अनुसरण कर सकते हैं ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : चीनी ? मैं नहीं जानता। यदि आप इस बारे में कुछ जानते हैं तो कृपया हमें बताइये। मैं तो केवल एक बार चीन गया था और मैं उनके उत्पादन से बहुत प्रभावित हुआ और यह तथ्य है कि उनकी दुकानें उपभोक्ता वस्तुओं से भरी हुई है, जबकि दुर्भाग्य से यूरोप में ऐसा नहीं है।

श्री पी० सी० चाक्को : अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक से धनराशि लेने के लिए हम जिन शर्तों को मान रहे हैं क्या आप उनसे सहमत हैं ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या यही अन्तिम तर्क है कि अगर वे ऋण ले रहे हैं तो हमें भी लेना चाहिए ?

श्री पी० सी० चाक्को : नहीं महोदय, मैं पूछ रहा हूं कि क्या आप इसका हवाला दे रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उन्हें अपने देश में निर्णय लेना है कि वे लेना चाहते हैं या नहीं। मैं उनके द्वारा अपनाई जा रही पद्धति का अनुसरण नहीं करूंगा। क्या हमने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से पहले ऋण नहीं लिया है ? हमने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष का ऋण तीन किस्तों में लिए और केवल दो किस्तों का उपयोग किया—तीसरी किस्त का उपयोग नहीं किया, हमने इसे उनको लौटा दिया। यहां आपकी सरकार है पता लगाइए यह कैसे किया गया।

श्री मुरली देवरा : जब आप वी०पी० सिंह की सरकार का समर्थन कर रहे थे तब यह ऋण लिया गया था। क्या आप यह जानते हैं ? **(व्यवधान)** क्या आप एक मिनट देंगे ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जी हां, बोलिए।

श्री मुरली देवरा : मैं 26 जुलाई 1991 के 'इकानामिक टाइम्स' में प्रकाशित लेख की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। जुलाई, 1990 तथा जनवरी 1991 के दौरान क्रमश: 1,173 करोड़ तथा 3,334 करोड़ रुपये के दो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष ऋण क्रमश: वी०पी० सिंह सरकार तथा चन्द्रशेखर सरकार द्वारा लिए गए थे। आप वी०पी० सिंह सरकार का समर्थन कर रहे थे और उस सरकार ने संसद तथा देश को कुछ नहीं बताया तथा ऋण की शर्तों को गोपनीय रखा। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि हमें इन शर्तों का पता होना चाहिए। लेकिन कृपया यह मत कहिए कि ऐसा केवल कांग्रेस सरकार द्वारा ही किया गया था। **(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, उन्हें **इकानामिक टाइम्स** पर निर्भर रहना पड़ता है, वह नहीं जानते कि ये आंकड़े आर्थिक सर्वेक्षण में दिए गए हैं। वह नहीं जानते कि स्वयं वित्त मन्त्री ने इस तथ्य का उल्लेख किया था। **(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने अपने भाषण में एक बार भी यह नहीं कहा कि किसी भी परिस्थिति में हमें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के पास नहीं जाना चाहिए। मैंने यह नहीं कहा है। हमारे मतभेद केवल शर्तों पर हैं। पहली किश्त तो हम अपनी धनराशि में से ही लेंगे जो हमें शर्तों के बगैर मिलती है। दूसरा ऐसा जरिया भी मौजूद है, जहां शर्तें बहुत कम हैं। तीसरे जरिए के तहत भारी कठिनाईयां उत्पन्न होती हैं और हम अब इनका सामना कर रहे हैं। इस प्रकार हम शर्तों से चिन्तित हैं क्योंकि जैसा मैंने शुरू में कहा, हम आज एक भिन्न विश्व में रह रहे हैं। हमें आत्मनिर्भर बनना है।

शक्ति सन्तुलन उसी महाशक्ति के पक्ष में हो गया है जो विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की नीतियों को नियंत्रित करती है। इसलिए हमें अत्यन्त सतर्क रहना है और ध्यान रखना है कि हम ऋण के उस फंदे में न फसें, जिसमें तीसरे विश्व के अनेक देश पीड़ित हैं और बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं। हमें एक साफ दृष्टिकोण अपनाना है कोई रहस्य नहीं रखना है।

महोदय, इस समय जहां तक मैं समझता हूं, औद्योगिक नीति तथा बजट दोनों ही हमारे देश की आम जनता के हित में नहीं हैं। इनसे उन 15 करोड़ लोगों को तो लाभ हो सकता है जो नगरों और शहरों में रहते हैं, तुलनात्मक रूप से समृद्ध है और जिनकी आदते उपभोक्ता बने रहने की हैं। वे इससे खुश हो सकते हैं। लेकिन हमारी जनता का अधिकांश भाग जो गांवों में रहता है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर निर्भर है, उसके लिए यह सम्पूर्णनीति तथा इसका दृष्टिकोण विनाशक होगा, मुझे यह पक्का विश्वास है। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं और हम यह देखना चाहते हैं कि क्या ऐसे संशोधन हो सकते है जो हमारे समर्थन के योग्य हों।

श्री हन्नान मोल्लाह (अलुबेरिया) : सभापति महोदय, हम यहां बजट पर चर्चा कर रहे हैं जबकि सरकार वित्त मन्त्री के कार्यालय में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के अधिकारियों के साथ और अधिक समर्पण की शर्तों पर बातचीत कर रही है। वे इस समय नार्थ ब्लाक में वित्त मंत्रालय के कार्यालयों में समर्पण का प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन युवा वर्ग और छात्र हम पर निर्भर नहीं हैं। **(व्यवधान)**

श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स (मैसूर) : सभापति महोदय, सर्वप्रथम बजट पर कुछ शब्द बोलने के लिए अवसर देने पर मैं आपका धन्यवाद करती हूं। मैं माननीय वित्त मन्त्री को बधाई देती हूं कि अब हमारे देश के सम्मुख आर्थिक संकट से निपटने के लिए उन्होंने बहुत ही सन्तुलित बजट पेश किया है। संभवतः इससे बेहतर कार्य कोई अन्य कर भी नहीं सकता था।

4.00 म० प०

पहली बात तो यह है कि उन्होंने गैर-योजना व्यय को कम करने के लिए कदम उठाये हैं। हम इन उपायों का स्वागत करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि गैर-योजना व्यय विकास संबंधी निर्माण कार्य व्यय से अधिक हो रहा है। अतः गैर-योजना व्यय को कम करने की कोशिश की जानी चाहिए और विकास संबंधी निर्माण कार्यों के लिए अधिक से अधिक धन दिया जाना चाहिए।

मैं एक सुझाव देना चाहती हूं। आयकर सीमा को 30,000 अथवा 35,000 प्रति वर्ष तक बढ़ा दिया जाना चाहिए जिससे कि मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग वेतनभोगी लोग ठीक प्रकार से जीवन निर्वाह कर पाएं और अपने सीमित साधनों से करों का भुगतान करने में सफल हो पाएं।

4.01 म० प०

[राव राम सिंह पीठासीन हुए]

जैसाकि हम सब जानते हैं कि हमारे देश में अस्सी प्रतिशत से भी अधिक लोग खेती-बाड़ी से जुड़े हैं। हमारे गांव कृषि आधारित और किसान आधारित हैं। उन किसानों को उत्साहित किया जाना चाहिए और आवश्यक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। उन्हें सभी कृषि सम्बन्धी सुविधाएं, सिंचाई सुविधाएं और अन्य प्रोत्साहन दिए जाने चाहिएं जिससे वे और अधिक अन्न उगा सकें, हमारे उत्पादन को बढ़ाएं और उनका निर्यात किया जा सके। कृषि उत्पाद का मूल्य वैज्ञानिक आधार

पर किया जाना चाहिए जिससे किसान और अधिक उत्पादन करने के लिए उत्साहित हों। अन्यथा, हमारे देश के अधिकांश किसानों को, जो वर्षा पर निर्भर रहते हैं, बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें काम में लाए गए आदानों—जैसे खाद, उर्वरक आदि के मूल्य बढ़ गए हैं। प्रति वर्ष, किसान ऋणी बन रहे हैं, क्योंकि उन्हें उनके उत्पाद के लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। हमारे देश में कृषि पर आधारित अर्थ व्यवस्था के पंगु होने का एक कारण यह भी है। अत: मैं सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर आधारित उद्योगों, विशेषकर रेशम उत्पादन उद्योग, जिसका अन्य देशों में बहुत अच्छा बाजार है, को प्रोत्साहित करने के बारे में सोचना चाहिए। हमारे किसानों को रेशम-उत्पादन एकक लगाने के लिए और उन्हें वैज्ञानिक तरीके से विकसित करने के लिए, जिससे उन्हें उसका बाजार में अच्छा मूल्य मिल सके, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। रेशम-उत्पादन उद्योग में रेशम के कीड़े पालने वाले, धागा बनाने वाले और बुनकर होते हैं। ऐसे सभी लोगों को रेशम-उत्पादन उद्योग में खपाया जायेगा। अत: उन्हें वैज्ञानिक आधार पर निर्धारित उचित मूल्य दिये जाने चाहिएं। आजकल, किसानों को बाजार में अच्छे मूल्य नहीं मिल रहे हैं। उदाहरण के तौर पर, कपास उगाने वालों को प्रति टन केवल 500-600 रुपए मिलते हैं, जबकि कपास के अटेरने, कातने और निर्यात के लिए तैयार करने के पश्चात् दलालों को एक हजार रुपये प्रति टन मिलता है।

निर्यातोन्मुख फसलों को उगाया जाना चाहिए और सरकार को चाहिए कि वह किसानों को निर्यात क्षमता वाली फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित करे। उन्हें कपास, तम्बाकू, शहतूत, काफी, चाय, काजू इत्यादि उगाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। किसानों को उचित गोदाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं जिससे उन्हें अपने उत्पाद को मजबूर होकर कम मूल्य पर न बेचना पड़े। किसानों को निर्यात सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, जिससे हमारे देश को अधिक विदेशी मुद्रा मिल सके। इससे ग्रामीण लोगों को और अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। इससे गरीब, जरूरतमन्द और ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। रेशम-उत्पादन उद्योग एक कृषि पर आधारित उद्योग है और इसमें विज्ञान और तकनीक शामिल हैं। इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कर्नाटक को रेशम-उत्पादन के लिए विश्व बैंक से दूसरी बार वित्तीय सहायता मिली है। इसका उचित प्रकार से उपयोग किया जाना चाहिए। किसानों को लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराए जाने चाहिएं। हमारा देश रेशम-उत्पादन में काफी आगे है। चीन के बाद, भारत तीसरा बड़ा देश है जो रेशम का उत्पादन करता है। इससे लोगों को रोजगार मिलता है। यदि अच्छे स्तर के रेशम का उत्पादन किया जाये तो इसे दूसरे देशों को भी निर्यात किया जा सकता है और बदले में, हमारा देश विदेशी मुद्रा का अर्जन कर सकता है।

मैं कहना चाहती हूं कि हाल ही में फिर मूल्यों में वृद्धि की गई है। विश्व के अन्य किसी देश की तुलना में हमारे देश में पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में अधिकतम वृद्धि की गई है। विशेष रूप से रसोई गैस की कीमत में 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इससे हमारी गृहिणियों को कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। इसे कम किया जाना चाहिए और कम से कम बढ़े हुए मूल्य का 50 प्रतिशत घटा दिया जाना चाहिए। विशेषकर, कर्नाटक जैसे दक्षिण राज्य में रसोई गैस के लिए 75 रुपए का भुगतान करना पड़ता है, जो गृहिणियों के बजट से कहीं अधिक है। इसे कम से कम हर सिलिंडर पर 10 रुपये से कम कर दिया जाना चाहिए। सभी आम आदमी और निम्न मध्य-वर्ग के लोग रसोई गैस पर निर्भर करते हैं और उनके पास जलाने वाले लकड़ी या अन्य कोई ईंधन नहीं है। विशेषतया नगरों में और शहरों तथा अर्ध शहरी क्षेत्रों में वे केवल रसोई गैस पर ही निर्भर रहते हैं।

मिट्टी के तेल और डीजल के मूल्यों में वृद्धि न करने के लिए मैं माननीय मन्त्री को धन्यवाद देती हूं ।

किन्तु, पूर्ण रूप से, पैट्रोल के मूल्य में वृद्धि किए जाने से परिवहन प्रभारों में वृद्धि होने से हर वस्तु पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ेगा । पैट्रोल और गैस के मूल्यों में कमी से हुए नुकसान की भरपाई उन उद्योगपतियों और फैक्टरियों से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एकत्र करके की जा सकती है, जो यह शुल्क नहीं देते हैं, सभी तो ऐसा नहीं करते, किन्तु उनमें से कुछ यह शुल्क नहीं देते । यह उचित नहीं है । वे समय पर भुगतान नहीं कर रहे हैं । उन्हें पुनः बाध्य किया जा सकता है । केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को उचित प्रकार से एकत्र करके ऐसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सम्भव की जा सकती है ।

किसानों को बहुत कष्ट उठाना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें कीटनाशक, रसायनिक खाद और उर्वरकों के लिए जो राज-सहायता दी जाती थी, उसमें कमी कर दी गई है । उस पर पुनः ध्यान दिया जा सकता है और इन वस्तुओं के मूल्य वैज्ञानिक तरीकों से निर्धारित किए जा सकते हैं । इन सुविधाओं के उपलब्ध कराए जाने से किसानों के हाथ और मजबूत होंगे और वे खाद, उर्वरकों और कीटनाशक दवाओं के लिए अधिक भुगतान कर सकेंगे । अच्छी स्तर के बीजों की आपूर्ति समय पर की जानी चाहिए । यदि ऐसा किया जाता है तो वे अधिक उत्पादन कर सकेंगे और जो फसलें वे उगाते हैं उनकी मात्रा और स्तर दोनों बढ़ेंगे ।

हमारे किसानों को ग्रीन कार्ड दिया जा सकता है, जिस पर उनके नाम चढ़ी भूमि का हवाला दिया हो । इसमें यह भी लिखा हो कि क्या वे भूमि का सुधार करते हैं, क्या उन्हें सिंचाई सुविधाएं मिलती हैं और क्या वे भूमि पर कोई फसल उगा रहे हैं और भूमि पर निवेश तथा अपनी भूमि में उत्पन्न व्यावसायिक फसलों के द्वारा जो वार्षिक उत्पादन होता है, उसका भी लेखा जोखा इसमें लिखा हो । उस ग्रीन कार्ड में ये सब विवरण दिए होने चाहिएं ताकि जब किसान सरकार के पास अथवा किसी कृषि विभाग के पास किसी ऋण अथवा अन्य सुविधा हेतु जाता है, तो उसे किसी प्रकार की कठिनाई न हो । उसकी जरूरतों और आवश्यकताओं के अनुसार और अपनी भूमि में फसल उगाने की उसकी क्षमता के अनुसार यह उसे आसानी से मिल जायेगा । ऐसे किसानों को विशेषतया छोटे और सीमान्त किसानों को अधिक सुविधाएं दी जानी चाहिएं । उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए । वे हमारे गांवों और ग्रामीण क्षेत्रों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं । इन सबके लिए, हमें सिंचाई, विद्युत और ऐसी अन्य कई सुविधाओं को बजट में प्राथमिकता दी जानी चाहिए । इस बार, बजट बहुत देर से प्रस्तुत किया गया है । बड़े सिंचाई कार्यों और बड़ी विद्युत परियोजनाओं को समाप्त करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए । ये हमारे देश में बहुत महत्व रखते हैं ।

महोदय, मुझे आभार व्यक्त करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है और वास्तव में मैं सरकार की आभारी हूं, क्योंकि उन्होंने भारत में पहली बार केन्द्रीय सरकार द्वारा एक "बैकवर्ड क्लास कार्पोरेशन" की स्थापना करने की घोषणा की है । इसकी योजना और कार्यान्वयन ठीक प्रकार से किया जाना चाहिए । जितनी जल्दी हो सके सभी कार्यक्रमों और नीतियों को बनाया जाये, निगम की स्थापना की जाये और इस हेतु बजट का आबंटन किया जाये । मैं सरकार से निवेदन करती हूं कि वे प्राथमिकता के आधार पर इसे जल्दी से जल्दी कार्यान्वित करें क्योंकि ऐसे अधिकांश क्षेत्र पिछड़े क्षेत्र हैं जहां दलित, शोषित और निर्धन वर्ग रहता है । उन्हें ऐसे कार्यक्रमों से स्वयं को तथा अपनी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को सुधारने में मदद मिलेगी और ऐसे कार्यक्रमों से वे आत्म-निर्भर बन सकेंगे और स्वतः

रोजगार के अवसर उत्पन्न कर सकेंगे तथा स्वसिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कर पाएंगे। ऐसे कार्यक्रमों को यदि सम्भव हो तो शीघ्रताशीघ्र और तुरन्त कार्यान्वित करना चाहिए।

महिलाओं के सम्बन्ध में, मैं कहना चाहती हूं कि हमारे समाज में बहुत निर्बल और कमजोर वर्ग हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं ऐसे निर्बल और कमजोर वर्गों से सम्बन्ध रखती हैं। उनके लिए एक कार्यक्रम बनाया गया था। महिला विकास निगम की स्थापना करने का एक कार्यक्रम था। मैं नहीं जानती कि यह चल रहा है अथवा नहीं। किन्तु इस पर और अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के विकास कार्यक्रमों के लिए और बजट का आबंटन किया जाना चाहिए। उनकी स्थिति बहुत बुरी है। उनका स्वास्थ्य और शिक्षा बुरी तरह से प्रभावित है और उनमें से कुछ के पुन : स्थापित किए जाने की आवश्यकता है, विशेष रूप से वे जो समाज में बहुत कष्ट में है और पूर्णतया साधनहीन हैं और विकलांग हैं और अन्य जिन्हें इसकी आवश्यकता है। महोदय, हमारे देश में यही उपयुक्त समय है जबकि हमें आत्म-निर्भरता के बारे में सोचना चाहिए हमें आत्म-निर्भरता, अपने संसाधन जुटाने और स्व: निर्णय लेने के लिए दृढ़ निश्चयी रहना चाहिए ताकि हम अपने भारत को आत्म-सम्मान के प्रगतिशील रास्ते पर ले जा सकें। इस उद्देश्य के लिए मैं एक विनम्र सुझाव देना चाहती हूं। मैं नहीं जानती कि यह कहां तक व्यवहार्य हो सकता है। लेकिन हमने इस उपाय को पहले भी अपनाया था जब महान नेता स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री हमारे प्रधान मन्त्री थे। उस समय हमें पाकिस्तान और अन्य देशों के साथ युद्ध का सामना करना पड़ा था। हमने राजकोष भारतीय रिजर्व बैंक में सोना दिया था। मैं नहीं जानती कि अब ऐसा किया जाएगा। लेकिन हम अपने देश को युद्ध स्तर पर वर्तमान आर्थिक संकट से उबारने के लिए स्वेच्छा से सोना देने के लिए तैयार हैं। हम राष्ट्र का आह्वान कर सकते हैं ताकि अपने देश को आर्थिक संकट से उबारने के लिए जो भी थोड़ा बहुत हम दे सकते हैं, वह दें। हम अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अन्य ऐसे निकायों से भीख मांगने के स्थान पर ऐसा कर सकते हैं। हमारे बच्चे ऋण में ही पैदा हुए हैं, उसी में उनका लालन-पालन हुआ है और इसी स्थिति में उन्हें मरना है। हम ऐसी बातें और नहीं होने देना चाहते। हमें आत्म निर्भर होना चाहिए और हममें आत्म विश्वास होना चाहिए इसके लिए मैं सभापति के माध्यम से यह अनुरोध करती हूं कि राष्ट्र की इस संकट की घड़ी में योगदान किया जाए। हम इस संकट का सामना करने के लिए अपना योगदान करने के लिए तैयार हैं।

मैं सभापति का बजट के समर्थन में कुछ मुद्दे रखने के लिए कुछ मिनट देने के लिए धन्यवाद करती हूं। मैं अपने माननीय वित्त मन्त्री को इस प्रकार का संतुलित बजट प्रस्तुत करने के लिए बधाई देती हूं।

सभापति महोदय : अब श्री अहमद बोलेंगे।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : अब श्री रामैया की बारी है।

सभापति महोदय : श्री अहमद ने अनुरोध किया है कि उन्हें जांच के लिए जाना है। पूर्व सभापति ने उन्हें यह वचन दिया था कि वह पहले बोल सकते हैं और मैं उन्हीं की बात का सम्मान कर रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : सभापति महोदय, मैं इस बजट का समर्थन करता हूं क्योंकि हमारे देश में पहली बार इतना अच्छा बजट पेश किया गया है। यह देश के लोगों को प्रभावित नहीं करेगा

बल्कि उनकी समस्याओं का समाधान करेगा, यह देश के मूल्य ढांचे को भी प्रभावित नहीं करेगा। मैं स्वीकार करता हूं कि वर्तमान बजट में अनेक कमियां हैं फिर भी मैं इसका समर्थन करता हूं।

बजट में अनेक नई बातें हैं जिनका हमें स्वागत करना है। मैं इसका इसलिए भी स्वागत करता हूं क्योंकि शायद यह एक ऐसा बजट है जिसमें निर्धन वर्गों को बिल्कुल छोड़ दिया गया है **(व्यवधान)** मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य इसकी जांच करें। क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि क्या विपक्ष के माननीय सदस्यों ने कभी भी यहां प्रस्तुत किए गए बजट का समर्थन किया सिवाय उस बजट के जो जनता शासन के दौरान लाया गया था? यह स्वाभाविक ही था। मैं भी इससे सहमत हूं क्योंकि आप हमेशा विपक्ष में रहे हैं। आपने सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन नहीं किया। इस बात पर मेरी कोई दो राय नहीं है।

इसमें अनेक ऐसी नई बातें हैं जिनका हमें समर्थन करना है। इसकी आलोचना इस आधार पर की गई है कि यह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रेरित बजट है। क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने क्या निर्देश दिये थे जो हमारे वित्त मन्त्री ने स्वीकार किए? क्या आप इस बारे में कुछ बता सकते है? उदाहरण के लिए व्यापार सुधार सम्बन्धी दस्तावेज है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेने के लिए भारत सरकार पर कुछ शर्तें लगाई गई हैं। यदि आप पूरे बजट का अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि वित्त मन्त्री ने उन सुझावों को स्वीकार नहीं किया है और दूसरी ओर उन्होंने विश्व बैंक द्वारा हमारी सरकार को दिए गए परामर्श के विपरीत कदम उठाये हैं। उदाहरण के तौर पर इस बजट में आयात पर, गैर-शुल्क लेवी पर कड़े प्रतिबन्ध लगाए गए हैं और अन्य अनेक उपाय किए गए हैं जो मेरे विचार में विश्व बैंक द्वारा दिए गए सुझावों के प्रतिकूल हैं। खाद्य पदार्थों पर राज सहायता जारी है। गत वर्ष की तुलना में योजना परिव्यय में 79 प्रतिशत की वृद्धि इस बात को साबित करती है कि वित्त मन्त्री द्वारा प्रस्तुत बजट विश्व बैंक के निर्देशों के विपरीत है। इसलिए यदि आप कहें कि यह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का बजट है तो इस बात का कोई मतलब नहीं है।

कुछ राजनीतिक दलों द्वारा पूरे देश में यह भ्रम फैला दिया गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेना एक अपराध है। मुझे प्रसन्नता है कि माननीय सदस्य श्री इन्द्रजीत गुप्त इस बात से सहमत हैं कि यह देश के लिए अपरिहार्य है। इसी बात के संदर्भ में मेरे प्रिय मित्र माननीय श्री मुरली देवरा ने एक समाचारपत्र की रिपोर्ट यहां उद्धृत की। मैं माननीय सदस्यों विशेष रूप से विपक्ष के सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे 'इकोनोमिक सर्वे' के पृष्ठ 3 के पैरा 1.11 में उल्लिखित समाचार देखें।

विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में होने वाली कठिनाईयों को स्पष्ट करते हुए इसमें कहा गया है:

"इन सब बातों से विदेशी मुद्रा भंडार (सोना और एस० डी० आर० छोड़कर) में तीव्र गिरावट आई है। यह अगस्त, 1990 में 5050 करोड़ रुपए से गिरकर मार्च, 1991 के अन्त में 4388 करोड़ रुपए हो गया।"

यदि सरकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण नहीं लेती तब इसमें गिरावट और भी अधिक होती। मैं आगे और उद्धृत करना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से पहला अनुरोध जुलाई-सितम्बर, 1990 में किया गया, तब भारत को 1,173 करोड़ रुपए मिले जो भारत के हिस्से का 22 प्रतिशत था। कृपया इस बात पर ध्यान दीजिए कि वह जुलाई-सितम्बर, 1990 के बीच था।

एक माननीय सदस्य : वह बिना किन्हीं शर्तों के था।

श्री ई० अहमद : वहां कोई शर्त क्यों नहीं थी ? यह बिना किन्हीं शर्तों के लिया जा सकता था। जहां तक हमारे भुगतान संतुलन का सम्बन्ध था, स्थिति ऐसी ही थी। अब स्थिति बिल्कुल अलग है। इसलिए इस सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेकर कोई अपराध नहीं किया है। माननीय सदस्यों को कम से कम इस सीमा तक सहमत होना चाहिए। देश की इस प्रकार की स्थिति थी कि ऋण लेने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। इसे दयनीय स्थिति के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है अथवा ऐसा नहीं दर्शाया जा सकता है कि सरकार ने विश्व बैंक वित्तीय संस्थान के साथ मिलकर कोई अपराध किया है। हमें इस बात पर शर्मिन्दा होना चाहिए कि देश को इस प्रकार की वित्तीय स्थिति में छोड़ा गया कि सरकार के पास अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेने के अलावा और कोई उपाय नहीं रह गया था। क्योंकि समस्या अत्यंत गहन थी और उससे निपटने का कोई रास्ता नहीं था। इसलिये हमें मजबूर होकर ऐसा करना पड़ा। इस पृष्ठभूमि में हमें इन सभी बातों पर विचार करना चाहिये। महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। माननीय सदस्य श्री इन्द्रजीत गुप्त ने गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र का उल्लेख किया है। यह सत्य है कि देश की अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान करने में दोनों क्षेत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है। मैंने हमेशा सरकारी क्षेत्र का समर्थन किया है। इस क्षेत्र को सुव्यवस्थित किया जाना चाहिये। इसे प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये न कि इसकी उपेक्षा की जानी चाहिये। मैं इस बात से सहमत हूं। लेकिन सरकारी क्षेत्र के अनेक ऐसे उपक्रम हैं जो लम्बे समय से रुग्ण पड़े हैं, उन्हें दुबारा चलाया नहीं जा सकता है। आप इनके लिये क्या कर रहे हैं ? सरकारी क्षेत्र के ऐसे उपक्रमों को बन्द करना और कर्मचारियों का वेतन दे देना सरकार के हित में हैं। ऐसे संस्थान हैं। इसलिये मेरा यह कहना है कि विवाद के भय अथवा इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को कमजोर करने के कोई प्रयास करने के स्थान पर जो सरकारी क्षेत्र के उपक्रम लम्बे समय से रुग्ण हैं और उन्हें दुबारा नहीं चलाया जा सकता, को गैर-सरकारी क्षेत्र में कर देना चाहिये। इसमें कोई गलत बात नहीं है। पूर्वी यूरोप के देशों में इस प्रकार के उपाय किये गये हैं। माननीय सदस्य श्री इन्द्रजीत गुप्त कह रहे थे कि दो महाशक्तियां नहीं हैं, अब केवल एक महाशक्ति रह गई है और भारत की तुलना सिंगापुर अथवा ताइवान से नहीं की जानी चाहिये। मैं भी उससे सहमत हूं। परन्तु क्या भारत को भी वही पुराने सिद्धांतवादी विचारों को अपनाना चाहिये ? सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए हमें भी आगे आना चाहिये तथा प्रत्येक कार्य को यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए शुरू करना चाहिये। सार्वजनिक क्षेत्र को तो सरल और कारगर बनाना ही चाहिये परन्तु इसी के साथ-साथ हमें वह सब कार्य भी करने चाहिएं जो हमारे देश के सर्वाधिक हित में हों। अतएव इस देश में निजीकरण कोई अपराध नहीं है विशेष रूप से वर्तमान वित्तीय आर्थिक स्थिति में।

महोदय, मैं इस सदन में यह उल्लेख करना चाहूंगा कि वित्त मंत्री जी द्वारा अपने बजट-भाषण में कही गई कुछ बातें नव-परिवर्तनकारी हैं। उदाहरण के लिये, उसमें पांच योजनायें हैं जो वित्त मंत्री जी ने दी हैं। क्या मैं इसे अपने नये बजट में 'डा० मनमोहन सिंह का पंचशील' कह सकता हूं। पहली योजना पिछड़े वर्ग का निगम बनाने संबंधी है। सामाजिक न्याय प्राप्ति की दिशा में पिछड़े वर्ग संबंधी निगम की स्थापना करना मील का पत्थर साबित होगा। यह परिवर्तनकारी योजना कांग्रेस दल के चुनाव-घोषणापत्र के अनुरूप है ······ (**व्यवधान**) ······ महोदय, मुस्लिम इस देश में सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय के अन्तर्गत आते हैं। इस सम्प्रदाय को पिछड़े वर्ग के रूप में घोषित किया जा सकता है। कम से कम ऐसी घोषणा करके तथा इस प्रकार का निगम बनाकर सरकार मुस्लिमों के लिये ऐसा रास्ता बना देगी कि वे भी वर्तमान परिस्थितियों के अन्तर्गत कुछ लाभ पा सकें। अतः मैं चाहता हूं कि सरकार इस मामले में कुछ कदम उठाये।

दूसरी योजना राष्ट्रीय नवीकरण निधि संबंधी है । इस निधि द्वारा मजदूरों को प्रौद्योगिकी के परिवर्तन होने की स्थिति में सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करने में निश्चित रूप से मदद मिलेगी ।

तीसरी योजना सांप्रदायिक सौहार्द्र बनाये रखने के लिये राष्ट्रीय प्रतिष्ठान स्थापित करना है । यहां पर मैं इस बारे में कुछ कहना चाहूंगा । देश में काफी दंगे हुए थे । लोगों को उन दंगों की वजह से काफी दिक्कतें सहनी पड़ी थीं । मुझे कुछ दंगाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने का अवसर मिला था । दंगों में अधिकतर अल्पसंख्यक समुदाय ही प्रभावित हुए थे । निश्चित रूप से कुछ और अन्य सम्प्रदाय भी इससे प्रभावित हुए होंगे । मैं इस संबंध में सम्प्रदायों में अन्तर नहीं करना चाहता । जो लोग भी दंगों का शिकार हुए हों, उन्हें तुरन्त राहत प्रदान की जानी चाहिये । सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह ऐसे दंगों के शिकार हुए लोगों के कल्याण इत्यादि का ध्यान रखे जिनका उनके खिलाफ किये गये इन दंगों में कोई दोष नहीं है ।

एक अन्य पहलू राष्ट्रीय अखंडता को बढ़ावा देने के बारे में है । राष्ट्रीय अखंडता केवल शब्दों तथा भाषणों तक ही सीमित नहीं होनी चाहिये । इसे व्यावहारिक रूप भी दिया जाना चाहिये । अतएव इस योजना से देश की स्थिति में सुधार करने में भी काफी मदद मिलेगी ।

मैं राजीव गांधी फाउंडेशन के बारे में कुछ कहना चाहूंगा । मेरे कुछ मित्र यह कह रहे हैं कि यह एक प्रशंसनीय कार्य है तथा कुछ इसका विरोध भी कर रहे हैं । यह सरकार सर्वसम्मति से चलाई जा रही है तथा विपक्ष के पास इसका विरोध करने का वास्तव में कोई औचित्य नहीं है । सर्वप्रथम यह एक सार्वजनिक न्यास है । इसके नाम पर कुछ मतभेद हो सकता है परन्तु यह एक सार्वजनिक न्यास है । परन्तु इसके उद्देश्य तथा कार्य महत्वपूर्ण हैं । इस संबंध में मैं माननीय वित्त मंत्री जी का भाषण उद्धृत करना चाहूंगा । मैं पैराग्राफ 57 को उद्धृत कर रहा हूं ।

> "राजीव गांधी फाउंडेशन की स्थापना महान नेता की स्मृति को अमर बनाने के लिये तथा उन आदर्शों और उद्देश्यों, जिनके लिये वह जीवित रहे तथा अपने जीवन का बलिदान किया उनको बढ़ावा देने के लिये की गई है ।"

इस मुद्दे पर किसी को क्या असहमति हो सकती है ? इसका विरोध करना उचित नहीं है । बल्कि सभी दलों को इसका समर्थन करना चाहिये । उन्होंने, यह भी कहा था :

> "यह फाउंडेशन अन्य कार्यों के अलावा विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी से संबंधित अनुसंधान तथा योजना कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान देगा ······।"

हमारे देश के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है । इसमें साक्षरता का प्रचार करने के बारे में भी कहा गया है । केवल केरल में ही साक्षरता सबसे अधिक है । दूसरे राज्यों में साक्षरता की स्थिति बहुत खराब है ······ **(व्यवधान)** ······ अतएव मैं यह कहूंगा कि कम सुविधा प्राप्त लोगों को लाभ पहुंचाने के लिये हम सभी को इस मुद्दे पर सहमत होना चाहिये । हमें राष्ट्रीय महत्व के मामले पर असहमत नहीं होना चाहिये । महोदय, मेरा कहना यह है कि उस फाउंडेशन की स्थापना सार्वजनिक न्यास के रूप में होनी चाहिये । तथा सार्वजनिक न्यास का संचालन सरकारी व्यक्तियों द्वारा ही होना चाहिये । आप सरकारी व्यक्ति तथा प्राइवेट व्यक्ति में भेद नहीं कर सकते । इसका कोई महत्व नहीं है । हमें न्यास के कामकाज पर विचार करना चाहिये न कि न्यास के सदस्यों पर । इस न्यास का कामकाज संघ के उस ज्ञापन के अनुसार ही चलाया जाना चाहिये जिस पर इसका

पंजीकरण किया गया है। अत: हमें सरकारी तथा गैर-सरकारी में अन्तर नहीं करना चाहिये। यदि सार्वजनिक न्यास का संचालन इस प्रकार से किया जायेगा तो हम इस पर आपत्ति नहीं उठायेंगे।

सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह कहूंगा कि मुझे यह देखकर दु:ख हो रहा है कि वित्त मंत्रालय ने अर्थ-व्यवस्था के क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। क्षेत्रीय असंतुलन अभी भी व्याप्त है। जहां तक मेरे केरल राज्य का संबंध है इसके लिये कोई भी केन्द्रीय परियोजना नहीं दी गई है तथा सरकार ने हमारी बिल्कुल उपेक्षा कर दी है। वर्ष 1988–89 के लिये केन्द्रीय पूंजीनिवेश योजना में हमारे राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के लिये केन्द्रीय पूंजीनिवेश 1.54 प्रतिशत किया गया था जबकि वर्ष 1989–90 में यह केवल 1.07 प्रतिशत ही हुआ था। मैं नहीं जानता कि केरल की क्यों उपेक्षा की जा रही है।

एक और बात है। यद्यपि सरकार ने अनेक परियोजनायें बनायी हैं परन्तु मुझे यह बताते हुए दु:ख हो रहा है कि वित्त मंत्री जी कुवैत तथा इराक से शरणार्थियों के रूप में आये हुए करीब 1,20,000 से 1,50,000 लोगों के बारे में कुछ बताने के लिये समय नहीं निकाल सके। क्या वे इस देश के नागरिक नहीं हैं? विदेशी मुद्रा प्राप्त करने में उनका भी योगदान है। मुझे आश्चर्य है कि सरकार ने उन व्यक्तियों को स्वदेश भेजने के लिये कोई योजना अथवा परियोजना का प्रस्ताव क्यों नहीं किया? आपने समाज के कई वर्गों के लिये कई परियोजनायें बनायी हैं परन्तु आपने इन दुर्भाग्यशाली व्यक्तियों को भुला दिया है। मैं आशा करता हूं कि सरकार इन लोगों के बारे में शीघ्र कोई योजना बनायेगी।

अब मैं अपने निर्वाचन-क्षेत्र के बारे में केवल एक बात कहना चाहूंगा। सरकार के पास बहुमूल्य संसाधनों का पता लगाने के लिये अनेक खनन परियोजनायें हैं। यदि सरकार सही दिशा में चले तो सरकार के पास एक काफी अच्छा संसाधन है। इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये मैं यह कहूंगा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में नीलाम्बर में एक मरुथ नामक स्थान है जहां पर काफी अधिक सोना पाया जाता है। एक बड़ी परियोजना राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आरम्भ की गई थी। मुझे विश्वास है कि सरकार इस अवसर को नहीं छोड़ेगी। उन्हें इसके लिये एक व्यापक स्वर्ण खान उत्खनन परियोजना तैयार करनी चाहिये। इस परियोजना के बारे में मुझे वित्त मंत्री जी के वे शब्द याद आ जाते हैं जो उन्होंने अपने बजट भाषण में विक्टर ह्यूगो से उद्धृत किये थे :

"पृथ्वी पर कोई भी शक्ति उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका समय आ गया हो।" मेरे विचार से अब मेरे निर्वाचन क्षेत्र में स्वर्ण खनन करने के विचार को भी अमल करने का उचित समय आ गया है।

अन्त में, मेरा अनुरोध है कि सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को उचित रूप से नियंत्रित किया जाना चाहिये। सरकार को मूल्य नियंत्रण करने के लिये प्रभावी, कारगर उपाय करने चाहिएं।

सभापति महोदय, आपका एक बार पुन: धन्यवाद करते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : श्री मनोरंजन भक्त।

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : आप केवल कांग्रेस के सदस्यों को ही बोलने की अनुमति क्यों दे रहे हैं ? वे केवल बजट का समर्थन करते हैं। अतः आपको विपक्ष को अधिक समय देना चाहिये।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य कह रहे हैं कि विपक्ष के सदस्यों को भी बहस में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिये। आपकी सूचना के लिये मैं आपको अब तक विभिन्न दलों द्वारा लिया गया समय बता देता हूं। कांग्रेस पार्टी को छः घंटे का समय दिया गया है जिसमें से 2 घंटे 15 मिनट लिये जा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी को तीन घंटे दिये गये हैं जिसमें से एक घंटा पचास मिनट लिये जा चुके हैं। जनता दल को एक घंटा इकतीस मिनट का समय दिया गया है तथा वे 48 मिनट का समय ले चुके हैं। मार्क्सवादी दल को 57 मिनट का समय दिया गया है जबकि एक घंटा तथा बारह मिनट का समय लिया जा चुका है। भारतीय साम्यवादी दल को बीस मिनट का समय दिया गया है तथा साठ मिनट का समय लिया जा चुका है अतः मेरे विचार से विपक्ष को काफी समय दिया गया है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : कांग्रेस को दिये गये कुल समय में से आपको वित्त मंत्री जी द्वारा अपने बजट भाषण में लिये गये दो घंटे को उसमें से कम करना चाहिये।

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान-निकोबार) : महोदय, मैं डा० मनमोहन सिंह द्वारा इस सभा के समक्ष पेश किये गये आम बजट पर हो रही चर्चा में भाग लेना चाहता हूं। माननीय वित्त मंत्री ने अपना बजट भाषण स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की याद में समर्पित किया है। मुझे यह कहते हुए खेद है कि जिन आदर्शों के लिये श्री राजीव गांधी जिये और जिन्हें उन्होंने बढ़ावा दिया, यह बजट प्रस्ताव उनके अनुरूप नहीं है।

वित्त मंत्री ने कई बार कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र का जिक्र किया है। लेकिन पुनः मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि उन्होंने कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र के प्रति न्याय नहीं किया है। विशेषरूप से उन्होंने इस देश के निर्धनों, दलितों और आम आदमी के दुखों को दूर करने के लिये कदम नहीं उठाये हैं। अपने भाषण में उन्होंने कहा था और मैं उद्धृत करता हूं :

> "यह नयी सरकार जिसने अभी एक महीना पहले ही कार्यभार संभाला है, को विरासत में ऐसी अर्थव्यवस्था मिली है जिसकी हालत बहुत खराब है। भुगतान संतुलन की स्थिति भी अच्छी नहीं है। नवम्बर 1989 तक जबकि हमारी पार्टी की सरकार थी हमारी अर्थव्यवस्था में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्वास बहुत अधिक था।"

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार जिसे भारतीय जनता पार्टी और वामपंथी दलों का समर्थन मिला हुआ था उस सरकार द्वारा की गई कार्यवाहियों के परिणाम नहीं भांप सकी जिसकी वजह से अन्ततः हमें अर्थव्यवस्था के इस वर्तमान संकट से गुजरना पड़ रहा है।

श्री श्रीकान्त जेना : 1985—89 के बारे में क्या विचार है ?

श्री मनोरंजन भक्त : मैं उस पर आ रहा हूं **(व्यवधान)** मैं क्या कर सकता हूं ? आप सभी ने ही मुझे यह सिखाया है और मैं इसका अनुसरण कर रहा हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने अपने भाषण में कहा था कि सोवियत संघ की वर्तमान स्थिति भारत के हित में नहीं है और मैं उनसे सहमत हूं लेकिन साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सोवियत संघ की

यह स्थिति क्यों हुई । इस तरह की व्यवस्था को 70 वर्ष की लम्बी अवधि तक जारी रखने के बाद इस देश में वर्तमान अर्थव्यवस्था संकट क्यों आया है ? इस बात पर गौर किया जाना चाहिये । मैं उनसे सहमत हूं कि समाजवाद खत्म नहीं हो सकता है । यह बरकरार रहेगा । यह दूसरी तरह में आयेगा और यही आज की जरूरत है ।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हम ज्यादातर यह कहते फिरते हैं कि यह पार्टी जिम्मेदार है या वह पार्टी जिम्मेदार है । लेकिन अब मैं एक बहुत ही सटीक प्रश्न पूछूंगा । जब एक राजनैतिक दल विशेष गलत नीतियों का अनुसरण कर गलती करता है तो लोग उसे दण्ड देते हैं । फिर उनकी जिम्मेदारी भी है । लोग किसी अन्य दल को वोट देकर सत्ता सौंपते हुए उन्हें दण्ड देते हैं लेकिन नौकरशाहों के बारे में क्या होता है ? राजनैतिक दल और राजनैतिक नेता आते जाते हैं लेकिन उन नौकरशाहों के बारे में क्या होता है जो इस देश में स्थायी तौर पर कार्य कर रहे हैं ? वे जहां हैं वहीं रहेंगे । नौकरशाह भी देश की आर्थिक नीति और वित्तीय नीति बनाने में शामिल होते हैं । उनकी क्या जिम्मेदारी है ?

आज वह समय आ गया है जब यह सभा ऐसी व्यवस्थाएं लाने पर विचार करे ताकि राजनैतिक नेता और नौकरशाह पूरी जिम्मेदारी के साथ एक जुट हो कर काम करें । एक तो संसद के अन्दर और बाहर लोगों के प्रति जवाबदेह हो और दूसरे कि कोई भी जवाबदेही न हो तथा वे साफ बचे रहें । अत: नौकरशाही की भी साथ-साथ जवाबदेही होनी चाहिये जो नीति तैयार करने में सहयोगी होते हैं और यदि कुछ गलत हो जाये तो उन्हें भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिये ।

मैं तो कहूंगा कि जो बजट संसद में पेश किया गया है उसमें निश्चित रूप से कीमतें बढ़ेंगी । और इससे मुद्रास्फीति बढ़ेगी । इससे कीमतों में काफी वृद्धि भी हो सकती है । क्यों ?

कम से कम इसमें चार बातें तो स्पष्ट हैं । वे इस प्रकार हैं :

(एक) रुपये के अवमूल्यन से उन वस्तुओं की कीमत जिन्हें हम विदेश से आयात करते हैं, बढ़ेगी । बाद में यह वृद्धि उपभोक्ताओं को भुगतनी पड़ेगी । इससे कच्चे माल की कीमतें भी बढ़ेंगी । और फिर आम कीमतों में वृद्धि होगी निर्यात संवर्धन राज सहायता को हटाने से लाभ उतना ही रहेगा जितना कि यह रुपये के अवमूल्यन से पहले था ।

(दो) वस्तुओं के उत्पाद शुल्क में 5 प्रतिशत की वृद्धि से जो कि इसके अधिकार क्षेत्र में आता है इन वस्तुओं की कीमतों में और वृद्धि होगी । अत: जो वस्तुयें केन्द्रीय उत्पादशुल्क के अन्तर्गत पड़ती हैं उनमें वृद्धि होगी ।

(तीन) रेल माल-भाड़े में वृद्धि से भी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होगी ।

(चार) सरकार ने आई०डी०पी०आई० पर अब 70 करोड़ रुपये का कर लगाया है । पहले इस तरह के कर नहीं लगते थे । बैंकों की ब्याज दरों में वृद्धि से भी कीमतें बढ़ेंगी ।

मुझे प्रसन्नता है कि ज्यादा प्रत्यक्ष करों को लगाने से, जिनसे मुद्रास्फीतिकारी नहीं बढ़ती अर्थव्यवस्था को सुधारने में सहायता मिलेगी । वित्त मंत्री ने राजस्व घाटे को कम करने का प्रयास किया है---मैंने इस सभा में देखा है कि पहले भी लगभग सभी वित्त मंत्रियों ने राजस्व घाटे को कम

करने का प्रयास किया था लेकिन सभी इस प्रस्तावित मात्रा तक घाटे को रोक रखने में असमर्थ रहे हैं ।

यही प्रो० मधुदण्डवते, चौधरी चरण सिंह और श्री एम०बी० चव्हाण ने किया । इसीलिये पुन: पैसे की सप्लाई बढ़ेगी और परिणामस्वरूप कीमतें भी बढ़ेंगी ।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी एक वरिष्ठ सदस्य हैं । उन्होंने दो बातें कही हैं । (एक) हम नेहरूवादी मार्ग को त्याग रहे हैं । लेकिन जहां तक सरकारी क्षेत्र की बात है मैं तो कहूंगा कि वह पूर्ण बुलन्दी पर है । इसमें कोई संदेह नहीं है । मैं नहीं समझता कि इस सरकार में इस नीति से पीछे हटने का साहस है । लेकिन इस नेहरूवादी तरीके में यदि कोई सुधार हो सकता है या यदि इसमें और आगे सुधार के वास्ते कोई और चीज जोड़ी जाये तो किसी भी वर्ग को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये । (दो) उन्होंने यह भी कहा है कि 1947 में हमारे देश का बैंक आफ इंग्लैण्ड में स्टर्लिंग खाता रहा था । लेकिन अब आर्थिक स्थिति ऐसी है कि हम सहायता के लिये मारे-मारे फिर रहे हैं । उन्होंने 1947 का जिक्र किया है लेकिन 1947 से 1991 तक काफी समय गुजर चुका है और 1947 में इस देश में एक सूई भी नहीं बनती थी । आज हम 100 लाख टन इस्पात का उत्पादन कर रहे है, 2000 लाख टन कोयले का उत्पादन कर रहे हैं, 64000 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं । इसलिये आज हमारा देश 1947 वाला नहीं रहा है । अत: यह बात ध्यान रखनी चाहिये ।

मैं माननीय वित्त मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने योजना आबंटन का कार्य राज्य को नहीं दिया । उन्होंने वर्तमान परिस्थितियों में योजना आबंटन के लिये 14000 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है ।

जहां तक संसाधन जुटाने की बात है वहां भी उन्होंने काफी बुद्धिमत्ता दिखाई है । मुझे मालूम है जब प्रो० मधु दण्डवते ने बजट पेश किया था तो उस समय 2000 करोड़ रुपये के संसाधन जुटाये गये । लेकिन राज्यों को केवल 3 करोड़ रुपये ही मिले जबकि इस समय संसाधन इस तरह जुटाये गये हैं कि राज्यों को बड़ा भाग मिलेगा ।

जब सरकारी क्षेत्र समृद्ध है तो इससे स्वत: ही मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र के प्रसार के वास्ते ज्यादा राजस्व मिलेगा । इससे आप इन्कार नहीं कर सकते हैं । आज, भारतीय अर्थव्यवस्था आत्म-निर्भरता की तरफ अग्रसर है और छोटे रास्ते की प्रक्रिया के मुकाबले अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकती है । मैं समझता हूं हम आत्म निर्भरता हासिल करने के सुगम तरीके अपना रहे हैं । आज देश को एक आत्म निर्भरता नीति की आवश्यकता है जिससे हम स्वयं की क्षमता जांच सकें और अपने निष्ठावान प्रयत्नों के द्वारा अपने संसाधनों का अच्छी प्रकार से उपयोग कर सकें तथा अपने लोगों की आशाओं, आकांक्षाओं को पूरा कर सकें । इस मामले में मैं नहीं जानता कि उत्तर क्या है । इतनी ज्यादा मात्रा में प्राकृतिक गैस प्रतिदिन क्यों जला दी जाती है ? जबकि इससे विद्युत और उर्वरक उद्योग लग सकते हैं और इस देश को आत्मनिर्भरता की तरफ ले जा सकते हैं ।

आज प्रतिवर्ष कोयले का उत्पादन 2000 लाख टन है । लेकिन सन् 2000 तक उनकी योजना 4000 लाख टन उत्पादन करने की है । मैं नहीं जानता कि 20 करोड़ टन के स्तर तक पहुंचने में 44 वर्ष क्यों लगे और हम इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे ।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करें ।

श्री मनोरंजन भक्त : मैं एक पिछड़े दूरस्थ, अलग-थलग पड़े द्वीपीय क्षेत्र से हूं । कृपया कुछ सहानुभूतिपूर्ण रवैया रखें ।

मैं यह कह रहा था कि आज इस देश में हमें निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने के लिये तथा आने वाले वर्ष में 4000 लाख टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये निश्चित प्रयास करने की आवश्यकता है । उपकरणों को किराये पर लेने से रोकने के लिये ई०सी०एल० ने अपना लक्ष्य कम कर दिया है । इस पर गौर किया जाना चाहिये ।

पुनः उत्पादन की बात करते हुए मैं तो कहूंगा कि हम 340 से 350 लाख टन कच्चा तेल उत्पादित कर रहे हैं और हमारी आवश्यकता 550 लाख टन है । अधिकांशतया हमारी विदेशी मुद्रा की मांग तेल क्षेत्र में ही है और इसीलिए हमें अपने कच्चे तेल का उत्पादन अधिक करना चाहिये । मैं नहीं जानता कि इस संबंध में अब तक कुछ क्यों नहीं किया गया । इस देश में कच्चे तेल का उत्पादन कम से कम एक ऐसे ऊंचे स्तर तक पहुंच जाना चाहिये ताकि हम तेल के मामले में आत्म-निर्भरता प्राप्त कर लें ।

पुनः मैं पूछना चाहता हूं विशेष रूप से कि मुख्य क्षेत्र में जहां विश्व बैंक से लिया पैसा निवेश किया जाता है वहां इसका कैसे उपयोग किया गया है ? अब वहां पैसा कैसे लगाया गया इस संबंध में कोई निगरानी रखी गयी है ? या यदि ऐसा नहीं किया गया है तो फिर क्या यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि यह ठीक ढंग से किया जाये ।

हमारे बैंककारी क्षेत्र में हम प्रतिदिन एक कांड या दूसरे कांड के बारे में सुनते हैं । ब्रिटेन में बी०सी०सी०आई० ने भी सारे विश्व को हिला कर रख दिया है । यह रिपोर्ट भी सुनने में आयी है कि हमारे कई बैंक दिवालिये हो गये हैं । लेकिन इसके बाद क्या किया गया हम नहीं जानते हैं । यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि ये सरकारी बैंक ठीक ढंग से कार्य करें । इस समय इन राष्ट्रीयकृत बैंकों पर कोई भी संसदीय नियंत्रण नहीं है, मेरा माननीय वित्त मंत्री से निवेदन है कि वह यह सुनिश्चित करें कि इन राष्ट्रीयकृत बैंकों पर अधिक संसदीय नियंत्रण किया जाये और उन्हें संसद की सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों संबंधी समिति के अधिकार क्षेत्र में लाया जाये क्योंकि ये भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं ।

पुनः मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण मामले का जिक्र करते हुए खेद होता है । पिछले जितने भी वित्त मंत्रियों के भाषण मैंने सुने हैं उसमें कालाबाजारियों, जमाखोरों और तस्करों को चेतावनी दी गयी या सावधान किया गया है । लेकिन दुर्भाग्य से इन कालाबाजारियों को और समृद्ध करने के सिवाय वित्त मंत्री ने इन कालाबाजारियों और तस्करों को न तो सावधान किया और न ही चेतावनी दी बल्कि कहा कि वह उनके धन को नियमित करने जा रहे हैं ।

श्री कालका दास : (करोलबाग) इसी वजह से हमने बजट की आलोचना की है ।

श्री मनोरंजन भक्त . मैं तो यह कहना चाह रहा हूं कि अब कालाबाजारियों के पिछले सभी पापों को धोने की बात की जाती है । लेकिन सरकार ने उन्हें बजट भाषण में कोई चेतावनी नहीं दी । मैं वित्त मंत्री से आग्रह करूंगा कि वह बतायें कि उनका इस मामले में क्या विचार है ?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी ने अपने प्रभावपूर्ण भाषण में भूमि सुधारों का जिक्र किया था। मैं उनसे सहमत हूं कि एक कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था में भूमि सुधारों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अन्यथा, हम लोगों की, विशेषकर गरीब वर्गों के लोगों की गरीबी दूर नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं तो कहूंगा कि केवल कांग्रेस ही यह कर सकती है। पश्चिम बंगाल में जो भूमि सुधार इस समय कार्यान्वित किये जा रहे हैं उन्हें श्री सिद्धार्थ शंकर राय की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने पारित किया था। केरल में ये अच्युत मेनन सरकार, जिसे कांग्रेस पार्टी का समर्थन प्राप्त था ने पारित किये थे।

एक माननीय सदस्य : वे अब कार्यान्वित किये जा रहे हैं।

श्री मनोरंजन भक्त : जी हां, हम आपको बधाई देते हैं। इसमें कोई विवाद की बात नहीं है।

यह तो एक मत रहने का प्रश्न है न कि विवाद का।

सभापति महोदय : मुझे आपको बताना है कि कांग्रेस पार्टी की सूची में 53 वक्ता हैं। आप सूची में प्रथम हैं। कृपया जल्दी समाप्त कीजिये।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : कृपया यह बतायें कि सत्तारूढ़ दल से कौन नहीं बोलेगा.... **(व्यवधान)**

श्री कालका दास : वह बजट की आलोचना कर रहे हैं या बजट का समर्थन कर रहे हैं ?

सभापति महोदय : वह अपने संतुलित विचार रख रहे हैं। मेरा श्री भक्त से अनुरोध है कि वह अपना भाषण समाप्त करें।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : इतना काफी है क्या वह तो सरकार को गिराकर छोड़ेंगे।

श्री मनोरंजन भक्त : महोदय, मुझे खेद है कि माननीय वित्त मंत्री ने इस गैर-विधान मंडलीय संघ राज्य क्षेत्र के बारे में अपने भाषण में एक शब्द भी नहीं कहा है। यह केन्द्र सरकार का उत्तर-दायित्व है कि वह संघ राज्य क्षेत्र को एक अच्छी सरकार दे। वहां के विकास, बढ़ती बेरोजगारी की समस्या, परिवहन, संचार आदि के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। इस पिछड़े दूरस्थ, अलग-थलग पड़े द्वीपीय संघ राज्य क्षेत्रों ने स्व-संपोषित अर्थव्यवस्था के अभाव में हमेशा नुकसान उठाया है। अत: विशेषरूप से देश के ऐसे भागों में रोजगार पैदा करने वाले विशेष प्रावधान निहायत जरूरी हैं। द्वीप विकास प्राधिकरण को वित्तीय सहायता देकर पुनर्गठित करने की आवश्यकता है ताकि यह स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के सपनों को साकार कर सकें जो कि इस द्वीप विकास-प्राधिकरण के संस्थापक थे।

मैं चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री वादविवाद का उत्तर देते हुए यह बतायें कि व्यापक रूप से रोजगार कार्यक्रम कैसे चलाया जा सकता है।

मेरा माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध है कि वह उर्वरकों पर दी जाने वाली राजसहायता को गरीब किसानों की हालत देखते हुए बरकरार रखें। चीनी का मूल्य भी घटाना चाहिये।

महोदय, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में लकड़ी पर आधारित उद्योगों की हालत ऊंची कीमतों की वजह से खराब है और वहां कितने ही कामगारों की छंटनी किये जाने का डर है। इसपर गौर किया जाना चाहिये। उनको पर्याप्त कच्चा माल सप्लाई किया जाना चाहिये।

बजट का समर्थन करते हुए, मैं तो यह स्वीकार करूंगा कि वर्तमान परिस्थिति में हमें लोगों को जिस तरह से एक दिशा प्रदान करनी चाहिये थी तथा भारत के गौरव को बरकरार रखने के लिये उनका सही समय पर कदम उठाने के लिये आह्वान करना चाहिये था उसका इसमें अभाव है। विश्व को संदेश देने के लिये तो हमने यह साधारण तरीका अपनाया कि अनिवासी भारतीयों का पैसा और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का ऋण ही भारत को बचा सकता है अन्यथा भारत देश संकट में होगा। लेकिन महोदय, मैं समझता हूं कि भारत के 85 करोड़ लोग भारत माता की इज्जत, मर्यादा और गौरव को बनाये रखने के लिये बहुत कुछ त्याग सकते हैं। मेरा माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध है कि वह इस बात पर भी विचार करें कि हम भारत माता के गौरव को कैसे बरकरार रख सकते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

5.00 म० प०

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या (एलुरू) : मैं वित्त मंत्री का बहुत आदर करता हूं इसलिये नहीं कि वह एक बहुत प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं बल्कि इसलिये कि वह देश के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं। लेकिन उन्होंने अपने भाषण में कहा है कि आज जो समस्या है उसका संकट नवम्बर 1989 से आरम्भ हो गया था। लेकिन दुर्भाग्य से मैं इस बात पर उनसे असहमत हूं क्योंकि यदि आप समस्याओं पर गौर करें तो पायेंगे कि यह 1981 से हुआ जब डालर की कीमत 8.19 रुपये थी। यह निरंतर बढ़ता जा रहा है और अप्रैल 1991 तक यह 21 रुपये आ गया है। इसलिये यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि यह सारा संकट एक दिन में आया हो। लेकिन उन्हें यह सब करने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिये। हमने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से न केवल दीर्घकालिक अपितु अल्पकालिक ऋण ज्यादा ब्याज दरों पर लेने शुरू कर दिये हैं। यदि इस धन को ठीक ढंग से उपयोग में लाया जाता तो यह संकट नहीं आता। उधार लेना गलत नहीं है। यहां तक कि जापान और जर्मनी ने भी मार्शल ऐड से उधार लिया। उन्होंने इसका भुगतान किया। आज वह शेष विश्व को सबसे बड़े उधार देने वाले देशों में हैं। समस्या यह है कि हमने इसे ठीक ढंग से नियंत्रित नहीं किया है। वित्तीय अनुशासन नहीं रहा है। मूलभूत ढांचे का अभाव रहा है। यह देखिए कि हमने एशियाड, ऋण मेलों और अन्य चीजों पर किस तरह धन खर्च किया। यहां तक कि प्रतिरक्षा पर हमने दुर्लभ मुद्रा के रूप में काफी पैसा खर्च किया है। इसके बजाय हमने मिग-29 लिया होता जो एक बढ़िया सौदा होता और यह एक उत्तम उपकरण भी है।

5.01 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

हमें कुछ और करने की बजाय ऐसे अवसर का उपयोग करना चाहिये और धन का सदुपयोग करना चाहिये तथा इसे विकास कार्यों में लगाना चाहिये। दुर्भाग्य से इसकी वजह इन सब चीजों का संचित प्रभाव है। हाल में जो संकट आया है वह किसी एक कारक की वजह से नहीं है बल्कि कई अन्य कारकों जैसे खाड़ी संकट, राजनैतिक अस्थिरता आदि की वजह से है।

रुपये का अवमूल्यन करना ठीक कदम नहीं था। इसके बजाय हमें अपनी मुद्रा को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चलने देना था ताकि इसकी विनिमय दर स्वयं ही निर्धारित हो जाती। जब अवमूल्यन किया गया तो वित्त मंत्री ने आशा व्यक्त की कि कीमतें नहीं बढ़ेंगी, लेकिन दुर्भाग्य से अवमूल्यन के धक्के से इस देश के प्रत्येक क्षेत्र पर बुरा प्रभाव पड़ा है। स्वयं दिल्ली में ही एक रात में ही डबल रोटी की कीमतें बढ़ गयीं। यहां तक कि सब्जियों की कीमतें बढ़ गयी। उन्होंने कहा था कि वह मुद्रास्फीति कम कर रहे हैं। लेकिन यदि आप उर्वरक, चीनी और रसोई गैस की कीमत, रेल भाड़ा और 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत विशेष उत्पाद शुल्क में वृद्धि इन सबको देखें तो पता चलेगा कि इन्होंने मुद्रा स्फीति पर प्रभाव डाला है और यह अब कभी नीचे नहीं आयेगी। हम सब इस बात को महसूस करेंगे।

आज सुबह हम उर्वरक कीमतों में की गयी 40 प्रतिशत वृद्धि के बारे में चर्चा कर रहे थे। वास्तव में यह किसानों के लिये अनेक समस्यायें उत्पन्न करेगा। माननीय सदस्य कृषि क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तथा वह कृषकों की समस्याओं को पूरी तरह से जानते हैं। अगर वित्त मंत्री महोदय किसी ग्रामीण क्षेत्र से चुनाव लड़ें तो वह अवश्य ही उन समस्याओं से अवगत हो जायेंगे जिनका सामना वहां से चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं। अगर वह ग्रामीण क्षेत्र में जायें तो उन्हें पता चलेगा कि किस प्रकार की प्रतिक्रिया उस तबके द्वारा व्यक्त की जा रही है। वहां एक आन्दोलन चल रहा है। सड़कें अवरुद्ध की जा रही हैं। रेलों को रोका जा रहा है। किसान चुप नहीं बैठेंगे। चालीस प्रतिशत की यह मूल्य वृद्धि किसानों को प्रभावित करेगी। वास्तव में किसानों के साथ अपेक्षित व्यवहार नहीं किया गया है।

फसल बीमा के बारे में हमें बार-बार बताया गया है। पर ऐसे क्षेत्र जहां पर फसल बीमा की व्यवस्था है, वहां क्या हो रहा है? यह प्रभावशाली ढंग से कार्य नहीं कर रहा है। यद्यपि उनका कहना है कि कपास और कुछ अन्य अनाजों के लिए सुरक्षात्मक व्यवस्था है परन्तु यह इनके लिए पर्याप्त नहीं है। तथ्य यह है कि आंध्र प्रदेश में कुछ किसानों ने आत्महत्या कर ली थी क्योंकि उनकी फसलें क्षतिग्रस्त हो गई थीं और उनके यहां बीमा रूपी बचाव की व्यवस्था नहीं थी। वित्त मन्त्री महोदय को किसानों की समस्यायें समझनी चाहिएं क्योंकि वे देश की रीढ़ की हड्डी हैं। लोक सभा के बड़ी संख्या में सदस्यगण, जो ग्रामीण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, ग्राम्य समस्याओं के बारे में अत्यधिक चिंतित हैं। मुझे विश्वास है कि वित्त मन्त्री महोदय इस सम्बन्ध में अवश्य कुछ करेंगे तथा किसानों के लिए कुछ राहत की घोषणा करेंगे। अन्यथा आज सभा भवन में जो कुछ हुआ है वह पुनः दोहराया जायेगा। मुझे विश्वास है कि वह इस पहलू पर पुनर्विचार करेंगे तथा शीघ्र ही इस सम्बन्ध में कुछ करेंगे।

औद्योगिक समस्याओं पर बोलते हुए मैं सम्पूर्ण औद्योगिक नीति पर नहीं बोलना चाहता। मैं केवल कुछ ही मामलों की, जो बजट में आये हैं, चर्चा करूंगा।

आज, आप देख सकते हैं कि पचहत्तर हजार करोड़ रुपए से अधिक निजी क्षेत्र में तथा टेलीफोन विभाग और अन्य विभागों सहित सार्वजनिक क्षेत्र में 3,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया हुआ है। परन्तु इस से प्राप्त आगम बहुत कम है। आधारभूत संरचना भी बहुत कमजोर है। इन तथ्यों को पृष्ठभूमि में रखते हुए ही हमें सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों से प्राप्त आय को देखना पड़ेगा। यहां से केवल एक प्रतिशत की आगम प्राप्त हो रही है जबकि निजी क्षेत्र दस प्रतिशत से अधिक आय देने में समर्थ है। यह तथ्य मात्र नहीं है बल्कि इसका प्रभाव आपको तब देखने को मिलेगा जब आप अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जायेंगे। कुछ सामाजिक आर्थिक समस्यायें सामने आयेंगी तथा हमें उन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतियोगिता के समय सचेत रहना पड़ेगा।

हमें बैंक-प्रणाली में सुधार करना चाहिए क्योंकि स्वयं प्रधान मन्त्री महोदय ने सदन में कहा है कि उस क्षेत्र के अन्य किसानों के मुकाबले में एक ग्रामीण बैंक का मैनेजर अधिक अमीर व्यक्ति होता है। इसस साफ जाहिर है कि बैंकों में बहुत अधिक भ्रष्टाचार व्याप्त है। जब तक आप इस पर रोक नहीं लगायेंगे तथा कार्यकुशलता में सुधार नहीं लायेंगे, तब तक आप न्याय नहीं कर सकते। परियोजना में वित्तीय व्यवस्था करने सहित बैंकों के प्रत्येक क्षेत्र में, जहां कहीं भी वे भाग लेते हों विशेषज्ञ होने चाहिये। उन्हें उन संगठनों के कार्य निष्पादन के प्रत्येक स्तर पर जांच करनी चाहिए कि उनकी बाजार क्षमता, उसकी गुणवत्ता अपेक्षित स्तर की है या नहीं। उन्हें इसकी सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए और मेरे विचार में इसके स्थान पर वहां प्रतियोगिता होनी चाहिए। उपभोक्ता का वहां प्रभुत्व होना चाहिए तथा अगर वे कुछ खरीदना चाहते हैं तो विकल्प उनके पास होना चाहिए। उन्हें उचित मूल्य पर वस्तु, उसकी गुणवत्ता तथा लाभ मिलना चाहिए। आप कृषि तथा लघु क्षेत्रों को दी जाने वाली अग्रिम धनराशि का नियंत्रित कर सकते हैं लेकिन आपके पास विशेषज्ञता होनी चाहिए ताकि आप देख सकें कि उस प्रत्येक स्तर पर सही उपयोग में लाया जा रहा है तथा उसकी जांच की जा रही है। अन्यथा आप उनके साथ पर्याप्त न्याय नहीं कर रहे हैं।

एक अन्य बात जो मैं कहना चाहूंगा वह यह है कि भारत तस्करी की वस्तुओं के लिए एक स्वर्ग के समान है। वे खुले रूप में बाजार में उपलब्ध हैं। जब तक वित्त मन्त्री इसे नियंत्रित नहीं करते तब तक हम इस देश में अपने उद्योगों का विकास नहीं कर सकते। और अगर आप जब्त माल की नीलामी करते हैं तो आप एक शर्त लगा सकते हैं कि वे वस्तुएं पुनर्विक्रय हेतु उपलब्ध नहीं होंगी।

भारत में उद्योगों की रुग्णता से सम्बन्धित एक अन्य समस्या है। यह समस्या केवल भारत में ही नहीं है अपितु अन्य विकासशील देशों में भी विध्यमान है। यहां यह प्रबंधन की कमी, तकनीक की कमी अथवा अक्सर होने वाले तकनीकी परिवर्तनों की वजह हो सकती है। लेकिन अन्य देशों में बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थान उपयुक्त तरीके से उनका समायोजन करने में समर्थ हैं। अन्य देशों में जहां भी रुग्णता होती है तो इस समस्या से वहां की वित्तीय संस्थाएं तथा बैंक निपटते हैं। वे तुरन्त किसी अन्य से सम्पर्क करा देने में सक्षम होते हैं जिसमें सामर्थ्य, प्रबन्ध कुशलता, सम्मानता तथा अपनाने की क्षमता होती है और वे तुरन्त देख लेते हैं कि क्या बजट बढ़ाया जा सकता है या कोई अन्य तरीका है जिसके द्वारा वे रुग्णता के आने से पहले यथा संभव शीघ्र संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यहां हमारे देश में क्या हो रहा है? इन संस्थाओं में रुग्णता का एक कारण कुशलता की कमी है। इसके कारण प्रबन्ध में कमी तथा प्रौद्योगिकी सुधार में कमी होती है जो किसी भी देश में हो सकती है। लेकिन अगर आप इन उपायों में से कुछ को लागू करें तो रुग्णता से बचा जा सकता है अन्यथा यह बढ़ती ही रहेगी। आज मैं कह सकता हूं कि आपके पास रुग्णता के ऐसी अनेक इकाईयों की सूची है।

मेरे पास वर्ष 1988 के आंकड़े हैं। इस वर्ष में 2,17,000 इकाईयां रुग्ण हुई। इसमें लघु उद्योग क्षेत्र के तहत 1,542 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि फंसी हुई है जबकि अन्य क्षेत्र तो अलग हैं। अगर आप मेरे द्वारा सुझाए गए उपाय नहीं करेंगे तो यह राशि और अधिक बढ़ती जाएगी। अगर आप सुधार चाहते हैं तो आपको अन्य क्षेत्रों का महत्व भी ध्यान में रखना होगा।

सांझा बाजार के देशों में वस्तुएं बिना किसी रुकावट के एक देश से दूसरे देश भेजी जा सकती हैं। यहां पर एक राज्य से दूसरे राज्य में ही भेजने के लिए आपको शुल्क, चुंगी, प्रवेश कर इत्यादि देने पड़ते हैं। इस प्रकार की कठिनाईयों से अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ऐसी परिस्थितियों में

व्यापार में सुधार कैसे आ सकता है ? व्यवसाय में कैसे सुधार आ सकता है ? कुशलता में सुधार कैसे आ सकता है ?

अगली समस्या लाल फीताशाही है । इससे बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है । मैं नहीं जानता कि सरकार इसका समाधान कैसे करेगी । मैं नहीं जानता कि आप प्रक्रियाओं को कैसे सरल बना सकते हैं । दूसरे देश में एक परियोजना दो वर्षों में पूरी की जा सकती है जबकि यहां पर इसी के काफी भाग को पूरा करने में चार से पांच वर्ष लग जाते हैं क्योंकि सरकारी कार्यालयों में बहुत समय लगता है । मैं नहीं जानता कि आपके पास कोई ऐसी व्यवस्था है जिससे आप स्थिति में सुधार ला सकते हैं । अगर ये बुनियादी चीजें उपलब्ध कराई जाएं तो हम निश्चित रूप से बाकी विश्व के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं ।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का मामला लीजिए । आपने इसे 51 प्रतिशत कर दिया है । मैं जानता हूं कि यह एक शर्त है जिस पर वे जोर दे रहे हैं । लेकिन आप ऐसा क्यों करेंगे ? अगर आप उन्हें 51 प्रतिशत दे देंगे तो उनके हाथों में पूर्ण नियन्त्रण चला जाएगा । मौजूदा 40 प्रतिशत के स्तर को आप 49 या 50 प्रतिशत तक बढ़ा सकते हैं, 51 प्रतिशत नहीं । आपने कहा है कि अगर बहुत जरूरी हुआ तो आप 100 प्रतिशत विदेशी निवेश ले सकते हैं । लेकिन इसका प्रतिशत बहुत कम नाम मात्र का ही होना चाहिए । तत्काल इस प्रकार के सख्त उपाय करना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा ।

एम०आर०टी०पी० के मामले में मैंने सोचा था कि आप 100 करोड़ की सीमा के तहत रुपए की क्रय शक्ति के मुताबिक चलेंगे । लेकिन इसकी बजाय आप तो बहुत आगे बढ़ गए । इसके फलस्वरूप बड़े घराने, अन्य मध्यम तथा लघु क्षेत्र में घुस सकेंगे । अगर आप यह प्रावधान नहीं करेंगे कि ये उन क्षेत्रों के लिए ही आरक्षित हैं तो इससे हमारे लिए समस्या उत्पन्न हो जाएगी ।

अनिवासी भारतीयों के सम्बन्ध में मैं जानता हूं कि आपने इस उपबन्ध में काफी रियायतें दी हैं । आप केवल इसी तरीके से बाहर से अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के बारे में सोच सकते हैं । अन्यथा हमें कुछ अन्य वैकल्पिक उपाय करने पड़ेंगे ।

जैसाकि मैंने कहा है, कृषि के क्षेत्र में काफी अवसर हैं । आप अनेक कृषि उत्पादों का निर्यात कर सकते हैं । पूर्वी अफ्रीका तथा थाईलैंड से सब्जियों, फलों, अंडों, मांस तथा अन्य अनेक वस्तुओं से भरे जम्बोजेट विमान रोजाना खाड़ी देशों में पहुंच रहे हैं । हम तो सबसे नजदीक हैं । हम 3 से 4 घंटों के अन्दर खाड़ी देशों के किसी भी भाग में पहुंच सकते हैं । केवल यदि हम रुचि लें तो इस देश में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के बेहतर अवसर पा सकते हैं । हमें इन सभी मुद्दों पर विशेष ध्यान देना चाहिए । निःसन्देह आपने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहन दिया है । मैं चाहता हूं कि अन्य मुद्दों पर भी आप कुछ और रियायतें दें ताकि इन वस्तुओं को बनाने के हमें अवसर मिल सकें ।

पर्यटन को लें तो मुझे वास्तव में अत्यधिक आश्चर्य होता है कि इतने वर्षों के प्रयास के बावजूद पर्यटन से हमारी वास्तविक आय बहुत कम है । जैसाकि मैंने पहले कहा है यह सब बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण है । स्पेन प्रति वर्ष पर्यटन से 48 बिलियन डालर अर्जित कर रहा है । उनके यहां बहुत अधिक लोग आते हैं । वे अक्सर कहते हैं कि वे भारत देखना चाहेंगे । उनमें भारत के ऐतिहासिक स्थल देखने की अत्यधिक रुचि है । लेकिन यहां उपलब्ध सुविधाएं उन्हें नहीं मिल पाती । इंडियन एअर-लाइन्स उन्हें जगह नहीं देती । वह उनकी टिकटों की पुष्टि नहीं करती । वे चाहते हैं कि पर्यटकों

के लिए एक सुव्यवस्थित स्कीम हो। अगर आप इन सबको सुव्यवस्थित कर लें तो विदेशी मुद्रा अर्जित करने का यह सबसे सरल तरीका है। अगर आप इस पर अपना ध्यान थोड़ा और केन्द्रित करें तो लाखों लोग भारत आ सकते हैं। वे भारत को देखने के बहुत अधिक इच्छुक हैं। हमारे यहां अनेक अवसर उपलब्ध हैं। मैं आशा करता हूं कि आप इस तरफ विशेष ध्यान देंगे और कुछ करेंगे तथा इस सम्बन्ध में हमारे पास बहुत अच्छे अवसर हैं।

जनसंख्या का उल्लेख करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि इस देश की जनसंख्या बहुत ही ज्यादा है और इस मामले में तो हम चीन को भी पीछे छोड़ रहे हैं। अगर हम इस समस्या के समाधान पर उचित ध्यान नहीं देंगे तो अन्य सभी क्षेत्रों में की गई हमारी सारी प्रगति बेकार हो जाएगी। इसलिए चाहे इस पर अतिरिक्त धनराशि व्यय करनी पड़े, माननीय वित्त मन्त्री को तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए और इस सम्बन्ध में कुछ करें क्योंकि यह हमारे देश की प्रगति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम विभिन्न स्तरों पर इसे कैसे कर सकते हैं, इस पर गौर करना है। अगर इसके लिए कोई कर लिया जाना हो तो वह भी अवश्य लिया जाना चाहिए। जनसंख्या नियन्त्रण एक महत्वपूर्ण मामला है और हमें इस पर ध्यान देना चाहिए।

जब हम रोजगार अवसरों पर गौर करते हैं तो प्रश्न उठता है कि रोजगार क्षमता का क्या होगा। हम शिक्षित बेरोजगारों के लिए पर्याप्त अवसर देने में असमर्थ हैं और अगर आप इस पर कुछ ध्यान नहीं देंगे तो हमारे देश में शिक्षित बेरोजगारी की समस्या बड़ी समस्या बन जाएगी। बेरोजगारी दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसलिए अशिक्षित लोगों को कुछ अवसर दिए जाएं।

आप साक्षरता कार्यक्रम पर 100 करोड़ रुपए तथा स्व-रोजगार स्कीम पर कई करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। ये योजनाएं अच्छी है, लेकिन व्यावहारिक रूप में ये सही तरह से नहीं चलाई जातीं और इसके लिए आपको कुछ निगरानी की जरूरत है। इसके लिए जिन परिवर्तनों की भी आवश्यकता है आप उन्हें यथासम्भव शीघ्र कीजिए।

महोदय, मैं मुख्य कराधान पक्ष पर नहीं बोलूंगा। लेकिन मैं कर ढांचे पर केवल दो बातें कहना चाहूंगा। आज स्टाक एक्सचेंज में लाखों छोटे निवेशक हैं। छोटे निवेशक मुख्य आधार बन गए हैं। स्टाक एक्सचेंज के नियम कहते हैं कि छोटे निवेशक को अधिकतम प्राथमिकता दी जाए और बड़े निवेशक को न्यूनतम प्राथमिकता दी जाए। सभी निवेशकों की नजर लाभांश पर होती है। निगमित कर 40 से 45 प्रतिशत हो गया है और मूल्यह्रास भत्ता 33 प्रतिशत से कम होकर 25 प्रतिशत हो गया है और ब्याज पर कर है। इन सबसे लाभांश देने की क्षमता पर असर पड़ेगा। इसलिए इन निवेशकों को कुछ महीने बाद बाजार में आने में कठिनाई होगी।

अब मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। ये सब आम बातें हैं। सर्वप्रथम कर में छूट की सीमा अब 22,000 रुपए है। मैं कोई एक तरफा राशि का सुझाव नहीं दूंगा। लेकिन 1985 में जब आपने 18,000 रुपए की सीमा रखी तब से आज तक रुपए की क्रय शक्ति कितनी रह गई है? इस प्रकार आप इसी अनुपात में इस सीमा में वृद्धि कर सकते हैं। चाहे यह 30,000 रु०, 28,000 रु० या 32,000 रुपए हो, यह वैज्ञानिक और तर्कसंगत आधार पर हो। मुझे आशा है आप इस मुद्दे की जांच करेंगे और उसके अनुसार कार्यवाही करेंगे क्योंकि मुद्रास्फीति बढ़ रही है जबकि कर सीमा बढ़ाई नहीं गई है इससे अधिकांश कर दाताओं को समस्या हो जाती है।

वेतनभोगी वर्गों के सम्बन्ध में जब कर्मचारियों का तबादला नगरेतर कहीं शहरी क्षेत्रों विशेषकर महानगरों जैसे दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद, बंगलौर इत्यादि में किया जाता है तो इन शहरों में विशेष आवश्यकताओं तथा रहने के खर्च की पूर्ति के लिए भी नगर प्रतिपूर्ति भत्ता दिया जाता है। फिर भी रहने के खर्च की पूर्ति के लिए दिये जाने वाले इस विशेष भत्ते पर भी कर लगाया जा रहा है जोकि इसके उद्देश्य के विरुद्ध है। इसलिए वेतनभोगी कर्मचारियों के हित में इस पर छूट दी जाए।

यह प्रशंसनीय है कि वित्त मन्त्री ने ऋणों पर ब्याज की गणना की भिन्न प्रणाली शुरू की है। समानता और न्याय के सिद्धान्त के तहत इसे उन अन्य क्षेत्रों में भी लागू किया जाए जो निजी क्षेत्र में वित्तीय व्यवसाय कर रहे हैं क्योंकि ऐसे व्यवसाय में अर्जित ब्याज पर भी ब्याज कर अधिनियम के तहत कर लगाने का प्रस्ताव है। यह प्रावधान भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जाना है ताकि अधिक लागत व समय लगाए बगैर व्यर्थ की मुकदमेबाजी से बचा जा सके।

महोदय, पहले अतिरिक्त अग्रिम कर पर दिया गया ब्याज $1\frac{1}{2}$ प्रतिशत प्रति माह की दर से दिया जा रहा था जबकि अब इसे घटा कर एक प्रतिशत कर दिया गया है जोकि उचित नहीं है जब कि धारा 234क तहत आय का फार्म भरने में देरी तथा धारा 234ख के तहत अग्रिम कर में अदायगी में चूकने पर देय ब्याज केन्द्र सरकार द्वारा 2 प्रतिशत प्रति माह की दर से लिया जा रहा है। इसी प्रकार, धारा 243 (विलम्बित वापसी पर ब्याज) तथा धारा 244 (उस वापसी पर ब्याज जहां किसी दावे की जरूरत नहीं है) के तहत प्रति वर्ष की दर से दी जा रही 15 प्रतिशत ब्याज दर को बढ़ाकर 24 प्रतिशत अथवा कम से कम 18 प्रतिशत प्रति वर्ष कर दिया जाए जोकि धारा 234क तथा 234ख के तहत केन्द्र सरकार द्वारा लिए जा रहे ब्याज के बराबर होगा।

मैं एक और बात यह कहना चाहूंगा कि कम्पनियों पर धनकर लगाने के लिए जब वित्त अधिनियम, 1983 की धारा 40 को कानून बनाया गया तो अनेक वास्तविकताओं के बारे में सोचा नहीं गया था और उनकी उपेक्षा कर दी गई थी। इसलिए संशोधन किए जा रहे हैं और कुछ परिसम्पत्तियों को वित्त अधिनियम, 1988 तथा इस वित्त अधिनियम के माध्यम से धनकर से अलग किया जा रहा है। उदाहरण के लिए व्यापार में लगे स्टाक के रूप में करदाता द्वारा रखी गई कोई परिसम्पत्ति उस द्वारा किया जा रहा व्यवसाय है, इत्यादि। इस लिए उन्हीं परिसम्पत्तियों पर जो भावी वर्षों के लिए कर से अलग की गई हैं उन पर पुराने निर्धारण वर्षों के लिए कर लगाना समानता और नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध है। इसलिए सभी संशोधन जो वित्त अधिनियम, 1983 में किए गए थे धारा 40 के शुरू होने के समय से अर्थात 1984-85 के कर-निर्धारण वर्ष से लागू होने चाहिएं।

महोदय, अनेक ऐसे मामले हैं जिनमें नए निर्धारिती और अनिर्धारिती आय कर अधिनियम के प्रावधानों की जटिलताओं के बारे में नहीं जानते और कानून के बारे में जानकारी न होने अथवा उचित परामर्श के अभाव में उनका दृढ़ता से पालन नहीं करते। तथापि, उन्हें सरकार को टी०डी० एस० के भुगतान में चूक करने पर दण्ड दिया जाता है जबकि उन्होंने धारा 201(क) के अन्तर्गत इसके लिए ब्याज का भुगतान करते हुए देर से टी०डी०एस० का भुगतान किया। इसलिए कानून में से इन कड़े प्रावधानों को हटा देना चाहिए और भविष्य में इनके बेहतर अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए ऐसी चूकों के लिए नाम मात्र दण्ड का प्रावधान करना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ, बजट पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री अशोक आनन्दराव देशमुख (वाशिम): सभापति महोदय, मैं इस बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और मैं वित्त मन्त्री की प्रशंसा भी करता हूं। मैं वित्त मन्त्री की इस लिए प्रशंसा नहीं कर रहा हूं कि मैं उनके बजट के सम्बन्ध में पूर्णतया सहमत हूं बल्कि इस लिए कि उन्होंने एक कठिन कार्य पूरा किया है। एक तरफ भुगतान संतुलन की स्थिति, अभूतपूर्व आर्थिक संकट, विदेशी मुद्रा के भंडार आम तौर पर खाली पड़े थे और दूसरी ओर उन्होंने केन्द्र सरकार के हिस्से में से राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के परिव्यय के लिए वित्त व्यवस्था करनी थी और केन्द्र सरकार के अपने परिव्यय के लिए वित्त व्यवस्था करनी थी। ऐसी स्थिति में हर कोई यही सोच रहा था कि प्रत्येक व्यक्ति पर करों का भारी बोझ पड़ेगा। लेकिन सबको हैरानी हुई कि उन्होंने गैर-योजना व्यय में कमी जैसे सुधारात्मक वित्तीय उपायों की तरफ अधिक ध्यान दिया न कि कर बढ़ाने की ओर।

महोदय, इस सभा में माननीय वित्त मन्त्री जी के इस कथन की कि वह इस बजट को राजीव जी की याद में समर्पित करते हैं, बहुत कुछ कहा गया है। राजीव जी लाखों मेहनतकश लोगों की आकांक्षाओं का प्रतीक थे। वित्त मन्त्री जी ने मेहनतकश लोगों पर कर न लगा कर बहुत अच्छा कार्य किया है और इसीलिए उन्होंने इस बजट को राजीव जी की याद को समर्पित किया है। वित्त मन्त्री ने यह बात बिलकुल स्पष्ट कर दी है कि अर्थ व्यवस्था में सुधार करने के लिए सरकार की नीतियां और निर्देशन वित्तीय घाटा, राजस्व घाटा, चालू लेखा घाटा और भुगतान संतुलन कम करने के लिए होंगी। यदि हम पिछले कुछ दिनों में सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों को देखें जैसे मुद्रा का अवमूल्यन, नई औद्योगिक नीति और अब यह बजट, तो ये सब इस दिशा में उठाये गए कदम हैं। यह दृढ़ विश्वास है कि यदि हम अपनी रुग्ण अर्थ व्यवस्था को ठीक करना चाहते हैं तब हमें इस देश में धन पैदा करना होगा और कुछ क्षेत्रों में उदार औद्योगिक नीति ही इस देश में धन पैदा करने के लिए उपयुक्त है। कई बार माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने अपने वक्तव्य में उन उपायों के बारे में बताया है जो वह श्रमिक वर्ग के लिए करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि श्रमिक वर्ग को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त निकाय स्थापित किया जाएगा जो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया अथवा बी०आई० एफ० आर० के पुनर्वास पैकेज द्वारा प्रभावित होंगे। इस उच्च शक्ति प्राप्त निकाय द्वारा उनकी देखभाल की जाएगी। सरकार ने छंटनी जोकि सरकार द्वारा अपनाए जा रहे उपायों के कारण होने की संभावना है से लोगों को बचाने के लिए एक राष्ट्रीय नवीकरण कोष स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा है।

महोदय, ग्रामीण विकास और रोजगार के अवसर बढ़ाना हमेशा हमारी उच्च प्राथमिकता रही है। यदि हम बजट भाषण का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि इस वर्ष सरकार ने इस उद्देश्य के लिए 3,508 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। सरकार ने 900 मिलियन श्रम दिनों के लिए पर्याप्त परिव्यय उपलब्ध कराया है और इन सबके बावजूद हमारे विपक्षी सहयोगियों द्वारा अक्सर यह आलोचना की जाती है कि यह सरकार ग्रामीण जनता और रोजगार की ओर कोई ध्यान नहीं देती। हमने महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराकर सामाजिक दायित्वों का सम्मान करने का प्रयास किया है। हमने इस क्षेत्र के लिए परिव्यय को पिछले वर्ष की तुलना में काफी बढ़ा दिया है।

कल सरकार के इस संकल्प के बारे में काफी चर्चा हुई है कि वह राजीव गांधी फाउन्डेशन में 20 करोड़ रुपए देगी। इस सभा में इस तरह की भावना पैदा की गई जैसे सरकार सीमित संसाधनों को फिजूल खर्च कर रही है। मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि सरकार ने दो समान ट्रस्टों, जो

गैर-सरकारी निकाय हैं को पैसा देने का निर्णय लिया है। एक राष्ट्रीय सांप्रदायिक एकता फाउन्डेशन और दूसरा राजीव गांधी फाउन्डेशन। यह राष्ट्रीय सांप्रदायिक एकता फाउन्डेशन भी गैर-सरकारी निकाय होगा जिसमें प्रमुख व्यक्ति न्यासी होंगे। राजीव गांधी फाउन्डेशन में भी प्रधान मन्त्री और उप-राष्ट्रपति सहित महत्वपूर्ण व्यक्ति न्यासी होंगे। श्रीमती सोनिया गांधी भी इस फाउन्डेशन की न्यासी हैं।

कोई भी मेरी इस बात से असहमत नहीं होगा कि इस सभा में बैठे हम सभी लोग दलितों के सामाजिक उत्थान के लिए वचनबद्ध हैं। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले उपायों और साधनों के बारे में हमारे विचार भिन्न हो सकते हैं। वास्तव में ऐसा ही हो रहा है **(व्यवधान)** यदि आप इस न्यास के उद्देश्यों का अध्ययन करें तो आप इस बात को अनुभव करेंगे। **(व्यवधान)**

श्री श्रीकान्त जेना : इस देश में ऐसी उद्देश्य वाले हजारों न्यास हैं। क्या आप उन्हें भी पैसा देंगे ?

श्री अशोक आनंदराव देशमुख : मैं भी यही कहना चाह रहा हूं। दो समान गैर-सरकारी संगठन है। राष्ट्रीय सांप्रदायिक एकता फाउन्डेशन गैर-सरकारी निकाय होगा। यह भी राजीव गांधी फाउन्डेशन की भांति सामाजिक उद्देश्यों के लिए है। **(व्यवधान)** मैं मानता हूं कि प्रमुख व्यक्तियों के न्यासी बनने के बारे में आपकी भिन्न विचारधारा होगी। हम कहते हैं कि महात्मा गांधी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, वह राष्ट्रपिता थे, यह मेरी विचारधारा है। लेकिन विपक्ष में कुछ ऐसे सदस्य भी बैठे हैं जो मानते हैं कि नाथू राम गोडसे प्रतिष्ठित व्यक्ति था। यह उनकी विचारधारा है, इस प्रकार हमारी भिन्न-भिन्न विचारधाराएं हैं। जब हमारे पास ऐसे दो समान संगठन हैं तो मेरे विपक्षी मित्र केवल एक फाउन्डेशन अर्थात राजीव गांधी फाउन्डेशन का विरोध कर रहे हैं और वह दूसरे गैर-सरकारी निकाय अर्थात् राष्ट्रीय सांप्रदायिक एकता फाउन्डेशन के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं जिसका इसी वक्तव्य में उल्लेख किया गया था, जो राजीव गांधी फाउन्डेशन के समान ही कार्य करेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मेरे विपक्षी मित्र राजीव गांधी के नाम के ही विरुद्ध हैं। यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है।

श्री श्रीकान्त जेना : यह निजी न्यास है। कुछ न्यासी 16 वर्ष की आयु से भी कम के हैं।

श्री अशोक आनंदराव देशमुख : मैं इस बारे में किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहता। **(व्यवधान)** चूंकि मैंने अपनी बात कह ली है। प्रतिष्ठित व्यक्तियों के बारे में यह आपकी धारणा है। आप उसे बदल नहीं सकते इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता।

मैं चाहता हूं कि माननीय वित्त मन्त्री कुछ मुद्दों के बारे में मुझे जानकारी दें।

मैं चाहता हूं कि माननीय वित्त मन्त्री अनिवासी भारतीयों के बारे में मुझे बताएं। हमने अनिवासी भारतीयों के लिए नए क्षेत्र खोलने का निर्णय लिया है। अनिवासी भारतीयों का आवासीय सम्पत्तियों में निवेश एक ऐसा ही क्षेत्र होगा। यह बात बिल्कुल सत्य है कि ये अनिवासी भारतीय बम्बई, मद्रास, कलकत्ता और अन्य महानगरों में आवासीय सम्पत्तियों में निवेश करना चाहेंगे। प्रत्येक व्यक्ति बम्बई में आवास की गम्भीर समस्या के बारे में जानता है और मेरे विचार से वित्त मन्त्री भी इस बारे में जानते हैं। इस देश में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए यह आसान बात है कि वह हवाला सौदेबाजी करके अपने काले धन को विदेश भेज दे। हर कोई हवाला सौदे के बारे में जानता है। मेरा कहना है कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करके अनेक लोगों के

पास काला धन होगा जो इस हवाला सौदे के माध्यम से अपना धन विदेश भेज देंगे और इसे किसी छद्म अनिवासी भारतीय के नाम से देश में ले आएंगे ताकि आवासीय सम्पत्ति खरीद सकें। इसके दो दीर्घ कालीन कुप्रभाव होंगे। इससे और बेहिसाब धन पैदा होगा। तथा महानगरों में आवास की समस्या बढ़ जाएगी। अतः मैं माननीय मन्त्री से यह जानना चाहता हूं कि इसे रोकने के लिए उन्होंने कौन से उपाय किए हैं।

जैसाकि प्रत्येक व्यक्ति ने इस सभा में कहा है कि हमने उर्वरक की कीमतें 40 प्रतिशत बढ़ाने का निर्णय लिया है। मैं इस दूसरे मुद्दे पर माननीय मन्त्री जी से जानकारी चाहता हूं। माननीय मन्त्री जी ने यह तर्क दिया है कि चूंकि वर्ष 1981 से उर्वरक की कीमतें नहीं बढ़ाई गई जबकि अनेक खाद्यान्नों के खरीद मूल्य बढ़ाए गए हैं। उन्होंने यही तर्क दिया है।

मैं उन्हें एक बात बता दूं कि पिछले साल देश में 170 मिलियन टन खाद्यान्नों का उत्पादन हुआ और उसमें से केवल 20 प्रतिशत सरकार ने उपयुक्त योजनाओं के अन्तर्गत खरीदा। अतः उनमें से केवल 20 प्रतिशत को ही लाभ मिला। माननीय मन्त्री ने इसके लिए यह उपचारी उपाय बताया है कि वह खाद्यान्नों के खरीद मूल्य बढ़ा देंगे जिससे उर्वरक की कीमतों में होने वाली वृद्धि से जो घाटा होगा, उसकी पूर्ति हो जाएगी। यह तर्क सही नहीं है। मैं उस क्षेत्र का रहने वाला हूं जो सूखा क्षेत्र है लोग खेती मजबूरी में करते हैं क्योंकि आय का अन्य कोई साधन नहीं है।

माननीय मन्त्री की जानकारी के लिए मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के ऐसे 100 व्यक्तियों के नाम दे सकता हूं जिनके पास 20 एकड़ जमीन है और जो अपनी जमीन सरकार को देने में थोड़ा भी नहीं हिचकिचाएंगे यदि उनके परिवार के किसी एक व्यक्ति को सरकार नौकरी देने के लिए सहमत हो। माननीय मन्त्री ने जो तर्क दिया है वह ठीक नहीं है। इस लिए मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय उर्वरकों में की गई मूल्य वृद्धि पर पुनर्विचार करें।

इस बजट के पैरा 116 में यह कहा गया है कि कृषि आधारित उद्योग जो केवल कृषि आधारित उत्पाद का उत्पादन करते हैं उन पर उत्पाद शुल्क को सरकार माफ करने जा रही है। वे कृषि आधारित उद्योग हो सकते हैं लेकिन वे निजी उद्योग हैं। हमें किसी भी ऐसे निजी उद्योग जो कृषि आधारित हैं या नहीं की जानकारी नहीं है जिसने उपभोक्ताओं या किसानों को अपने लाभ का हिस्सा दिया हो। मैं जानता हूं कि नागपुर संतरा पैदा करने वाला क्षेत्र है। वहां भी कुछ कृषि आधारित उद्योग हैं जैसे जैम उद्योग। मैं जानता हूं कि वहां किसानों को किन-किन कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है.... (**व्यवधान**)। एक तरह से हमने जो भी प्रोत्साहन इस उत्पाद शुल्क के माफी के माध्यम से दिया है इससे बड़े उद्योगपतियों को लाभ मिलेगा किसानों को कोई लाभ नहीं मिलेगा। एक मात्र उद्योग जिसके बारे में मुझे जानकारी है कि वह अपने लाभ में किसानों को हिस्सा देती है, वह है सहकारी उद्योग। वास्तव में सरकार को उसमें सहायता देनी चाहिए थी। लेकिन सरकार ने सहकारी उद्योग के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा है। मैं मन्त्री महोदय से एन०सी०डी०सी० के बारे में जानना चाहता हूं? क्या एन०सी०डी०सी० IV का पूरा कार्यक्रम इस वर्ष विश्व बैंक द्वारा पाइपलाइन के लिए उपलब्ध कराये जाने वाले धन में शामिल कर दिया गया? इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा गया है। यदि इसे शामिल किया भी गया है तो कब और कौन इसका मूल्यांकन करेगा और वास्तव में एन० सी०डी० सी० पर कब कार्य आरंभ होगा? हमें इन मुद्दों पर उत्तर चाहिए। मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री इस सम्बन्ध में अपने उत्तर के दौरान बताएं।

महोदय, अपनी बात समाप्त करने से पूर्व मैं माननीय मन्त्री को दो और सुझाव देना चाहता हूं। समुद्र में तेल निकालने पर रायल्टी बढ़ाने के लिए कई राज्यों से मांग हो रही है जैसेकि हमारा अपना राज्य महाराष्ट्र भी यह मांग कर रहा है। जैसाकि आप जानते हैं कि विगत कुछ वर्षों से सभी राज्यों के लिए व्यय के लिए वित्त घोषित करना कठिन हो गया है क्योंकि राजस्व एकत्र करने के स्रोत कम पड़ते जा रहे हैं। इस लिए हमारे राज्य से यह लगातार मांग की जा रही है कि राज्य को समुद्र से तेल निकालने पर रायल्टी मिलनी चाहिए। इस समय हम रायल्टी नहीं दे रहे हैं। यह कहा गया है कि इस रायल्टी को देने के लिए हमें समुद्रीय क्षेत्र कानून में परिवर्तन करना होगा। हमें इस कानून में संशोधन करने की संभावनाओं का पता लगाना होगा।

अब मैं अपने अन्तिम मुद्दे का उल्लेख करूंगा। हमने अपने बजट में लघु बचत जमा पर बहुत बल दिया है। विगत कुछ वर्षों से कई राज्यों ने कुल जमा की गई लघु बचत की राशि पर समान हिस्सा सम्बन्धित राज्य को न मिलने पर असंतोष व्यक्त किया है। उन राज्यों ने केन्द्र सरकार के समक्ष विगत कुछ वर्षों से लगातार इस मुद्दे को उठाया है परन्तु उसका कोई परिणाम नहीं निकला है। मैं चाहता हूं और यह सुझाव देता हूं कि माननीय मन्त्री इस मुद्दे पर शीघ्र ध्यान दें ताकि हम चालू वर्ष में अपनी लघु बचत निवेश को बढ़ा सकें जोकि हमारे वार्षिक योजना व्यय में मुख्य भूमिका अदा कर रहा है। जब तक हम यह नहीं करेंगे कुछ राज्यों को इससे परेशानी होती रहेगी। यह एक पहलू है जिस पर मैं माननीय मन्त्री से निवेदन करता हूं कि वे सकारात्मक परिणाम सामने लाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री पी० जी० नारायणन (गोबीचेट्टिपालयम) : महोदय, माननीय वित्त मन्त्री द्वारा वर्ष 1991-92 के लिए प्रस्तुत किये गये आम बजट पर अपनी पार्टी अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम की ओर से मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। यह एक मान्य तथ्य है कि देश गंभीर आर्थिक संकट में है। इस संकटपूर्ण स्थिति में इस बजट में दस प्रतिशत कम मूल्य पर मिट्टी तेल दे करके गरीबों को राहत देने की कोशिश की गई है। लेकिन इसके साथ ही चीनी, पैट्रोल, खाना पकाने की गैस और उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि आम लोगों को निश्चित रूप से प्रभावित करेगी विशेषकर उर्वरक मद्दों पर दी जाने वाली राज सहायता में कटौती से किसान निश्चित रूप से प्रभावित होंगे। इस लिए यह बहुत ही गंभीर बात है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि उर्वरकों पर दी जाने वाली राज सहायता में कटौती को तुरन्त बंद कर दी जाए।

हमारे वित्त मन्त्री के अनुसार इस वित्तीय संकट की स्थिति में राष्ट्र हित की रक्षा तथा सामाजिक दृष्टि से बड़े पैमाने पर समायोजन करने की आवश्यकता थी। लेकिन गरीबों को कर के बोझ से बचाया जाना चाहिए। यह बोझ मुख्य रूप से निगमित क्षेत्र अमीरों और उच्च मध्य वर्ग के लोगों पर पड़ेगा। बजट घाटे को 10,772 करोड़ रुपए से कम करके 7719 करोड़ रुपए करने से आर्थिक समायोजन का महत्व परिलक्षित होता है।

यह सरकार इस बात पर दृढ़ है कि विकास के लिए जुटाए जाने वाले संसाधन उन लोगों पर कर लगा कर बढ़ाए जाएं जिनमें कर देने की क्षमता है। हमारे वित्त मन्त्री ने कर अपवंचकों को बिना लेखा-जोखा के जमा धन को प्रकट करने के लिए एक नई योजना शुरू करके उन्हें एक और अवसर प्रदान किया है। वे अपना बिना लेखा-जोखा वाले धन को नेशनल हाउसिंग बैंक में जमा करा सकते हैं। इस तरह जमा की गई राशि का उपयोग झोपड़पट्टियों को हटाने तथा गरीबों के लिए कम लागत पर आवास

उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा। "देने वाले के खाते में देय चैक" के माध्यम से 60 प्रतिशत तक की राशि जमाकर्ता एक या दो किश्तों में निकाल सकता है। इस बजट प्रस्ताव से अनिवासी भारतीयों को लाभ मिलेगा। उन्हें निवेश के आवास और संपदा विकास जैसे नये क्षेत्र दिये जा रहे हैं।

शारीरिक रूप से विकलांग और नेत्र विहीन लोगों को सहायता देने के लिए 15,000 से 20,000 रुपये की कर रियायत देने के सरकार के प्रस्ताव का मैं स्वागत करता हूं। यह जानकर मुझे प्रसन्नता हुई है कि समाज के कमजोर वर्गों की कारगर ढंग से सेवा करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाया जा रहा है। यह भी स्वागत योग्य बात है कि पर्यटकों की रुचि बढ़ाने के लिए सरकार ने सुदूर एवं पहाड़ी क्षेत्रों के होटलों को व्यय कर से मुक्त करने की घोषणा की है।

शिक्षा को व्यवहार्य बनाने के लिए सरकार ने शैक्षिक पुस्तकों के लेखकों एवं प्रकाशकों को कर में रियायत देकर कुछ प्रोत्साहन दिया है।

विगत कई वर्षों से तमिलनाडु सरकार समाज के दलित एवं कमजोर वर्ग के स्वस्थ, अनुशासित एवं प्रतिभाशाली छात्रों को आगे लाने के लिये पोषक भोजन योजना चला रही है। मुझे खेद है कि इतनी अच्छी योजना केन्द्रीय बजट में शामिल नहीं की जा रही है। मैं समझता हूं कि यह सरकार इस पर पुनर्विचार करेगी और पोषक भोजन योजना को बजट में शामिल करेगी या राज्य को किसी दूसरे तरीके से पर्याप्त रूप से प्रतिपूर्ति की जायेगी।

मुझे खुशी है कि इस बजट में मछुआरों को लाभ मिला है क्योंकि मछली पकड़ने के जाल को उत्पादन शुल्क से मुक्त कर दिया गया है। मैं आशा करता हूं कि इस कदम से विभिन्न विभागों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी।

मुझे यह जानकर भी खुशी हुई है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा चलाई जा रही सहकारी समितियां उत्पाद शुल्क में छूट के कारण लाभांवित होंगी।

दवाईयों, कुटीर एवं खादी ग्रामोद्योगों, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स, रद्दी कागज, लकड़ी, अल्युमिनियम से बने दरवाजे और खिड़कियों के फ्रेमों पर दी गयी छूट महत्वपूर्ण है। पिछड़े वर्ग के लोगों के कल्याण के लिये सरकार द्वारा प्रस्तावित निगम की स्थापना प्रशंसनीय है। देश में औद्योगिक विकास को और आगे बढ़ाने के लिये सरकार ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की है। मुझे खेद है कि तमिलनाडु में केन्द्रीय निवेश में अत्यधिक कमी आई है। हमें केन्द्रीय निवेश का केवल पांच प्रतिशत प्राप्त हो रहा है जबकि 25 वर्ष पहले यह 20 प्रतिशत था। परन्तु आज यह पांच प्रतिशत पर पहुंच गया है। इस भारी कमी का क्या कारण मुझे पता नहीं। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इसमें सुधार किया जाये और तमिलनाडु के लिये केन्द्रीय निवेश बढ़ाई जाये।

जहां तक केन्द्रीय सहायता की बात है गाडगिल फार्मूला के अंतर्गत तमिलनाडु को और अधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। लेकिन वर्ष 1990–91 के दौरान तमिलनाडु को केवल 9.7 प्रतिशत बढ़ी हुई केन्द्रीय सहायता प्राप्त हुई जबकि कई राज्यों को इससे भी अधिक केन्द्रीय सहायता मिली। उदाहरण के लिये महाराष्ट्र को 42 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश को 33.5 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता मिल रही है। तमिलनाडु को सबसे कम केन्द्रीय सहायता मिल रही है। मैं नहीं जानता कि निवेश और सहायता के मामले में तमिलनाडु की उपेक्षा क्यों की जा रही है।

मद्रास के पास मनाली में प्रस्तावित एरोमेटिक परियोजना काफी लम्बे समय से विचाराधीन है। वर्ष 1987 में आशय पत्र जारी किया गया था । सभी कानूनी औपचारिकतायें पूरी कर ली गई हैं। लेकिन फिर भी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की तरफ से कई बार अनुरोध करने के बावजूद भी आर्थिक मामलों से संबंधित केन्द्रीय केबिनेट समिति ने अपनी स्वीकृति नहीं दी है । मैं प्रधान मंत्री से और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री से इस महत्वपूर्ण परियोजना को शीघ्र स्वीकृति देने के बारे में गंभीरता से विचार करने की अपील करता हूं । जिससे कि इस एरोमेटिक परियोजना से बहुत से अनुप्रवाह उद्योगों में रोजगार के बहुत से अवसर उत्पन्न हो जायेंगे ।

औद्योगिक विकास के लिये विद्युत उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण है । थर्मल स्टेशनों पर अपर्याप्त कोयले के भंडार के कारण तमिलनाडु बिजली बोर्ड को गंभीर कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। मिटूर के 210 मेगावाट की क्षमता वाले दो थर्मल स्टेशन कोयले की कमी के कारण बन्द पड़े हैं । यद्यपि तमिलनाडु में और बिजली उत्पन्न करने की क्षमता है, राज्य को बिजली की कटौती करनी पड़ती है । यदि देश में कोयले की तुरन्त आपूर्ति नहीं हो सकती तो भारत सरकार तमिलनाडु को विदेशों से जैसे आस्ट्रेलिया तथा कुछ अन्य देशों से इस स्थिति से निपटने के लिये कोयला आयात करने की अनुमति दे सकती है । या केन्द्र सरकार को तलिमनाडु की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त मात्रा में कोयले की सप्लाई करनी चाहिये । मैं केन्द्र सरकार से तमिलनाडु की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करने का अनुरोध करता हूं ।

सरकार अधिक विदेशी मुद्रा कमाने के लिये निर्यात को बढ़ावा देने के लिये कई कदम उठा रही है। तमिलनाडु में तिरुपुर एक तेजी से विकसित होता औद्योगिक शहर है जो प्रतिवर्ष लगभग 400 करोड़ रुपये का टेक्सटाइल फेब्रिक तथा होजरी उत्पादों का निर्यात करता है । जिससे देश को काफी विदेशी मुद्रा प्राप्त हो रही है । लेकिन तिरुपुर शहर में बुनियादी सुविधायें जैसे पीने का पानी, सड़कें, बिजली तथा होटल की सुविधायें नहीं हैं । व्यापारी वर्ग और उद्योगपति महसूस करते हैं कि यदि बुनियादी सुविधायें जैसे सड़कें, बिजली, जल आपूर्ति आदि की उचित सुविधा हो और अच्छी स्वास्थ्य पर्यावरण सुविधायें उपलब्ध करा दी जायें तो अगले कुछ वर्षों में यहां पर निर्यात व्यापार लगभग 1000 करोड़ रुपये से भी अधिक हो जायेगा । इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिये हमें लगभग 150 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ेंगे । स्थानीय म्युनिसिपल कौंसिल धन की कमी के कारण इन सुविधाओं को उपलब्ध नहीं करा सकती । केन्द्र सरकार के संस्थान परिधान निर्यात संवर्धन परिषद् को तिरुपुर से होने वाले टेक्सटाइल निर्यात से काफी आमदनी हो रही है । इस परियोजना पर यह निकाय अत्र खर्च करने के लिये तैयार है । निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तिरुपुर में नागरिक सुविधायें प्रदान करने के लिये मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह परिधान निर्यात संवर्धन परिषद् को इस परियोजना पर तुरन्त कार्यवाही करने का निदेश दें ।

सितम्बर, 1990 में, भारत सरकार ने वित्तीय कठिनाईयों के कारण परिवहन निगम के लिये 10 प्रतिशत डीजल की कटौती की थी । यह प्रस्ताव प्राइवेट आपरेटर्स पर लागू नहीं हुआ था । यह केवल पब्लिक सेक्टर परिवहन निगम पर ही लागू हुआ था । तमिलनाडु में 70 प्रतिशत यात्री बस पर यात्रा करते हैं । डीजल की कटौती के कारण राज्य परिवहन निगम में बहुत सी बस सेवाओं में कटौती की गई थी । अब तमिलनाडु के लोग उन सेवाओं को पुनः शुरू करने और नये मार्गों पर और बसें चलाने की स्वीकृति देने के लिये कह रहे हैं । राज्य सरकार के लिये इन अनुरोधों को पूरा करना सम्भव नहीं है । जब तक भारत सरकार द्वारा 10 प्रतिशत डीजल की कटौती हटाई नहीं जाती है ।

इसलिये, मैं सरकार से जनता के हित में 10 प्रतिशत डीजल की कटौती को हटाने के सभी संभव उपाय करने का अनुरोध करता हूं।

महोदय, तमिलनाडु ने 16-7-91 से सस्ती शराब योजना को बन्द कर दिया है। इससे प्रति वर्ष लगभग 390 करोड़ रुपये के राजस्व का घाटा होता है। तमिलनाडु सरकार को भारी राजस्व घाटे का सामना करना पड़ रहा है। अतः, मैं भारत सरकार से तमिलनाडु सरकार को राजस्व घाटे का मुआवजा देने के लिए उचित कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री भुपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक) : सभापति महोदय, सबसे पहले तो वर्तमान गहन आर्थिक संकट को देखते हुए मैं श्री मनमोहन सिंह, वित्त मंत्री, जो विश्व के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, उनको मुबारकबाद देता हूं। जो कि आज इस समय इतना अच्छा संतुलित बजट ले आये हैं। इसलिये इसका समर्थन करता हूं। आज वित्त मंत्री जी ने, ये ऐतिहासिक बजट कई कारणों से पेश किया है। इसका सबसे पहला कारण यह है······ **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मुझे बताया गया है कि अभी बहुत से सदस्यों को बोलना है, सदन की कार्यवाही को एक घंटे के लिये बढ़ाया जाये। क्या माननीय सदस्य इससे सहमत हैं ?

अनेक माननीय सदस्य : जी, नहीं, महोदय······ **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मन्दसौर) : सभापति महोदय, दिन भर हो गया है, लेकिन हमारी पार्टी से एक भी सदस्य को बोलने का अवसर नहीं मिला है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलामनबी आजाद) : बोलने के लिये ही तो एक्सटेंड कर रहे हैं।

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : सभापति महोदय, विपक्ष के लोग चले जायें तो कोरम भी नहीं है। क्या गंभीरता है आपकी बजट के संबंध में ?······ **(व्यवधान)**

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : जब हमारी पार्टी के किसी सदस्य को बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा है तो फिर टाइम एक्सटेंड करने का क्या लाभ है ?

श्री गुलाम नबी आजाद : टाइम एक्सटेंड इसीलिये कर रहे हैं कि बोलने का मौका मिले।

[अनुवाद]

श्री राम नाईक (बम्बई-उत्तर) : ऐसी कोई प्रणाली नहीं हो सकती जिसमें बी०जे०पी० के एक भी सदस्य को सारा दिन में एक बार भी बोलने का अवसर न दिया जाता हो।······ **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री गुलाम नबी आजाद : हर पार्टी को टाइम अलाट किया गया है।

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : लेकिन दिन भर हो गया है, हमारी तरफ से एक भी सदस्य नहीं बोला है ।

श्री गुलाम नबी आजाद : इसीलिये तो समय बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप लोग तैयार नहीं हैं ।

श्री फूलचन्द वर्मा (ईजापुर) : भारतीय जनता पार्टी का एक भी मैम्बर नहीं बोला है । ...... (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री राम नाईक : 117 सदस्यों में एक भी सदस्य को बोलने का अवसर नहीं दिया गया है । क्या आप हम से सहयोग की आशा करते है ?

[हिन्दी]

श्री गुलाम नबी आजाद : एक्सटेंड नहीं करेंगे तो कल भी बोलने का मौका नहीं मिलेगा, इसीलिये मैं एक्सटेंड करने के लिये कह रहा हूं..... (**व्यवधान**) ।

अभी जो मीटिंग हुई थी, उसके अंदर आपके साथी भी थे । लेकिन मुश्किल यह है कि अन्दर आपके दूसरे साथी होते हैं और यहां पर दूसरे साथी होते हैं ।

श्री लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : मीटिंग में लीडर्स से जो चर्चा हुई है, वह हमें मालूम है, लेकिन हमारा कहना यह है कि जब दिन भर में हमारी पार्टी के एक भी सदस्य को बोलने का अवसर नहीं मिला तो फिर एक्सटेंड करने का क्या लाभ है ? हमारी पार्टी का काफी समय बाकी है ।

श्री गुलाम नबी अजाद : समय मेंबर के हिसाब से नहीं अलाट किया जाता, पार्टी के हिसाब से अलाट किया जाता है । यदि आपकी पार्टी का एक ही आदमी पौने दो घंटे ले जाये तो उसके लिए क्या किया जा सकता है ।...... (**व्यवधान**) ......

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री हुड्डा के बाद, आपको बोलने का अवसर दिया जायेगा ।

श्री गुलाम नबी आजाद : क्या मैं सभापति महोदय से उनको दिये गये समय और उनके द्वारा लिये गये समय के बारे में बताने का अनुरोध कर सकता हूं ?

श्री राम नाईक : वह हम जानते हैं हमारी शिकायत यह है कि हमें सारा दिन में एक बार भी बोलने का अवसर नहीं दिया गया है ।

श्री गुलाम नबी आजाद : आपको मालूम होगा, लेकिन प्रेस नहीं जानती ।

श्री राम नाईक : क्या आप यहां से प्रेस को संबोधित कर रहे हैं...... (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : आपकी पार्टी का एक घंटा और 21 मिनट बचा है । आपको बोलने का अवसर दिया जायेगा ।

श्री राम नाईक : यह मुद्दा नहीं है । आप हमारे संताप को समझ सकते हैं..... (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : मैं आपको इस भद्रपुरुष के बाद अनुमति दूंगा ।

[हिन्दी]

श्री गुलाम नबी आजाद : 1 घंटा 21 मिनट टाइम आपकी पार्टी का बाकी बचा है, उसके हिसाब में आप कहिये ।

श्री राम नाईक : पूरे दिन में हमारा एक स्पीकर भी नहीं बोलेगा ?

श्री फूलचन्द वर्मा : जो भी समय है, क्या दिन भर में हमारी पार्टी का एक भी सदस्य नहीं बोलेगा ?

श्री गुलाम नबी आजाद : 5 मिनट तो ऐसे ही गंवा दिये आपने। . . . . . (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

महोदय, यदि उनकी रुचि नहीं है हम समय बढ़ाने के लिये दबाव नहीं डाल रहे हैं । . . . . . (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : जैसा कि सदन समय बढ़ाने के लिये सहमत नहीं है, अब हम सभा स्थगित कर सकते हैं । सभा वीरवार, अगस्त 1991/श्रावण 10, 1913 (शक) के ग्यारह बजे तक पुनः समवेत होने के लिये स्थगित होनी है ।

6.00 म० प०

तत्पश्चात् लोकसभा गुरुवार, 1 अगस्त, 1991 / 10 श्रावण, 1913 (शक) के ग्यारह बजे तक क लिए स्थगित हुई ।

प्रभासमुनो—372/लोक सभा नई दिल्ली/91—6-12-91—225 पु० ।